सप्तम माला खंड 1 अंक 1

शुक्रवार 27 नवम्बर 1981

6 अग्राह्यण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 5, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1981/6 अग्रहायण 1903 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 83 से 88	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 82 और 89 से 100	...	19-28
अतारांकित, प्रश्न संख्या 921, 922, 924 से 976, 978 से 980, 982 से 1119 और 1121 से 1150	...	28-181
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	181-183
सभा का कार्य	...	183-189
समिति का निर्वाचन		
तम्बाकू बोर्ड	...	189
दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	...	189
विवाह विधि (संशोधन) विधेयक		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	...	190
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री जेवियर अराकल	...	190-194

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री चित्त बसु ... 194-216
प्रो. एन. जी. रंगा ... 196-202
श्री डी. पी. यादव ... 202-206
श्री पी. राजगोपाल नायडू ... 206-215
श्री अशफाक हुसैन ... 208-209
श्री गिरधारी लाल डोगरा ... 210-211
श्री आर. वेंकटरामन ... 211-216

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

30वां प्रतिवेदन ... 217

विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक
(धारा 4 और 13 का संशोधन)
डा. बसंत कुमार पण्डित ... 217-218

(दो) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (धारा 26 का संशोधन)
श्री भोगेन्द्र झा ... 222

(तीन) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक (धारा 5 का संशोधन)
श्री भोगेन्द्र झा ... 222

(चार) भारतीय रेल बोर्ड (निरसन) विधेयक
श्री भोगेन्द्र झा ... 222

(पांच) सार्वजनिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक
श्री भोगेन्द्र झा ... 223

भारत में प्रादेशिक और साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध विधेयक

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया ... 218-221

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक
(धारा 3, 6ख, आदि का संशोधन)

श्री मूलचन्द डागा ... 223-231
श्री रशीद मसूद ... 231-234
श्रीमती कृष्णा साही ... 234-237
श्री सुधीर गिरि ... 237
श्री पी. नाम ग्याल ... 237-239
श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 235-241
श्री रामावतार शास्त्री ... 241-247
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ... 243-247
श्री सुन्दर सिंह ... 244-248
श्री डी. पी. यादव ... 247-248

लोक सभा

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1981/6 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान को अपहृत इण्डियन एयरलाइंस का बोइंग विमानन

*81. श्री एच. एन. नन्जे गौडा :†

प्रो. नारायण चन्द्र पाराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इडियन एयरलाइंस का एक बोइंग विमान अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया था;

(ख) यदि हा, तो उसके अपहरण के कारण इंडियन एयरलाइंस को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि इंडियन एयरलाइंस के विमानों में यात्रियों को कृपाण आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाये;

(घ) क्या पाकिस्तान द्वारा अभी तक अपहरणकर्ता नहीं लौटाये गये हैं; और

(ङ) विमान अपहरण को रोकने तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस घटना को दृष्टि में रखते हुए नागर विमानन सुरक्षा के निदेशक ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी यात्री अन्तर्देशीय उड़ानों पर भी विमान में "कृपाण" अथवा खंजर न ले जाए।

(घ) पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा जांच की जाती है और विमान क्षेत्र सुरक्षा यूनिटों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यापक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। विमान क्षेत्र सुरक्षा पर सरकार निरन्तर पूरा ध्यान देती है। खुफिया रिपोर्टों व अन्य घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए अपहरण, तोड़-फोड़ तथा नागर विमानन के साथ अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप को रोकने के लिये सुरक्षा प्रबन्धों में समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तान से उत्तर की प्रतीक्षा है। क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि विमान अपहरण कर्त्ताओं की वापसी पर पाकिस्तान सरकार का क्या रवैया है? क्या हमारे देश तथा पाकिस्तान के बीच विमान अपहरणकर्ताओं की वापसी के बारे में कोई समझौता है? क्या पाकिस्यान ने विमान अपहरण के सन्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकार किया है? विमान अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बारे में किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर करना उचित समझती है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जहां तक मैं जानता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच अपहरणकर्ताओं की वापसी के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं है। अपहरणकर्ताओं को वापस करने का हमारा अनुरोध अभी भी पाकिस्तान के पास है।

श्री एच. एन नन्जे गौडा : कल भी हमारे डाक और विमान का अपहरण कर लिया गया था। क्या सरकार की इस मामले में किसी अन्य देश अथवा एजेंसी का हाथ लगता है? क्या सरकार न केवल अपहरण के मामलों की जांच करने अपितु ऐसी अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए कोई उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करना चाहती है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सुरक्षा उपाय बरते जाने के बावजूद दुर्भाग्य से इण्डियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हो गया। यह पहले ही बताया जा चुका है यह विमान अपहरण कृपाण के उपयोग में लाये जाने के कारण हुआ था। अब कृपाण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

जहां तक कल के विमान अपहरण का सम्बन्ध है, यह घटना विदेश में घटी तथा अपहरणकर्त्ता भी विदेशी थे। मैं नहीं जानता माननीय सदस्य मुझ से क्या जानकारी चाहते हैं। मैं तो केवल यही बता सकता हूं कि चालक तथा यात्री सभी सुरक्षित हैं तथा विमान को आज किसी भी समय नैरोबी लाया जायेगा तथा यात्रियों को कल सुबह तक बम्बई लाया जायेगा।

श्री आर. एन. राकेश : दूसरे देशों में हाईजैकिंग के लिए भले ही सजा-ए-मात हो, लेकिन यहां तो हाईजैकिंग के लिए एवार्ड दिया जाता है। जनता पार्टी के रेजीम में जिन्होंने हाईजैकिंग किया था, उनको एम. एल. ए- का टिकट देकर विधान सभा में बिठा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह सरकार भारत में हाईजैकिंग की जानी है।

श्री संतोष मोहन देव : जनता पार्टी ने बड़ौदा डायनामाइट के एक्यूज्ड को मिनिस्टर बना दिया था। (व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इस प्रश्न से उठता नहीं है। जहां तक एम. एल. ए. और एम. पी. का सवाल है, किसी भी आदमी को बनाने के बारे में भारत के लोग डिसाइड करते हैं, आप और हम डिसाइड नहीं करते हैं।

श्री के. मालन्ना : हाल के दिनों में हमारे देश में तोड़-फोड़ की घटनाएं तथा अपहरण के मामले बढ़ रहे रहे हैं। कृपाणों तथा खंजरों पर रोक लगाने के अलावा सुरक्षा कर्मचारियों ने इन घटनाओं को समाप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय बरते हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमान् एयरपोर्टों पर सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। लम्बे अनुदेश किये गये हैं तथा यदि आप चाहें तो मैं इन्हें सभा-पटल पर रख सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : न केवल हमारे अपितु विदेशी हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा उपाय बरते जाने तथा यात्रियों की जांच के बावजूद विश्व-भर में विमान अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यात्रियों की सुरक्षा जांच के अलावा क्या विमान के चालक तथा सह-चालक को अपनी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के छोटे शस्त्र देने का प्रस्ताव है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमान्, इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। परन्तु यह बात विचार का विषय है कि इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हैदराबाद हवाई अड्डा

*83. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या उस हवाई अड्डे से अण्डों और सब्जियों का निर्यात किये जाने की अनुमति है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

श्री राजगोपाल नायडू : श्रीमान हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की सभी शर्तें पूरी करता है तथा आपातकाल में भी यह हमारे देश में उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए सरकार को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बावजूद इसे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : श्रीमान्, किसी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए कोई अर्हतायें निर्धारित नहीं हैं। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किसी ऐसे हवाई अड्डे तक उड़ान का सम्भव है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो यदि किसी अन्य देश का कोई विमान चार्टर्ड सेवा के रूप में अथवा अन्य सेवा के रूप में वहाँ उतरना चाहता है तो वह सदा उसका उपयोग कर सकता है। हमारे

देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अर्थात बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय यात्री वहाँ पर आते हैं।

श्री राज गोपाल नायडू : खाड़ी देशों को अण्डे 43 पैसे की दर से बेचे जाते हैं और इसलिए हमारे देश के लिए अन्य देशो के साथ प्रतिस्पर्धा करना अत्यन्त कठिन होता जा रहा है। अब मुझे पता चला है कि केवल 10% रियायत दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार 50% रियायत दे सकती है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं, श्रीमान, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

*84. †**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :

श्री अजय विश्वास : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को पांच बिलियन डालर का ऋण देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या-क्या शर्तें लगाई हैं; तथा तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये शर्तें वित्तीय मामलों में हमारे देश की स्वतंत्रता में बाधक बनती हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) ऋण सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) (क), (ख), (ग) और (घ) : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित व्यवस्था के बारे में 23 नवम्बर, 1981 को सदन में पहले ही वक्तव्य दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : हम दो तारीख को इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सही है कि इस पर चर्चा की जायेगी। परन्तु यह आवश्यक मामला है। मैं समय नष्ट नहीं कर रहा, अपितु उसका उपयोग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके निर्णय के लिए अपील करता हूं। हम लगभग आठ घण्टे की चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : जब प्रश्न, प्रश्नसूची में आ गया है तो उन्हें दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर आग्रह क्यों करते हैं। आप अनावश्यक रूप से सभा का दुगुणा समय ले रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं केवल डाक प्रश्न पूछूंगा।

मैंने विवरण को पढ़ा है। इसमें बहुत सी बातें छिपाई गई हैं, कदाचित उसमें कुछ नहीं बताया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वभावत: कुछ शर्तों पर ऋण देता है। मेरे पास ज्ञापन तथा वित्त मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकारियों को लिखे गये पत्र की तथा बाद में वित्त मन्त्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की एक प्रति भी है।

मेरा प्रश्न केवल यह है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि वह संसद की स्वीकृत नीतियों पर कायम रहेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण मांगा गया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्राधिकारियो

की संतुष्टि की गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा आपने किस प्रकार उन्हें संतुष्ट किया । मैं जानना चाहता हूं कि यदि संसद की स्वीकृत नीतियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रखी गई शर्तों में विरोध है तो वह इस बारे में वे क्या करेंगे ? साधारणत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कठोर शर्तें लगाता है तथा उन्हें इनका पालन करना पड़ेगा। एक निष्पादन खण्ड होता है । यदि आप कार्य निष्पादन नहीं करेंगे, तो वे अगली किश्त की अदायगी रोक देंगे । कृपया बतायें कि शर्तें क्या थीं तथा आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया थी तथा आपका दूसरा स्पष्टीकरण क्या था ;

श्री आर. वेंकटरामन : पूरी जानकारी देने के लिए मैंने स्वयं वाद-विवाद की मांग की है । जहां तक माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण के बारे में पूछा है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा भारत के वित्त मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे गये पत्र के पैराग्राफ 5 में .....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समझौता कहां हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं उसे ग्रंथालय में रख चुका हूं । माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं । परन्तु वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता । जब तक सभी शर्तें संसद के समक्ष नहीं रखी जाती तब तक कोई लाभदायक चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री आर. वेंकटरामन : सब कुछ दे दिया गया है । उन्हें गलत फहमी है । सब कुछ ग्रन्थालय में रख दिया गया है ।

उसमें हमने कहा था कि हम सभी नीतियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परामर्श करेंगे । परन्तु जहां तक उन्हें स्वीकार करने का प्रश्न है हम केवल उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को अपनायेंगे जिन्हें संसद ने स्वीकार किया है । यही वक्तव्य है । वे यह जानना चाहते थे कि क्या हम संसद द्वारा स्वीकृत मामलों पर ही परामर्श करेंगे अथवा सभी मामलों पर ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौते के अनुच्छेद 4 के अधीन हम सभी सदस्य हैं । हम सभी मामलों पर परामर्श करने के लिए बाध्य हैं हमें सभी मामलो पर उनसे परामर्श करने पर आपत्ति नहीं है । परन्तु हमने कहा है कि हम केवल उन्हीं नीतियों तथा कार्यक्रमों को अपनायेंगे जिन्हें संसद स्वीकृत कर देती है और यही स्थिति है, यही स्पष्टीकरण है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिकारियों ने निम्न स्पष्टीकरण दिया है :—

"भारत द्वारा चुने गये कार्यकारी निदेशक श्री नरसिम्हा द्वारा भेजे गये 2 सितम्बर, 1981 के ज्ञापन में भारत सरकार की ओर से निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें परामर्शों के बारे में शर्तों के सम्बन्ध में भारत सरकार के इरादों को स्पष्ट किया जो वित्त मंत्री के दिनांक 21 सितम्बर 1981 के पत्र के पैरा 5 में दिये गये हैं;

"भारत सरकार के आर्थिक नीतियों संबंधी विवरण को प्रेषित करने वाले पत्र के पैरा 5 में अतिरिक्त शब्दों का सुझाव दिया गया, अर्थात "संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप" तथा "सरकारी उपाय जो इन घोषित नीतियों के अनुरूप हैं" द्वारा

वास्तव में अपनाये गये उपायों का उल्लेख किया गया है तथा इसका अभिप्राय उसे उक्त पैराग्राफ में की गई व्यवस्था के अनुसार परामर्शों को न करने का और उन नीतियों पर न चलने का नहीं है जिनके बारे में कोष प्राधिकारियों का विचार है कि वे कार्यक्रम की उपलब्धि के अनुरूप है और रहेगी।"

अब सीधी सी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निष्पादन खण्ड लादना चाहता है। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी कहते हैं। आपने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों पर ध्यान रखेगी तथा आपने भारत की समूची अर्थ व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष जांच के लिए खोलकर रख दी है।

मेरा प्रश्न है कि क्या यह कार्य भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता को कम नहीं करता।

श्री आर. वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने कतई गलत अर्थ लिया है। हम सभी नीतियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से परामर्श करेंगे। परन्तु हम उन्हीं नीतियों को अपनायेंगे जिन्हें संसद स्वीकृत करती है, यही शब्दावली है जिसे हमने स्वीकार किया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इसे ग्रन्थालय में रख दिया है। आप प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम इस मामले पर 2 दिसम्बर को चर्चा करने वाले हैं, मैं इस समय हस्तक्षेप करना या किसी विवादास्पद मामले पर चर्चा करना पसन्द नहीं करूंगा। किन्तु मैं वित्त मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा और वह इस प्रकार है :

उन दस्तावेजों के अतिरिक्त, जो उन्होंने ग्रन्थालय में रखे हैं, क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मौखिक रूप से करार संबंधी कोई ज्ञापन है। यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री महोदय उन मौखिक करार की बातों को निम्नलिखित रूप दिया गया है बताने के लिए तैयार हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करूंगा। किसी देश का वित्त मंत्री जो और अधिक सुविधाओं के लिए निवेदन करता है, एक आवेदन पत्र अथवा एक पत्र लिखना है।

इसके पश्चात उन नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाता है जिन्हें वह देश अपनी शोधन संतुलन की कठिनाइयों तथा समस्याओं को हल करने हेतु शुरू करने का इरादा रखता है।

तीसरी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आन्तरिक मूल्यांकन करता है जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। वह अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों के द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन को कार्यकारी बोर्ड के पास भेजा जाता है और कार्यकारी बोर्ड ऋण की मंजूरी देता है। यही प्रक्रिया है।

मैंने इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र और कार्यक्रमों और नीतियों संबंधी में नीति-विवरण ग्रन्थालय में रखा है।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने बैंक के मूल्यांकन संबधी दस्तावेज को ग्रन्थालय में नहीं रखा है क्योंकि यह मेरा दस्तावेज नहीं है।

मैंने स्पष्टीकरण करने वाले पत्र को भी ग्रन्थालय में रखा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित प्रत्येक पत्र ग्रन्थालय में रख दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रक्रियाओं में मौखिक करार अथवा लिखित करार जैसी कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इससे गलत फहमी पैदा होती है।

अध्यक्ष महोदय : दो शब्द हैं : एक 'परस्पर सद्भावना' है और दूसरा है 'गलतफहमी'

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक और शब्द भी है गुप्त समझौता।

अध्यक्ष महोदय : वह षडयंत्र है।

अगला प्रश्न। श्री बालानन्दन।

व्यापार में कमी

*85. **श्री ई. बालानन्दन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 में 1088 करोड़ रुपये, वर्ष 1979-80 में 2563 करोड़ रुपये, 1980-81 में 5626 करोड़ रुपये की व्यापार में कमी की तुलना में अब चालू वर्ष में व्यापार में कमी बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये की हो जाने का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1981-82 के पूर्वार्ध के दौरान भारत के विदेश व्याहार का घाटा 2280 करोड़ रु. रहा जो पिछले वर्ष की उसी अवधि में 3035 करोड़ रु. के संशोधित घाटे की अपेक्षा कम हैं। निर्यातों में वृद्धि और पी. ओ. एल., उर्वरकों, इस्पात, अलौह धातुओं आदि जैसे अनिवार्य आयातों के घरेलु उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयासों से यह संभावना है कि 1981-82 के दौरान व्यापार घाटा गत वर्ष की अपेक्षा कम हो सकता है।

श्री ई. बालानन्दन : मंत्री महोदय के उत्तर से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष के पहले छः महीनों की तुलना में 1981-82 में घाटा कम रहेगा। किन्तु 'इकानोमिक टाइम्स' दिनांक 30-9-1981 में यह बताया गया है :

"आशा है कि चालू वर्ष में व्यापार घाटा बढ़कर 6,000 करोड़ रुपया हो जायेगा जबकि 1980-81 के दौरान यह घाटा 5,620 करोड़ रुपये था।"

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि ये आंकड़े अस्थायी हैं। अतः उनके वक्तव्य को अंतिम नहीं समझा जा सकता। सामान्य प्रवृत्ति पर विचार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति यह धारणा बना सकता है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। सरकार का विचार है निर्यात को बढ़ाया जाय तथा भारत में आयात किये जा रहे माल का देश में उत्पादन बढ़ाया जाये।

इस बात को देखते हुए यही तरीका ठीक है जिससे सभी सहमत होंगे। किन्तु देश में विद्यमान तथ्य इसके विपरीत हैं। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। मैं अधिक उदाहरण नहीं दूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लिखे अपने पत्र में वित्त मंत्री महोदय ने एक छोटी सी बात कही है :

"....अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए संरक्षणवाद के कारण हमारे निर्यात के लिए बाजार में कम माँग और सीमित पहुंच है।"

विश्व बाजार में वे आयात को सीमित कर रहे हैं और संरक्षणवाद को लागू कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह स्थिति है। अतः हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल पहुंचने का प्रयत्न ही कर सकते हैं। हम और क्या कर सकते हैं। यह बात हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे देशों का सहमत होना भी जरूरी है। हम केवल यह कर सकते हैं कि हम अपने देश में अधिक संरक्षणवाद को लागू करें कौर हमें अपने आयात को सीमित करना होगा। इस मामले में भी मैं स्वयं वित्त मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए विवरण से उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने यह उसमें कहा है :

"हमारी यह धारणा है कि कच्चे माल, अन्तर्वर्ती और पूंजीगत माल के आयात के संबंध में हाल के वर्षों जो उदारता बरती है उसकी प्रगति को और आगे ले जाया जाये।"

उन्होंने यह भी कहा है :

"देश के उद्योग के संरक्षण के स्तरों को कम करने हेतु चुनिन्दा आयात नीति के उपायों पर विचार किया जायेगा।"

अतः, इसका अभिप्राय अपने देश में आयात में उदारता बरतना है। बात यही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे आयात को सीमित करने जा रहे हैं। किन्तु जो नीति वे अपनाने जा रहे हैं वह इसके विपरीत है...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ई. बालानन्दन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार आयात को सीमित करने जा रही है। किन्तु तथ्य और है। अतः, क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या यह नीति हमारे व्यापार संतुलन को कम करने में मदद करेगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : वास्तव में सदस्य महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है जैसा कि जो कुछ वित्त मंत्री महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बताया है, वह एक विशेष रूप से आयात नीति को अपनाने में बाधक हो रहा है। जब मैंने इस वर्ष मई के शुरू में आयात निर्यात नीति को सभा में रखा था, तो मैंने यह बात स्पष्ट की थी कि मैं इस नीति को न तो उदार और न ही कठोर कहूंगा। मैंने निर्यात-आयात नीति को लचीला और अपनी सरकार के लिए आवश्यक बताया था।

माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि 1977-78 से इस नीति का पालन किया जा रहा है और मैंने मौलिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है मैं उसी नीति को जारी रखे हुए हूं। अतः, यदि आप कहते हैं जो उदार नीति आपने 1977-78 में शुरू की थी वह 1978-79, 1979-80 में जारी रही मैं लगभग उसी नीति का पालन कर रहा हूं। आप चाहें इसे कठोर अथवा उदार नीति कह सकते हैं। इस लचीलेपन की स्थिति क्या है तो जब मैंने अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझा, तो इस वर्ष मैंने ओ. जी. एल. से अनेक मदों को लेकर उन्हें सीमित सूची में शामिल कर लिया है। जब मैं आयात को कम करने की बात करता हूं तो जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हम कुछ क्षेत्रों पहले

आयात पर निर्भर नहीं थे किन्तु देश की मांग और सप्लाई के प्रतिबन्धों और सीमेंट, अल्यूमीनियम, इस्पात और चीनी जैसे कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादन के कारण···

एक माननीय सदस्य : गेहूं भी।

श्री प्रणब मुखर्जी : ··· हमें इसका आयात करना पड़ा था। किन्तु इस वर्ष हम इस्पात के आयात में कमी कर सकते हैं। गत वर्ष हमने 16 लाख टन इस्पात का आयात किया था। इस वर्ष इस्पात का आयात कम होने की आशा है कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इसी प्रकार हमें गत वर्ष 20 लाख टन सीमेंट का आयात करना पड़ा था। किन्तु इस वर्ष हम इसमें कमी कर सकते हैं क्योंकि इसका उत्पादन 185 लाख टन से बढ़ कर 210 लाख टन हो गया है। इसके अतिरिक्त भारत चीनी का परम्परागत निर्यातकर हा है, किन्तु गत दो वर्षों में हमें चीनी का आयात करना पड़ा। इस वर्ष चीनी आयात करने की बजाय हम इसका निर्यात कर रहे हैं। अत: यह नीति इसकी अनुमति देती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा कोई अन्य व्यक्ति इसमें बाधक नहीं है।

श्री ई. बालानन्दन : मुझे एक प्रश्न और पूछना है। महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में विश्व में प्रत्येक देश आयात के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा रहा है और आत्म निर्भनता की ओर बढ़ रहा है। आत्म निर्भरता को बढ़ाना होगा और उसके लिए यदि आप उदार नीति अपनाते हैं तो अन्य देशों से पुरानी मशीनों का आयात कर भी हम आत्म निर्भरता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं ? अत:, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सरकार को यह सुनिश्ति करना होगा कि अपनी रक्षा करने के लिए अधिक आत्म निर्भरता होना पड़ेगा और उदारता त्यागना होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह तो दृष्टिकोण की बात है। जब मैंने यह कहा था कि मैंने ओ जी. एल. में से अनेक मदों को निकाल लिया है और उन्हें सीमित सूची में रख दिया है अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया, तो यदि माननीय सदस्य इसका अभिप्राय नहीं समझ सकते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री भेरावदन के. गधावी : जहां तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन का सम्बन्ध है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सब है कि पूंजीपति देशों की यह चाल तथा उद्देश्य है कि भारत के आयात में बाधा पड़े ? उस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार लेटिन अमरीकी देशों तथा अन्य छोटे-छोटे देशों को अधिक वस्तुओं का निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाएगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बात सच है कि कुछ औद्योगिक देश संरक्षणवाद का सहारा ले रहे हैं और हमने इसी बात को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में उठाया है। इसके साथ-साथ हम नये क्षेत्रों में अपने माल को बेचने की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह बात सच नहीं है कि सहयोगों की संख्या, जिन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़ गई है ? इसमें वास्तव में आयात की काफी अधिक गुंजाइश है जिससे आयात प्रतिस्थापन की बजाय बाधा खड़ी हो रही है।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बात सही है। हम केवल उन क्षेत्रों में आयात की अनुमति देते

हैं और जिनमें प्रौद्योगिकी अथवा मशीनों की आवश्यकता होती है और हम आयात की अनुमति नहीं देते हैं जो देश में उपलब्धता देश की क्षमता की कीमत पर आयात की अनुमति नहीं देते।

श्री ए. नीलालो हिथादसन नाडार : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार उन वस्तुओं के आयात में उदार है जिनका हमारे देश में उत्पादन अधिक नहीं होता है। किन्तु क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि नारियल का तेल तथा अन्य खाद्य तेलों, कोको और रबड़ जैसी वस्तुओं के आयात करने की अनुमति सरकार द्वारा क्यों दी जाती है जिनका देश में अधिक उत्पादन होता है ? उसके कारण विशेषकर केरल राज्य की कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है। सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति क्यों दे रही है और सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए अन्य देशों के साथ कुछ समझौता करने का प्रयास क्यों कर रही है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यह एक बहुती ही सामान्य प्रश्न है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि यह प्रत्येक मद की उपलब्धता एवं मांग पर निर्भर करता है। रबड़ केसंबंध में मैं कह सकता हूं कि इसकी उपलब्धता 1,50,000 टन है। यदि इसकी मांग 1,70,000 टन की है, तो इसमें अन्तर है जिसे आयात से पूरा किया जाना है। अन्यथा छोटे कारखानों को बन्द करना पड़ेगा। उन्हें कच्चा माल नहीं मिलेगा वास्तव में अनेक छोटे कारखानों में ऐसा ही हुआ है। रबड़ कारखाने अन्य देशों को स्थानान्तरित होने जा रहे हैं।

जहां तक खाद्य तेल का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि कृषि मंत्रालय की कुल मांग लगभग 39 लाख टन की है जबकि कुल उत्पादन लगभग 26 लाख टन है। 13 लाख टन का अंतर है इसके अतिरिक्त बनस्पति उद्योग की मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। हम इस अंतर को किस प्रकार पूरा करेंगे ?

आपको यह स्थिति तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि खाद्य तेल की आवश्यकता और पूर्ति में काफी अंतर रहेगा और उस कमी को बाहर से आयात करके पूरा करना होगा। आप इस संबंध में दोनों तरह की बात नहीं कह सकते हैं। जहां तक कोको का संबंध है, माननीय मैं समझ नहीं सका हूं कि सदस्यों को रोष क्यों है। पिछले वर्ष यह ओ. जी. एल. के अन्तर्गत था। अब मैंने इसे प्रति बन्धित सूची में सम्मिलित कर दिया है और मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया है कि मैंने 75 टन कोको के आयात की अनुमति दी है दूसरी ओर में मैंने उसके निर्यात की भी अनुमति दी है। मेरे पास कोको के आयात के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं मुझे वे याद नहीं हैं किन्तु यह 200 टन से अधिक होना चाहिए। अतः इससे केरल की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांग और पूर्ति में अंतर है और इसलिए हमें प्रत्येक मद पर निर्णय लेना होगा।

श्री मती सुशीला गोपालन : खाद्यान्न के आयात के बारे में स्थिति क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. भोई।

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए घाटे को दृष्टि को रखते हुए सरकार ने निर्यातोन्मुख उद्योगों के सम्बन्ध में नीति को और उदार बना दिया। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा कितने स्वीकृत हुए हैं तथा क्या गैर-निवासी भारतीयों को, जो यहां वापस आकर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, वही सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक निर्यातोन्मुख योजना के अन्तर्गत प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की सही संख्या का सम्बन्ध है, मेरे पास आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मैं यह आंकड़े माननीय सदस्य को बाद में दे दूंगा। किन्तु जहाँ तक गैर-निवासी भारतीयों को सुविधायें देने का प्रश्न है, इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त वित्त मन्त्रालय उन्हें समय-समय पर और भी सुविधायें देता रहता है उन्हें अपना माल यहां लाने की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री कोडियन।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, यह गुमराह करने वाला उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 115 की भी व्यवस्था है। आप इस प्रश्न को इस नियम के अन्तर्गत उठाईये। श्री कोडियन।

चीनी के निर्यात पर से प्रतिबन्ध का हटाया जाना

*86. **श्री †पी. के. कोडियन**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस घोषणा का देश में चीनी के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) जी हाँ।

(ख) रोक को 2-11-81 से हटा दिया गया क्योंकि चालू चीनी वर्ष (अक्तूबर, 81 सितम्बर, 1982) में निर्यात योग्य अधिशेष होने की संभावना है।

(ग) ऐसे कोई संकेत नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी. के. कोडियन : महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि इस वर्ष चीनी के निर्यात-योग्य अधिशेष की सम्भावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1981-82 में चीनी के कुल कितने निर्यातयोग्य अधिशेष की सम्भावना है और इस बात को देखते हुए कि पिछले तीन वर्षों में देश को चीनी के निर्यात का कोटा आवंटित किया गया था परन्तु हम चीनी निर्यात करने में असफल रहे थे, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के अन्तर्गत भारत को चीनी का कितना कोटा आवंटित किया जाना है। महोदय प्रत्येक देश के पिछले तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर कोटे के बारे में निर्णय लिया जाता है और चूंकि पिछले तीन वर्षों में हम चीनी का बिल्कुल निर्यात नहीं कर सके हैं, तो सरकार को इस वर्ष चीनी के पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने की कैसे आशा है ?

श्री खुरशीद आलम खान : महोदय हमें आशा है कि इस वर्ष 74.98 लाख मीटरी टन चीनी उपलब्ध होगी और हमारी कुल खपत 57 लाख मीटरी टन होगी। इसमें से 10 लाख मीटरी टन चीनी अपने रक्षित भण्डार में रखने के पश्चात हमारे पास 7 से आठ लाख मीटरी टन चीनी निर्यात के लिए उपलब्ध होगी। महोदय, चूंकि हमने पिछले 2 वर्षों में चीनी का निर्यात नहीं किया है, हमने चीनी आयातक देशों से विशेष अनुरोध किया है कि हम इस वर्ष निर्यात करने की स्थिति में हैं। चूंकि हम निर्यात-बाजार में बने रहना चाहते हैं इसलिए इस वर्ष चीनी का निर्यात करना आवश्यक है और इस वर्ष हम सात से आठ लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात कर सकेंगे।

श्री पी. के. कोडियन : महोदय, चीनी के निर्यात सम्बन्धी नीति के कारण प्रायः स्वदेशी बाजार में कृत्रिम अभाव और अत्यधिक मूल्य-वृद्धि हो जाती है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि सरकार भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

श्री खुरशीद आलम खान : महोदय, 1979-80 में चीनी का उत्पादन केवल 38.59 लाख मीटरी टन था और इसलिए चीनी की कमी थी। अब उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने विशेष कदम उठाये हैं जिनके अन्तर्गत हमने सांविधिक न्यूनतम मूल्य अधिक निर्धारित किया है और अपेक्षाकृत पहले पिराई के लिए उत्पाद-शुल्क में छूट भी दी है और हमें आशा है कि इस वर्ष 17.9 लाख मीटरी टन का अधिशेष होगा। अतः इस वर्ष चीनी की कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है और चीनी के कृत्रिम अभाव पैदा किये जाने का भी कोई भय नहीं है।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो चीनी के बारे में जवाब दिया है, उससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीति चीनी के बारे में आए दिन परिवर्तित होती रहती है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपको यह आभास नहीं था कि अगले वर्ष हमारे देश में चीनी का उत्पादन अधिक होगा ? अगर यह आभास था तो फिर बाहर से चीनी क्यों मंगवानी पड़ी और उसका असर क्या हुआ ?

दूसरा में यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ कहा जाता है कि चीनी के दाम कम करो और दूसरी तरफ कहा जाता है कि गन्ने के दाम बढ़ाओ। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की नीति निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि जो गन्ना उत्पादक हैं, उनको उचित मूल्य मिले और केवल उपभोक्ताओं के हित को ही ध्यान में न रखा जाए, बल्कि जो उत्पादन करते हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। चीनी का दाम इतना कम न हो जाए कि उसका असर चीनी के उत्पादन पर पड़े। होता यह है कि जिस वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक होता है, उस साल मूल्य कम हो जाते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि फिर अगले दो सालों तक चीनी का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि किसान गन्ना कम बोता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की नीति निर्धारित होगी, जिससे गन्ना बोने वाले किसानों को उचित मूल्य मिले और गन्ने के दाम अच्छे दिए जायें।

श्री खुर्शीद आलम खान : मान्यवर, गन्ना उत्पादकों को इस वर्ष और पिछले वर्ष जो मूल्य दिए गए हैं, उससे वे काफी संतुष्ट हैं। हमने इस साल जो दो लाख टन चीनी इम्पोर्ट की थी, उसका नतीजा यह हुआ कि फ्री सेल शुगर के मूल्यों में काफी गिरावट आई है। जो इस प्रकार है :—

	अप्रैल 1981	नवम्बर 1981
नई दिल्ली	785 रुपए प्रति क्विन्टल	605 रुपए प्रति क्विन्टल
कानपुर	750 ,, ,,	585 ,, ,,
कलकत्ता	830 ,, ,,	585 ,, ,,
बम्बई	740 ,, ,,	552 ,, ,,
मद्रास	750 ,, ,,	515 ,, ,,

यह मूल्यों में कमी चीनी इंपोर्ट करने की वजह से हुई है।

जहां तक नीति का सवाल है, नीति यह देखकर तय की जाती है कि कितनी चीनी का उत्पादन होगा और कितनी चीनी की जरूरत है। इन सब बातों को देखते हुए हम नीति निर्धारित करते हैं।

धारक बांडों का पुनः जारी किया जाना

*87. †**श्री टी. आर. शमन्ना :**

श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धारक बांडों को पुनः जारी करने के लिए कदम उठाये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी सम्भावित राशि कितनी है;

(ख) वे क्या कारण थे जिनको लेकर सरकार ने वर्ष 1981 के आरम्भ में जारी किए गये धारक बांडों को जारी रखना बन्द कर दिया था; और

(ग) धारक बांडों की बिक्री पुनः शुरू करने के क्या कारण हैं जबकि जनता के एक बड़े वर्ग ने इसकी काफी आलोचना की थी ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

विशेष धारक बांड, 1981 एक दिसम्बर, 1981 से एक महीने तक के लिए पुनः बिक्री के लिए रखे जा रहे हैं। इस अवधि में ये बांड भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों के अलावा, चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की मार्फत भी बेचे जायेंगे।

1981-82 के बजट अनुमानों में इन बांडों की बिक्री से 800 करोड़ रुपये की राशि के प्राप्त होने की कल्पना की गई थी, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 296.91 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

उच्चतम न्यायालय में लम्बे समय तक चल रही मुकदमेबाजी को देखते हुए, धारक बांडों की बिक्री 30 अप्रैल, 1981 के बाद रोक दी गई थी। बांडों की बिक्री फिर से शुरू करने का फैसला उच्चतम न्यायालय के विशेष धारक बांड स्कीम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराये जाने के निर्णय के सन्दर्भ में और बजट में अनुमानित वसूली में हुई कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है।

श्री टी. आर. शमन्ना : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद वित्त मंत्री ने धारक बांड जारी करने तथा बेचने सम्बन्धी कानूनी लड़ाई जीत ली है।

क्या मैं श्री वेंकटरामन की अन्तरात्मा-रूपी न्यायालय से नैतिक आधार पर इन काले बांडों का जारी करना बन्द करने की अपील कर सकता हूं ?

मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि एक ईमानदार करदाता को तो कर देने के लिये मजबूर होना पड़ता है जबकि चोरबाजारी करने वाले व्यक्ति, तस्कर, भ्रष्ट व्यक्ति तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की रक्षा की जाती है। वे अपनी सम्पत्ति के अधिकांश भाग का कर नहीं देते। इन बांडों

को जारी करके मन्त्री महोदय ने उन्हें काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का अवसर दिया है। क्या यह न्यायोचित है ? क्या यह उचित है ? ऐसा करके क्या वह चोरबाजारियों को अधिक सम्पति कमाने के लिये प्रोत्साहित नहीं कर रहे ?

श्री आर. वेंकटरामन : कानून के औचित्य पर संसद की दोनों सभाओं में पूर्ण चर्चा हो चुकी है। इसे संसद की दोनों सभाओं ने स्वीकृत कर दिया है।

प्रजातंत्र का अर्थ बहुमत को अपने साथ लेकर चलना है, हर व्यक्ति को सन्तुष्ट करना नहीं।

मैं जानना चाहता हूं कि श्री शमन्ना की यह एक नैतिक आपत्ति है, लेकिन मैं 100 प्रतिशत लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। मुझे सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। दोनों सभाओं ने कानून को स्वीकृत किया है। कानून के औचित्य पर पूर्णतः चर्चा हो चुकी है। अतः बार-बार यह कहना निरार्थक है कि यह काला बांड है, आदि-आदि।

श्री टी. आर. शमन्ना : मैं जानता हूं कि श्री वेंकटरामन अपनी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही क्या मैं वित्त मंत्री को एक सुझाव दे सकता हूं ? जिन लोगों के बारे में सरकार को संदेह है, उनसे सरकार 1971 तथा 1981 की सम्पत्ति के आंकड़े देने और बीच के अन्तर को बताने के लिये क्यों नहीं कहती ? यदि यह सच है तो उनकी सम्पत्ति जब्त की जाये अथवा उन पर कर लगाया जाये। क्या ऐसा करना सम्भव है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मुझे माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव की कानूनी वैधता के बारे कोई जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात की घोषणा की गई है कि इस बार जब नये धारक बांड जारी किये जायेंगे तो वे बिक्री के लिये केवल इसी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उपलब्ध होंगे। मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करें। विदेशों में धारक बांडों की बिक्री के लिये किन एजेंसियो का उपयोग किया जायेगा ? कुछ क्षेत्रों में कहा गया है कि चूंकि हर काम गोपनीयता से किया जा रहा है और बांड के खरीददार को अपना नाम नहीं बताना पड़ता है इसलिये इससे इस बात का गंभीर खतरा है कि विदेशों में बिक्री से कहीं इस देश को विदेशी धन न आये जिससे कि देश के विभिन्न भागों में चल रहे पृथक्तावादी आन्दोलनों को धन मिल सके। इसके विरुद्ध किस प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं और क्या सावधानी बरती जा सकती है ? क्या वह सभा को बतायेंगे ? क्योंकि विदेशों में व्यक्तियों को केवल इतना ही करना पड़ेगा कि वह बांड खरीदें और यहां किसी के पास भेज दें और उसका नकद भुगतान यहाँ हो जायेगा। वह धन किनके पास है इस बात को प्रकट किये बिना ही उसे किसी भी काम में लाया जा सकता है। विदेशी धन इस रास्ते देश विरोधी विभिन्न पृथक्तावादी तथा अन्य प्रकार के आन्दोलनों के लिये भेजा जा सकता है।

श्री आर. वेंकटरामन : धारक बांडों को विदेशों में बेचने का प्रस्ताव नया नहीं है। ऐसा प्रस्ताव तो जारी करने के समय भी था। वास्तव में 30 अप्रैल तक इन बांडों में लंदन में 2.20 करोड़ रुपये लगाये गये थे और बेहरीन में 60 लाख रुपये लगाये गये थे। अतः जो कुछ हम कर रहे हैं, वह कोई नई बात नहीं है।

मानगीय सदस्य के दूसरे प्रश्न अर्थात् धन के सम्भावित दुरुपयोग के बारे में मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि बांड 10 वर्ष तक भुनाये नहीं जा सकते। अतः अभी इस समय इस बात की कोई सम्भावना नहीं कि कोई व्यक्ति किसी के लिये बांड खरीद कर कैश करने के लिये भारत भेजे तथा उस धन को यहाँ गैर-कानूनी कामों में लगाया जाये।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि इन बांडों के द्वारा ही नहीं बल्कि कुछ अन्य गैर-कानूनी साधनों द्वारा भी धन देश में आता होगा। अनुचित तथा गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिये इस प्रकार धन के आने, चाहे वह बांडों द्वारा हो अथवा अन्य किसी तरीके द्वारा रोकने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा कि ये बांड तुरन्त भुनाये जा सकते हैं। बात यह है कि जब यह बांड एक व्यक्ति से दूसरे के हाथ में चला जाता है तो यह एक प्रोमिजरी नोट की तरह बन जाता है जिस पर ऋण के रूप में धन लेना सम्भव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल देश में क्या हो रहा है।

श्री जेवियर अराकल : उच्चतम न्यायालय में बुद्धि और समझ आ गई है। यदि हम न्यायपालिका के बारे में कुछ कहें तो इसे न्यायपालिका पर हमला समझा जाता है। फिर भी यह साफ इस बात को पूरी तरह से जानती है कि उच्चतम न्यायालय ने अनेक कानूनों, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के कानूनों की पुष्टि की है। स्वयं इस अधिनियम के बारे में यह कहा गया है कि इसकी वैधता की अब उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित कितने और अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है।

श्री आर. वेंकटरामन : न्यायालय में चुनौती दिये गये सभी अधिनियमों के आंकड़े देना मेरे लिये कठिन है। मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न को ठीक करना चाहता हूं कि इसके बारे में रोकादेश नहीं दिया गया था। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया और यह वहाँ निर्णयाधीन रहा और इस पर रोकादेश नहीं दिया गया। हमने इसे रोक दिया था क्योंकि काफी समय से एक मुकदमेबाजी चल रही थी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

*88. **श्री †जनार्दन पुजारी :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त तीन किश्तें देय हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की घोषणा कब तक किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार आर्थिक महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) औद्योगिक कामकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960=100) के 12 महीने का औसत मई, 1981 के अन्त में 408 अंकों से ऊपर पहुंच जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने 1-6-1981 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त स्वीकृत कर दी है। 12 महीनों के औसत सूचकांक में जुलाई, 1981 के अन्त में 9 अंकों की और सितम्बर, 1981 के अन्त में 9 अंकों की आगे और वृद्धि हो गई है। इसके परिणामस्वरूप क्रमश: 1-8-1981 और 1-10-1981 से महंगाई भत्ते की दो और किश्तें विचार करने योग्य हो गई हैं। इन किस्तों के भुगतान के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी।

(ग) और (घ) 344 के सूचकांक स्तर तक स्वीकार किए गए महंगाई भत्त को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ मिलाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के साथ कर्मचारी पक्ष की वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद् की एक समिति के समक्ष है। इस मामले पर राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के कुछ प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक रूप से भी विचार किया जा रहा है।

श्री जर्नादन पुजारी : वित्त मंत्रालय की दशा का समाधान अध्ययन नहीं है। अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी में विलम्ब का अर्थ, मजूरी तथा मंहगायी भत्ते पर आंशिक अथवा पूर्ण रोक लगाने के प्रयास की ओर कदम समझा गया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि आजीवी वर्ग के अन्य वर्गों के लिए भी है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या मंहगाई भत्ते पर रोक लगाने अथवा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को अवरुद्ध करके उसे भविष्य निधि में डालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस प्रश्न के सभी पहलुओं को उचित ढंग से समझना चाहिए। अब तक स्वीकृत मंहगाई भत्ते की किस्तों पर केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष 1460 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय करना पड़ता है। सरकार को अभी आगे भी अतिरिक्त महगाई भत्ते की स्वीकृति देनी पड़ेगी। वर्तमान सारी वित्तीय देनदारी और निकट भविष्य की संभावित देनदारी को ध्यान में रखते हुये सरकार को किसी अतिरिक्त वित्तीय देनदारी को लेने से पहले प्रश्न पर विस्तार से विचार करना है। मंहगायी भत्ते को अवरुद्ध करने के बारे में एक सुझाव आया था जो विचाराधीन है। कर्मचारी पक्ष के सम्बन्धित प्राधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

श्री जर्नादन पुजारी : मजूरी तथा मंहगायी भत्ते पर रोक लगाने की क्या स्थिति है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस सम्बन्ध में कई सुझाव हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन आप इसकी संभावना को अस्वीकार नहीं करते।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : पहले सुझाव आता है, फिर चर्चा होती है, विचार होता है और तब निर्णय लिया जाता है।

श्री जर्नादन पुजारी : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंक की वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त मंगहायी भत्ते की अदायगी से निश्चय ही हमारी अर्थव्यस्था पर प्रभाव पड़ेगा। क्या इसका अर्थ घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं पहले ही मंहगाई भत्ते की और किश्त देने की स्वीकृति के परिणामों और सारे वर्ष में होने वाले व्यय पर प्रकाश डाल चुका हूं । अतः इससे बजट प्रावधानों तथा अन्य बातों पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : तीन अतिरिक्त मंहगायी भत्ते की किश्तें 1 जून, 1 अगस्त और 1 अक्तूबर, 1981 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय हो गयी हैं, जिसमें से केवल जून वाली किश्त को ही देने के आदेश दिए गये हैं । इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ की माँग यह है कि 344 अंक के निर्वाह का सूचकांक के मंहगायी भत्ते को मूल वेतन के साथ मिला दिया जाये, लेकिन सरकार 312 के सूचकांक के मंहगायी भत्ते को मिलाने की पेशकश कर रही है, बशर्ते कि कर्मचारी 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को अवरुद्ध करने के तथा तीन सालों तक अन्य मांगों पर रोक के लिए सहमत हो जायें । जे. सी. एम इस मामले को निपटाने और इस पर विचार करने के लिए उचित मंच है । संयुक्त सलाहकार तंत्र की पिछली बैठक जुलाई 1981 में हुई थी उसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गयी तथा सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ नेताओं से अनौपचारिक ढंग से इस विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न कर रही है । सरकार से मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या वे तुरन्त संयुक्त सलाहकार तन्त्र की बैठक बुलाकर इस मामले को वहां सुलझाने के लिए तैयार है ? यदि इसको वहां नहीं सुलझाया जाय तो इसको मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा जा सकता है ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जैसा कि मैंने बताया है, इस प्रश्न पर बहुत से सुझाव हैं । इन सुझावों पर सयुक्त सलाहकार तंत्र द्वारा विचार तथा चर्चा की जा रही है । उस समिति में कर्मचारी पक्ष तथा सरकारी पक्ष दोनों के प्रतिनिधि हैं और सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है । अतः मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इन सुझावों पर चर्चा करने के बाद क्या परिणाम निकलेंगे । कौन सी योजनायें स्वीकृत की जायेंगी और फिर सरकार के सामने निर्णय के लिए रखी जायेंगी । फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा है कि क्या सरकार संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक तुरन्त बुला रही है । चर्चा के लिए वही उचित मंच है ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : ये सब बैठकें उचित आयोजक द्वारा बुलाई जाती हैं और इस पर विचार किया जा रहा है । 1980 में संयुक्त सलाहकार तंत्र ने इस मद को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया था । उन्होंने एक समिति गठित की है और वह समिति इस पर विचार कर रही है और ततपश्चात यह मामला संयुक्त सलाहकार तंत्र की समूची समिति के समक्ष जायेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विवरण के अनुसार, जुलाई 1981 के अंत में सामान्य सूचकांक पुनः नौ प्वाइन्ट बढ़ गया और फिर सितम्बर 1981 के अन्त तक और 9 प्वाइन्ट बढ़ गया । महोदय इस बात को स्वीकार करने से सरकार का यह दावा झूठा पड जाता है । कि मूल्य गिर रहे हैं यदि मूल्य कम हो रहे हैं तो सरकार को मंहगाई भत्ते की और किश्तें क्यों देनी पड़ रही हैं ?

परन्तु मेरा प्रश्न भिन्न है, क्या यह सत्य है कि कर्मचारी यह शिकायत करते रहे हैं कि मूल्य सूचकांक का संकलन ही गलत ढंग से किया जा रहा है और इसकी पुनः जाँच की जानी चाहिए ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संयुक्त सलाहकार तन्त्र इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : महोदय मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं चाहिए। यदि वह चाहते हैं तो मैं उनको उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका उत्तर प्रतिदिन देना पड़ता है। थोक मूल्य सूचकांक, फुटकर मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अन्तर इस सभा में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। थोक मूल्य सूचकांक के गिरने तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के गिरने में कुछ समय का अन्तर रहता है। वस्तुतः जो पहली सरकार के दोष तथा पाप हैं उनके परिणामस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मूल्यों में अन्तर आठ से दस महीने की देरी से प्रतिबिम्बित होता है। इसी कारण से मैंने कहा है कि इस प्रकार के समायोजनों में समयान्तर रहने के कारण थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अन्तर रहता है।

अब जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है···

श्री सतीश अग्रवाल : परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1978-79 के लिए दिए गए अपने ज्ञापन में आपने पहले तीन वाक्यों में पहली सरकार की सराहना की है।

श्री आर. वेंकटरामन : कृपया इसे वादविवाद के लिए सुरक्षित रख लीजिए। अपनी सारी बातों को अभी समाप्त मत करिये।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे आपकी तरह बाहर से शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ती।

श्री आर. वेंकटरामन् : मैं नहीं जानता कि क्या श्री सतीश मुझे श्री अटल बिहारी को उत्तर देने से रोकना चाहते हैं। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है। ऐसा महसूस किया जाता है कि जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, के संकलन से उपभोक्ता में आया वर्तमान परिवर्तन प्रतिलक्षित नहीं होता; और इसकी एक समिति जांच कर चुकी है।

श्री समर मुखर्जी : महोदय उन्होंने संकलन के इस छलपूर्ण ढंग के बारे में उत्तर नहीं दिया।

श्री आर. वेंकटरामन् : मैंने यही तो उत्तर दिया है। मैंने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा इसके संकलन के विषय में शिकायत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : आपने रथ समिति की रिपोर्ट को इसलिये अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह आपके लिए कष्ट कर रही थी। और इसीलिए आपने दूसरी समिति नियुक्ति की है।

श्री आर, वेंकट रामन : आप इस पर अलग से प्रश्न रख सकते हैं और तब मैं आपको इसके कारण बतला दूंगा। (व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*82. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश में किसी न किसी बैंक में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की डकैती होती है;

(ख) वर्ष 9981 के दौरान इस प्रकार की कितनी बैंक डकैतियाँ हुई और उसकी राशि कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि ये डकैतियाँ सामान्यत: राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्रांचों में डाली गई न कि गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा विदेशी बैंकों में; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) पहली जनवरी और 31 अक्तूबर, 1981 के बीच में बैंकों में डकैतियों/लूटमार के कुल 33 मामले हुए। डकैतों /लुटेरों ने कुल मिलाकर बैंकों के 54.65 लाख रुपया नकद, 57 लाख रुपये के लगभग के स्वर्ण आभूषण और 3.38 लाख रुपये के बैंक ड्राफ्टों को लूटा।

(ग) और (घ) : वर्ष 1981 के दौरान (अक्तूबर तक) हुई 33 डकैतियों/लूटमारों में से चार निजी क्षेत्र के बैंकों में और शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई। वाणिज्यिक बैंकों की 88 प्रतिशत से अधिक शाखाएं और अधिक नकद अधिशेष वाली महत्वपूर्ण शाखाओं में से अधिकांश सरकारी क्षेत्र में हैं।

डकैती और लूटमार जैसे अपराधों की रोकथाम वस्तुत: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। साथ ही केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से भी सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अनुदेश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि वे अपने वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा कर और उन्हें सुदृढ़ बनायें।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन स्टील कम्पनी का विस्तार

*89. **श्री समर मुखर्जी :**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी दोनों ही संकटग्रस्त कम्पनियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उनके विस्तार का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इन

कारखानों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने के बारे में कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और इन पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने हैं।

गोहाटी, अगरतला और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों में नागर विमानन सुविधाओं का विस्तार

*90. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोहाटी हवाई अड्डे, अगरतला और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागर विमानन सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(क) 1980-85 की छठी पंचवर्षी योजना के लिए बनाई गई स्कीमों के विस्तृत ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

क्रम सं.	विमान क्षेत्र का नाम	प्रदान की जाने वाली सुविधाएं	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	गोहाटी :	एयर बस के लिए विमान क्षेत्र का 5.05 करोड़ रुपए की लागत से विकास करने की योजना है।	
		1. धावन पथ काम्प्लेक्स का विकास	187.90
		2. टर्मीनल भवन का विस्तार/सुधार	37.14
		3. अतिरिक्त रेडियो दिक्चालन उपकरणों की व्यवस्था	208.00
		4. सुरक्षा सेवाओं तथा सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि	72.62
		कुल	505.66
2.	अगरतल्ला :	वी–737 के लिए विमानक्षेत्र का निम्न प्रकार से 347 लाख रुपए की लागत से विकास करने की योजना है।	
		1. धावन पथ का विकास	258.56
		2. टर्मीनल भवन का विकास	12.98
		3. दूर संचार तथा रेडियो दिक्चालन उपकरणों का विकास	25.00
		4. सुरक्षा सेवाओं, दृष्टिक उपकरणों तथा सुरक्षा उपकरणों में वृद्धि	50.46
		कुल	347.00

1	2	3	4
ऊत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्य विमान क्षेत्रों का विकास			
1. मोहनबाड़ी :		1. धावन पथ का विकास	152.00
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	25.00
		3. सुरक्षा सेवाओं तथा सुरक्षा उपकरणों में वृद्धि	12.24
			कुल 189.24
2. इम्फाल		1. धावन पथ का विकास	9.86
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	25.00
		3, सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	1.00
			कुल 35.86
3. जोरहाट :		टर्मीनल बिल्डिंग तथा टैक्सी-ट्रैक सहित नये एप्रन, सिविल एन्कलेव का निर्माण	25.68
4. लीलाबाड़ी :		1. धावन पथ का विस्तार	30.00
		2. संचार उपकरणों में वृद्धि	8.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	0.24
			कुल 38.24
5. रूपसी :		1. धावन पथ का किकास	43.88
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
			कुल 73.72
6. कमालपुर :		1. धावन पथ का विकास	32.94
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
			कुल 62.78
7. पासीघाट		1. धावन पथ का विकास	12.64
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
			कुल 42.48
8. दपारीजो :		1. धावन पथ का विकास	11.67
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
			कुल 41.51

1	2	3	4
9.	जीरो :	1. धावन पथ का विकास	10.64
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
		कुल	40 48
10.	बारापानी :	1. धावन पथ का विकास	1.63
		2. रेडियो दिक्चालन उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
		कुल	31.47
11.	सिल्चर :	1. धावन पथ का विकास	12.41
		2. संचार उपकरणों में वृद्धि	25.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	0.24
		कुल	27.65
12.	तेजू :	1. धावन पथ वायुदूत परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है	
		2. संचार उपकरणों में वृद्धि	15 00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
		कुल	29.84
13.	कूच विहार :	1. धावन पथ का विकास	30.31
		2. संचार उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
		कुल	60.15
14.	केलाशहर :	1. धावन पथ का विकास	36.97
		2. संचार उपकरणों में वृद्धि	15.00
		3. सुरक्षा सेवाओं में वृद्धि	14.84
		कुल	66.81
15.	दीमापुर :	1. टर्मीनल भवन का विकास	5.00
16.	कोहिमा :	1. स्टोल के लिए 250-00 लाख रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास	40.00
17.	ईटानगर :	1. स्टोल के लिए 3000.00 लाख रुपए की लागत से नये हवाई अड्डे का विकास	42.00

1	2	3.	4
18.	गंगतोक :	1. स्टोल के लिए 400.00 लाख रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास	90.00
19.	ऐजल :	1. स्टोल के लिए 300.00 लाख रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास	30.00

कालीन निर्यातकों की समस्याएं

*91. **श्री उमाकान्त मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन मुद्रा के अवमूल्यन के कारण मिर्जापुर भादोही क्षेत्र के कालीन निर्माताओं और निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तरह की राहत दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हाँ। इन समस्याओं पर कालीन विनिर्माताओं और निर्यातकों के साथ विचार विमर्श किया गया है। उनके द्वारा उठाई गई मुख्य समस्या थी तथा कीमतों पर खेपों को स्वीकार करने में आयातकों की अनिच्छा जिसके परिणामस्वरूप निर्यात आय देश को वापिस भेजने में विलम्ब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गाया है।

दीर्घाविधि उपाय के रूप में, कालीन निर्यातकों के लाभ के लिए नए तथा वैकल्पिक बाजारों कापता लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

वायुदूत सेवा से कलकत्ता को कूच बिहार और आसनसोल से जोड़ना

*92 **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर**

श्री आनन्द पाठक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता को कूच बिहार और आसनसोल से जोड़ने हेतु वायुदूत सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) आवश्यक प्राक्कलन स्वीकृत किये जा चुके हैं। आसनसोल को विमान सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चतुर्थ वेतन आयोग की स्थापना

*93. **श्री चित महाटा** : क्या **वित्त मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का वर्तमान दयनीय आर्थिक

स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमानों को संशोधित करने के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 16 में यह सिफारिश की थी कि यदि कीमत स्तर 12 महीने के औसत 272 अंकों (1960=100) को पार कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या महंगाई भत्ते की योजना को और आगे बढ़ाया जाए या वेतनमानों में ही संशोधन कर दिया जाए। कीमत स्तर उपर्युक्त सीमा से ऊपर पहुंचने पर सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार स्वीकार्य होगा। इस प्रकार मासिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों का वृद्धि होने पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किश्त की मंजूरी दी जाती है। महंगाई भत्ते की पिछली किश्त 1-6-1981 से स्वीकृत की गयी है जबकि 12 महीने का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 408 अंको पर पहुंच गया था। किन्तु महंगाई भत्ते की किश्त की स्वीकृति स्वत: नहीं होती, बल्कि इस पर सरकार द्वारा विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने हेतु निजी पूंजी

***94. श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से और अधिक पूंजी आकर्षित करने की कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से पूंजी आकर्षित करने की कोई योजना सरकार के विचाधीन नहीं है। लेकिन इस समय कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से अशाय-पत्रों के लिए प्राप्त हुए अवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई।

***95. प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई के बारे में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करसे का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं। विद्यमान नीति हथकरघा क्षेत्र की धागे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से यथेष्ट प्रतीत होती है।

(ख) हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त मात्राओं में धोती सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी कताई मिलो पर यह कानूनी बाध्यता लगा दी है कि वे बाजार सुपुर्दगियों के लिए जो धागा है उसका कम से कम 50 प्रतिशत बैंक के रूप में पैक करें। इसमें से 85 प्रतिशत 40 एस तथा उससे कम काउंटों में होना चाहिए जिसे मुख्यत: हथकरघा क्षेत्र द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती हुई कीमतों की अल्पावधि समस्याओं और विशिष्ट क्षेत्रों में कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा भारतीय सूती मिल परिसंघ के मध्यम से अल्पावधि सप्लाईयों के लिए तदर्थ प्रबन्ध किए जाते हैं।

1984-85 तक 4100 मिलियन मीटरी के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2.1 मिलियन अतिरिक्त तकुएं लगाने की योजना बनाई जा रही है इसमें से लगभग मिलियन तकुएं सहकारी क्षेत्र में होंगे जो कि हथकरघा क्षेत्र के लिए धागे की ग्रहीत उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

मंगलौर में लौह अयस्क पैलेट संयंत्र की स्थापना

*96 **श्री वीरभद्र सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर, कर्नाटक में रूमानिया की सहायता से एक लौह अयस्क पैलेट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की अनुमानित लागत और क्षमता क्या होगी, और

(ग) रूमानिया द्वारा किस तरह की सहायता दी जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखजी) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस कारखाने की अनुमानित लागत 85.05 करोड़ रुपए है और इसकी पैलेट बनाने की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन होगी।

(ग) पश्चिम जर्मनी लुर्गी षेमी और फ्रांस के लुर्गी के सहयोग से रुमानिया के मैसर्स यूजीनएक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस कारखाने के लिए आधारभूत इंजीनियरी और और तकनीकी जानकारी देंगे और क्रिटिकल उपस्कर (देश में न मिल सकने वाले उपस्कर) सप्लाई करेंगे। यह कम्पनी संयंत्र-स्थल पर पर्यवेक्षण और निगरानी का काम भी करेगी। यह करार 49.49 करोड़ रुपए का है और रुमानिया को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कुद्रेमुख के लौह-अयस्क सांद्रण के निर्यात से किये जाने की सम्भावना है।

आसनसोल और कूच बिहार के बीच उड़ान

*97. **श्री जायनाल अबेदिन** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल और कूच बिहार के बीच उड़ान शुरू करने तथा बरहामपुर को मालदा, जलपाईगुड़ी, बुलुरघाट और दर्जिलिंग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं कूच बिहार को वायुदूत सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसे कि कलकत्ता के साथ उस समय जोड़ा जाएगा जब वहां (कूच बिहार) का विमान क्षेत्र परिचालनों के लिए तैयार हो जाएगा।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफट

*98. **श्री पी. नामग्याल :**

श्री आर. एन. राकेश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट ले रहे हैं और हाल ही में इस प्रवृति में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां तो क्या ओवर ड्राफ्ट के फलस्वरूप 31 मार्च 1981 और 31 अक्तूबर, 1981 को अलग अलग, राज्यवार बकाया राशि दर्शाने काला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा, और

(ग) ओवर ड्राफ्ट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 की समाप्ति पर राज्यों के 535.90 करोड़ रुपए के अवोर ड्राफ्ट थे। 31 अक्तूबर, 1981 को उनका ओवर ड्राफ्ट 781.69 करोड़ रुपए का था, जो उनके द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्ट के स्तरों में हुई वृद्धि का संकेत देता है।

31 मार्च, 1981 और 31 अक्तूबर, 1981 को राज्य वार ओवर ड्राफ्ट की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

राज्यों से ओवर ड्राफ्ट विनियम योजना के अनुसार राज्यों से आय के अन्तर प्रवाह की तुलना में व्यय की गति को समायोजित करने और 7 कार्य दिनों से अधिक के लिए रिजर्व बैंक से अपने खातों में ओवर ड्राफ्ट लेने से बचने की आशा की जाती है। राज्यों के ओवर ड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और उनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। ओवर ड्राफ्ट राज्यों के बजट में या तो सरंचनात्मक असंतुलन के कारण होते हैं। अथवा राज्यों के नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं। इसलिए जिन राज्यों के बजटों में संरचात्मक असंतुलन प्रतीत होता है उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार ओवर ड्राफ्ट में चल रहे राज्यों के साथ विचार-विमर्श करती रहती है।

विवरण–2

राज्य		31-3-1981 को समायोजित ओवर ड्राफ्ट (करोड़ रुपये)	31-10-1981 को ओवर ड्राफ्ट
1.	असम	33.05	38.65
2.	गुजरात	19.59	35.59
3.	हरियाणा	36.01	37.00
4.	हिमाचल प्रदेश	—	4.32
5.	कर्नाटक	14.37	16.42
6.	केरल	—	40.84
7.	मध्य प्रदेश	97.93	78.05
8.	महाराष्ट्र	—	54.32
9.	मणिपुर	22.49	12.55
10.	नागालैंड	0.64	—
11.	उड़ीसा	—	2.24
12.	पंजाब	64.01	112.63
13.	राजस्थान	143.27	182.78
14.	त्रिपुरा	9.46	2.04
15.	पश्चिमी बंगाल	97.08	164.26
	जोड़	535.90	781.69

पारादीप में इस्पात संयंत्र

*99. **श्री अर्जुन सेठी**

श्री जयनारायण रोट : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पारादीप (उड़ीसा) में पत्तन पर आधारित इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से छठी योजना में शुरू किया जायेगा,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) : केन्द्रीय सरकार इस पर कितना व्यय करेगी और इसके पूरा होने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसके पूरा होने के बाद रोजगार के कुल कितने अवसर उत्पन्न होंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) . (क) से (ग) सरकार ने पारारादीप इस्पात कारखाने की स्थापना का कार्य आद्योपान्त (टर्न की) आधार पर ब्रिटेन के मेसर्स डेवी मेकी को सौंपने का निर्णय लिया है बशर्ते कि करार की सभी शर्तें सन्तोषजनक ढंग

से तय हो जाएं। चूंकि इस बारे में बातचीत अभी चल रही है, अतः इस समय कोई विवरण देना समय-पूर्व होगा।

विदेशी एयरलाइन्स के विमानों को दमदम हवाई अड्डे पर उतरने का अधिकार न दिया जाना

*100. **श्री अजित कुमार साहा**

श्री निरेन घोष : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशी एयरलाइनों के विमानों को दमदम हवाई अड्डे पर उतरने का अधिकार नहीं दे रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इस संबंध में विदेशी विमान कंपनियों पर कुछ शर्तें लगा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दमदम हवाई अड्डे पर विदेशी विमान कंपनियों को विमान उतारने का अधिकार न देने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना में रेशम उद्योग के लिए केन्द्रीय सहायता

921. **हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान रेशम उद्योग पर केन्द्रीय सहायता से कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है;

(ख) उपर्युक्त योजना अवधि में उड़ीसा और अन्य राज्यों के लिये रेशम के उत्पादन के लिये कुल कितनी धन राशि निधारित की गई है;

(ग) चालू योजना अवधि के आरम्भ से अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता इस पर खर्च हुई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राज्य योजनाओं में शामिल स्कीमों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के जरिये स्वीकृत की जाती है और कतिपय शीर्ष अथवा उप-शीर्षों के अन्तर्गत निर्दिष्ट परिव्ययों के अलावा किसी एक स्कीम, स्कीमों के समूहों अथवा विकास के शीर्ष से सम्बन्धित नहीं है। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र (रेशम उत्पादन सहित) निर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) तथा (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

छठी योजना 1980-85 के दौरान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 'रेशम उत्पादन, के लिये प्रदत्त परिव्यय राशियां दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	(लाख रुपये में)
1. आन्ध्र प्रदेश	400.00
2. असम	650.00
3. बिहार	500.00
4. हिमाचल प्रदेश	50.00
5. जम्मू तथा काश्मीर	1200.00
6. कर्नाटक	4800.00
7. मध्य प्रदेश	350.00
8. मणिपुर	516.20
9. महाराष्ट्र	40.00
10. मेघालय	88.89
11. नागालैंड	58.00
12. उड़ीसा	275.00
13. पंजाब	30.00
14. सिक्किम	1.00
15. तमिलनाडु	1700.00
16. त्रिपुरा	230.72
17. उत्तर प्रदेश	900.00
18. पश्चिम बंगाल	1500.00
संघ क्षेत्र	
19. अरुणाचल प्रदेश	15.00
20. मिजोरम	50.00
21. पांडिचेरी	1.50
योग	13356.31

रामपुर में पाए गए हीरे

922. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में हीरे मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय अनुमानतः कितने हीरे पाए गए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

विजय नगर इस्पात संयंत्र

924. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में विजय इस्पात संयंत्र के बारे में अपने निर्णय को एक बार फिर स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) विजय नगर में एक इस्पात कारखाना लगाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भारत टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई के कामगारों की महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

925. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत टैक्सटाइल्स मिल्स (भूतपूर्व एडवर्ड टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड) बम्बई का 1 मई, 1969 को महाराष्ट्र सरकार ने और बाद में अप्रैल, 1974 को राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1 मई, 1969 से 1 अप्रैल, 1974 तक कामगारों को भुगतान होने वाले महंगाई भत्ते की बहुत बड़ी राशि बकाया है केवल कुछ समय से बकाया राशि को छोड़कर जिसका भुगतान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या कामगारों की महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया राशि के भुगतान के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) वह मिल 28 फरवरी, 1969 को बम्बई उच्च न्यायालय की अनुमति तथा लाइसेंस के आधार पर बेरोजगार राहत उपक्रम के रूप में चलाने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई थी। यह मिल 1 मई, 1969 से पुनः चालू की गई थी। बाद में इस मिल का प्रबन्ध 31 अक्तूबर, 1972 से केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था। इस मिल का बाद में संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन 1 अप्रैल, 1974 से राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका स्वामित्व राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निहित किया गया था।

इस मिल के पुनः चालू होने के समय महाराष्ट्र सरकार ने कामगारों के साथ इस बात का समझौता किया कि महंगाई योजना भत्ते (डी. एफ. ए.) का इस आश्वासन के साथ घटी दरों पर भुगतान किया जायेगा कि किस प्रकार की गई कटौती भविष्य में मिल द्वारा कमाये गये लाभ में से वापस कर दी जायेगी। घटी हुई दरों पर दिये गये डी. एफ. ए. में अन्तर 1 मई, 1969 से 31 जनवरी, 1972 तक की उस अवधि से सम्बन्धित बकाया राशि को दर्शाता है जब इस मिल का प्रबन्ध महाराष्ट्र सरकार के अधीन था। अधिग्रहण पूर्व की अवधि के दायित्व

संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रीय वस्त्र निगम अथवा केन्द्रीय सरकार पर लागू नहीं होते।

मेंढ़कों की टांगों का निर्यात

926. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में निर्दयतापूर्वक मेंढ़क मारे जा रहे हैं और उनकी टांगों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार मेंढ़कों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत में पाई जाने वाली मेंढ़कों की अनेक जातियों में से केवल 3 जातियों के मेंढ़क पकड़े जाते हैं और निर्यात के लिये उनकी टांगों को प्रोसेस किया जाता है।

व्यापार के लिये मेंढ़कों का उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप धान के खेतों में कीड़ों के प्रकोप में कथित वृद्धि के सम्बन्ध में एक याचिका लोक सभा याचिका समिति द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को भेजी गई थी। याचिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था तथा यह पाया गया कि धान के तने को काटने वाले कीड़ों को नियंत्रण में रखने में मेंढ़कों की बहुत कम भूमिका होती है।

कृषि मंत्रालय को भी महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मेंढ़क की टांगों के निर्यात पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

प्रजनन मौसम के दौरान मेंढ़कों को पकड़ने पर रोक और साथ ही छोटे मेंढ़कों की टाँगों के निर्यात पर रोक जैसे उपाय मेंढ़कों की आबादी के संरक्षण के लिये पहले ही लागू हैं।

सरकार का मेंढ़कों की टांग के निर्यात पर रोक लगाने का विचार नहीं है।

पटना में जीवन बीमा निगम के पृथक् जोन का बनाया जाना

927. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने कुछ समय पहले भारत सरकार से पटना में जीवन-बीमा निगम का पृथक् जोन बनाए जाने का अनुरोध किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उड़ीसा के सिमिलीपाल नेशनल पार्क का प्रचार

928. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में मयूरगंज जिले का सिमिलीपाल नेशनल पार्क पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन सालों में कितने पर्यटक यहां आये;

(ग) उनके मंत्रालय के उचित प्रचार और विदेशी पर्यटकों को जानकारी देने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के रिकार्ड के मुताबिक 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमश: 46932, 54168, 72192 रर्यटकों ने पार्क की यात्रा की थी।

(ग) और (घ) सिमलीपाल नेशनल पार्क का प्रचार करने के लिए इसे केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निकाले गए निम्नलिखित प्रचार-फोल्डरों में शामिल किया गया है;

(1) वन्य जीवन पर फोल्डर।

(2) उड़ीसा अपर फोल्डर।

(3) भारत के वन्य जीवन विहार-स्थलों को हाईलाइट करने वाला मानचित्र।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण से इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को कोयले की सप्लाई

929. **श्री मौहम्मद इस्माइल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के लिये रज्जु मार्ग से प्रतिमाह कोयले की सप्लाई लक्ष्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1981 से अब तक चासनाला से हवाई रज्जुपथ द्वारा बर्नपुर में कोयले की प्राप्ति की वास्तविक मात्रा नीचे दी गई है :—

(टन)

महीना	कोयला नियंत्रक का कार्यक्रम	वास्तविक प्राप्ति
अप्रैल, 1981	40000	30655
मई	40000	37080
जून	40000	38962
जुलाई	40000	28215
अगस्त	40000	35145
सितम्बर	45000	27347
अक्तूबर	45000	35033
नवम्बर	40000	43204*

*20-11-1981 की दर के आधार पर।

(ख) बिजली की सप्लाई में रुकावटें।

(ग) (1) बिजली की सप्लाई में आने वाली रुकावटों को दूर करने की दृष्टि से चार ड्राइविंग स्टेशनों में डीजल के रक्षित जेनरेटर सेट लगाने हेतु उपाय किये गये हैं। इसके अलावा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्तावित दो डुप्लीकेट पावर फीडरों में से एक फीडर चालू कर दिया गया है और दूसरे डुप्लीकेट पावर फीडर के बारे में कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

(2) इसमें परिचालनात्मक और रख-रखाव सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है।

भारत जूट मिल्स के अभिग्रहण का प्रस्ताव

930. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन की एक इकाई के रूप में भारत जूट मिल्स के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण कब तक किया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि. (आई. आर. सी. आई.) की सहायता से इस मिल के लिए दीर्घावधि पुनः स्थापन की एक योजना पहले ही शुरू कर दी है।

उड़ीसा सरकार का मोटल खोलने का प्रस्ताव

1931. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों में मोटल खोलने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो मोटलों के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन-कौन से स्थान चुने हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को राज्य सरकार से मोटल योजना मिली है;

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) चालू वर्ष में मोटलों को शुरू करने के लिए राज्य और केन्द्र ने कितना धन दिया है और प्राथमिकता के आधार पर कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) उड़ीसा में मोटलों की स्थापना करने के बारे में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से कोई स्कीम अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्ध के अन्तर्गत एसोसिएट बैंक खोलना

932. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन सालों के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्ध के अन्तर्गत भारत में और भारत से बाहर एसोसिएट बैंकों द्वारा कोई बैंक खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक ने कहां और कितनी शाखाएं खोली ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जुलाई 1978 से जून 1981 के तीन वर्षों के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों ने देश में कुल 425 शाखाएं खोलीं और इस अवधि में इन बैंकों ने भारत से बाहर कोई शाखा नहीं खोली।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों द्वारा जिन स्थानों पर शाखाएं खोलीं गई उन स्थानों की सूची तैयार की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

चीन में टर्न-की रेयन रिप्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना

933. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** चीन में संयुक्त रेयन संयंत्र की स्थापना के बारे में 19 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4631 के उत्तर में उन्होंने कहा था कि बिड़ला उद्योग समूह के प्रतिनिधि मण्डल और चाइनीज नेशनल टेकनिकल इंपोर्ट कारपोरेशन के बीच शतप्रतिशत भारतीय तकनीक से टर्न-की रेयन रिप्रोसेसिंग की स्थापना के लिए वार्ता हुई है उसी के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित पार्टियों द्वारा परियोजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो क्या वार्ता अभी जारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) इस विषय पर 19-12-80 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 4631 के उत्तर में जो कुछ पहले बताया जा चुका है उसके अतिरिक्त सरकार को आगे कोई जानकारी नहीं है।

नेपाल से ऊंचे दामों पर तिब्बती ऊन की खरीद

934. **श्री एन. ई. होरो**
श्री के. मालन्ना
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सीमावर्ती ज़िलों और तिब्बत के चीन सीमावर्ती व्यापार तिब्बत में चीन के अधिकार हो जाने और भारत और चीन के संघर्ष के कारण बन्द होने से पहिले बहुत महत्वपूर्ण था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत के सीमावर्ती गांवों के गली-चाबुनकरों ने शिकायत की है कि वैधानिक सीमा व्यापार न होने के कारण उनको नेपाल से बहुत ऊंचे दामों पर तिब्बती ऊन खरीदनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि सीमावर्ती व्यापार को पुनः शुरू करने से दोनों तरफ के व्यापार और सेवाएं फिर चल सकेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापर पर 15 दिसम्बर, 1962 से रोक लगा दी गई है।

(ख) तथा (ग) कच्चे ऊन के आयात को पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है और देश में कच्चे ऊन की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। नेपाल से अन्य के साथ साथ नेपाल उद्गम की कच्ची ऊन का भी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया जा रहा है।

ताज ग्रुप आफ होटल्स द्वारा भारत और विदेशों में चलाये जा रहे होटल/रेस्टोरेन्ट

935. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजग्रुप आफ होटल्स भारत और विदेशों में कहां और किन नामों से होटल/रेस्टोरेन्ट चला रहा है इस ग्रुप और इसके भागीदारों ने इन पर कितना धन लागाया है;

(ख) भारत और विदेशों में वे दूसरे ग्रुपों और भागीदारों के सहयोग से कितना धन लगा कर कहां होटल/रेस्टोरेन्ट खोलने पर विचार कर रहे हैं या खोलनें वाले हैं;

(ग) पिछले तीन सालों में इस ग्रुप को उपर्युक्त (क) के पन्तर्गत के होटलों/रेस्टोरेंटों से अलग-अलग कितना लाभ और खर्च हुआ विदेशी मुद्रा के तौर पर उसने भारत सरकार को कितना भुगतान किया; और

(च) भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में लाभ का उचित मार्ग से भुगतान हो रहा है इसको सुनिश्चित करने के लिए यदि सरकार कोई जांच करती है तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ताज ग्रुप आफ होल्टलस भारत और विदेशों में कहां और किन नामों से होटल/रेस्टोरेन्ट चल रहा है इस ग्रुप और इसके भागीदारों ने इन पर कितना धन लगाया है।

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आई.एच. सी.) के स्वामित्व वाले और/अथवा/उनके द्वारा परिचालित होटलों के लिए ताज ग्रुप आफ होटल्स एक कलेक्टिव नाम है। आई. एच. सी. एक पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जिसे 1 अप्रैल, 1902 को इंडियन कंपनीज एक्ट, 1882 के अधीन इनकार्पोरेट किया गया था।

ताज ग्रुप आफ होटल्स भारत और विदेशों में निम्नलिखित होटलों और रेस्तराओं के प्रचालन अथवा प्रबन्ध में सीधे-सीधे शामिल है :

भारत में होटल :

क्रम सं.	होटल का नाम	लोकेशन	स्वामित्व रखने वाली संस्था	आई. एच. सी. द्वारा पूंजी निवेश (रुपये लाख)
1.	ताज महल होटल	बम्बई	आई. एच. सी.	609.61
2.	ताज महल इन्टर-कॉंटीनेटल होटल	बम्बई	,,	760.07
3.	ताज महल होटल	नई दिल्ली	नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी	640.54
4.	ताज होलिडे विलेज	गोवा	आई. एच. सी.	161.76

1	2	3	4	5
5.	लेक पैलेस होटल	उदयपुर	लेक पैलेस होटल्स एण्ड मोटल्स प्रा. लि.	शून्य
6.	रामबाग पैलेस होटल	जयपुर	रामबाग पेलेस होटल्स प्रा. लि.	शून्य
7.	ताज कोरोमंडल	मद्रास	ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड	16.00
	भारत में रेस्तरां :			
8.	फुलवारी और जाट पाट	नई दिल्ली	भारतीय व्यापार मेल प्राधिकरण	8.00

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित होटलों के मामले में संबंधित स्वामित्व रखने वाली संस्थाओं द्वारा आई. एच. सी. को परामर्श दाता और तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त कया गया है :

	भारत के बाहर होटल :			
9.	होटल प्रेसिडेंट	बम्बई	पिएम होटल्स लिमिटेड	7.52
10.	फोर्ट ओगोदा बीच रिसोर्ट	गोआ	इंडियन रिसोर्ट होटल्स लि.	6.29
11.	पांडियन होटल	मदुरई	पंडेयन होटल्स लिमिटेड	शून्य
12.	फिशरमैंस कोव	कोवलौंग (मद्रास के पास)	कौवलौंग बीच होटल (इंडिया) लिमिटेड	4.50
13.	होटल ताज गेन्जेस	वाराणसी	बनारस होटल्स लिमिटेड	20.00
	भारत के बाहर होटल :			
1.	रायल गेस्ट पैलेस	मसकट	सुल्तानेट आफ ओमन	शून्य
2.	ताज शेवा होटल	सन्ना (नार्थ एमन)	शेबाहो टल्स कम्पनी लिमिटेड, नार्थ एमन	शून्य
3.	बैलेस होटल	लन्दन	बैलेस होटल लिमिटेड	शून्य
4.	लैक्सिंगटन होटल	न्यूयार्क	लैक्सिंगटन होटल कार्पोरेशन इंक, न्यूयार्क	शून्य
5.	ताज रेस्टारेंट	मसकट	प्राइवेट मसकट पार्टीज	शून्य
6.	रागा रेस्टोरेंट	न्यूयार्क	रागा कार्पोरेशन, इंक., न्यूयार्क	शून्य

(ख) **भारत और विदेशों में वे दूसरे ग्रुपों और भागीदारों के सहयोग से कितना धन लगा कर कहां होटल/रेस्टारेन्ट खोलने पर विचार कर रहे हैं या खोलने वाले हैं** । ने होटल जिनका निर्माण-कार्य चल रहा है :

भारत में :

सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली, में 500 कमरों वाला होटल

यह होटल निर्माणाधीन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एशियाड 82 परियोजना के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इस होटल के निर्माण के लिए आई. एच. सी. के साथ सहयोग किया है। होटल में इक्विपमेंट, प्लांट एण्ड मशीनरी, आपरेटिंग सप्लाईज आदि के लिए आई. एच. सी. 18 करोड़ रुपये की पूंजी लगा रहा है। डी. डी. ए. का भूमि पर स्वामित्व है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है और डी. डी. ए. होटल बिल्डिंग में भी 10 करोड़ रुपये लगा रहा है।

भारत से बाहर :

(1) ताज समुद्र होटल, कोलम्बो, श्री लंका।

यह एक 560 कमरों वाला होटल है जिसका निर्माण ताज लंका होटल्स लिमिटेड (टी. एल. एच. एल.) द्वारा किया जा रहा है जो एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में श्री लंका में इनकार्पोरेटिड कम्पनी है। इस संयुक्त उद्यम को वाणिज्य मंत्रालय, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सैल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना अनुमोदन दे दिया है। आई. एच. सी. को 30 लाख अमरीकी डालर की कीमत तक के सामान की भारत से निर्यात करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दे दी गई है जिसके भुगतान के रूप में टी. एल. एच. एल. द्वारा इक्विटी शेयरों का आई. एच. सी. को आवंटन किया जायेगा और आफ-शोर ऋण लेकर 15 लाख अमरीकी डालर का नकद पूंजी-निवेश करने की अनुमति भी दी गई है।

(2) बेनटोटा में बीच रिसार्ट

एग्जोटिका रिसार्टस लंका लिमिटेड, कोलम्बो में इनकार्पोरेटिड कंपनी, बेनटोटा, श्रीलंका में 200 कमरों वाले एक बीच रिसार्ट की स्थापना कर रही है। ताज ग्रुप आफ होटल्स उक्त होटल के प्रचालन में तकनीकी जानकारी और परामर्श तथा सलाह देने संबंधी सेवाएं देगा -

(3) बी या डू आईलैंड रिसार्ट, मालद्वीव और विल्ली वारू आईलैंड रिसार्ट, मालद्वीव

ताज ग्रुप आफ होटल्स मालद्वीव में उपरोक्त रिसार्टस के प्रचालन में तकनीकी जानकारी और परामर्श तथा सलाह देने संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा।

ताज ग्रुप आफ होटल्स के भारत और विदेशों में पर्यटक महत्व के विभिन्न स्थानों पर होटलों, रिसार्टों और रेस्तराओं के प्रचालन और/अथवा प्रबंध और/अथवा चालन के लिए जब कभी भी अवसर हो तकनीकी जानकारी और परामर्श तथा सलाह देने संबंधी सेवाएं देने के प्रस्ताव हैं।

(ग) पिछले तीन सालों में इस ग्रुप को उपर्युक्त "क" के अंतर्गत होटल रेस्टोरेन्टों से अलग अलग कितना लाभ और खर्च हुआ और विदेशी मुद्रा के तौर पर उसने भारत सरकार को कितना भुगतान किया।

ताज ग्रुप ने विदेशी मुद्रा के रूप में निम्नलिखित राशि अर्जित की है जैसा कि स्वामित्व वाली कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है और जिन्हें पर्यटन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है :–

1980-81 में 2985.98 लाख रुपये
1979-80 में 2615.05 लाख रुपये
1978-79 में 1942.32 लाख रुपये

आई. एच. सी. ने निम्नलिखित राशियां विदेशी मुद्रा में प्राप्त की हैं :–

1980-81 में 9.23 लाख रुपये

1979-80 में 12.27 लाख रुपये

1978-79 में 11.02 लाख रुपये

आई. एच. सी. ने ताज शेबा होटल के लिए साना को फर्निचर निर्यात किया है और निम्नलिखित राशियां विदेशी मुद्रा में अर्जित की हैं :–

1980-81 में 30.54 लाख रुपये

1979-80 में 70.86 लाख रुपये

उपरोक्त के अलावा विदेशों में होटलों और रेस्तराओं के कर्मचारी और स्टाफ प्राधिकृत चैनल्ज के माध्यम से अपनी आय में से काफी धनराशि स्वदेश भेजते हैं।

(घ) **भारत को विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत चैनल्ज के माध्यम से भुगतान हो रहा है इसको सुनिश्चित करने के लिए यदि सरकार कोई चैक रखती है तो वह क्या है ?**

चूंकि आई. एच. एस. सी. ने विदेशों में कोई पूंजी नहीं लगाई है (कोलम्बो को छोड़कर), सरकार द्वारा जांच का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, तकनीकी जानकारी और परामर्श तथा सलाह संबंधी सेवाओं के बदले में आई. एच. सी. द्वारा जो फीस प्राप्त की जाती है उसे साल-दर-साल प्राधिकृत चैनल्ज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में भारत को प्रेषित कर दिया जाता है :

कलकत्ता की एक फर्म द्वारा निर्यात की गई बेन्डेज के माल का अस्वीकार होना

936. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर में कलकत्ता की एक फर्म द्वारा निर्यात की गई 600 दर्जन बेन्डेज को बहुत अधिक प्रदूषण के आधार पर लेने से इन्कार कर दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने भी ऐसी ही एक रूप को इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता की उपर्युक्त फर्म का नाम क्या है;

(घ) फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में अच्छे स्तर की बेन्डेज के निर्यात के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) मैसर्स जयर एक्सपोर्टस, कलकत्ता।

(घ) आस्ट्रेलिया को भेजे गए माल के बैचों से लिए गए नमूने, इनमें वे बैच भी शामिल हैं जिन्हें स्ट्रलिटी परीक्षणों में असफल पाया गया था, स्ट्रलिटी परीक्षण कराने के लिए सेन्ट्रल ड्रग लैबोरेटरी, कलकत्ता भेजे गये थे। इन परीक्षण परिणामों की अग्रिम रिपोर्ट, जो अभी-अभी सरकार को प्राप्त हुई उससे यह पता चलता है कि इनमें से कुछ बैच नाम-स्ट्राइल थे। सक्षम प्राधिकारियों से इस फर्म के विरुद्ध उचित निवारक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

(ङ) औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए पहले

ही यह उपबन्ध है कि बढ़िया किस्म की औषधियां जिनमें शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी पट्टियां भी शामिल हैं, देश में निर्मित की जाए। ब्यौरेवार रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आगे कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा।

अल्प बचत योजनायें

937. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चलायी जा रही अल्प बचत योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत वेहतर काम करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी कोई केन्द्र से प्रायोजित अल्प बचत योजना चलायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं और वे किस वर्ष से चलायी जा रही है; और

(ङ) उन जिलों के आदिवासियों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अल्प बचत योजनायें शुरू की गई हैं और ये देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में लागू हैं, जिनमें उड़ीसा के जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं। इस समय जो योजनायें लागू हैं, वे इस प्रकार हैं :—

स्कीमों का नाम :

(एक) डाकघर बचत बैंक,
(दो) 10 वर्षीय डाकघर बढ़ने वाली सावधिक बचत योजना
(तीन) लोक भविष्य निधि योजना
(चार) 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना
(पांच) डाकघर मीयादी जमा योजना
(छः) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र-दूसरा निर्गम
(सात) 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र-छठा निर्गम
(आठ) 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र-सातवां निर्गम

(ख) 1979-80 और 1980-81 में विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा के लिए एकत्रित निवल राशि की दृष्टि से महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों का कार्य निष्पादन, इसी क्रमानुसार, अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई स्कीम जारी नहीं की गई हैं। केन्द्रीय सरकार की अल्प बचत स्कीमें देश के सभी क्षेत्रों में लागू होती हैं।

(ङ) वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन के फील्ड-अधिकारियों का जाल जिला-स्तर तक फैला हुआ है। ये अधिकारी और राज्य सरकारों के इनके समरूप अधिकारी

फिल्मों, श्रव्य-दृश्य साधनों और पेम्फेलटों के द्वारा अल्प बचत योजनाओं का प्रचार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें उड़ीसा के जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं। विभिन्न प्रचार अभियान चलाते रहते हैं। खनन मजदूरों के बीच भी विशेष बचत अभियान चलाये जाते हैं।

भारत से जहाजों पर चाय के लदान में देरी

938. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पोतों, विशेष रूप से कलकत्ता पत्तन पर चाय के निर्यातकों की मुख्य समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले छः महीनों में विदेशी खरीदारों की भारत से विशेष रूप से कलकत्ता से जहाजों पर चाय के लदान में देरी के बारे में शिकायतें आयी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) चाय निर्यातकों का विचार है कि यदि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट आवश्यक तट आधारित सुविधायें उपलब्ध करे तो कन्टेनरों में चाय के निर्यात सम्बन्धी लदानों में वृद्धि हो सकती है। तथापि, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विदेशी बाजारों से लदानों में देरी के बारे में कोई शिकायतें हुई हों।

कोवालम, गोआ और कश्मीर पर्यटन स्थल के लिए हवाई सुविधायें

939. **श्री ए. नीलालोहियादसन नाडार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवालम, गोआ और कश्मीर जैसे भारत के मुख्य पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए वर्तमान में कोई उड़ान चालायी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें जोड़ने के लिए उड़ान जारी करने पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) गोआ, श्रीनगर तथा त्रिवेन्द्रम् (कोवालम् के समीप) जैसे पर्यटक केन्द्र पहले से ही इंडियन एयरलाइन्स के हवाई मानचित्र पर हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यद्यपि सीधे नहीं।

बड़े औद्योगिक गृहों के विरुद्ध आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशियां

940. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नवम्बर, 1981 के दिन किन बड़े औद्योगिक 'गृहों' और कम्पनियों की ओर आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की एक करोड़ से अधिक की राशियाँ बकाया हैं;

(ख) इन राशियों में से कितनी राशि के सम्बन्ध में विवाद हैं और मामले विभागीय रूप से न्याय निर्णयन के अधीन हैं अथवा उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में लम्बित हैं; और

(ग) सरकार का इन भारी बकाया राशियों की वसूली के लिए और विवादग्रस्त मामलों के शीघ्र निपटाये जाने के लिए सम्बद्ध न्यायालयों को अनुरोध करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क), से (ग) 30 जून 1981 की स्थिति के अनुसार, बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों के संबंध में सूचना, संलग्न 'क' तथा 'ख' विवरण में दी गयी है।

अपीलीय प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष उपर्युक्त मामलों में अनिर्णीत पड़ी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। सामान्यतः, ऐसी अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता पूर्वक निपटान करवाने के लिए उपर्युक्त आयकर, प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकरणों से निवेदन करते रहे हैं। न्यायालयों में बकाया पड़ी याचिकाओं/संदर्भों आदि के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों से वकीलों के जरिए अर्जी देने की कार्यवाही भी की जाती है। इस सम्बन्ध में, उन मामलों को परस्पर समूहित करने का भी प्रयास किया जाता है जिनमें एक जैसे विवाद अन्तर्ग्रस्त हैं ताकि उनका निपटान शीघ्र हो सके।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-क

30 जून 1981 की स्थिति के अनुसार, बड़े औद्योगिक घरानों की जिन कम्पनियों की तरफ 1 करोड़ रुपये से अधिक की आयकर की मांगे बकाया पड़ी हैं, उनके

विवरण

क्रम संख्या	ग्रुपवार कर निर्धारिती का नाम हैसियत	आयकर की सकल बकाया मांग	स्तम्भ 4 में से उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी अपीलों/अनिर्णीत मामलों में ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5
	बिड़ला			
1	हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लि. कम्पनी	111.14	111.14
2	जियाजीराव काटन मिल्ज लि. कम्पनी	811.65	811.65
3	रेणु सागर पावर कं. लि. कम्पनी	248.69	248.69
	जे. के. सिंहानिया		
1	जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कम्पनी	144.22	81.85
	मोदी		
1	मोदी पान लि. कम्पनी	416.53	416.53

1	2	3	4	5
	नायडू जी. वी.			
1	साउथ इंडिया विस्कोस लि.	कम्पनी	232.21	232.21
	आर. एन. गोयन्का			
1	इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा. लि.	कम्पनी	102.70	102.70
	सूरजमल नागरमल			
1	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	कम्पनी	247.71	247.71
	आई सी आई ग्रुप			
1	मेसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिवज लि.	कम्पनी	724.71	724.71
	सिंगल लार्ज अण्डरटेकिंग			
1	स्वदेशी वालीटेक्स लि.	कम्पनी	577.91	577.91

(विवरण-ख)

30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार, जिन कम्पनियों की ओर 1 करोड़ रुपये से अधिक की आयकर की माँगे बकाया पड़ी हैं उनके विवरण (इनमें विवरण-पत्र 'क' में उल्लिखित कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं)

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम	सकल बकाया (लाख रुपये में)	स्तम्भ 3 में से उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी अपीलों/अनिर्णीत मामलों में ग्रस्त राशि। (लाख रु. में)
1	2	3	4
1	अलेन बेरी तथा कं. (प्रा.) लि.	282.32	
2	अंसल तथा सैंगल प्रापर्टीज प्रा. लि.	301.51	301.51
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन लि.	882.75	882.75
4	बिहार स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि.	130.31	91.77
5	सैण्ट्रल इण्डिया मशीनरी मेनु. कं. लि.	125.81	125.81
6	चाँगदेव शूगर मिल्स लि.	111.02	उपलब्ध नहीं

1	2	3	5
7	कोका कोला एक्सपोर्टकारपोरेशन	194.32	32.48
8	डालमिया डेरी इण्डस्ट्रीज लि.	351.88	333.22
9	एस्सो इस्टर्न इनकारपोरेटेड	250.86	250.86
10	फैरो एलौयाज कारपोरेशन लि.	170.23	उपलब्ध नहीं
11	आई. वी. एम. वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन	895·33	891.56
12	इण्स्ट्रमेन्टेशन लि.	227.70	211.65
13	कालिन्दी इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि.	208.41	208.41
14	एम. एम. टी. सी. आफ इण्डिया लि.	490.13	490.13
15	ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कं.	291.47	266.94
17	फोनिक्स मिल्ज लि.	121.95	121.95
17	आर. वी. श्रीराम दुर्गा प्रसाद (प्रा.) लि.	234.27	234.27
18	शाहीबाग इन्टरप्रेनर्स प्रा. सि.	575.99	567.36
19	साराभाई केमिकल्ज लि.	100.62	100.62
20	श्री बल्लभ ग्लास वर्क्स लि.	107.53	37.77
21	सिंगरेनी कोलियरीज लि·	131.94	131.94

टिप्पणी :—इस विवरण में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है, जिसके नाम दिनांक 23-6-1965 की अधिसूचना सं. 2048 के अनुसार जाहिर करना अनुमन्य नहीं हैं।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती

941. **श्री रेणुपद दास :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा पिछले तीन वर्षों में अपनाये गये आंतरिक सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय लेखापरीक्षक तथा विभाग के कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कटौती कराई जा सकी है, और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक काडर के लिए अलग-अलग वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात का उत्पादन और इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत

642. **श्री सुबोध सेन :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन होता है और इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है तथा विश्व के मानक से इसकी तुलना क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 1980 में भारत में अपरिष्कृत इस्पात (क्रूड स्टील) का उत्पादन 95 लाख टन हुआ था। इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 16 किलोग्राम थी। जापान में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 629 किलोग्राम,

संयुक्त राज्य अमेरिका में 521 किलोग्राम. यूनाइटिड किंगडम में 236 किलोग्राम, ईरान में 101 किलोग्राम और नाइजीरिया में 25 किलोग्राम थी।

इलायची व्यापार निगम

943. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** 11 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3875 के भाग (क) के उत्तर को देखेंगे, जिसमें यह कहा गया था कि इलायची व्यापार निगम की स्थापना का विचार केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्णय इस बीच कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) इलायची व्यापार निगम की स्थापना करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

पर्यटन के संवर्धन के लिये विदेशों में प्रचार एजेंट

944. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें हमने पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रचार एजेंटों की नियुक्ति की है;

(ख) उनके चयन के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है;

(ग) उन पर कितना वार्षिक व्यय किया गया; और

(घ) उनसे भारत को कितना लाभ हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह प्राप्त होगी, तत्काल सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीसा प्रणाली को समाप्त करना

945. **श्री एस. बी. सिदनाल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ देशों के संबंध में वीसा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावित देशों के नाम क्या हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस विषय में जो सामान्य नीति पहले से ही लागू है, वह इस प्रकार है :

(1) नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यूगोस्लाविया, बुलगेरिया, आईसलैंड और मालद्वीप के राष्ट्रिकों के मामले में 90 दिन तक ठहरने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए वीसा को पारस्परिक आधार पर समाप्त कर दिया गया है।

(2) श्रीलंका और बंगलादेश तथा कुछ अन्य श्रेणियों के राष्ट्रिकों को छोड़कर राष्ट्र मंडल के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीसा की जरूरत नहीं होती, बशर्ते उनके पास वैध नेशनल पासपोर्ट हों और भारत यात्रा के लिए विधिवत रूप से पृष्ठांकित किये गए हों।

(3) बिना वीसा के नियमित नेशनल पासपोर्ट पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को पर्यटन के लिए भारत में उतरने और 30 दिन की अवधि के लिए ठहरने की अनुमति दी जाती है। यह सुविधा विदेशी पर्यटकों के लिए 6 महीनों की सतत अवधि के वास्ते केवल एक बार उपलब्ध होती है। यह छूट जो फिलहाल 31.3.1982 तक वैद्य है, सड़कों के रास्ते भारत आ रहे विदेशियों और कुल देशों के राष्ट्रिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ के विकास की दर

946. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ के विकास की दर 1979 के 21.7 प्रतिशत से कम होकर 1980 में 20 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक बैंक का 1979 और 1980 के दौरान वास्तविक लाभ कितना था और प्रत्येक मामले में लाभ में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) स्टेट बैंक समूह तथा अन्य प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की 1979 और 1980 में विकास दर तथा वास्तविक लाभ क्या थे;

(घ) इन प्रत्येक बैंकों के सम्बन्ध में 1979 और 1980 के दौरान संस्थापना एवं अन्य व्यय के रूप में अलग-अलग कुल कितना व्यय हुआ;

(ङ) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 1979 अथवा 1980 में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी अदायगी की गई; और

(च) सरकार ने दक्षता को सुधारने और व्यय में तथा विशेष रूप से संस्थापना के समयोपरि व्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (च) तथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में आयकर के लम्बित मामले

947. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के बम्बई, थाने, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर तथा औरंगाबाद जिले में आयकर कार्यालयों में कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि इतने अधिक मामले लम्बित हैं; और

(ग) इन आयकर मामलों को अत्यन्त गति के साथ निपटाने के लिए सरकार क्या मदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर परिमंडलों के क्षेत्राधिकार का क्षेत्र-विस्तार किसी राज्य के राजस्व जिलों के समान नहीं होता। आयकर विभाग द्वारा आकड़ों का संकलन आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र वार आधार पर किया जाता है।

31 जुलाई, 1981 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में आयकर आयुक्तों के विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में अनिर्णित पड़े कर-निर्धारणों की संख्या, इन अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, निम्नानुसार है :

आयकर आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र का नाम	अनिर्णीत पड़े आयकर निर्धारणों की संख्या
	(हजार रुपयों में)
बम्बई सिटी अधिकार–क्षेत्र जिसमें सेन्ट्रल अधिकार क्षेत्र भी शामिल हैं।	— 797
पुणे (जिसमें थाने जिला भी शामिल है)	— 82
नागपुर	— 52
कोल्हापुर	— 35
नासिक (जिसमें औरंगाबाद जिला भी शामिल है)	— 39

(ख) अपने स्वरूप से ही, आयकर निर्धारणों के अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या स्थिर नहीं रह सकती क्योंकि (i) सर्वेक्षण कार्यवाहियों तथा अन्य प्रवर्तन कार्यकलापों से; (ii) विभिन्न कारणों आदि से कर निर्धारणों को पुनः खोलने से आयकर रंजिस्टारों में और अधिक कर-निर्धारितियों को ले आने से वृद्धियां हो जाती हैं। कर-निर्धारणों को अक्सर (i) समान प्रश्नों पर उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा करने (ii) कर-निर्धारितियों द्वारा सुनवाइयों के स्थगन का अनुरोध करने, जैसे अन्य असंगत कारणों से भी अनिर्णीत रखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की उपलब्धता की भी भूमिका होती है।

(ग) कर–निर्धारणों के शीघ्र निपटान तथा बकाया को कम करने का प्रश्न सरकार के सतत विचाराधीन है। विभाग, वर्ष 1974 से, अपने समक्ष पड़े बकाया कार्य को निर्बाध, व्यवस्थित तथा कारगर ढंग से निपटाने के लिए कार्य-योजनाएं तैयार करके उद्देश्यपरक व्यवस्था की रूपरेखा को अपनाता आ रहा है। कार्य-योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्य सभी पर्यवेक्षी स्तरों पर नियन्त्रित किये जाते हैं।

इस दिशा में किये गए अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(1) कतिपय अपवादों को छोड़कर, गैर-कम्पनी मामलों के बारे में आय-सीमा को को बढ़ाकर 1 लाख रु. करके संक्षिप्ततः कर–निर्धारण योजना के विषय-क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है।

(2) 25,000 रु. तक की आयों के आयकर निर्धारण पूरा करने के लिए कुछेक आयकर निरीक्षकों को अधिकार दे दिए गये हैं।

(3) आयकर आयुक्तों, निरीक्षी सहायक आयुक्तों तथा आयकर अधिकारियों के कुछ और पदों के सृजन की मंजूरी दे दी गई है।

(4) कार्यचालन की पद्धतियों में सुधार लाने तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बाबत निदेशक, संगठन तथा प्रबन्ध सेवा द्वारा सतत अध्ययन किए जाते हैं।

राजस्थान के झालावाड़ नगर के निकट तांबा निक्षेप

948. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में झालावाड़ नगर के चहु ओर ताँबा निक्षेप उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व नरेशों के शासन काल के दौरान उस स्थान पर भारी मात्रा में तांबा निकाला जाता था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस स्थान पर सर्वेक्षण कराने और फिर से खनन कार्य आरम्भ करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) राजस्थान के झालावाड़ नगर के चतुर्दिक तांबा भंडार होने का पता चला है। इस क्षेत्र में ज्ञात कुछ प्राचीन गर्त्तों और खान खर्त्तों से वहाँ प्राचीन काल में छोटे पैमाने पर ताँबा निकाले जाने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उस राज्य के खनन और भूतत्व विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण किए गये हैं। एकत्र किये गये नमूनों के विश्लेषण से निम्न मूल्य के तांबे का पता चला है। परन्तु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1981-82 के दौरान उक्त क्षेत्र में क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण किए जाने का प्रस्ताव है।

हीरों का निर्यात

949. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** :

श्री केयूर भूषण : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से हीरों का विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) इस बारे में पिछले पांच वर्षों के वर्षवार आंकड़े क्या हैं और कितने मूल्य के हीरों का निर्यात किया गया तथा प्रत्येक वर्ष में किन देशों को हीरों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यातकों को धनराशियों की कमी का कारण हीरों के निर्यात में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बेल्जियम के ऋण देने वाले संगठन भारतीय हीरा उद्योग को ऋणों की अपर्याप्तता का लाभ उठा रहे हैं और विदेशी मुद्रा के रूप में 24 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं;

(ङ) वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा हीरों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ख) तराशे हुए तथा पालिश किये हुए हीरे बहुत से देशों को निर्यात किये जा रहे हैं। निर्यातों के मूल्य तथा गन्तव्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हीरा व्यापारी वर्ग अपनी निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण सुविधाओं के लिए दबाव डाल रहा है।

(घ) भारत से तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात की वित्त व्यवस्था बेल्जियम ऋणदाता संगठनों द्वारा नहीं की जाती।

(ङ) बैंक संसाधनों की उपलब्धता, अन्य प्राथमिकताओं तथा विभिन्न मानदंडों के समग्र संदर्भ के अन्तर्गत हीरा व्यापारी वर्ग को वित्त प्रदान कर रहे हैं. तथापि, बैंक वित्त की उपलब्धता के प्रश्न पर व्यापारी वर्ग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया जाता है।

(च) सरकार ने हीरों का निर्यात बढाने के लिए पहले ही अनेक उपाय किये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) अपरिष्कृत हीरों के आयातों की अनुमति शुल्क मुक्त आधार पर दी जाती है;

(2) आयात प्रतिपूर्ति नीति को उदार बनाया गया है।

(3) पूर्ति के स्रोतों का विविधीकरण करने के उद्देश्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को प्राथमिक तथा अन्य स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(4) हीरा व्यापार कंपनी से सीधे ही अतिरिक्त अपरिष्कृत हीरों की अधिप्राप्ति करने के लिए दि हिन्दुस्तान डायमन्ड कंपनी लि. की स्थापना की गई है।

इसके अलावा, अपरिष्कृत हीरों की स्वदेशी उपलब्धता बढ़ाने के लिए हीरों के लिए गहन पूर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जहां आवश्यक हो, विदेशी विशेषज्ञों की सहायता के जरिए हीरों को तराशने तथा पालिश करने के हुनर में सुधार को भी सुधार बनाया जा रहा है।

विवरण

तराशे हुए तथा पालिश किए हुये हीरों का देशवार निर्यात

1976-77 से 1980-81

(मूल्य लाख रु.)

क्रमांक	देश	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1.	आबू धाबी	2.58	2.44	—	1.53	—
2.	आस्ट्रेलिया	203.00	234.07	464 40	426.50	497.51
3.	आस्ट्रिया	37.60	0.37	3.85	45.20	35.54
4.	बहरीन	—	0.24	8.99	—	—
5.	बेल्जियम	5876.37	13898.42	19664.72	11528.01	9744.44
6.	ब्राजील	—	—	—	2.21	—
7.	कनाडा	25.53	46.03	185·85	192.26	188.80
8.	साइप्रिस	—	3.38	—	—	0.39

1 2	3	4	5	6	7
9. डेनमार्क	0.75	7.88	—	0.33	—
10. दुबई	32.52	135.34	238.21	—	—
11. फिनलैंड	—	—	0.21	1.54	1.38
12. फ्रांस	332.80	768.65	981.28	1236.34	1123.77
13. हांगकांग	3615.13	5814.50	8657.39	8487.71	11956.18
14. हंगरी	0.62	—	—	—	—
15. इण्डोनेशिया	0.59	—	—	—	—
16. ईरान	15.33	47.16	77.98	518.02	20.07
17. इराक	1.61	2.06	5.03	7.90	19.59
18. इजरायल	629.40	1490.08	1049.47	802.11	515.42
19. इटली	39.73	74-67	149.06	187.70	255.12
20. जापान	2581.80	3554.21	7036.09	5195.13	6744.73
21. जोर्डन	1.87	—	—	—	14.11
22. कीनिया	0.01	—	—	—	—
23. कुवैत	16.96	44.58	32.85	59.12	23.76
24. लेवनान	—	45.96	129.23	131.75	195.89
25. मलयेशिया	25.21	13.90	77.96	75.11	155.81
26. मलावी	—	—	—	37.63	—
27. मारीशस	—	—	—	—	1.01
28. नीदरलैंड	1435 05	1749.45	3850.66	147.27	226.54
29. न्यूजीलैंड	5.49	15.00	134.87	81.15	101.90
30. नार्वे	6.28	—	—	0.01	—
31. नाइजीरिया	—	52.71	—	—	—
32. ओमन	11.30	3.56	1.27	0.18	27.07
33. पानामा	0.01	5.40	—	—	—
34. कत्तार	13.85	14.45	1.62	5.44	22.71
35. सऊदी अरब	0.93	0.65	18.70	240.72	99.80
36. सिंगापुर	809.13	753.78	1266.72	2147.76	3827.53
37. स्पेन	11.21	6.27	233.24	22.90	22.35
38. स्वीडन	—	3.20	3.38	7.34	6.32
39. स्विटजरलैंड	960.86	1734.08	2659.72	5582.83	5616.55
40. थाईलैंड	0.67	5.07	3.41	13.85	114.52
41. तनजानिया	—	—	—	1.36	—
42. ब्रिटेन	575.22	1257.38	1960.47	1217.10	1051.84
43. सं. रा. अमरीका	5663.39	11139.51	19508.09	15286.72	15120.57

1	2	3	4	5	6	7
44.	सं. अरब अमीरात	—	—	—	150.73	371.09
45.	वेनेजुएला	1.66	—	—	2.43	1.24
46.	प. जर्मनी	166.26	600.55	793.32	1173.18	961.03
47.	वेस्ट इण्डीज	1.01	1.96	0.01	2.81	6.52
48.	यमन अरब गणराज्य	0.51	—	—	—	—
49.	युगोस्लाविया	—	—	—	0.06	—
50.	जाम्बिया	—	—	—	—	3.07
51.	अन्य देश	3.29	0.01	97.22	27.51	27.91
	कुल निर्यात	23105.62	43523.97	69295.37	55013.47	59102.18
	वापसी खेप	0.73	1.34	1.48	—	37.68
	निवल निर्यात	23104.80	43522.63	69293.89	55013.47	59064.50

स्रोत : रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई ।

अयस्क संसाधन प्रयोगशालाओं की स्थापना करना

950. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान कितनी अयस्क संसाधन प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के समाप्त होने से पूर्व किन स्थानों पर अयस्क संसाधन प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पारादीप में अयस्क संसाधन संयंत्र की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) दो प्रयोगशालाओं की स्थापना का विचार है—एक अजमेर में और दूसरी बंगलौर में । अजमेर की अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला अक्तूबर, 1981 में चालू हो गई है तथा बंगलौर की प्रयोगशाला के 1982 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है । छठी योजना अवधि के दौरान नागपुर में वर्तमान अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला में सुविधाओं का विस्तार करने और बने पैमाने का पाइलट प्लांट लगाने का भी विचार है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

जे. सी. डी. ए. शिलांग कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना

951. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे. सी. डी. ए. शिलांग कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसे सी. डी. ए. शिलाँग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दर्जा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरुप सी. डी. ए. पटना के कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सी. डी. ए. कार्यालय, पटना का ढांचा क्या होगा;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आजकल रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कर्मचारियों की संख्या लगभग 3000 है और उसके कई उप कार्यालय हैं जो 12 राज्यों में फैले हुए हैं। उप-कार्यालयों के फैले जाल की प्रभावी देखरेख के लिए सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रक्षा लेखा नियंत्रक) का एक अतिरिक्त पद मंजूर किया है। रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के पुनर्गठन तथा नये पद के कार्यालय के स्थान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

"इस्को" के अधीन चसनाला के कोयला धोने के कारखानों से सूक्ष्मों का राख के रूपमें बाहर जाना

952. **श्री ए. के. राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको "इस्को" के अधीन कोयला धोने के चसनाला कारखानों से प्रतिदिन दामोदर नदी में तरल के रूप में बहकर जाने वाले सूक्ष्मों की मात्रा का कोई अनुमान है, यदि हां, तो उस कोयले की मात्रा, किस्म तथा संभावी उपयोग एव उसके मूल्य के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन जमा हुए सूक्ष्मों को हथियाने के लिये अनेश गुण्डे तथा नेता भी जमा हो गये हैं और इस कोयले के व्यापार के लिए अनेक डिपो खुल गये हैं; यदि हां, तो काण्डर-चसनाला क्षेत्र में उन डिपुओं के नामों सहित ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतम हरिजन ग्रामीणों की सहकारिताओं ने इस कदाचार को समाप्त करने के लिये इन सूक्ष्मों को एकत्र करने और कम्पनी को लौटा देने की पेशकश की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सामान्य परिचालन के समय शोधनशालाओं से घोल (स्लरी) आपातकालीन टैंकों से प्राप्त किया जाता है। इन टैंकों से बहकर जाने वाले पानी में रेत मिश्रित चूरे की मात्रा बहुत कम (लगभग 1 टन प्रतिदिन) होती है जो शोधित कोयले के दैनिक उत्पादन का 0.03 प्रतिशत है। बहकर जाने वाले पानी में घोल के साथ चूरे तथा रेत के भी कण होते हैं। घोल में राख की मात्रा 16 से 25 प्रतिशत के बीच होती है। चूंकि अपशिष्ट जल के साथ बहकर जाने वाला चूरा माइक्रोन साइज का होता है अतः इसे निकाल पाना आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी नहीं है।

(ख) यह चूरा गाँव के उन लोगों द्वारा एकत्रित किया जाता है जिनकी भूमि शोधनशाला के साथ लगती है और जिस पर यह मल निस्राव बहता है। इन बारे में अन्य विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) व्यक्तियों के एक समूह ने, जो इस चूरे को एकत्र करने का दावा करते हैं, धनबाद के उपायुक्त को इस बात के लिए आवेदन किया है कि उन्हें इस प्रकार एकत्र किए गए चूरे को बेचने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने अपने आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया है कि ऐसा अधिकार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) को भी दिया जा सकता है।

(घ) इस बारे में आगे कार्यवाही करने का काम राज्य सरकार का है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर घड़ियां वाले बक्सों का गुम होना

953. **श्री वागुन सुम्बरूई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान द्वारा भेजे गए घड़ियों के कई बक्से दिल्ली हवाई अड्डे से गुम हो गये थे;

(ख) क्या लाखों रुपयों की घड़ियां 1977 से गुम हो रही हैं और उनकी चोरी का अब तक पता नहीं चला है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान के दिल्ली हवाई अड्डे के सीमाशुल्क अधिकारियों की अभिरक्षा से घड़ियों की पेटियां गायब होने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ग) समय-समय पर, विभिन्न परिस्थियों से निबटने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा अन्य ऐसे ही उपाय किए जाते रहते हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अधिकारी काडर में पदोन्नति

954. **श्री टी. एन. नागरत्नम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के "अखिल भारतीय" और "राज्य" सेवाओं के अधीन अधिकारी काडर में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवार आसानी से मिल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बैंक का विचार उपरोक्त " दोनों सेवाओं में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की न्यूनतम पात्रता कसौटी एवं सेवा अनुभव को कम करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंक का उपरोक्त "सेवाओं" विशेष रूप से "राज्य सेवा" के अधीन पीछे के उपलब्ध पदों को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय मे उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि "अखिल भारतीय सेवा" के अधीन पदोन्नति के लिए परीक्षा में बैठने के वास्ते अनु० जाति/अनु० जनजाति के पात्र कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। यूनियनों के साथ हुए समझौते के अनुसार वर्तमान पदोन्नति नीति के मुताबिक "राज्य सेवा" के अधीन पदोन्नति के लिए पात्रता के वास्ते लिपिकीय संवर्ग में 6 वर्ष की न्यूनतम सेवा का होना आवश्यक है। भविष्य में, जब अनु०जाति/अनुसूचित जनजाति के 6 वर्ष की सेवा कर चुकने वाले कर्मचारियों की संख्या में बढ़ौतरी हो जाएगी तब "राज्य सेवा" के अधीन होने वाली पदोन्नति

परीक्षा में बैठने के लिए समुदायों से सम्बद्ध कर्मचारियों के काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध होने की संभावना है। अतः बैंक अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के मामले में, न्यूनतम पात्रता के मानदण्ड को कम करने की आवश्यकता नहीं समझता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को "राज्य सेवा" तथा "अखिल भारतीय सेवा" के वास्ते आयोजित लिखित परीक्षा के अर्हक अंकों में क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। "अखिल भारतीय सेवा" में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को साक्षात्कार में भी 8 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

आयात नीति का मध्यावधि मूल्यांकन

955. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों के परामर्श से किन्हीं मामलों में कमी करने के लिये आयात नीति का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए परिवर्तन किये जाते हैं। 1981-82 की आयात नीति में ऐसे परिवर्तन करने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 581 आई. टी. सी. (पी. एन.) 181 दिनांक 18-11-81 के अन्तर्गत जारी की गई थी। इस सार्वजनिक सूचना में किये गये परिवर्तनों में शामिल हैं—3 मदों को हटाना जो वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिये ओ. जी. एल. पर थीं, स्टाक तथा बिक्री के प्रायोजनार्थ ओ. जी. एल. से अन्य 4 मदें हटाना और आयात नीति के परिशिष्ट 26 के अंतर्गत निर्यात सदनों के लिये रोक लगी वस्तुओं की सूची में 5 मदों को शामिल करना। सार्वजनिक सूचना का एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विद्यमान आयात नीति की मध्यावधि समीक्षा भी अलग से की जा रही है। मुख्य अभिप्राय विद्यमान आयात नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था न कि आयातों को कम करने की दृष्टि से परिवर्तन करना था। इस समीक्षा के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के बदले में थोड़े मूल्य के उपस्करों के आयात की पद्धति को सरल बना दिया गया है और आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के बदले शुल्क मुक्त आयातों की योजना को स्पष्ट कर दिया गया है।

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार संबंधी उपायों को सुझाने के लिए समिति का गठन किया जाना

956. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु अर्थशास्त्रियों की एक सीमिति गठित की है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के निर्देश मद एवं उसका गठन क्या है;

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छुआरों का आयात

957. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन देशों से छुआरों (ड्राईडेट) का आयात किया जाता है, 1980

से पूर्व कितना आयात किया जाता था और चालू वर्ष के दौरान कितना आयात किया जाना है;

(ख) क्या ईरान-ईराक युद्ध का इसके आयात पर कोई प्रमुख प्रभाव पड़ा है और इसके आयात मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बारास्ता पाकिस्तान सस्ते भाव पर खजूरों का आयात करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1978-79 से 1980-81 (जुलाई, 1980 तक) के दौरान छुआरे के देशवार आयात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जुलाई, 1980 के बाद के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इराक-ईरान संघर्ष से इराक से खजूर के आयातों और उनकी आयात कीमत पर प्रभाव पड़ा होगा लेकिन वास्तविक स्थिति केवल तभी मालूम होगी जब सरकारी आंकड़ें उपलब्ध हो जाएंगे।

(ग) भारतीय जलयानों द्वारा पाकिस्तान से खजूर का आयात करने की पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमति है। इसके अलावा, मेवों के लाइसेंस धारियों को प्रत्येक मामले में 25,000 रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन स्थल मार्ग से आयात करने की अनुमति दी गई है। इस सम्बन्ध मे एक सार्वजनिक सूचना सं. 57 के अंतर्गत दिनांक 7 नवम्बर, 1981 को जारी की गई थी। यह इस अभ्यावेदन पर किया गया कि स्थल मार्ग से आयात अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा।

विवरण

1978-79 से 1980-81 (जुलाई, 1980 तक) के दौरान छुआरों दे देशवार आयाल दर्शाने वाला विवरण

मूल्य : लाख रु.
मात्रा : हजार कि. ग्रा.

क्रमांक	मदादेश का ब्यौरा	आई. टी. सी.रिव-2 कोड सं.	1978-79		1979-80		1980-81 (जुलाई, 1980 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खजूर, सूखे, नरम (खजूर या गीला खजूर)	057.9602						
	अफगानिस्तान		15	1.28	10	0.13	—	—
	ईरान		1982	43.91	233	4.97	160	6.08
	इराक		24783	547.86	18286	367.94	16062	380.32
	ओमान		186	8.32	125	5.32	220	7.69
	अन्य देश		141	2.64	1	0.01	—	—
		योग	27107	604.04	18575	378.37	16442	394.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. खजूर, सूखे सख्त (छुआरा अथवा खोरेक		057 9603						
बहरीन द्वीपसमूह			9	0.49	—	—	—	—
ईरान			2654	90.35	2710	125.30	357	13.87
इराक			4908†	253.85†	5998	266.18	863	45.59
ओमान			2196	107.60	2123	124.45	991	68.38
पाकिस्तान			6	0.29	—	—	—	—
संयुक्त अरब अमीरात			—	—	—	—	1	0.08
		योग	9773†	452.58†	10831	515.88	2212	127.92

† आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है।

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें संशोधन किया जा सकता है।

स्रोत : (1) 1978-79 तथा 1979-80
वाणिज्यिक जानकारी तथा अंसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेंस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया वाल्यूम-11 (आयात)।

(2) 1980-81 (जुलाई, 1980 तक)
वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता से आर्थि सलाहकार, वाणिज्य विभाग के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े

पर्यटकों को सुविधाएं देने हेतु कन्याकुमारी टाउनशिप कमेटी को वित्तीय सहायता

958. **श्री के टी कोसलराम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी टाउनशिप कमेटी के केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को न्यूनतम मूल सुविधाएं देने के लिए उसे वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध के लिए पृथक सेवा

959. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंध के लिए नई पृथक सेवा बनाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो सेवा कब तक बनाई और आरम्भ की जाएगी; और

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग इसमें विशेषकों के न होने के कारण अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं और यदि हाँ, तो सराकार को इस तथ्य को जानकारी कब से है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) हालांकि सरकार को कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं, पर फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन में गिरावट के लिए प्रबन्धकीय असफलता सहित अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से चयन, प्रशिक्षण और विकास का स्तर बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सदुपाय किये गये हैं। सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों के कार्यचालन को निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि उनकी खामियों का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक कार्यवाही यथासमय की जा सके।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋणों की वापसी

960. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी सरकारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें आई. एफ. सी., आई. डी. बी. आई. और आ. सी. आई. सी. आई. वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये गये हैं; और

(ख) उनमें से एसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष में ऋण की वापसी/ब्याज का भुगतान नहीं किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) उन कम्पनियों के नाम, जिन्हें 30-6-1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. वी. आई.) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) और 30-9-1981 के मुताबिक भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) ने अलग-अलग रूप से 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की सहायता संवितरित की थी, **विवरण** में दिये गये हैं।

(ख) सरकार उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम प्रकाशित करना उपयुक्त नहीं समझती जिन्होंने एक विशेष समय में व्यतिक्रम किया है, क्योंकि इससे बाजार में उनकी साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिन्हें आई. डी. वी. आई. आई. एफ. सी.–आई. तथा आई. सी. आई सी. आई. ने व्यक्तिग रुप से 5 करोड रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता का संवितरण किया है :

1. आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि.
2. अपोलो टायर्स लि.
3. अशोक पेपर मिल्स लि.
4. एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज लि.
5. अहमदाधाद मन्युफैक्चरिंग एण्ड कैमिको
6. अशोक लेलैंड
7. भद्राचलम पेपर बोर्ड
8. बिहार एलोय स्टील लि.

9. बड़ौदा रेयन्स कारपोरेशन लि.
10. वजाज आउटो.
11. बाम्बे डाइन्ग
12 कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लि.
13. कोरामण्डल फर्टिलाइजर्स.
14. दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि.
15. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं. लि.
16. गुजरात नर्मदा वैल्ली फर्टिलाइजर्स कं लि.
17. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि.
18. गरवारे नाइलोन्स
19. गुडइयर इण्डिया
20. ग्रेट ईस्टर्न शिप
21- इण्डियन फारमर्स. फर्टिलाइजर्स को-आ. लि..
22. इण्यिडन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.
23. इण्यिडन एक्सप्लोसिव लि.
24. इण्डियन स्टीमशिप.
25. इण्डियन ट्यूव
26. जम्मू एण्ड कश्मीर सीमेंट्स लि.
27. जे. के. इन्डस्ट्रीज लि.
28. जे. के. सिथेटिक्स.
29 केरल मिनरल एण्ड मेटल्स लि.
30. महाराष्ट्र इलैक्ट्रो स्मैस्ट लि.
31. मालावार सीमेंट्स लि.
32. मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
33. मैसूर पेपर मिल्स लि.
34. मफतलाल इंजीनियरंग
35. महिंदा युगाइन
36. मद्रास रवर
37. मैसूर सीमेंट्स
38. नर्मदा सीमेंट्स कं. लि.
39. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि.
40. नेशनलरेयन्स
41. निरलोन सिथैटिक्स
42. पेट्रोफाइल्स को-आ. लि.
43, रासी सीमेंट्स लि.
44 रेणुसागर पावर कम्पनी लि.
45. रेमण्ड वूलन

46 रिलायन्स टैक्सटाइल्स
47. सहगल पेपर लि.
48. सदर्न पेट्रो-कैमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
49. श्री रायलसीमा पेपर मिल्स लि.
50. सिंधिया स्टीम
51. एस. एल. एन. मानकलाल
52. स्टैण्डर्ड मिल्स
53. तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लि0
54. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज
55. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.
56. एक्समैको लि.
57. टीटागढ़ पेपर मिल्स लि.
58. टूटीकोरिन अलकाली कैमिकल्स लि.
59. उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि.
60. विक्रान्त टायर्स लि.
61. ए. पी. रेयन्स लि.
62. हिन्दुस्तान सूगर्स मिल्स लि.
63. कोहिनूर मिल्स लि.
64. बिन्नी लि.

सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमान

961. **श्री बी. के. नायर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्षक कार्यकारी अधिकारियों पर क्या वेतनमान लागू है;

(ख) ये वेतनमान कब से लागू हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हाल के समय में जीवन निर्वाह लागत में भारी वृद्धि होने के कारण सरकारी अधिकारियों के इस वर्ग में काफी असंतोष बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वे सार्वजनिक क्षेत्र में जा रहे हैं;

(घ) इस बिगड़ रही स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने से उत्पन्न असंतोष के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के पदों से पर्याप्त मात्रा में अभिगमन हुआ है।

(घ) और (ङ) सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

उच्चतम कार्यकारी अधिकारियों के लिए सरकार ने तदर्थ महंगाई भत्ता पहले से ही लागू कर दिया है।

विवरण

सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों के वेतन-मान	लागू होने की तारीख	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चतम कार्यकारी अधिकारियों के वेतन-मान	लागू होने की तारीख
1. सचिव 3300/-रु. (नियत	1-9-65 से	अनुसूची क 3500-125-4000 रु.	13-10-65 से लागू
2. अपर सचिव 3000/-रु. (नियत)	लागू	अनुसूची ख 3000-125-3500रु.	
3. संयुक्त सचिव 2500-125/2 2750 रु		अनुसूचि ग 2500-100-3000 रु.	
4. निदेशक 2000-115/2-2250 रु.	1-1-73	अनुसूची घ 2250-100-2750 रु.	1-5-75 से लागू

"एल. आई. सी. इन 60 करोड़ मैस" शीर्षक सामाचार

962. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई (महाराष्ट्र) के दिनांक 5 अगस्त, 1981 के "डेली" समाचार-पत्र में श्री वी. श्रीनिवासन के "एल. आई. सी. इन 60 करोड़ मैस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लेख पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) "दि डेली" में प्रिमियम और अन्य जमा राशियों के जो 60 करोड़ रुपए के आंकडे बताए गए हैं, उनके मुकाबले 31 मार्च, 1981 को ऐसी जमा राशियां वस्तुत: 42.65 करोड़ रुपए आंकी गई हैं।

"दि डेली" में छपे समाचार में जीवन बीमा निगम के बम्बई स्थित डिवीजनल कार्यालय के कार्य से सम्बद्ध समस्या पर चर्चा की गई है। चूंकि इस कार्यालय में लगे संगणक (कम्प्यूटर) पर काम का बोझ अधिक है, इसलिए प्रीमियमों के लगभग देय होने के समय, न कि उससे पहले प्रीमियम की रसीदें केन्द्रीयकृत नकदी वसूली केन्द्र को दे दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में, जब पालिसी होल्डरों द्वारा अग्रिम प्रीमियम अदा किए जाते हैं तो उन्हें जमा में रख लिया जाता है और उनका समायोजन बाद में कर दिया जाता है।

सरकार और जीवन बीमा निगम जमा राशियों को सीमाओं के अन्दर रखने और पालिसी होल्डरों को तुरन्त और कुशल सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं और इसीलिए प्रशासनिक प्रबन्धों और प्रक्रियाओं की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

आयकर नियमों का सरलीकरण

963. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव करदाताओं को अधिक कमाने तथा अधिक भुगतान करने हेतु प्रोतसाहित करने की दृष्टि से आयकर नियमों को सरल बनाने का है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान आयकर नियमों में इतनी अधिक धारायें हैं कि इसके कारण का परामर्शदाता, हेरा फेरी करने वाले और कर अपवंचक लाभ उठा पाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कादाताओं द्वारा कर से बच निकलने का कोई अवसर न दे कर उनके द्वारा ईमानदारी बरते जाने की दृष्टि के कोई अधिनियम बनाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार, आयकर अधिनियम तथा आयकर नियमों के उपबन्धों के सरलीकरण के प्रश्न पर निरन्तर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया है जो सर्व प्रथम, अन्य विषयों के साथ साथ, कर-प्रशासन तथा उसे युक्तियुक्त बनाने और उसमें सुधार करने के प्रश्न पर विचार करेगा। आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

एशियाई खेलों के कारण इस्पात की कमी

964. **श्री आर. पी. यादव** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल 1982 के निर्माण कार्यों के कारण इस्पात की कमी हो गई है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अपने मकान बनाने तथा अन्य छोटे निर्माण कार्य करने के लिये कठिनाई हो रही है; और

(ख) छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मकान बनाने वालों आदि के लिए योजना के अन्तर्गत संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे और इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अपने मकान बनाने वालों तथा पंजीकृत सहकारी आवास सोसाइटियों को छड़, गोल छड़, टार स्टील तथा बस्ती नालीदार चादरों जैसी इस्पात की वस्तुएं देने की व्यवस्था है। इस्पात के वितरण के मामले में उपभोक्ताओं की प्राथमिकता सूची में अपने मकान बनाने वालों तथा पंजीकृत सहकारी आवस सोसाइटियों को श्रेणी-ए में रखा गया है। अभी हाल ही में, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) ने प्रत्येक आवेदन-कर्त्ता के लिए इस्पात की सप्लाई की अधिकतम सीमा, जो पहले 5 टन थी, बढ़ाकर 10 टन कर दी है। इसके अतिरिक्त गृह-निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 सितम्बर, 1981 से निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के गृह-निर्माताओं को पहले 5 टन छड़ों तथा गोल छड़ों पर 50 रुपये प्रति टन की दर से छूट देने का भी फैसला किया गया है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की योजना

965. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये कार्य क्षेत्र को ऋण दिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) सम्भवतः आशय समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम से है जिसे 2-10-1980 से देश के सभी विकास कार्यों पर लागू कर दिया गया है और जिसे सहकारी बैंकों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करना और योजना अवधि में, प्रत्येक खड में निर्धारित किए गए 3000 सबसे गरीब परिवारों के आय के स्तर को 600 रुपये प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाना है। यह सहायता अर्थक्षम कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते, उक्त क्षेत्र में उपलब्ध सम्भावनाओं पर आधारित होगी। छठी आयोजना में सरकार द्वारा सभी खण्डों में 1500 करोड़ रुपये की राज सहायता (सब्सिडी) की व्यवस्था की गई है तथा इस कार्यक्रम के वास्ते, आयोजन अवधि के दौरान 3000 करोड़ रुपये के संस्थागत वित्त की आवश्यकता होगी। किन्तु, क्योंकि अधिकांश लाभ प्राप्तकर्ताओं के पास भू-परिसंपति नहीं होगा अतः इस कार्यक्रम के अधीन वित्तपोषण, कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के अलावा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों जैसी भूमि पर आधारित न रहने वाली गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध होगा।

यूरोप को औषधियों की तस्करी

966. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि स्वीडिश पुलिस ने भारत में यूरोप को बड़े पैमाने पर औषधियों की तस्करी का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि स्वीडिश पुलिस ने स्वीडन में स्टाकहोम के आरलैण्डा हवाई अड्डे पर 21 सितम्बर 1981 को 16.573 किलोग्राम कैनाविस राल तथा 4.5 ग्राम कच्ची अफीम और 28 सितम्बर 1981 को 13 किलोग्राम कैनाविश राल पकड़ी। इन अभिग्रहणों के सिलसिले में 11 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था।

लघु उद्योगों को सप्लाई किए जाने वाली इस्पात की मदों का पूल मूल्य निर्धारित किया जाना

967 **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयातित इस्पात के ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योगों को सप्लाई किए जाने वाली इस्पात की मदों का पूल मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है3

(ख) क्या छोटी यूनिटों के बन्द होने अथवा रुग्ण होने का अप्रत्यक्ष कारण मूल्यों में अन्तर का होना नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस कठिनाई को किस प्रकार किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लघु उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली इस्पात की मदों के लिए पूल-मूल्य प्रक्रिया अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बफर कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात किया गया इस्पात क्षेत्र निशेष पर ध्यान दिए बिना वण्टितियों को देशीय मूल्यों पर दिया जाता है और बैंक-टू-बैंक आधार पर आयात किया गया इस्पात वास्तविक लागत के आधार पर सप्लाई किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में धातु, खनिज तथा अन्य संसाधन

968. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में धातु, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का कोई अध्ययन किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : खनिज के लिए तटवर्ती समुद्र में और धातु पिंडों के लिए गहरे समुद्र तल में खोज की सुरआत कर दी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक जहाज प्राप्त किया है, जिसे तटीय समुद्र में सर्वे जोन और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्दर समुद्रतल में खनिजों की खोज के योग्य बनाया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था समुद्र तल में खनिजों के सर्वे और अन्वेषण सहित निर्जीव स्रोतों के अन्वेषण और विकास हेतु एक समुद्र अन्वेषी पोत प्राप्त कर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस सुविधा का भी लाभ उठाना चाहता है। राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान ने हिन्द महासागर में अनन्य आर्थिक जोन से परे कुछ मैंगनीज पिंड एकत्र किए हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अब तक अरब सागर के तट दूर उथले क्षेत्रों में इलमेनाइट और चूना रेत तथा बंगाल की खाड़ी से दूर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के तटदूर क्षेत्रों में फास्फेट पिंडों का पता लगाया है। तेल और प्राकृतिक गैस आये। समुद्रीतल क्षेत्र से हाइड्रोकारबन की खोज और दोहन के काम में लगा है, किन्तु इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अन्तर्गत विभिन्न धातुओं, खनिजों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धि के बारे में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का न पालन किया जाना

969. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 का पालन नहीं किया है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा से दिनांक 18-7-1981 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4921 के उत्तर से दर्ज किए गए ब्यौरे की ओर दिलाया जाता है। पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में संलग्न विवरण–II में ऐसी सभी कम्पनियों के नाम दिए गए हैं जिनको अभी तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशो का पालन करना है और उसी में वह अवस्था भी बताई गई है जिस तक मामले पहुंचे हैं।

भारतीय रूई निगम में घाटा

970. **डा. वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम वर्ष 1977-78 से घाटे में चल रहा है; यदि हां तो पिछले चार वर्षों के घाटे संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980-81 के लिए पहले हेराफेरी करके यह घाटा केवल 5.4 करोड़ रु. दिखाया गया था जिससे लेखा परीक्षा के दौरान ठीक करके 13.65 रुपए दिखाया गया;

(ग) क्या आल इंडिया काटन कारपोशन सप्लाईज काउंसिल ने भ्रष्टाचार, कदाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा कुप्रबन्ध के गम्भीर आरोप लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई की गई है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रायय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां। भारतीय रुई निगम को 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान हानियां हुई थीं, लेकिन 1980-81 के दौरान लाभ हुआ है। गत चार वर्षों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं;

1977-78	हानि	5.35 करोड़ रुपए
1978-79	हानि	6.96 करोड़ रुपए
1979-80	हानि	13.65 करोड़ रुपए
1980-81	लाभ	1.00 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

(ख) निगम के एक लेखा वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि के वार्षिक आंकड़े इसके लेखा परीक्षकों की अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वर्ष 1979-80 के लिए परीक्षित हानि 13.65 करोड़ रु. बताई गई है।

(ग) तथा (घ) जी हां। इस सम्बन्ध में परिषद के अध्यक्ष से एक पत्र मिलने पर, यथावश्यक जांच के निदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और जांच के परिणामों से जो कार्यवाही होगी की जाएगी।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

971. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान वर्ष 1980-81 में 8.7 मिलियन टन लौह अयस्क लेने में सहमत हो गया था, किन्तु केवल 7.4 मिलियन टन लौह अयस्क का ही लदान किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में असन्तोषजनक कार्य निष्पादिता के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत की लौह अयस्क निर्यात के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनायों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल-अगस्त, 1980 के दौरान जापान को हुए निर्यातों पर अवस्थापना संबंधी रूकावटों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान जापानी इस्पात मिलों ने, इस्पात उद्योग में मंदी के कारण स्वीकृत टन भार नहीं उठाया।

(ग) विभिन्न पतनों से लौह अयस्क के संचलन और लदान से संबंधित कार्यों के सुचारु रूप से चलने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम पत्तन प्राधिकारियों और रेलवे के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं। निर्यात बाजारों के विविधीकरण के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

एयर-इंडिया में बोईंग 707 के स्थान पर लाकहीड ट्रिस्टार लाया जाना

972. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एयर इंडिया में बोइंग 707 विमान के स्थान पर लाकहीड एल 1011 ट्रिस्टार लाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाकहीड एल 1011 ट्रिस्टार की निर्माता कम्पनी इस बात के बारेमें स्वयं ही निश्चय की स्थिति में नहीं है कि क्या वह इस विमान के उत्पादन कार्य को जारी रखे अथवा नहीं क्योंकि लाकहीड एल-1011 ट्रिस्टार को चलाने वाली अनेक विमान कम्पनियां कम ईंधन की खपत वाले विमान लेने के लिए इन्हें बेच रही है;

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा इस प्रकार के नए विमान को अपनाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि लाकहीड एल-1011 जैसी नई किस्म के विमानों को अपानये जाने के लिए पृथक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु भारी निवेश की आवश्यकता होगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का कम ईंधन से अधिक चलने वाले विमान खरीदने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इण्डिया का ट्रिस्टार विमान लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) यह मामला सरकार के नोटिस में लाया गया है और इस पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व यथोचित विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व, इस प्रस्ताव से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

भारत में निवेश के लिए विदेशों के साथ करार

973. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निवेश के लिये नवम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौहान विदेशों के साथ किए गए करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक निवेश के साथ ऐसे निवेश की शर्तें क्या है

वित्त मन्त्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) और (ख) निवेश के बारे में सामान्यत: भारत की कंपनियों तथा विदेशों की पार्टियों के बीच समझौते हैं। माननीय सदस्य चूंकि 15 नवम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि तक की जानकारी चाहते हैं इसलिए उस अवधि से संबंधित जानकारी इक्कठ्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज पर आयकर छापे

974. **श्री जगपाल सिंह**

श्री के. लकप्पा

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी

श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्टाक एक्सचेंज पर आयकर विभाग द्वारा अभी हाल में छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेयर बाजार में काले धन ने क्या भूमिका निभाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) महोदय, आयकर विभाग ने, 30 तथा 31 अक्तूबर, 1981 को बम्बई के पांच शेयर-दलालों के मामलों में तलाशियां ली हैं।

इन तलाशियों के दौरान 11.25 लाख रु. की प्रथम दृष्टया, लेखा बाह्य नकदी, जवाहिरात तथा लगभग 14.50 लाख रुपए मूल्य की चांदी और अपराध-आरोपणीय बहियां तथा दस्तावेज पकड़े गए हैं। इस मामले में काले धन की भूमिका का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

आयकर विभाग का विस्तार

975. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य संबंधी आवश्यकताओं की जांच किए बिना आइ. आर. एस. अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए आयकर विभाग के विस्तार पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो आयकर विभाग केआइ. आर. एस. अधिकारियों के प्रत्येक संवर्ग में कितने अतिरिक्त पदों का सृजन/दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) बड़ी संख्या में निर्धारण और परिसमापन के मामलों के निपटान तथा 1000 करोड़

रुपये की बकाया माँगों के निपटान/वसूली हेतु आयकर अधिकारियों पर्याप्त पद बनाने तथा लिपिकीय स्टाफ में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) अपीलों, कर अपवंचन की जांच, सर्वेक्षण, आसूचना तथा कर वसूली जैसे प्रत्यक्ष कर प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में, संगठन को, कर प्रशासन का अधिक कारगर तंत्र बनाने के लिए कर्मचारियों में बढ़ोतरी की आवश्यकता थी। विभाग की कार्य-चालन संबंधी दक्षता में सुधार लाने और ऊपर उल्लिखित कार्य-क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से वर्ष 1980-82 की अवधि के लिए भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के संवर्ग का एक अध्ययन किया था। उसके परिणामपतः, 16 सितम्बर, 1981 से समूह 'क' के निम्नलिखित अतिरिक्त पदों का तदनुसार सृजन किया गया/दर्जा बढ़ाया गया :–

(1) मुख्य आयुक्त के उच्चतर ग्रेड वाले 7 पद (रु.2500-2750 जमा 250/-रु. का विशेष वेतन);

(2) आयुक्तों के 54 पद-लेवल 1 में 24 पद (रु. 2500-2750) तथा लेवल 11 में 30 पद (रु. 2250-2500);

(3) सहायक आयुक्तों (सं. अ. आ. आ.) के 24 पद (1500/-रु.-2000/-रु.);

(4) आयकर अधिकारी (समूह 'क') कनिष्ठ वेतन-मान (रु. 700-1300) के 200 पद प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण-रिजर्व;

(5) सहायक आयुक्तों (रु. 1500-2000) के 39 पदों का प्रवरण ग्रेड (रु. 2000-2250 में अपग्रेडेशन।

(ग) आयकर विभाग में कार्यचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के निपटान हेतु विभिन्न अन्य संवर्गों में में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

वायुदूत सेवा के अन्तर्गत आने वाले स्थान

976. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत विमान सेवा अनेक स्थानों पर अपनी उड़ानों का विस्तार करेगी,

(ख) यदि हां, तो कब और उन स्थानों के नाम क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) वायुदूत सेवाओं का देश के अन्य भागों के लिए क्रमिक चरणों में विस्तार किया जा रहा है। क्रमिक चरणों में विमान सेवा से जोड़े जाने वाले 23 स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। आशा है कि इन 23 स्थानों में से कुछ स्थानों को जवनरी 1982 तक वायुदूत सेवाओं से जोड़ दिया जायेगा।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर वायु दूत द्वारा विमान सेवा से जोड़े जाने वाले अनुमोदित स्टेशानों की सूची

आन्ध्र प्रदेश	कुद्दापा
	राजामुंदरी
	वारंगल
बिहार	जमशेदपुर
	गया
	मुजफ्फरपुर
	पूर्णिया
कर्नाटक	रायचूर
	हुबली
केरल	कालीकट
मध्य प्रदेश	बिलासपुर
	जगदलपुर
महाराष्ट्र	नांदेड़
उड़ीसा	रूरकेला
पंजाब	लुधियाना
राजस्थान	कोटा
	बीकानेर
	जैसलमेर
तमिल नाडु	तंजौर
उत्तर प्रदेश	देहरादून
	गाजीपुर
	पंतनगर
	राय बरेली

बोकारो इस्पात संयंत्र में घाटा

978. श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :

श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में इस वर्ष के अन्त तक काफी घाटा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा होने की संभावना है और प्रत्याशित घाटे के क्या कारण हैं जब कि निपिण्ड और बिक्री योग्य इस्पात का पहले छः महीनों में रिकार्ड उत्पादन हुआ है; और

(ग) सरकार इस संयंत्र को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) गत वर्ष अर्थात् 1980-81 में बोकारो इस्पात कारखाने को 17.30 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। इसकी तुलना में अनुमान है कि इस वर्ष अर्थात 1981-82 में इस कारखाने को लगभग 8 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस वर्ष इस कारखाने में अच्छा/प्रत्याशित उत्पादन होने से इसके वैत्तिक परिणाम अच्छे रहे हैं। लगातार हानि मुख्य रूप से कारखाने में अत्यधिक पूंजी निवेश के कारण है। इसमें कुछ इकाइयों की अन्तर्निहित क्षमता पर किया गया पूंजी निवेश भी शामिल है जिनका उपयोग कारखाने का 40 लाख टन चरण तक विस्तार होने के पश्चात ही किया जा सकेगा। आशा है जैसे-जैसे अधिकाधिक इकाइयां काम करने लगेंगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और स्थिति में सुधार होगा।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता तथा गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण का अनुपात

979. **श्री बी. एस. विजयराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्राथमिकता और गैर.प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण का अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को अधिक ऋण दिया जा रहा है;

(ग) क्या इससे मुद्रास्फीति बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण बन्द करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सकल बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हिस्सा जो जून, 1969 में 14 प्रतिशत था, बढ़कर जून, 1981 में 33.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में समनुरूप अन्य क्षेत्र 86 प्रतिशत से घटकर 66.1 प्रतिशत हो गये।

(ग) और (घ) ऋण विस्तार का ऊंचा स्तर एक ऐसा कारण है जिससे नकदी की सुलभता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी दबाव पड़ते हैं। इसलिए उचित सीमाओं तक ऋण विस्तार को रोकने के वास्ते रिजर्व बैंक ने उपाय किए हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपाय हैं : 11 जुलाई, 1981 से बैंक दर को 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाना, 30 अक्तूबर 1981 से सांवधिक नकदी अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना, 25 फरवरी, 1982 तक चरणवद्ध रूप में नकद प्रारक्षित अनुपात को 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत और फिर 8 प्रतिशत तक करना आदि आदि। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 1981-82 के दौरान खाद्य भिन्न ऋण का विस्तार, 1980-81 के मुकावले कुछ कम रहे।

मूल तथा अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा

980. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायानिक उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रसायन निर्यात परिषद ने मूल तथा अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से समाक्षारीय और अन्य रसायन उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष	समाक्षारीय रसायन भेषज तथा प्रसाधन सामग्री	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद
		(आकड़े करोड़ रु. में)
1978-79	174.85	152.31
1979-80	150.22	164.63
1980-81	235.03	173.03
1981-82	132.35	96.26

(अप्रैल-सितम्बर)

स्रोत : (1) समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, तथा

(2) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद ।

(ग) दुबई में एक विदेशी कार्यालय खोलने के लिए रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिशद ने सरकार को एक प्रस्वाव भेजा था। सरकार के सुझाव पर परिषद, समाक्षारीय रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर विदेशी कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार कर रही है। नए प्रस्ताव अभी सरकार को प्रस्तुत किये जाने हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी दौरे पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा इंडियन एयर लाइन्स से हवाई जहाज के टिकटों की खरीद

982 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी दौरे पर जाने के लिए अधिकारियों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स से हवाई जहाज के टिकट खरीदने के लिये क्या अनुदेश हैं;

(ख) क्या देवलिंग एजेंटों से ये टिकट खरीदे जा सकते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार सरकारी अधिकारियों को सरकारी यात्रा पर जाते समय केवल राष्ट्रीय वाहक अर्थात एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स से यात्रा करनी चाहिए अथवा सीधे इन्हीं के माध्यम से टिकटें बुक करानी चाहिये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार राज्य के नगरों के लिये वायुदूत सेवा

983. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार के महत्वपूर्ण नगरों के लिए तीसरी विमान सेवा (वायुदूत) शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सेवा किन नगरों के लिये शुरू की जायेगी और कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) वायुदूत सेवाओं का उत्तर पूर्वी क्षेत्र से इतर क्षेत्रों के लिये क्रमिक चरणों में विस्तार किया जा रहा है। बिहार में जमशेदपुर, गया, मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया को इन सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त स्थानों को वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़े जाने के लिये अभी तक कोई निश्चित समय-सारणी तैयार नहीं की गयी है।

हरियाणा को विश्व बैंक से ऋण

984. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि में से हरियाणा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1980 से पहले और उसके पश्चात् कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) उक्त अवधि में जिन परियोजनाओं के लिये यह धनराशि दी गई है उनका ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	अवधि	परियोजना का नाम	वचनबद्ध कुल विदेशी सहायता (लाख डालर)	करार की तारीख	अन्तिम तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	पूर्व-1980	हरियाणा कृषि ऋण परियोजना	250.00	11-6-71	30-6-77	
2.	पूर्व-1980	हरियाणा सिंचाई परियोजना	1110.00	16-6-78	31-3-83	
3.	पूर्व-1980	सम्मिश्र कृषि विस्तार परियोजना (बहुराज्य परियोजना)	62.00	16-2-79	31-12-84	
4.	पूर्व-1980	राष्ट्रीय वित्त परियोजना-1 (बहुराज्य परियोजना)	250 00	10-6-76	18-5-81	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जिसमें हरियाणा भी लाभ पाने वाला एक राज्य है। सहायता का राज्यवार अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।
5.	पूर्व-1980	एकीकृत कपास विकास परियोजना (बहुराज्य परियोजना)	180.00	26-2-76	31-12-81	
6.	पूर्व-1980	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम परियोजना (बहुराज्य परियोजना)	300.00	2-2-70	31-12-84	
7.	1980 के बाद	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-11	1250.00	21-7-81	30-6-87	

अभ्रक का उत्पादन तथा निर्यात

985. **श्री चित्त बसु :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्ष में अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) पिछले पांच वर्ष में कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया; और

(ग) देश में अभ्रक का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) और (ख) गत 5 वर्षों में अभ्रक का उत्पादन और निर्यात निम्नलिखित है :—

उत्पादन (टनों में)

वर्ष	अभ्रक (क्रूड)	अभ्रक (छीजन और स्क्रैप)
1976	9,494	4,306
1977	9,352	5,319
1978	9,593	4,681
1979	9,073	5,107
1980	7,930	4,425

निर्यात (निर्मित और अनिर्मित दोनों)

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (हजार रुपये में)
1975-76	21,806	195,426
1976-77	25,153	250,424
1977-78	22,655	260,098
1978-79	23,476	272,292
1979-80	28,703	320,807

(ग) यह महसूस किया गया है कि देश में अभ्रक का उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा तात्कालिक आवश्यकता इसे उद्योग को अधिक गतिशील बनाने तथा क्रूड अभ्रक की बजाए विविध अभ्रक उत्पादों का अधिक निर्यात करने की है। इसके लिए अभ्रक समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

भारत-अरब वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार

986. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-अरब वाणिज्यिक और आर्थिक सम्बन्धों के विस्तार की संभाव्यता का पूरी तरह पता नहीं लगाया गया है;

(ख) सरकार बाजार सम्बन्धी सूचनाओं के आदान-प्रदान, व्यापार सम्बन्धों को बढ़ावा

देने, पूंजीनिवेश के क्षेत्रों का पता लगाने तथा विभिन्न आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत-अरब संयुक्त व्यापार परिषद की हाल ही में हुई बैठक में इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) वर्षों से भारत-अरब के वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्ध लगातार बढ़ रहे हैं। तथापि, बढ़ते हुये अवसरों के साथ जो अब भी बढ़ते जा रहे हैं, अरब जगत के साथ हमारे व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावनायें विद्यमान हैं।

2. विदेश स्थित हमारे मिशनों की मार्फत वाणिज्यिक जानकारी के प्रदान-प्रदान, आवधिक द्विपक्षीय व्यापार वार्तायें तथा विभिन्न अरब देशों के साथ द्विपक्षीय तथा आर्थिक संबंधों का विस्तार करने तथा उनका विविधीकरण करने के संयुक्त आयोगों के अधीन वार्तायें जैसी आम कार्यवाहियों के अलावा फरवरी, 1981 में दुबई में हुई पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर अनेक कार्यवाही सम्बन्धी मुद्दे तैयार किये हैं। इन कार्यवाही सम्बन्धी मुद्दों में ये शामिल हैं : (1) उन 6-8 मदों का पता लगाना जिसकी भारत से निर्यातों के लिए उस क्षेत्र के प्रत्येक देश में बहुत वृद्धि की संभाव्यता है; (2) भारत तथा अरब देशों के बीच जहाजरानी सेवाओं में सुधार; (3) पैकिंग तकनीकों में सुधार; (4) इस क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भाग लेकर वाणिज्यिक प्रचार में वृद्धि करना; (5) परियोजना निर्माण कार्यों का संपन्न करने के लिए इन देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभाव्यताओं का पता लगाना; (6) इस क्षेत्र के कुछ देशों में भारतीय इंजीनियरी उत्पादों के लिए भाण्डागार सुविधाओं की स्थापना करने की संभाव्यता पर विचार करना आदि।

3. नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुई भारत-अरब संयुक्त व्यवसाय परिषद की बैठक में अरब देशों के साथ हमारे व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को और अधिक बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) अरब व्यापारियों के साथ सहयोग करके विभिन्न अरब देशों में भारतीय व्यापार केन्द्र खोलना;

(2) भारतीय पत्तनों तथा इन देशों के पत्तनों के बीच जहाजरानी सेवाओं को सुधारने के लिए जहाजरानी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु संभाव्यताओं की जांच करना।

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी तथा मानव शक्ति संसाधनों का अरब देशों तथा भारत के उपयोग के लिए और तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए माल का उत्पादन करने हेतु भारत में उद्योग की स्थापना में लाभदायक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

(4) वांडिड भांडागार सुविधाओं की स्थापना के प्रश्न पर विलम्ब समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) विनिर्माता कार्यों के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों तथा अरब व्यापारियों के बीच संयुक्त उद्यम कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(6) भारत-अरब संयुक्त व्यवसाय परिषद द्वारा एक छोटी समिति स्थापित की जाए जो बढ़े हुए व्यापार, निवेश तथा औद्योगिक सहयोग के लिए विस्तृत क्षेत्रों में विचार विमर्श करने हेतु बार-बार बैठकें कर सकती है तथा विशिष्ट व्यवसाय प्रस्थापनाओं का पता लगा सकती है।

(7) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ तथा अरब देशों को नियमित आधार पर वाणिज्यिक जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए, प्रतिनिधिमण्डलों को बुलाने तथा भेजने और व्यापार मेले आयोजित करने अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेने में एक दूसरे को सहायता देनी चाहिए।

राउरकेला इस्पात संयंत्र से चोरी

987. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से राउरकेला इस्पात संयंत्र से बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है लाखों रुपये का माल अनधिकृत रूप से तकरीवन रोजाना रात को बाहर निकल जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. आरोपों की जांच कर रही है और अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में पटसन की बहुत कम खरीद

988. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बगाल में भारतीय पटसन निगम ने बहुत कम कच्चा पटसन खरीदा है जबकि खरीद का लक्ष्य 12.75 लाख गाँठें हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक की गई खरीद का ब्यौरा क्या है तथा कम खरीद करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। भारतीय पटसन निगम ने 14-11-81 तक पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की 7.89 लाख गाठों की अधिप्राप्ति की है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.71 लाख गाँठों की अधिप्राप्ति की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के कुल विदेश व्यापार में राज्य व्यापार निगम की बिक्री का प्रतिशत

989. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कि भारत के कुल विदेश व्यापार में राज्य व्यापार निगम की बिक्री का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : 1980-81 वर्ष में यह लगभग 8.1 प्रतिशत था।

बैंक में अनुशासन लागू करना

990. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बैंकों में कड़ा अनुशासन लागू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब से लागू किया जाएगा और इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) देश की अर्थ व्यवस्था के विकास में बैंकों को सौंपी गई भूमिका और अपने हितों में और वृद्धि करने तथा असंगत दावों को मनवाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के एक वर्ग की बैंकों के सामान्य कार्यकरण को अव्यवस्थित करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधकों को सरकार ने सामान्य रूप में सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों के अनुशासनहीनता के मामलों में कड़ाई से निपटें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ज्ञापन

991. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रस्तुत एक ज्ञापन में प्रस्ताव किया कि विदेशी सहयोग और रायल्टी की अदायगी सम्बन्धी प्रक्रिया को काफी उदार बनाया जाए;

(ख) इस ज्ञापन में ठीक-ठीक क्या लिखा है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किस दस्तावेज की प्रतिक्रिया स्वरूप यह ज्ञापन भेजा गया था, और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) विस्तारित व्यवस्था (एक्स्टेंडिड अरेंजमेंट) के लिए भारत के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे गये आर्थिक नीतियों के विवरण में विदेशी सहयोग और रायल्टी अदायगी से सम्बन्धित प्रक्रिया को उदार बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) आर्थिक नीतियों के विवरण की प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिनाँक 9 अगस्त, 1974 के निर्णय संख्या 4330 (74/101) एस. के अनुसार तैयार की गई कोष की विस्तारित सुविधा में यह अपेक्षा की गई है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण लेने के लिए अनुरोध करने का इरादा रखने वाले सदस्य देश को चाहिए कि वह अपने अनुरोध के साथ उन कार्यक्रमों का विवरण भी दें जिसमें सदस्य देशों के भुगतान शेष की समस्या का समाधान करने वाले उद्देश्य और नीतियाँ दी गई हों। भारत द्वारा भेजा गया आर्थिक नीतियों का विवरण इस अपेक्षा के उत्तर के रूप में था।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 9 नवम्बर, 1981 को 5 अरब एस. डी. आर. के बराबर की राशि को विस्तारित व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है।

बम्बई में फिल्म कलाकारों के घर पर आयकर विभाग के छापे

992. **श्री के लकप्पा :**

श्री नारायण चौबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने अभी हाल ही में फिल्म-कलाकारों के घरों तथा कार्यालयों पर छापे मारे हैं जिनमें लेखा बाह्य धनराशि, आभूषण और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी. हां। आयकर विभाग ने बम्बई और बंगलौर में अक्तूबर, 1981 के दौरान श्री अमजद खान, फिल्म अभिनेता उसके रिशतेदारों तथा सहयोगियों और कुमारी कल्पना अय्यर, फिल्म अभिनेत्री के परिसरों की तलाशी ली है। तलाशी के दौरान 3 लाख रुपये की नकदी, लगभग 10 लाख रुपये की कीमत के जवाहिरात और 840 पौंड (स्टर्लिंग) की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है। छह लाकर सील किए गए हैं।

(ग) इन मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत यथापेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

993 **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने की शर्तों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले बैंक प्राधिकारियों द्वारा बजट प्रस्तावों का पूर्वेक्षण और स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकद धनराशि के अनुपात में की जाने वाली वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से मेल खाती है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार खाद्य तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं पर राज सहायता नहीं दी जानी चाहिए जबकि ऐसा करने से तेजी से मूल्य बढ़ेंगे;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए निरन्तर विनिमय-दर समायोजन द्वारा अनौपचारिक मुद्रा अमूल्यन पर जोर देता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की ऐसे प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) नकदी आरक्षित निधि अनुपात में होने वाली वृद्धि का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाराणसी के हैंडलूम सिल्क उद्योग में संकट

994. **श्री जैनुल बशर :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेशम के धागे के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने के कारण वाराणसी के हैंडलूम सिल्क उद्योग को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप कई लाख बुनकर हो गए हैं;

(ख) रेशम के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस उद्योग को वर्तमान संकट से बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कच्चे रेशम की कीमत में अनेक कारणों में वृद्धि हुई है जैसे एक ओर तो सूखे की स्थिति और ऊर्जा मक्खी के संकट की वजह से कर्नाटक में उत्पादन में कमी और दूसरी और हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों में कच्चे रेशम की मांग में वृद्धि। वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 250 मै. टन कच्चे रेशम का आयात करने का विनिश्चय किया है। इसके साथ-साथ सम्बन्धित राज्य सरकारों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले महीनों में ऊर्जा मक्खी के संकट को कम करने तथा उत्पादन उढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

देश में उपलब्ध सोने तथा चांदी की मात्रा तथा मूल्य

995. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1971 और सितम्बर 1981 में सोने की कितनी मात्रा उपलब्ध थी तथा इस मात्रा का रुपयों में मूल्य कितना था;

(ख) सरकार तथा लोगों के पास 1 71 और सितम्बर, 1981 में क्रमश: कितनी मात्रा में सोना उपलब्ध था तथा उस मात्रा का रुपयों में मूल्य कितना था;

(ग) देश में पिछले दस वर्षों में वर्षवार कितना तथा कितने मूल्य का सोना तस्करी से लाया गया;

(घ) देश में इस समय कितना तथा कितने मूल्य का सोना और चांदी आभूषणों के रूप में उपलब्ध है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सोने के आभूषणों पर पाबन्दी लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) देश में विद्यमान सोने की कुल मात्रा और उसके मूल्य के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है। सितम्बर 1971 और सितम्बर 1981 में सोने के मौट्रिक भण्डारों की कुल मात्रा और उनका मूल्य निम्नलिखित था :—

मौट्रिक स्वर्ण भण्डार

अवधि	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मात्रा (टन)
सितम्बर, 1971	182.5	216.24
सितम्बर, 1981	225.6	267.29

टिप्पणी—सोने का मूल्य, 0.118489 ग्राम सोना प्रति रुपये के सरकारी सममूल्य के आधार पर लगाया गया है। मुद्रामिन्न सोने से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत शुद्ध सोने के निजी स्वामित्व/अधिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(ग) 1971 से 1981 (अक्तूबर) तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए सोने की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (कि. ग्राम में)	अनुमानित मूल्य (लाख रु. में)
1971	2054	173
1972	1780	150
1973	840	71
1974	184	96
1975	414	222
1976	173	83
1977	267	162
1978	220	153
1979	134	136
1980	82	129
1981	116	195

(अन्तिम (अक्तूबर तक)

(1971 से 1973 तक के वर्षों के लिए दिये गये मूल्य का हिसाब, सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर लगाया गया है। शेष वर्षों के लिये मूल्य का हिसाब देश के अन्दर प्रचलित मूल्य के आधार पर लगाया गया है।)

(घ) इस समय देश में आभूषणों के रूप में विद्यमान सोने और चांदी की मात्रा और उसके मूल्य के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में, उसके द्वारा धारित, कब्जे में अथवा नियंत्रण में रखे गए आभूषणों/वस्तुओं की कुल मात्रा 2 कि. ग्राम. से और परिवार के मामले में 4 कि. ग्रा. से अधिक हो जाती है तो उसके लिए स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत एक घोषणा दायर करनी होती है। अधिनियम की उपर्युक्त अपेक्षा के अनुसार घोषित कुल मात्रा, 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार 85.5 टन की है।

(ङ) स्वर्णाभूषणों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव पर सरकार फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दावे भेजे जाने की वरीयता दिया जाना

996. **श्री ए. यू. आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इसका क्या कारण है कि राजपत्रित अधिकारी वेतन तथा अन्य कार्यों के वैयक्तिक दावे

लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना अधिक पसन्द करते हैं और उन्हें कार्यालय के वेतन बिलों में क्यों नहीं लाया जाता ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वेतन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक दावे के प्रस्तुत करने की पद्धति को। अप्रैल, 1976 से समाप्त कर दिया गया था। तभी से उनके वेतन आदि के दावों को कार्यालय के वेतन बिलों में ही शामिल किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले जिला-नगर

997. **श्री अजित बाग :**

डा. रदीश राय :

श्री सुबोध सेन :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री आनन्द पाठक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में जिला-नगरों को विमान-सेवा द्वारा जोड़ने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने पश्चिम बंगाल में केवल कूच बिहार को ही विमान सेवा से जोड़ने की सिफारिश की है।

बिहार में पटसन मिलों की स्थापना

998. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज (पुर्निया) और फीरबसेगंज (बिहार) में पटसन मिलों की स्थापना के लिये आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पटसन मिलों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने किशनगंज तथा फोरबेसगंज तहसीलों (बिहार) में 16000-16000 एम. टन वार्षिक क्षमता वाली पटसन मिलें स्थापित करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है। इन आवेदन पत्रों पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया गया था और उपरोक्त स्थानों पर पटसन मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 14-5-1981 को दो आशय-पत्र जारी किए गए थे।

केन्द्रीय सरकार ने इन पटसन मिलों को स्थापित करने के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयां

999. **श्री वी. वी. देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया को अविवेकपूर्ण आयोजन, अव्यवहारिक मूल्य निर्धारण और इसके संयंत्रों तथा राज्य सरकारों के बीच बिगड़ते सम्बन्धों को सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय ने इन समस्याओं को हल करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस्पात विशेषज्ञों का यह विश्वास है कि देश में 75 मिलियन टन की इस्पात क्षमता की स्थापना को महत्वाकांक्षी योजनाओं की बजाय सेंचुरी आयोजकों द्वारा आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने की ओर ध्यान देना चाहिए और यदि संभव हो, तो प्रतिवर्ष एक मिलियन टन क्षमता की वृद्धि करनी चाहिए;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने बताया है कि आयोजक भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसी ठोस उपाय पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) स्थिति के बारे में यह सही विवरण नहीं है। ना ही इस अनुमान का कोई आधार है।

(ग) से (ङ) सरकार ने शताब्दी के अन्त तक देश में 750 लाख टन क्षमता स्थापित करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। यह ठीक है कि इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता का विकास करने के साथ-साथ स्थापित क्षमता के अधिकाधिक उपयोग की ओर अधिक तथा निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

छठी योजना के दस्तावेज में, जिसे जनवरी, 1981 में अन्तिम रूप दिया गया था, इस्पात विकास कार्यक्रम में वर्तमान क्षमताओं में काफी वृद्धि करने की व्यवस्था है। यद्यपि इसमें अधिकांश क्षमता छठी योजना अवधि के उत्तरार्द्ध में और अधिकांशतः सातवीं योजना में ही उपयोग में आयेगी। चालू पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1984-85 तक इस्पात पिण्ड की क्षमता 144.7 लाख टन से बढ़कर 179 लाख टन हो जाने की सम्भावना है।

उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करने, वर्तमान इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन कार्य करने, लागत में कमी करने और अधिक उत्पादिता प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान और विकास कार्य करने तथा प्रौद्योगिकीय सुधार करने, अंतःसंयंत्र बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और वर्तमान कारखानों की क्षमता का विस्तार करने तथा नए स्थलों जैसे विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने और पारादीप के प्रस्तावित इस्पात कारखाने के रूप में नई क्षमताएं लगाने पर जोर दिया गया है।

नारियल के तेल के आयात के लिए फिलिपीन्स के साथ करार

1000. **श्री के. ए. राजन**

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के तेल के आयात के लिए फिलिपीन्स के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने इस कार्यवाही के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

(ग) नारियल के तेल के आयात का विरोध करने के लिए केरल से सर्वपार्टी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था।

(घ) नारियल के तेल का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। राज्य व्यापार निगम ने अभी तक नारियल के तेल के कोई आयात नहीं किए हैं।

"बर्ड हिट ए. आई. जम्बो लैंड्स विध बर्स्ट फ्यूल टैंक" शीर्षक समाचार

1001. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "बर्ड हिट ए-आई-जम्बो लैंड्स विध बर्स्ट फ्यूल टैंक" (पक्षी से टकारये एयर इंडिया के जम्बो विमान का फटे हुए ईधन टैंक के साथ भूमि पर उतरना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान वी. टी.-ई. एफ. जे. की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली सैक्टर एक पक्षी से टकराने की घटना उस समय हुई जब विमान 12 सितम्बर, 1981 को पालम विमान क्षेत्र के रन-वे 28 पर अवतरण करने के अंतिम चरण में था। जब विमान एप्रन के बहुत समीप टैक्सीइंग कर रहा था, कंट्रोल टावर ने इंजन नं. 2 के पास वाले विंग से फ्लूइड गिरने की सूचना दी। जब कंट्रोल टावर ने इस बात की शिनाख्त की कि विमान से गिरने वाला फ्लूइड विमानन ईधन था तो तत्काल आपातकालीन कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी। फायर आदि ने भी चलते विमान का पीछा किया और बिखरे हुए ईंधन को ढकने के लिए फोम का प्रयोग किया गया। सब यात्रियों को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल लिया गया।

अवतरण के बाद देखा गया कि पक्षी से टकराने के परिणामस्वरूप ईधन नं. 2 के सभी

फैन ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस इंजन से अलग हो गए एक फैन ब्लेड टिप से फ्यूअल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था। इंजन नं. 2 को बदल कर उसके स्थान पर नया ईंजन लगा दिया गया।

पक्षियों के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :–

(1) ऐसे कीड़ों की आबादी को कम करने के लिए, जो पक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं, नियमित रूप से कीटनाशक दवाएं छिड़कना;

(2) विमानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे सभी क्षेत्रों से मृत कीड़ों को हटाने के लिए नियमित रूप से झाड़ू लगाना;

(3) ऐसी झाड़ियों को समाप्त करना जहां पक्षी सामान्यतः घोंसले बनाते हैं;

(4) ऐसे कूड़े-कचरे तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हटाना, जिनसे पक्षी आकृष्ट होते हैं;

(5) पक्षियों को डराने के लिए रन-वे के शोल्डर स्ट्रिप्स पर रंगीन रिबनों का प्रयोग;

(6) पक्षियों के जमघट को तितर-बितर करने के लिए पटाखों तथा तमंचों का प्रयोग;

(7) पक्षियों को डराने वाले कारतूस आयात किए जा रहे हैं।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गयी राज सहायता की योजनाओं का मूल्यांकन

1002. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** भारत सरकार द्वारा दी गई राज सहायता की योजनाओं के मूल्यांकन के बारे में 18 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन गत पाँच वर्षों के दौरान (वर्ष-वार दी गयी) राज सहायता की योजनओं का कोई मूल्यांकन किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिनको उक्त राज सहायता देना अपेक्षित था उन्हें वस्तुतः उसका लाभ पहुंचा कि नहीं;

(ख) यदि हां, तो उसके दुरुपयोग के कोई मामले प्रकाश में आये हैं यदि ऐसे मामलों का पता लगा है तो सामान्यता उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) उनकी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने तथा कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या 4947 के उत्तर में बताया गया था, राजसहायताओं की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्ष बजट अनुमानों के अनुमोदन के समय इनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रमुख राजसहायताएं जैसे कि अन्न और उर्वरक के लिए दी जाने वाली राजसहायता लाभान्वित होने व्यक्तियों तक नियंत्रित मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों और वितरण केन्द्रों के माध्यम से पहुंचती है। निर्यात संवंधन और बाजार विकास के लिए दी जाने वाली सहायता का संबंध वास्तव में सम्पन्न किया गये कार्य से होता है और यह सम्बद्ध कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप होती है।

(ख) और (ग) नियंत्रित मदों की चोरबाजारी, झूठे राशनकार्डों के प्रयोग आदि के रूप में दुरुपयोग के सम्बन्ध में विद्यमान विधियों और विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

विदेशी ऋण

1003. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर कितना विदेशी ऋण देय है; ऋणदाता देशों के नाम क्या हैं और उक्त ऋण पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें भारत ने ऋण दे रखा है, कितनी राशि का ऋण दे रखा है और इस ऋण से प्रतिवर्ष कितना ब्याज मिलता है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) सूचना संलग्न **विवरण-1** में दी गई है।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिए गये ऋणों की सूचना संलग्न **विवरण-2** में दी गई है। इन ऋणों पर प्राप्त वार्षिक ब्याज की राशि की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

विवरण–1

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	30-9-81 को बकाया ऋण राशि	वर्ष 1981-82 के दौरान दिये जाने वाले ब्याज की राशि
1	2	3	4
1.	आस्ट्रिया	25.81	0.69
2.	बेल्जियम	70.63	0.62
3.	कनाडा	420.60	1.20
4.	डेनमार्क	23.69	0.03
5.	फ्राँस	343.21	14.01
6.	जर्मन संघीय गणराज्य	1339.76	30.04
7.	इटली	15.18	0.80
8.	जापान	989.70	38.91
9.	नीदरलैंड	501.76	13.17
10.	स्विट्जरलैंड	19.81	0.97
11.	ब्रिटेन	737.41	7.82
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2894.25	55.66
13.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	495.96	34.07
14.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	4829.44	31.75
15.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्यवाई ऋण)	48.27	9.31
16.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष	14.74	0.12

1	2	3	4
17.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	637.34	2.76
18.	संयुक्त अरब अमीरात	61.13	1.33
19.	इराक	88.29	2.53
20.	ईरान	753.94	23.38
21.	आबू धाबी निधि	16.56	0.61
22.	सऊदी निधि	70.38	3.03
23.	कुवैत निधि	56.88	2.35
24.	ओपेक	39.45	0.21
25.	चेकोस्लावाकिया	24.19	0.67
26.	हंगरी	8.65	0,22
27.	पोलैंड	5.98	0.16
28.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	206.18	5.41
	जोड़ :	14739.39	272.83

विवरण-2

करोड़ रुपए

क्रम संख्या	उन देशों के नाम जिन्हें ऋण दिये गये हैं	ऋण की राशि
1	नेपाल	11.00
2	इंडोनेशिया	10.00
3	श्रीलंका	75.00
4	मारीशस	15.00
5	तंजानिया	7.40
6	वियतनाम	85.98
7	जाम्बिया	10.00
8	मोजाम्बीक	4.00
9	युगांडा	2.50
10	सैक्लीज	2.50
11	घाना	5.00
12	अफगानिस्तान	6.25
13	भूटान	31.43
14	बंगलादेश	79.85

पारादीप, उड़ीसा में तट–आधारित इस्पात संस्थंत्र

1004. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पारादीप, उड़ीसा में तट–आधारित इस्पात संयंत्र को चलाने के लिऐ अलग से एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी कब तक स्थापित हो जायेगी;

(ग) यह कम्पनी कहां स्थापित होगी ; और

(घ) इस्पात संयंत्र को आरम्भ करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) कम्पनी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

(घ) सरकार ने पारादीप इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित कार्य यू. के. के मेसर्स डेवी मेकी को देने का निर्णय लिया है बशर्ते कि करार की शर्तें सन्तोषजनक ढंग से तय हो जायें। अन्तिम रुप से करार हो जाने के पश्चात् ही कारखाने का काम शुरु किया जाएगा। करार को अन्तिम रुप देने के लिए बातचीत चल रही है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर विमान उतारने संबंधी के. एल. एम. एयरलाइन्स के प्रस्ताव का अस्वीकार किया जाना

1005. **श्री सुधीर कुमार गिरि** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलत्ता हवाई अड्डे पर विमान उतारने संबंधी के. एल. एम. एयरलाइन्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार विदेशी विमान सेवा कंपनियों को किस अधिकार पर अनुमति देती है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) के. एल. एम. द्वारा प्रस्तावित परिचालन द्विपक्षीय विमान सेवा करार की शर्तों के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध उड़ानों की संख्या के अधिकारों के अनुरूप नहीं थे

(ग) विदेशी एयरलाइनों को सेवाओं के परिचालन की अनुमति संबंधित द्विपक्षीय विज्ञान सेवा करारों में निहित उपबंधों तथा इन करारों में प्रदान किए गए उड़ानों की संख्या के अधिकारों के आधार पर दी जाती है।

इण्डियन एयर लाइंस के बोइंग विमान का अपहरण करने वालों को भारत लाना

1006. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री कमल नाथ :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री वी एस विजय राघवन :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दल खालसा के कुछ समर्थक इण्डियन एयार लाइन्स के एक बोइंग विमान को अपहरण करके पाकिस्तान ले गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विमान अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिये उन्हें भारत लाया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली/अमृतसर/श्रीनगर सेवा का परिचालन कर रहे इण्डियन एयरलाइन्स के विमान वी. टी. ई. डी. आर. को, 29-9-1981 को दल खालसा से सम्बन्धित पांच सिक्ख कृपाणों की सहायता से अपहरण करके लाहौर ले गये। इस विमान पर 117 यात्री सवार थे जिनमें छः कार्मिक भी सम्मिलित थे। अपहरण का उद्देश्य सन्त जरनैल सिंह भिंडरवाले तथा अन्यों को रिहा कराना तथा खालिस्तान को मान्यता प्रदान करना बताया जाता है। पाकिस्तानी "कमांडोज" द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने की वजह से, अपहरणकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये तथा विमान को बिना कोई क्षति हुए अगले दिन वापस लौटा दिया गया।

(ग) पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी को छुट्टियों के बदले मिली नकद राशि के आधार पर आयकर की कटौती

1007. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आयकर अपील ट्रिबुनल की मद्रास शाखा के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त होने पर छुट्टियों के बदले कितनी नकद राशि पर कर नहीं लग सकता क्योंकि उक्त राशि आय के अन्तर्गत नहीं आती है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी विभाग अब उन कर्मचारियों से उस राशि पर आयकर काट रहे हैं जो उन्हें छुट्टी के बदले मिली है क्योंकि उन्हें सरकार से इस आशय के कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुये हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है तथा इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए हैं अथवा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(छ) इस बारे में सम्भवतः कब तक कोई निर्णय कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह ठहराया है कि सेवा काल के दौरान देय छुट्टी के नकदीकरण के रूप में प्राप्त राशि सेवा निवृत्त होने के पश्चात कराधेय नहीं है, क्योंकि इसे 'आय' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

(ग) से (ङ) जी हां। मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 1981 को परिपत्र सं. 298 सभी राज्य सरकारों को जारी किया गया था तथा इसे सभी नियोजकों को पृष्ठांकित किया गया था, जिसके अधीन सेवा निवृत्ति पर किसी कर्मचारी को देय छुट्टी के नकदीकरण के परिणामतः प्राप्त राशि पर स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है, क्योंकि यह वेतन के रूप में शामिल करने योग्य है। सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को ध्यान में रखते हुए स्थिति की जाँच की है तथा 31 अगस्त 1981 को एक सार्वजनिक परिपत्र जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आय कर विभाग ने उक्त न्यायाधिकरण का फ़ैसला स्वीकार नहीं किया है तथा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भ प्रस्तुत किया है। विभाग का तर्क यह है कि सिसी कर्मचारी को सेवा-काल के दौरान अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति के समय देय छुट्टी वेतन के नकदीकरण पर प्राप्त राशि, वेतन-आय के भाग के रूप में कराधेय है।

(च) तथा (छ) भाग (ग), (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए, भाग (च) तथा (छ) का प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ का आयात

1008. **श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान रबड़ का आयात करने का है;

(ख) वर्ष 1981-82 में रबड़ का अनुमानित उत्पादन कितना है और देश में उसकी खपत कितनी होगी;

(ग) वर्ष 1980 में कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने रबड़ के आयात का निर्णय लेने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्थानीय उत्पादकों से परामर्श किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) प्राकृतिक रबड़ आयात करने का सरकार का निर्णय उत्पादन तथा खपत के बीच संभावित अन्तराल के लगातार मूल्यांकन पर आधारित है जिसे आयातों के जरिए पूरा करना पड़ सकता है।

(ख) 1981-82 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत के संशोधित प्राक्कलन क्रमशः 1,50,000 मे. टन तथा 1,86,000 मे. टन है।

(ग) कैलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 1000 मे. टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया।

(घ) तथा (ङ) रबड़ बोर्ड की, जिसमें उपजकर्त्ताओं जो तथा रबड़ माल विनिर्माणकर्त्ताओं का भी प्रतिनिधित्व रहता है, और उद्योग मंत्रालय की सिफारिशों की रबड़ की उस मात्रा का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाता है जिसका आयात प्रत्येक वर्ष करना पड़ सकता है।

''ग्रोअर्स सैलिंग जूट एट लो प्राइस' शीर्षक समाचार

1009. **श्री नारायण चौबे :**

श्री रेणु पद दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1981 के स्टेट्समैन कलकत्ता संस्करण, 'ग्रोवर्स सैलिंग जूट एट लो प्राइस' (उत्पादकों द्वारा कम मूल्य पर पटसन बेचा गया) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पटसन के क्या मूल्य निर्धारण कर रखे हैं और उत्पादक उसे औसतन किस मूल्य पर बेच रहे हैं;

(ग) भारतीय पटसन निगम ने अब तक कितनी मात्रा में पटसन खरीदा है और मिलों ने इस दौरान कितना पटसन खरीदा है; और

(घ) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) असम में डब्लयू-5 के लिए कानूनी न्यूनतम कीमत 175 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। भारत पटसन निगम द्वारा सभी खरीदारियाँ कानूनी न्यूनतम कीमतों पर की गई हैं। चुनिन्दा बाजारों में चल रही पटसन की बाजार कीमतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय पटसन निगम ने 1981-82 मौसम के दौरान 14-11-81 तक 12.11 लाख गाँठों की कुल खरीद की है। इण्डियन जूट मिल्स एसोशिएशन के चैयरमैन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पटसन मिलों ने 7-11-81 तक 21.56 लाख गाँठों की खरीद की है लेकिन यह कहना कठिन है कि इसमें से कितनी मात्रा तत्काल खरीदारी की है और कितनी वायदा खरीदारी की है।

(घ) भारतीय पटसन निगम अपनी अधिप्राप्ति की मात्रा को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है, सरकार ने उपजकर्त्ताओं के हित में कच्चे पटसन के लिए कीमत समर्थन कार्यों पर भारतीय पटसन निगम द्वारा उठाई गई हानियों पर इमदाद देने का दायित्व भी स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकारों को भी सरकारी साधनों के माध्यम से कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत लागू करने के लिए सतर्कता बरतने के लिए सावधान कर दिया गया है।

विवरण

कतिपय चुनिन्दा बाजारों 14-11-81 को चल रही कच्चे पटसन की ग्रेड-वार बाजार दरें दर्शाने वाला विवरण

राज्य केन्द्र	ग्रेड			
	डब्ल्यू-4 टी डी-4	डब्ल्यू-5 टी डी-5	डब्ल्यू-6 टी डी-6	डब्ल्यू 7 टी डी-7
उत्तरी बंगाल				
दिनहाता सफेद कानूनी न्यूनतम	197.00	182 00	172.00	162.00
चल रहे भावअधिकतम	202.00	182.00	172.00	162.00
दक्षिण बंगाल				
दुरिया (तोसा) कानूनी न्यूनतम	216.50	201.50	191.50	181.50

1	2	3	4	5
चल रहे भाव अधिकतम	221.00	195.00	180.00	163.00
बिहार				
किशनगंज सफेद कानूनी न्यूनतम	200.00	185.00	175.00	165.00
चल रहे भाव अधिकतम	190.00	175.00	160.00	145.00
असम				
धुवरी (सफेद)कानूनी न्यूनतम	190 00	175.00	165.00	155.00
चल रहे भाव अधिकतम	190.00	160.00	145.00	123.00

ओपन जरनल लाइसेंस के अन्तर्गत इस्पात के आयात पर प्रतिबन्ध

1010. **श्री तारिक अनवर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ओपन जनरल लाइसेंस प्रणाली के अधीन इस्पात के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या ओपन जनरल लाइसेंस प्रणाली के अधीन इस्पात के आयात के कारण राष्ट्र के इस्पात उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस्पात की मदों के आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और कुल माँग तथा देशीय उत्पादन को देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

ऐशियाई विकास बैंक से ऋण

1011 **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने का विचार कर रही है;

(ख) क्या माँगे जाने वाले ऋण की राशि का प्राक्कलन कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी राशि मांगी जा रही है; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि खर्च की जायेगी।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन : (क) जी, हाँ। सरकार ने एशियाई विकास बैंक को 1980 के बाद से बैंक से ऋण लेना शुरू करने के अपने इरादे के बारे में सूचित कर दिया है।

(ख) से (घ) बैंक के साथ ऋण की राशि और बैंक के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा तभी तय किया जायेगा जब बैंक अपनी तीसरी साधारण पूंजी वृद्धि की जिस पर इस समय बातचीत चल रही है, राशि का निर्धारण कर लेगा।

विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को अदा की गई पेंशनों में अन्तर

1012. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी सेवा से एक तारीख विशेष से पहले

सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को उसके बाद की तारीखों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की तुलना में बहुत कम पेंशन दी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के हिसाब से इस समय दी जा रही पेंशनों में व्याप्त अन्तर का ब्यौरा क्या है, और

(ग) पेंशन की दरें विभिन्न रखने के लिए क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जो सरकारी कर्मचारी 1.1.1973 से पहले सेवा निवृत्त हुए थे उनकी पेंशन की गणना 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर अर्हक सेवा के प्रत्येक छः महीने की अवधि की औसत परिलब्धियों के 1/160 की दर पर की जाती थी और यह राशि प्रति मास अधिक से अधिक 675/- रु. थी। जो सरकारी कर्मचारी 1.1.1973 के बाद और 31 मार्च, 1979 से पहले सेवा निवृत्ति हुए थे उनकी पेंशन की गणना अधिक से अधिक 33 वर्षों की अर्हक सेवा के प्रत्येक छः महीने की अवधि की औसत परिलब्धियों के 1/160 की दर पर की जाती थी किन्तु यह अधिक से अधिक 1000/- रु. प्रति मास होती थी। जो सरकारी कर्मचारी अब सेवा निवृत्त होते हैं या 31 मार्च, 1979 के बाद सेवा निवृत्त हो गए हैं उनकी पेंशन की गणना 33 वर्षों की अर्हक सेवा की अधिकतम अवधि पर निम्नलिखित खंड प्रणाली के आधार पर ली जाती है :

(1) पेंशन के लिए गणना करने योग्य औसत परिलब्धियों के पहले 1000/- रु. तक	मासिक पेंशन की राशि औसत परिलब्धियों का 50%
(2) पेंशन के लिए गणना करने योग्य औसत परिलब्धियों के अगले 500/- रु.	औसत परिलब्धियों का 45%
(3) पेंशन के लिए गणना करने योग्य औसत परिलब्धियों का शेष	औसत परिलब्धियों का 40% बशर्ते कि वह 328 औसत सूचकांक स्तर पर राहत सहित 1500/. रु. की अधिकतम सीमा से ऊपर न हो।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के जो पेंशन भोगी भिन्न-भिन्न तारीखों में सेवा निवृत्त हुए हैं उनकी पेंशन की राशि में अन्तर समय समय पर पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का सरलीकरण किए जाने के कारण आया है। सामान्य नीति यह है कि ऐसे लाभ भावी तारीख से मंजूर किये जाएं।

चाय के निर्यात में कमी

1013. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों के दौरान भारत से चाय निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस देश से चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जुलाई-सितम्बर 1981 तिमाही में चाय के निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले किये गये गये उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में एक उत्पादन शुल्क रियायत योजना पोषित की है जो व्यापारियों तथा उत्पादक निर्यातकों द्वारा किये जाने वाले चाय के निर्यातों पर लागू होती है। सरकार ने चाय के निर्यात में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम की पन्नी, प्लाई बुड आदि जैसी पैकिंग समाग्री पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी की भी अनुमति दे दी है।

बिहार में ग्रामीण बैंक का खोला जाना

1014 **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कुल कितने ग्रामीण बैंक खोले गये हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान बिहार में और ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ग) क्या बिहार के सिवान जिले में भी एक ग्रामीण बैंक खोले जाने का काई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : अब तक बिहार में 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा चुके हैं। इन बैंकों के नाम और स्थान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) भागलपुर और पटना नामक दो और जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के वास्ते निर्धारित किये जा चुके हैं। उनकी स्थापना के संबध में राज्य सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) सिवान जिले में, सिवान क्षेत्रीत्र ग्रामीण बैंक नामक एक त्रेत्रीय ग्रामीण बैंक 31-3-1981 से कार्य कर रहा है।

विवरण

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम और स्थान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	व्याप्त जिले
1. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा	भोजपुर और रोहतास
2. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी	पूर्वी और पश्चिम चंपारन
3. मगध ग्रामीण बैंक, गया	गया, नवादा और औरंगाबाद
4. कोसी क्षेत्रीध ग्रामीण बैंक, पूर्णिया	पूर्णिया, सहरसा और कटिहार
5. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	मुज्जफ्फरपुर,वैशाली और सीतामढ़ी
6. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर	मुंगेर खगरिया
7. संथाल परगना ग्रामीण बैंक दुमका	संथाल परगना

1	2
8. मधुवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुवनी	मधुवनी
9. नालंदा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ	नालंदा
10. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चाईबासा	सिंहभूम
11. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दरभंगा	दरभंगा
12. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर	समस्तीपुर
13. पलामु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज	पलामू
14. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची	रांची
15. सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सारन	सारन
16. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान	सिवान
17. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज	गोपालगंज

इण्डियन जूट मिल्स एसोसिशन के साथ वार्ता

1015. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मण्डल को सितम्बर 1981 में उनके साथ एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो इस वार्ता का स्वरूप क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) जी हां। 20 सितम्बर 1981 पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के कार्यालय कक्ष में एक बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक बाजार में कच्चे पटसन की कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये उसके लिए समर्थन कीमत सुनिश्चित करने के प्रश्न सहित पटसन उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये हुई थी। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार पटसन मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीद की समीक्षा के लिये पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति गठित की गई है जिसमें भारतीय पटनन मिल्स एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल सरकार, भारतीय पटसन निगम, भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि हैं। पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों, भारतीय पटसन निगम और सहकारी संस्थाओं द्वारा कच्चे पटसन की खरीद की समीक्षा करने के लिये इस समिति की लगभग हर सप्ताह बैठक होती है। कच्चे पटसन की अधिप्राप्ति में प्रगति तथा कीमत समर्थन कार्य के उपाय के रूप में कच्चे पटसन पर खरीद का दबाव बनाये रखने के बारे में समिति नियमित रूप से मानीटरिंग करती है।

सूरत (गुजरात) में प्रौसेसिंग यूनिटों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

1016. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत, गुजरात में उन प्रौसेसिंग यूनिटों के नाम क्या हैं जिन पर उत्पादन शुल्क अपवंचन का पता लगाने के लिए जुन, 1980 से जून 1981 की अवधि में छापे मारे गये थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक यूनिट ने कितनी राशि के उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा कितने प्रौसैसिंग यूनिटों के मालिकों के विरूद्ध उत्पादन शुल्क अपवंचन के लिए कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

संकटग्रस्त उद्योग और बैंक ऋण की बकाया राशि

1017. **श्री रशीद मसूद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े तथा लघु दोनों ही क्षेत्रों में 1980 के अन्त तक औद्योगिक संकटग्रस्तता कितनी रही तथा उनमें बैंकों का कितना-कितना ऋण बकाया रहा;

(ख) क्या बढ़ती हुई औद्योगिक संकटग्रस्तता के कारणों का विश्लेषण किया गया है; यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, रूग्ण निर्धारित तथा सूचित किये गये 22,366 एककों को, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम 1622.55 करोड़ रुपये के थे। उसमें से 261.74 करोड़ रुपये, 20975 रूग्ण लघु औद्योगिक एककों, और 1360.81 करोड़ रुपये 1391 मध्यम और बड़े रूग्ण एककों की ओर बकाया थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के मुताबिक, रूग्ण निर्धारित और सूचित 24656 एककों की ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 1802.42 करोड़ रुपये बकाया थे,। इसमें से, 305.00 करोड़ रुपये, 23.255 रूग्ण लघु औद्योगिक एककों और 1497.00 करोड़ रुपये, 1401 मध्यम तथा बड़े रूग्ण एककों की और बकाया थे।

(ख) 31-12-1979 की स्थिति के मुताबिक एक करोड़ रुपए या उससे अधिक के बैंक ऋणों का उपभोग कर रहे 378 बड़े रूग्ण एककों में रूग्णता के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों का एक मत-सर्वेक्षण करवाया था। इस सर्वेक्षण के विलेषण के अनुसार, रूग्णता के मुख्य कारण हैं कुप्रबन्ध/प्रबन्ध अक्षमताएं, दोषपूर्ण प्रारम्भिक आयोजन और अन्य तकनीकी खामियाँ, श्रमिक समस्या, बाजार की मंदी, विद्युत कटौती और कच्चे माल की दुर्लभता।

(ग) रूग्णता का शीघ्र पता लगाने के वास्ते बैंकों और संस्थाओं द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। वे किसी औद्योगिक एकक की रूग्णता के कारणों की जांच और इसकी अर्थक्षमता की जांच करते हैं। आर्थिक दृष्टि से समक्ष एकक के मामले में बैंक और संस्थायें उनके पुनर्वास के लिये प्रयास करती हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे एकमुश्त पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करती हैं जो एकक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। इस एकमुश्त पुनर्वास कार्यक्रम में बैंकों और संस्थाओं की ओर से कई प्रकार के बलिदान किए जाते हैं और रियायतें दी जाती हैं जैसे ब्याज दर में कटौती, वसूलियों के फिर से कार्यक्रम के निर्धारण के सम्बन्ध में ब्याज

को निधिबद्ध करना, दण्डात्मक ब्याज की समाप्ति, आवश्यकता पर आधारित और सहायता की मंजूरी। इसके अतिरिक्त, जहाँ आवश्यक होता है वहां प्रबन्ध में परिवर्तन करने तथा रूग्ण एकक का स्वस्थ एकक के साथ विलय करने जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है। संस्थाएं एककों की प्रगति/कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिये सहायता प्राप्त उद्यमों के निदेशक मण्डल में नामित निदेशकों की नियुक्ति भी करती हैं। रूग्ण एककों के पुनर्वास में प्रारम्भिक स्तर पर एककों की रूग्णता और उसके कारणों का पता लगाने, रूग्ण एककों को परामर्शदात्री सेवायें उपलब्ध करने. एककों के पुनर्वास कार्य से सम्बन्धित बैंकों, संस्थाओं तथा अन्य एजेन्सियों और प्राधिकरणों आदि के बीच अपेक्षाकृत अच्छा तालमेल बिठाने को सुविधा के लिये कई संगठनात्मक प्रबन्ध भी किये गये हैं।

मुद्रास्फीति दर

1081. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वर्तमान मुद्रास्फीति की दर क्या है; और

(ख) 1975 से 1981 तक प्रत्येक वर्ष में अर्थ-व्यस्था के सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर क्या है और उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, नवीनतम उपलब्ध थोक कीमतों के सूचकांक (1970-71=100 के रूप में 14 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में 8.1 प्रतिशत बैठती है। मूल्यों की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी तत्वों पर, संबंधित सरकारी प्रकाशनों जैसे कि प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी और वित्त रिपोर्ट में, चर्चा की जाती है। बिन्दु प्रति बिन्दु के अधार पर 1975 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें नीचे दी गई हैं ;

	मुद्रास्फीति की दर (प्रतिशत)
1975-76	(—) 6.5
1976-77	(+) 12.0
1977-78	(+) 0.3
1978-79	(+) 4.6
1979-80	(+) 21.4
1980-81	(+) 16.4

विश्व बैंक से सहायता

1019. **श्री अजित कुमार मेहता**

श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी सहायता को बहुराष्ट्रीय के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के साथ संबद्ध कर दिया है तथा सरकार से अपनी नीतियों को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया में घाटा

1020. **श्री आर. आर. भोले** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में स्टील अथारिटी आफ इंडिया को कितना घाटा हुआ;

(ख) इस भारी घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) इस घाटे को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया के अधीन इस्पात संयंत्रों का आगामी वर्ष कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) 1982-83 के वर्ष के लिए पूंजीगत परिव्यय के बारे में अभी अन्तिम रूप से फैसला किया गया है।

उत्तर पश्चिम क्षेत्र में समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना

1021. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसे किस स्थान पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है तथा इसे सम्भवत: किस तिथि तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार पहले ही विशाखापत्तनम और पारादीप में दो नये सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने स्थापित कर रही है। वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों और पहले किए गए वायदों को देखते हुए उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के किसी नये प्रस्ताव पर फिलहाल विचार करना सम्भव नहीं है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की चुराई गई सम्पत्ति पर विशाखापत्तनम में छोटे इस्पात संयंत्र चलना

1022. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में बड़ी संख्या में छोटे इस्पात संयंत्र स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. की चुराई हुई सम्पत्ति पर चल रहे हैं (ब्लिट्ज बम्बई दिनांक 17 अक्तूबर, 1981); और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

कर की बकाया राशि का वसूल करना

1023. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20-22 अप्रैल, 81 को आयोजित आयकर आयुक्त सम्मेलन में हुये विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए कर की बकाया राशि को वसूल करने की गति बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जो आदेश जारी किये गये थे उनका क्या परिणाम निकला तथा 31 अक्तूबर, 1981 तक कर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयुक्तों के सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श को ध्यान में रखते हुए, कर की बकाया राशि की वसूली की गति तेज करने के लिए आयकर आयुक्तों को अनुदेश जारी किये गये हैं। इन अनुदेशों का सारांश निम्नानुसार है :—

(1) कर की बकाया को आगे ले जाने का कार्य तथा उनका मिलान, वित्तीय वर्ष के शुरू-शुरू में पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस प्रयोजना के लिए आवश्यक खाली रजिस्टर, ज्यादा से ज्यादा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक आयकर अधिकारियों को सप्लाई कर दिया जाना चाहिए;

(2) कर की बकाया राशि की वसूली की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तथा गलतियाँ ध्यान में आते ही उन पर सामयिक कार्यवाही करने के लिये आयकर अधिकारियों/कर वसूली अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जानी चाहिए;

(3) एक ऐसी पद्धति बनायी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकतम एक महीने की अवधि के अन्दर चालान आयकर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं;

(4) कर की बकाया के सभी मामलों में वसूली कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित ढंग से अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिये;

(5) आयकर अधिकारियों/निरीक्षी सहायक आयुक्तों तथा आयुक्तों को, निर्धारित सीमाओं के अनुसार कर की बकाया के मामलों की सांवधिक समीक्षा करनी चाहिए। पहली समीक्षा विस्तृत होनी चाहिए तथा मामलों के पूरे ब्यौरे निर्दिष्ट किए जाने चाहिए जबकि बाद की समीक्षा को, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, मध्यवर्ती अवधि में की गयी वसूली की प्रगति तक सीमित रखा जा सकता है;

(6) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान एक बकाया तथा वापस अदायगी निपटान पखवाड़ा मनाया जाना चाहिए; और

(7) उपयुक्त मामलों में वसूली के लिए नियमित रूप से कठोर उपाय किए जाने

चाहिए। विभिन्न कठोर उपायों में से, सर्व उपर्युक्त मामलों में चल सम्पत्तियों की कुर्की करने तथा बिक्री करने का सहारा लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा बिक्री की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) बकाया मांगों में से वसूली की प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम अनन्तिम आंकड़े, सितम्बर, 1981 के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष अर्थात् 1980-81 में 1 अप्रैल 1980 से 30 सितम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान वसूल की गई/समायोजित की गई/घटाई गई रकम के मुकाबले 1 अप्रैल, 1981 से 30 सितम्बर 1981 तक को अवधि के दौरान वसूल की गई/समायोजित की गई/घटाई गई आयकर की (जिसमें निगम कर भी शामिल है) रकम नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित मास की स्थिति के अनुसार	बकाया मांग में से वसूल की गई/घटाई गई रकम
सितम्बर, 1980 तक	167.64
सितम्बर, 1981 तक	226-18

उपर्युक्त आँकड़ों से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की संगत अवधि के आंकड़ों की तुलना में सितम्बर, 1981 तक वसूल की गई/घटाई गई रकमों में सुधार हुआ है।

फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के मकानों पर आयकर के छापे

1024. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 1980-81 और 1981-82 के दौरान आयकर विभाग द्वारा कितने फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के मकानों पर छापे मारे गये तथा उन छापों के दौरान कितनी राशि के अवैध लेन देन और लेखावाह्य धनराशि का पता लगा तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा कितने व्यक्तियों को जमानती बोडों पर छोड़ा गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आयकर विभाग ने वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 (21 नवम्बर, 1981 तक) 14 फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के मामलों में तलाशियाँ लीं। इन तलाशियों के दौरान प्रथम-दृष्टया लेखा वाह्य जो नकदी, जवाहिरात तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गई, उनका लगभग मूल्य 39.08 लाख रुपए था। कुछ मामलों में व्यक्तियो द्वारा परिसम्पत्तियों को हटाये जाने से रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश भी जारी किये गये थे।

कर-अपवंचन की बावत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई उपबन्ध नहीं है।

तमिलनाडु में नगरों में परस्पर सम्पर्क के लिये तीसरी विमान सेवा

1025. **श्री सी चिन्नास्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु के सभी नगरों को जोड़ने के लिये तीसरी विमान सेवा आरम्भ की जाये;

(ख) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने यदि केन्द्र अनुमति दे तो विमान सेवा को लेना स्वीकार किया है जिससे कि तमिलनाडु में सभी वाणिज्यिक तथा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम लि. ने तमिलनाडु सरकार से अपने राज्य में फीडर विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए नागर विमानन की एक यूनिट स्थापित करने का अनुरोध किया था तथा यह भी अनुरोध किया था कि सरकार फीडर एयरलाइन सेवाएं प्रारम्भ करने के लिए, निःशुल्क प्रारम्भिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मैसर्स फील्ड टेकनीकल लिमिटेड एविएशन कन्सल्टेंट, हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें। व्यवहार्यता अध्ययन करने के अनुरोध को तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के तहत स्वीकार कर लिया। चूंकि, पर्यटक केन्द्रों सहित छोटे शहरों तथा कस्बों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए तीसरी वायु सेवा के परिचालन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था, इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अब, चूंकि पर्यटक केन्द्रों सहित छोटे शहरों और कस्बों के लिए परिचालन करने के लिए वायुदूत नाम की एक कम्पनी की स्थापना की जा चुकी है, अतः जब तक वायुदूत से जोड़े जाने वाले स्टेशनों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक अनुसूचित/अनसूचित परिचालनों द्वारा विमान सेवा के परिचालन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। तथापि, तमिलनाडु में तंजौर उन 23 स्टेशनों में से एक है जिन्हें वायुदूत सेवाओं द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर विस्तार के प्रथम चरण में विमान सेवा जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

नीमच (मध्य प्रदेश) का एलकलाइड कारखान

2026. **श्री फूल चन्द शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नीमच में एलकलाइड कारखाने में अनियमितताओं, लेखों के दुर्विनियोजन आदि के ममाले सरकार के ध्यान में आये हैं, और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस बारे में भविष्य में क्या कदम उठाये जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में पंजीकृत संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट

1027. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंजीकृत संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को आयकर की छूट दी गई है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस ट्रस्ट के उद्देश्य क्या हैं तथा ट्रस्टियों और पदाधिकारियों के नाम और पते क्या हैं तथा ट्रस्ट ने अब तक कितनी धनराशि एकत्र की है; और

(ग) भारत तथा अन्य देशों के ऐसे दानकर्ताओं के नाम और पत्ते क्या हैं जिन्होंने

10 हजार रुपये और उससे अधिक राशि दान दी है और इस प्रकार कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क), से (ग) एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

(विवरण)

संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) (चार) के अनुसार सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया है। दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, पहली अधिसूचना कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए वैध है तथा दूसरी अधिसूचना कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए वैध है। आयकर अधिनियम की धारा 296 के अनुसार, इन अधिसूचनाओं की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं। उक्त अधिसूचना का प्रभाव, अधिसूचित न्यास की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी आय को आयकर से छूट देना है। इस न्यास के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

श्री संजय गान्धी के निम्नलिखित पांच सूत्री कार्यक्रम को बढ़ावा देने उसका प्रचार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए बहुविध। रचनात्मक तथा सकारात्मक कार्यकलापों का संचालन करना :—

(क) योजनाबद्ध पितृत्व अथवा परिवार नियोजन।

(ख) बनरोपण।

(ग) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गन्दी-बस्तियों को हटाना।

(घ) दहेज प्रथा को खत्म करना।

(ङ) युवा वर्ग के शिक्षण तथा प्रशिक्षण और श्री संजय गांधी के आदेशों के संवर्धन हेतु इस प्रकार के अन्य कार्यकलाप, जिसमें ऐसे कार्यकलाप भी शामिल हैं जो समाज के अपेक्षाकृत निर्धन तथा कमजोर वर्गों के सामान्य कल्याण तथा उत्थान के लिए और पीडितों तथा पदलितों की सेवा के लिए सहायक हों।

20 अक्तूबर, 1980 की स्थिति के अनुसार न्यासियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी — अध्यक्ष
2. श्री पी. वी. नरसिम्हा राव
3. श्री पी. के. मुखर्जी
4. श्री एन. डी. तिवारी
5. श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी
6. श्री राम लाल
7. श्री अरुण नेहरू
8. श्री मदन भाटिया

न्यास के पदाधिकारी है :—

(1) श्रीमती इन्दिरा गांधी — अध्यक्ष

(2) श्री अरुण नेहरू — सचिव

(3) श्री मदन भाटिया — कोषाध्यक्ष

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण-योग्य है, निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आय की विवरणी दाखिल करनी होती है। धारा 2 (7) में दी गई निर्धारिती की परिभाषा के अनुसार, निर्धारिती वह व्यक्ति है जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अथवा कोई अन्य रकम देय हो। एक बार धारा 10 (23 ग) (iv) के अन्तर्गत न्यास अधिसूचित कर दिये जाने के बाद यह आयकर के लिए निर्धारण-योग्य नहीं होता। अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत इसके लिए आय की विवरणी दाखिल करना जरूरी नहीं है। इसे देखते हुए, दान की रकमों, तथा देश के अन्दर तथा विदेशों से दाताओं और उनके द्वारा किये गये नकद दान की रकमों के बारे में सूचना आयकर विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई राशि

1028. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के ग्रामीणों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई राशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमिहीन तथा छोटे किसानों को दी गई राशि की पृथक-पृथक प्रतिशतता क्या है; और

(ग) भूमिहीन तथा छोटे किसानों को अधिक ऋण सुविधायें दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) दिल्ली के ग्रामों से सम्बन्धित आँकड़ों के बैंकवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र शासित दिल्ली में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिम निम्नलिखित हैं :—

निम्नलिखित वर्षों के पिछले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार।	(राशि लाख रुपये में)
दिसम्बर 1978	868
दिसम्बर 1979	914
दिसम्बर 1980	895

(ख) उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 एकड़ तक की भूमि वाले छोटे तथा सीमांतिक किसानों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि की पिछले तीन वर्षों में दिये गये कुल प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों से प्रतिशतता निम्नलिखित बैठती है :

सितम्बर 1978	10.8 प्रतिशत
सितम्बर 1979	11.6 प्रतिशत
सितम्बर 1980	14.3 प्रतिशत

(ग) सरकार द्वारा भूमिहीन तथा छोटे किसानों को और अधिक ऋण सुविधायें सुलभ कराने के लिए उठाये जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :

1. बैंकों को सलाह दी गई है कि कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को जिनमें 5 एकड़ और उससे कम जोत वाले छोटे और सीमांतिक किसान और भूमिहीन मजदूर शामिल हैं तथा कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों में लगे ऐसे व्यक्तियों को जिनके ऋण 10 हजार रुपये से अधिक नहीं हैं, उनके प्रत्यक्ष ऋणों की मात्रा 1983 तक उनके कृषि को दिये गये कुल ऋणों की मात्रा 50 प्रतिशत तक पहुंच जानी चाहिए।

2. देश में 2-10-1980 से सभी विकास खण्डों में आई. आर. डी. पी. का विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लाभ प्राप्तकर्ताओं को उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है।

3. अन्य कदमों में सरकारी एजेंसियों द्वारा पूंजी की सहायता प्रदान करना, ब्याज की रिआयती दर (जो कि पात्र सदस्यों को डी. आर. आई. स्कीम के अधीन 4 प्रतिशत की कम दर पर उपलब्ध है) वसूल करना, आवेदन-पत्रों तथा ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण, प्रतिभूमि, मार्जिनमनी, अदायगी की अवधि आदि से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों को उदार बनाना शामिल हैं।

1980-81 के दौरान आयातित चीनी की बिक्री से राज्य व्यापार निगम को घाटा

1029. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 में चीनी के मौसम के दौरान 20 लाख टन आयातित चीनी की बिक्री से राज्य व्यापार निगम को कोई घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) चीनी का आयात/निर्यात राज्य व्यपार निगम द्वारा सरकारी खाते में किया जाता है और तदनुसार सभी लाभ/हानियां सरकार के खाते में जाती हैं। 1980-81 चीनी मौसम के दौरान 2,14,650 मे. टन चीनी का आयात किया गया। इसमें से कुछ मात्रा निविदा द्वारा बेच दी गई और कुछ मात्रा सार्वजनिक वितरण के लिए सरकारों को आवंटित करके बेच दी गई। बाकी बची हुई मात्रा के सम्बन्ध में खाद्य विभाग के आवंटन सम्बन्धी अनुदेशों की प्रतिक्षा है। 2,14,650 मे. टन आयातित चीनी के निबटान पर लाभ/हानियों का हिसाब केवल तभी निकाला जा सकेगा जबकि सारी मात्रा बेच दी जाएगी/आवंटित कर दी जाएगी और उठा ली जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1030. **श्री बी. डी. सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 5.7 बिलियन डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) क्या अमरीका ने इस ऋण का अनुमोदन नहीं किया; और

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक विस्तारित

व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है जिसके अनुसार आगामी 3 वर्षों में 5 अरब एस. डी. आर. के बराबर की राशि की खरीद का प्राधिकार दे दिया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यकारी निदेशक द्वारा बताए गए उन कारणों से सहमत नहीं है जो उन्होंने मतदान में भाग न लेते समय बताए थे अर्थात् भारत के प्रस्ताव में भुगतान शेष की आवश्यकताओं को समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्रमुख रूप से तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण भुगतान शेष की अपनी बिगड़ती स्थिति के बारे में कोष को अवगत करा दिया था तथा कोष के प्रबन्धकों ने भारत की भुगतान शेष की आवश्यकताओं को स्वीकार कर लिया था।

राजस्थान के जालौर जिले में पाये गये खनिजों से प्राप्त राजस्व की राशि

1031. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जालौर जिले में पाए गए खनिजों से अब तक सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; तथा वित्तीय वर्ष 1981-82 में कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रही है और यदि हाँ, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जालौर जिले में पाए गए खनिजों से प्राप्त राजस्व राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राजस्व राशि
1974-75 से 1980-81	10,81,681.00 रुपए
1981.82 (अनुमानित)	3,50,000.00 रुपए

(ख) जी हां। राजस्थान सरकार का खान विभाग प्रत्येक वर्ष खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और खोज कर रहा है। 1980-81 वर्ष में 100 वर्ग किलोमीटर लक्ष्य की तुलना में 306 वर्ग किलोमीटर में टोही सर्वेक्षण किया गया। इसी प्रकार क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अन्तर्गत 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर काम किया गया है। 1981-82 वर्ष में राजस्थान के खान विभाग ने टोही सर्वे के अन्तर्गत 250 वर्ग किलोमीटर का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा फ्लोराइट की खोज हेतु 300 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि के बारे में बताना अभी संभव नहीं है।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में "बैक लाग"

1032. **श्री एम अरुणाचलम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों के सभी संवर्गों में 31 मार्च, 1980 तक भर्ती और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 12,408 पद बाकी पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थानों (अर्थात् बैंक आफ इण्डिया, एयर इण्डिया आर. बी. आई. आदि) के समान इस (बैक लाग) को समाप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन द्वारा पदोन्नति सम्बन्धी कठोर नियमों में ढील क्यों नहीं दी गई जबकि उसे लगभग 600 पात्र अनु.जाति. अनु. जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति करने के लिए, राजपत्रित पदोन्नति नीति के नियम 10 (भारत का राजपत्र, असाधारण भाग ,III खंड चार दिनाँक 15 मार्च, 1976 एल. आई. सी. आफ इंडिया प्रोमोशन रेगुलेशन 1976) के द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मत्सयपालन के विकास के लिए डेनमार्क से ऋण

1033. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में परियोजना के लिए डेनमार्क से ऋण के लिए समझौता हुआ था;

(ख) क्या यह समझौता देश में मत्स्यपालन समुद्री विज्ञान में अनुसन्धान के विकास को बढ़ावा देगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, हाँ। 28 अक्टूबर, 1981 को, डेनमार्क सरकार के साथ 15 करोड़ डेनिश क्रोनर (19 करोड़ रुपए) के परियोजना ऋण के लिए एक करार हुआ था।

(ख) इन ऋण में से 6.5 करोड़ डेनिश क्रोनर (8.2 करोड़ रुपए) की रकम, डेनमार्क से प्राप्त किए जाने वाले मत्स्यपालन तथा समुद्र विज्ञान अनुसन्धान पोत पर आने वाली लागत के एक अंश को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।

(ग) इस ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा और इसकी वापसी पहली अक्टूबर, 1991 से शुरू करके बराबर की 50 छमाही किस्तों में की जानी है;

राज्य व्यापार निगम द्वारा नेशनल टैनरी का अपने अधिकार में लिया जाना

1034. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल टैनरी को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध के अधीन लाने का प्रस्ताव बहुत समय से वाणिज्य मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले पर अन्तिम निर्णय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाये गये तो इसके क्या कारण हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नेशनल टैनरी के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डेनमार्क से ऋण

1035. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेनमार्क द्वारा भारत के लिए हाल में ऋण की कितनी राशि स्वीकृति की गई है;

(ख) डेनमार्क द्वारा स्वीकृत उक्त ऋण का उपयोग किस परियोजना पर किये जाने का विचार है;

(ग) उक्त राशि के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) डेनमार्क की सरकार के साथ 28 अक्तूबर, 1981 को 1500 लाख डेनिश क्रोनर (19 करोड़ रुपए) के ऋण के लिए एक करार सम्पन्न हुआ था।

(ख) इस ऋण में से 850 लाख डेनिश क्रोनर (10.8 करोड़ रुपए) तक सारी थल वैषट उर्वरक परियोजना की डेनिश परामर्श यात्रा सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने का विचार है। 650 लाख डेनिश क्रोनर (8.2 करोड़ रुपए) की शेष राशि मत्स्यपालन समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत की लागत की आर्थिक पूर्ति के लिए उपलब्ध है जिसे डेनमार्क से खरीद किए जाने का विचार है।

(ग) इस ऋण की राशि, डेनिश परामर्शदाता, ठेकेदार को की जाने वाली अदायगियों की पूर्ति के लिए उन अदायगियों के देय हो जाने पर निकाली जा सकेगी। इस लिए इस ऋण में से रकमों की निकासी 2-3 वर्षों तक होते रहने की सम्भावना है।

(घ) इस ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा तथा इसकी वापसी अदायगी पहली अक्तूबर, 1981 से शुरू करके 30-30 लाख डेनिश क्रोनर की 50 छमाही किस्तों में की जानी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का व्यापार

1036. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विशाल कृषि जनसंख्या के बीच भूतपूर्व और वर्तमान दोनों सरकारों द्वारा बचत को बढ़ावा दिए जाने और उनमें अपनी बचत को बैंकों में जमा कराने की आदतें डालने पर बल दिए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से कारोबार प्राप्त करने में जीवन बीमा निगम का कार्य निष्पादन निराशाजनक रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1963-64 और 1979-80 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की लागू पालिसियों में कमी आई है;

(ग) क्या यह किए गए कुल कारोबार की संख्या और प्रतिशतता दोनों पर लागू होता है; और

(घ) इस कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम कारोबार के मुख्य कारण क्या हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) वर्ष 1963-64 से जीवन बीमा निगम के भारत में नए व्यक्तिगत कारबार के विस्तार और इसके नए ग्रामीण कारबार का ब्यौरा इस प्रकार है :—

जीवन बीमा निगम के भारत में कुल नए कारबार और ग्रामीण कारबार का विवरण

वर्ष	कुल नया कारबार		ग्रामीण कारबार		कुल कारबार के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण कारबार	
	पालसियों की संख्या (लाखों में)	बीमाकृत राशि (करोड़ रु. में)	पालिसियों की संख्या (लाखों में)	बीमाकृत राशि (करोड़ रु. में)	पालिसियों के रूप में	बीमाकृत राशि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1963-64	16.38	680	5.85	209	35.7	30.8
1968-69	14.50	895	4.77	235	32.9	26.3
1973-74	20.47	1913	6.43	498	31.4	26.0
1978-79	17.55	2057	5.15	461	29.3	22.4
1979-80	20.96	2733	5.91	604	28.2	22.1
1980-81	19.54	2883	5.79	676	29.6	23.4

नए कारबार और खासतौर से ग्रामीण कारबार का विस्तार सरकार की आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ।

(घ) हाल के वर्षों में भारत में कुल नए कारबार की तुलना में नए ग्रामीण कारबार का अनुपात बहुत कम अर्थात् पालिसियों के रूप में लगभग 30 प्रतिशत और बीमाकृत राशि के रूप में 20 प्रतिशत से कुछ अधिक रहा। जीवन बीमा निगम के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए मुफस्सिल क्षेत्रों में नए कार्यालयों की स्थापना करके और ग्रामीण केरियर एजेंटों की भर्ती के द्वारा आवश्यक मूलभूत ढांचे का विकास करने के काम पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

अमरीका से ऋण

1037. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1981 के दौरान अमरीका से सहायता देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या अमरीका सरकार भारत द्वारा मांगे गये ऋण को देने के लिए सहमत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कब तक होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को वार्षिक आधार पर द्विपक्षीय सहायता दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज को आये वर्ष 1981 के दौरान (अक्तूबर, 1980 से सितम्बर 1981 तक) निम्नलिखित परियोजसाओं के लिए 10.4623 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि के करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

	करोड़ डलर
(1) उर्वरक संवर्धन (ऋण)	3.5000
(2) कृषि विकास (कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम) (ऋण)	8.5600
(3) राजस्थान मध्य सिंचाई (ऋण)	2.0000
(4) समन्वित ग्रामीण स्वास्थ्य और जन-संख्या (अनुदान)	.9400
(5) हुडको आवास डिजाइन और विश्लेषण (अनुदान)	.0125
(6) मध्य प्रदेश सामाजिक वनपाल (10 लाख डालर अनुदान के रूप में और 30 लाख डालर ऋण के रूप में)	.4000
(7) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (अनुदान)	.0498

2. इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए अपना जमा रुपया राशि में से 2.00 करोड़ अमेरिकी डालर का एक अनुदान दिया है।

रुग्ण औद्योगिक एककों का स्वस्थ एककों में विलय

1038. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आय कर अधिनियम की धारा 72ए के अन्तर्गत कर लाभों से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल करने और रुग्ण औद्योगिक एककों का विलय स्वस्थ एककों में करने में उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां. तो क्या सरकार किन्हीं रुग्ण एककों, जिन्हें उनके भूतपूर्व मालिकों को लौटाया जा सकता है, के पुनः अधिसूचित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि संशोधित मांग-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने रुग्ण निरोधक और रुग्णता से सम्बन्धित उपचारात्मक कदम उठाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को विशिष्ट उत्तरदायित्व दिया है ?

वित्त मंलात्रय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। सरकार आय कर अधिनियम की धारा 72-क के अधीन अनुमोदन देने से सम्बन्धित कार्य-विधि को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) सरकार ने अपनी 6 अक्तूबर, 1981 की प्रेस-विज्ञप्ति के जरिये घोषित किया है कि रुग्ण एककों को पुनः अधिसूचित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण अथवा स्वस्थ एकक के साथ विलय अथवा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन प्रबन्ध व्यवस्था किये जा रहे उपक्रमों के सम्बन्ध में पुनः नीति निर्धारण करने जैसे अन्य विकल्पों पर विचार करने के बाद ही विचार किया जाएगा। इसलिए सरकार आरंभिक कार्यवाही के रूप में इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन प्रबन्ध-व्यवस्था किये जा रहे उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है अथवा किन्हीं अन्य विकल्पों से कोई हल निकाला जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि 6 अक्तूबर, 1981 की प्रेस-विज्ञप्ति में घोषणा की गई है, प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके अपने-अपने चार्ज के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में रुग्णता से सम्बन्धित निवारक तथा उपचारी कार्यवाही के लिए एक खास जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

लकड़ी और सागवान लकड़ी के लट्ठों का निर्यात

1039. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लकड़ी और सागवान लकड़ी के लट्ठों के निर्यात के सम्बन्ध में और उदार रुख अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सागवान लकड़ी के अतिरिक्त सागौन लकड़ी और चन्दन की लकड़ी का भी निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की लकड़ी का निर्यात किया गया और उन्हें लकड़ी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे मामले पर पुनः विचार करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। विद्यमान नीति में जिसके अन्तर्गत लट्ठों तथा चिरे हुए रूप में सभी किस्मों की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के वाणिज्य निर्यातों पर रोक है, कोई परिवर्तन नहीं है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इस समय पुनः विचार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

पारादीप और विशाखापत्तन में नए इस्पात संयंत्रों का चालू होना

1040. **श्री संतोष मोहन देव** :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप और विशाखापत्तनम में नए इस्पात संयंत्रों का कार्य निष्पादन संभालने के लिए दो पृथक् कंपनियां बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनियां खोलने के बारे में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कंपनियों का पजीकरण हो जाने के पश्चात् ही ब्यौरा दिया जा सकता है।

भारत-अमरीका द्विपक्षीय आयोग

1041. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजनेस इंटरनेशनल कारपोरेशन के अध्यक्ष, श्री आरविल एल. फ्रीमेन ने भारत-अमरीका द्विपक्षीय आयोग के गठन का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) विश्व मामलों की भारतीय परिषद् में अपने भाषण में श्री ओरविले, फ्रीमेन ने एक द्विपक्षीय आयोग का शायद केवल एक अनौपचारिक मंच के बनाये जाने का सुझाव दिया था जिसमें जिसकी स्थापना का आधार ऐसी धारणाएं तथा मार्गोपाय होंगे जिनसे रुकी हुई उत्तर-दक्षिण वार्ता लाभप्रद कार्यवाही का रूप ले सकेगी। भारत सरकार ने इस सुझाव को नोट कर लिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना

1042. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक 75 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डाल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो इस प्रकार का ऋण स्वीकृत करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इतनी बड़ी राशि को अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डालने के ब्यौरों का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यो की एक समिति गठित करने का है ?

वित मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) संदिग्ध और अशोध्य ऋण बैंक के उसी प्रकार के सामान्य व्यापारिक जोखिम हैं, जैसे किसी अन्य ऋण संवितरण एजेंसी द्वारा उठाए जाते हैं। अपने ऋणों की वसूली के सभी संभव प्रयासों के बाद बैंक अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की सन्तुष्टि के अनुसार अपनी वार्षिक आय में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए व्यवस्था करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखे के प्रोफार्मा के अनुसार, बैंकों को, उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में जिनके लिए वे सांविधिक लेखा परीक्षकों की संतुष्टि के मुताबिक व्यवस्था कर चुके हों, उनके ब्यौरों के बारे में सूचना प्रकट न करने के सम्बन्ध में सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले कानूनों के अनुसरण में तथा बैंकों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक इस बात के लिए कानून बाध्य हैं कि वे अपने ग्राहकों से सम्बन्धित और उनके मामलों के बारे में कोई सूचना प्रकट न करें।

उपर्युक्त सांविधिक उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, उन संदिग्ध तथा अशोध्य ऋणों की

रकमों के सम्बन्ध में जिनके लिए ये उपबन्ध किये गये हैं अथवा जिन अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया गया है, सूचना प्रकट करना वाँछनीय नहीं होगा।

(ख) बैंकों के बोर्ड अनियमित लेखों की आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं तथा ऐसे लेखों की सावधानी पूर्वक जाँच के बाद, यदि अनियमितताएं गम्भीर किस्म की हों तो न केवल ऋणों की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है, बल्कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है जो कि इन कमियों के लिए जिम्मेदार होते हैं और ऐसे सौदों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाते हैं जिनसे बैंक को हानि उठानी पड़ी हो।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रुग्ण एककों को स्वीकृत ऋण

1043. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों को पहले से ही कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) इन रुग्ण एककों से कितना ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इनमें से अधिकांश एकक प्रबन्धकों की लापरवाही और अपराधात्मक छल योजना के कारण रुग्ण होते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार रुग्ण एककों के स्वामियों को बिना कोई मुआवजा दिए कुछ मामलों में प्रायोगिक आधार पर रुग्ण एककों को उनके कर्मचारियों को सौंपने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अनन्तिम आँकड़े दर्शाते हैं कि दिसम्बर 1980 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, रुग्ण एककों के विरुद्ध बैंकों के बकाया अग्रिम 1802.42 करोड़ रुपये के थे।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है क्योंकि यह दर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर तय की जाती है। पात्र मामलों में ब्याज की रियायाती दर वसूल की जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को सूचना दी है कि बैंकों के अनुभव के आधार पर प्रबन्ध की कमियां (कुप्रबन्ध, राशियों की अन्यत्र लगाना आदि समेत) कुछ एककों में रुग्णता का एक कारण है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, इस समय, सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बोधगया, राजगीर और नालन्दा में पर्यटक सुविधाएं

1044. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोधगया, राजगीर, नालन्दा, कुशीनगर और बिहार में अन्य स्थानों में जापान सरकार द्वारा पर्यटक सुविधाओं के विकास का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : बोधगया, राजगीर, नालंदा या बिहार के किसी स्थान पर और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए जापान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय होटल निगम, जो एयर इण्डिया की एक सहायक संस्था है, मैसर्स होक्के क्लब आफ जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कुशीनगर में और बिहार के अन्तर्गत राजगीर में एक-एक होटल की स्थापना कर रहा है।

रेशम की निर्यात

1045. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रेशम का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या विदेशों में रेशम का विपणन करने में भारत को चीन का कठिन मुकाबला करना पड़ रहा है; और

(ग) निर्यात के लिए रेशम की कोटि में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई रेशम की वस्तुओं के वर्षवार आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :–

वर्ष	लाख वर्ग मीटर	लाख रुपये
1976-77	73.56	2250.97
1977-78	101.62	3159.67
1978-79	114.52	4011.55
1979-80	106.89	4725.84
1980-81	124.13	5238.10
1981-82 (अप्रैल-सित.)	72.18	3255.58

(ख) यह धारणा सुविचारित प्रतीत नहीं होती क्योंकि भारत को विदेशों में रेशम के विपणन के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता कि चीन अपना अधिकांश उत्पादन कच्चे रेशम के रूप में निर्यात करता है। जबकि भारत अधिकतर हथकरघों पर बुनी तैयार वस्तुएं निर्यात करता है।

(ग) निर्यात बाजार के लिये रेशम की वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार लाने तथा हमारे उत्पादों को और अधिक प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से यह विचार किया गया है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्गत प्राकृतिक रेशम के लिए एक प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्थान स्थापित किया जाये। इस सम्बन्ध में तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

रायपुर को 'ख' श्रेणी का नगर वर्गीकृत किया जाना

1046. **श्री केयूर भूषण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्गीकरण करने के लिए क्या मानक अपनाये जाते हैं;

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में रायपुर की जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार रायपुर को 'ख' श्रेणी का नगर वर्गीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विद्यमान मानदण्ड के अन्तर्गत, मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिये नगरों/कस्बों को दसवर्षीय जनगणना रिपोर्ट में दी गई उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जबकि मकान किराये भत्ते की अदायगी के लिये केवल नगर/कस्बे की नगरपालिका क्षेत्र की

जनसंख्या को ही हिसाब में लिया जाता है, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के वर्गीकरण के लिये जनगणना रिपोर्ट के अनुसार शहरी समूह जहां भी यह विद्यमान हो, की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है, अन्यथा इस प्रयोजन के लिये नगर/कस्बे की नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है । इस आधार पर 16 लाख से अधिक जनसंख्या वालेनगरों को 'ए' श्रेणी, 8 लाख से अधिक और 16 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को बी-I श्रेणी, चार लाख से अधिक और 8 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को बी-2 श्रेणी, तथा 50,000 का और 4 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरो को "सी" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन्हें "सी" श्रेणी के नगरों में नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाता है ।

(ख) 1981 की जनसंख्या के अनन्तिम आँकडों के अनुसार रायपुर के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 3,38,973 है । किन्तु 1881 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी तक भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) और (घ) इस प्रश्न पर भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1981 जनगणना के अन्तिम आँकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

संघ सरकार के लेखों के विभागीकरण की योजना

1047. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघी सरकार के लेखों के विभागीयकरण की योजना के कार्यकरण का इसकी लाभप्रदता और उपयोगिता के दृष्टिकोण से कोई मूल्यांकन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन का अन्तिम निष्कर्ष क्या रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि योजना को लाभप्रद पाया गया है तो इससे होने वाले विशिष्ट लाभ क्ता हैं ;और

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस योजना को समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा लेखाओं के विभागीयकरण के सम्बन्ध में निर्णय केवल इसकी उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में पूर्ण विश्वास करने के बाद ही किया गया था । योजना के कार्यकरण के बारे में कोई औपचारिक समीक्षा किये जाने की परिकल्पना नहीं है ।

(घ) इस योजना के विशिष्ट लाभ निम्नलिखित हैं :–

1. प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग के मासिक लेखों के संकलन में तेजी आयी है । कुल मिला कर मन्त्रालय/विभाग अब, जिस मास से लेखों का सम्बन्ध है उससे सम्बन्धित व्यय के आंकड़े, उससे अगले महीने के अन्त तक प्राप्त करने में समर्थ हैं । मन्त्रालयों/विभागों के पास विस्तृत लेखों के समय पर उपलब्ध हो जाने से अपेक्षाकृत अच्छे वित्तीय और बजट सम्बन्धी नियंत्रण को सहायता मिली है ।

2. सरकारी कर्मचारियों और सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों का भुगतान अब अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप

कर्मचारियों में अधिक संतोष आया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सरकारी देय राशियों की अदायगी की सुविधा से भी सामान्य जनता के आराम में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

3. चुने हुए मन्त्रालयों/विभागों में विकासशील प्रबन्ध लेखाकरण और प्रबन्ध सूचना प्रणाली की शुरूआत कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किरीबुरू लौह अयस्क खानों और बोकारो इस्पात संयंत्र की रक्षित खानों मे मशीनी खराबी

1048. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की रक्षित किरीबुरू लौह अयस्क खानों में मशीनी खराबी की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क की कथित रक्षित खानों में मशीनी खराबी के माह-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस प्रकार की मशीनी खराबी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार की वार-वार मशीनी खराबी की रोकथाम के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखजी) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1981 की अवधि में किरीबुरू की लौह-अयस्क की खानों में मशीनों की खराबी के कारण काम बन्द रहने (डाउन टाइम) का महीने-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

अप्रैल	—	52 घंटे 40 मिनट
मई	—	4 घटे 5 मिनट
जून	—	54 घंटे 10 मिनट
जुलाई	—	91 घंटे 55 मिनट
अगस्त	—	54 घंटे 20 मिनट
सितम्बर	—	67 घंटे 35 मिनट
अक्तूबर	—	135 घंटे 10 मिनट

अक्तूबर के महीने को छोड़कर गत दो वर्षों अर्थात् 1979-80 और 1980-81 के मुकाबले में मशीनों की खराबी असामान्य नहीं रही है। इन दो वर्षों में मशीनों की औसतन खराबी क्रमशः 74 घंटे 47 मिनट तथा 76 घंटे 59 मिनट रही थी।

(ग) अक्तूबर, 1981 के दौरान मशीनों की खराबी के कारण अधिक समय तक मशीने बन्द रहने के कारण स्क्रबर गीयर बाक्स में खराबी, टेल पुली को बदलना, कन्वेयर में रोलर और फास्टनर लगाना और प्राथमिक तथा गौण स्क्रीनों की मरम्मत है। इस प्रकार की खराबियां प्रायः होती रहती हैं और विशेषतः वर्षा-ऋतु के दौरान सामान्यतः जब माल गीला होता है।

(घ) बेहतर निवारक रख-रखाव और इस्तेमाल के लिए आवश्यक फालतू पुर्जे तत्काल उपलब्ध करने की दृष्टि से इन खराबियों के कारण काम बन्द रहने की घटनाओं में कमी करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

1049. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र को चुकाये ऋणों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की वर्तमान ऋण स्थिति (30 सितम्बर; 1982 को) क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों को यह सन्देश भेजने का है कि वे अपने राज्य से ही अधिक संसाधन जुटायें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) सरकारी लेखे, 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किए जाते हैं। एक **विवरण** सभा-पटल पर रखा गया है, जिससे 31 मार्च, 1980 को प्रत्येक राज्य पर केन्द्रीय ऋणों को बकाया राशि के संबंध में सबसे हाल की उपलब्ध सूचना दी गई है। अभी यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि 31 मार्च, 1981 को प्रत्येक राज्य पर केन्द्रीय ऋणों की कितनी राशि बकाया थी। सबसे हाल के उपलब्ध अनन्तिम आकंडों के अनुसार, 31 मार्च 1981 को सभी राज्यों पर केन्द्रीय ऋणों को 1,6,9,76. 37 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(ख) और (ग) राज्यों की संसाधनों की स्थिति की जिसमें उनके द्वारा चालू वर्ष के दौरान नए उपाय करके अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रयत्न भी शामिल हैं। इस समय योजना आयोग द्वारा, 1982-83 की वार्षिक योजना तैयार करने के भाग के रूप में समीक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति का पता तब चलेगा जब योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण

31-3-1980 को प्रत्येक राज्य पर बकाया केन्द्रीय ऋणों की राशि दर्शाने वाला विवरण।

	राज्य	करोड़ रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.08,65
2.	आसाम	6.98,95
3.	बिहार	14.09,21
4.	गुजरात	6.46,30
5.	हरियाणा	3.50,44
6.	हिमाचल प्रदेश	1.67,23
7,	जम्मू और कश्मीर	6.85'90
8,	कर्नाटक	7.48,84
9.	केरल	6,04,20
10.	मध्य प्रदेश	8.49,77
11,	महाराष्ट्र	12.31,09
12.	मणिपुर	60.11

1		2
13.	मेघालय	26.77
14.	नागालैण्ड	50.38
15.	उड़ीसा	8,12.37
16.	पंजाब	4,28.71
17.	राजस्थान	10,46.82
18.	सिक्किम	9.32
16.	तमिलनाडु	8,70.40
20.	त्रिपुरा	42.99
21.	उत्तर प्रदेश	22,43.75
22.	पश्चिम बंगाल	15,.4300
	जोड़ :	157,35.20

सभी आंकड़े अनंतिम है।

हुगली गोदी और इंजीनियरिंग कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण

1050. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुगली गोदी और इंजीनियरिंग कारपोरेशन के राष्ट्रीयकरण का मामला वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का निपटान करने के लिये उनके द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ताकि इसका यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामनजोड़ी कोरापुट, उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र और टाउनशिप के लिए भूमि

1051. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में एल्यूमिना संयंत्र, टाउनशिप और नेल्को के अन्य कार्यों के लिए अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) उस क्षेत्र में सरकार से कुल कितनी जमीन उपलब्ध हुई है और सरकार द्वारा अब तक कितनी गैर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) कितने गांवों को स्थानांतरित करना पड़ेगा और संयंत्र से कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है और गृह निर्माण और कृषि के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ड़) क्या पुनर्वास और अन्य सम्बद्ध मामले परियोजना की लागत का भाग होंगे अथवा उड़ीसा सरकार मामले को निपटाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) नालको कोरापुट जिले में एल्यूमिना संयंत्र, बस्ती तथा अन्य विभिन्न कार्यों के लिए कुल 8,428 एकड़ भूमि (3609 एकड़ सरकारी भूमि तथा 4819 एकड़ निजी भूमि चाहिए। अभी तक नालको को 274 एकड़ सरकारी भूमि, मिली है। 729 एकड़ गैर-सरकारी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई है, इसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) नालको को उनके एल्यूमिना संयंत्र के लिए भूमि दिए जाने के फलस्वरुप 11 गांवों और लगभग 738 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) नालको ने 729 एकड़ प्रायवेट भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में राज्य सरकार के पास 22.53 लाख रुपए जमा करा दिए हैं।

किसी प्रायवेट भूमी का कब्जा कंपनी को अभी नहीं मिला है। राज्य सर कारसे वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है।

(ड़) परियोजना के लागत-अनुमानों में अधिग्रहीत प्रायवेट भूमि के लिए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को एक स्थानीय समन्वय समिति बनाने के लिए कहा है ताकि समन्वय की स्कीमें बनाई जा सके और प्रभावित आदिवासी जनसंख्या के पुनर्वास की व्यवस्था की जासके। इन स्कीमों के बन जाने पर उनके कार्यान्वयन में अपने योगदान के स्वरुप पर भी कंपनी विचार करेगी।

दामनजोड़ी, एल्यूमिना संयंत्र के लिए उम्मीदवारों का चयन

1052. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामनजोड़ी एल्यूमिना संयन्त्र के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु नेल्को ने एक साक्षात्कार आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो साक्षात्कार में वर्गवार कितने उम्मीदवार उपस्थित हुये और साक्षात्कार कहाँ पर लिया गया;

(ग) कोरापुट जिले जहाँ पर एल्यूमिना संयत्र स्थापित किया जाएगा, के स्थानीय उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने और उन्हें साक्षात्कार कार्ड जारी करने के लिये नेल्को द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(घ) एल्यूमिना संयंत्र में कोरापुट जिले के स्थानीय शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र के लिये उम्मीदवारों के चयन की स्थिति संलग्न **विवरण** में दी गई है।

विवरण

प्रबन्धकीय पद :

(क) से (घ) सरकारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसार प्रबन्धकीय पदों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर करनी होती है। तदनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) ने दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र सहित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न विषयों/ग्रेडों के प्रबन्धकीय पदों के लिये आवेदन पत्र मंगाने हेतु सार्वजनिक विज्ञापन जारी

किय । प्राप्त आवेदन पत्रों की समान मानदण्ड के आधार पर संवीक्षा की गई तथा विहित अपेक्षाएं पूरी करने वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया ।

विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न ग्रेडों/विषयों के लिये साक्षात्कार किये गये उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित हैं :

क्रम सं·	संभाग का नाम	आए उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार का स्थान
1.	कार्मिक प्रबन्ध (ग्रेड 7 और 5)	37	भुवनेश्वर
2.	सामान्य प्रशासन (ग्रेड 4)	18	तदेव
3.	वित्त (ग्रेड 6 और 5)	32	तदैव
4.	सामग्री प्रबंध (ग्रेड 6 और 5)	41	तदैव
5.	भूविज्ञान (ग्रेड 5)	11	दिल्ली
6.	खनन (ग्रेड 6, 5 और 4)	41	तदैव

साक्षात्कार चल रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए भुवनेश्वर में साक्षात्कार किया जायेगा ।

गैर प्रबन्धकीय पद :

सरकारी नीति के अनुसार अधिकतम 800 रुपये तक के वेतनमानों वाले सभी पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यमों से करनी होती है । इस श्रेणी में अभी तक दामनजोड़ी के एल्यूमिना संयन्त्र के लिये तीन नियमित निक्तियाँ की गई हैं (उड़ीसा परियोजना के लिये प्रारम्भिक कार्य करने वाली भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. से नियुक्त किये गये 15 कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं) । इन नियमित नियुक्तियों के लिये रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त किये गये थे तथा चयन एक समिति द्वारा किया गया था, जिसमें राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि शामिल था । भविष्य में भी नालको इस संबन्ध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी नीति का ही पालन करेगा ।

आदिवासी उप-योजना और घटक योजना की राशि के लिये पृथक बजट शीर्ष

1053. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को जानकारी है कि भारत सरकार की नीति निर्णय के अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालय को आदिवासी उप–योजना और घटक के लिए धनराशि निर्धारित करनी चाहिये और मद को पृथक बजट शीर्ष में दर्शाना होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों ने उसे स्वीकृति के लिये उनके मंत्रालय को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी करने का है कि वे कथित निधि निर्धारित करें और 1982-83 वर्ष से उसे पृथक बजट शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज करें ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वित्त मंत्रालय ने पहले से ही ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि मंत्रालय/विभाग अपनी 1981-82 की अनुदानों की मांगों की समीक्षा करें ताकि जनजाति क्षेत्रों के विकास की योजनाओं पर होने वाले व्यय को वेहतर हो यदि चालू वर्ष के ही दौरान, पृथक बजट शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जा सके। अब तक जिन मंत्रालयों/विभागों ने समीक्षा के परिणामों की सूचना भेजी है, वे हैं, खाद्य विद्युत: कोयला, स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण, सिंचाई, रसायन और उर्वरक, पूर्ति, पुनर्वास, पर्यटन और नागर विमानन, निर्माण और आवास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उपर्युक्त मंत्रालयों विभागों के मौजूदा बजट शीर्षों में जहाँ कहीं परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया था, वहाँ ऐसा करने के बारे में उचित सलाह दे दी गई है।

इण्डोनेशिया द्वारा कुद्रेमुख में निर्मित "पैलेटों" की खरीद

1054. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया भारत से कुद्रेमुख में निर्मित "पैलेट" खरीदने के लिये सहमत हो गया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) कुद्रेमुख में उत्पादित "पेलेटों" की खरीद के लिए किन किन अन्य देशों ने रुचि दिखाई है तथा प्रत्येक देश ने कितनी मात्रा का आश्वासन दिया है,

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय किया गया है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस्पात और खान मंत्री द्वारा हाल में की गई इन्डोनेशिया की यात्रा के दौरान हुई बातचीत के फलस्वरूप इण्डोनेशिया कुद्रेमुख से प्रतिवर्ष दस लाख टन पैलेट खरीदने को सहमत हो गया है। उनके उत्पादन कार्यक्रम और प्रौद्योगिक दृष्टि से पैलेटो की उपयुक्तता तथा वाणिज्यिक शर्तों के संतोषजनक ढंग से तय हो जाने पर इनकी वार्षिक खरीद बढ़कर 17.5 लाख टन तक हो सकती है।

(ख), (ग) और (घ) जिन अन्य देशों ने कुद्रेमुख के पैलेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है वे हैं :—मलयेशिया, कातार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब गणराज्य, बल्गारिया, लीबिया, फिलिपाइन्स, थाईलैंड और बंगलादेश। इस बारे में उनके साथ अभी बातचीत चल रही है तथा इनमें से किसी भी देश के साथ कुद्रेमुख के पैलेटों की बिक्री (मात्रा भी शामिल है) के सम्बन्ध में कोई पक्का करार नहीं हुआ है। लेकिन नवम्बर, 1980 में कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि. तथा बल्गारिया के वी. टी. ओ रूडमैंटल और मेटलर्जीकल प्लांट ने एक संलेख पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें दीर्घावधि आधार पर कुद्रेमुख के पैलेट सप्लाई करने के बारे में दोनों पार्टियों की आपसी सहमति का उल्लेख किया गया था, जो 1 जुलाई 1984 से शुरू करके पहले पूरे वर्ष में 200,000 टन होगी और बाद में जुलाई, 1987 से आगे दस लाख टन प्रतिवर्ष तक हो सकती है। परन्तु इस सहमति के आधार पर अभी पक्का करार नहीं हुआ है।

कर्नाटक के कोलार तथा धारवाड़ क्षेत्रों में सोने के नये निक्षेप

1055. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कोलार तथा धारवाड़ क्षेत्रों में सोने के नए निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र तथा देश के अन्य क्षेत्रों में खोज में तेजी लाने के और उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) कर्नाटक के कोलार और धारवाड क्षेत्र में हाल में किसी नए स्वर्ण निक्षेप का पता नहीं चला है। परन्तु आन्ध्र प्रदेश के निटकस्थ जिले तक विस्तीर्ण कोलार स्वर्ण पट्टी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कोलार गोल्ड फील्ड्स से 30 किलोमीटर दक्षिण में मालप्पाकोंडा, चिगारगुन्टा और नन्दीमादगु क्षेत्रों में आर्थिक महत्व के स्वर्ण खनिजीकरण का पता लगाया है। धारवाड़ जिले में गदाग स्वर्ण क्षेत्र की पुरानी खानों में नव प्राप्त सतह विस्तार में स्वर्ण धारियों की पुष्टि हुई है तथा यह वाणिज्यिक खनन के लिए उपयुक्त हो सकती है।

(ग) और (घ) स्वर्ण खोज का एक राष्ट्रीय पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है तथा इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लि. और भारत गोल्ड माइन्स लि. द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा के विभिन्न भागों में स्वर्ण की खोज तेज कर दी है। वह उन राज्यों के खनन तथा भूतत्व विभागों से भी सम्पर्क कायम किए हुए है, जहाँ स्वर्ण होने तथा उसके वाणिज्यिक खनन की संभावनायें हैं।

बंगलौर स्थित पैलेट निर्माण संयन्त्र का कार्यकरण

1056. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित पैलेट निर्माण संयन्त्र में कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है तथा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) 1981-82 के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूरा हो जाये ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य आरम्भ हो चुका है। सर्वेक्षण और मिट्टी की जाँच का कार्य भी पूरा हो गया है। संयंत्र का विस्तृत इन्जीनियरी कार्य चल रहा है। अब तक 3.46 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए 6.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(घ) कार्यक्रम के अनुसार कार्य अगस्त 1984 तक पूरा हो जायेगा।

(ङ) पैलेट संयन्त्र का ठेका मैसर्स यूजीनएक्सपोर्टइम्पोर्ट को दिया गया है। यह फर्म रुमानिया सरकार का उपक्रम है। इस फर्म को पश्चिम जर्मनी के मैसर्स लुर्गी पेमी का पूरा सहयोग प्राप्त है। करार में व्यवस्था की गई है कि समय और लागत बढ़ने न पाये तथा उत्पादों की तकनीकी विशिष्टियों की गारन्टी भी दी जाय। मेकन इसके लिए विस्तृत इन्जीनियरी कार्य कर रही है। मैसर्स यूजीनएक्सपोर्टइम्पोर्ट और लुर्गी कार्यक्रम के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर तकनीकी पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. ने आवश्यक तकनीकी कार्मिकों को पहले ही कार्य पर लगा दिया है। पैलेट संयंत्र को कोयला, ईंधन और अन्य कच्ची सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। कर्नाटक बिजली बोर्ड ने पैलेट संयंत्र के लिए अपेक्षित मात्रा में बिजली देना भी स्वीकार कर लिया है।

मंगलौर हवाई अड्डे पर भवन का निर्माण

1057. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर विद्यमान भवन के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विकास कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की है; और

(घ) सरकार का इस हवाई अड्डे पर यात्रियों को क्या-क्या और सुविधाएं देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) टर्मीनल भवन विस्तार एवं संशोधन कार्य करने तथा कार पार्क क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए 28.55 लाख रुपए की राशि के प्राक्कलन की नवम्बर 1981 में स्वीकृति दे दी गई है और निर्माण कार्य का ठेका नियमगत (कोडल) औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिया जाएगा।

भारत पाक सीमा पर गाय और अन्य सामान की तस्करी

1058. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वित्त मंत्री** गायों की तस्करी के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाक सीमा पर वर्ष 1980 में हुई गायों और सामान की तस्करी की तुलना में वर्ष 1981 में इस तस्करी में इस सम्बन्ध में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप कितनी कमी हुई और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) तस्करी की जा रही गायों और सामान में से वर्ष 1981 में कितनी गायें और कितनी मात्रा में सामान जब्त किया गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में लघु उद्योगों को इस्पात की आवश्यकता

1059. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लघु उद्योगों को नितनी मात्रा में लोहे और इस्पात की आवश्यकता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने लोहे और इस्पात की सप्लाई की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस राज्य की लोहे और इस्पात की आवश्यकता पूरी करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) राज्य के लघु उद्योगों की ठीक-ठीक आवश्यकता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लोहे और इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अब इनका वितरणसंयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री के वितरण के लिए घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्य-वार मांग अथवा राज्य-वार आवंटन की व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग राज्यों के लघु उद्योग नियम लघु क्षेत्र की इकाइयों की कतिपय श्रेणियों को इस्पात की मदें सप्लाई करते हैं। वर्ष 1981-82 के लिए गुजरात राज्य लघु उद्योग निगम को 57,200 टन इस्पात सामग्री और 84,000 टन कच्चे लोहे का आवंटन किया गया है।

वायुदूत के विमानों की उड़ानों के कारण हानि

1060. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "वायुदूत" के विमानों की उड़ानों के कारण निगम को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके आरम्भ होने से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी हानि हुई;

(ग) इन हानियों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हानियों में कमी किये जाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) वायुदूत को 31 अक्तूबर, 1981 तक लगभग 63 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई है।

(ग) और (घ) इन हानियों के मुख्य कारण हैं परिचालन की बहुत अधिक लागत तथा कम भार अनुपात। इन हानियों को कम करने के लिए वायुदूत के किरायों में संशोधन करके बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख भारतीय व्यापारियों द्वारा सोवियत संघ का दौरा

1061. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख भारतीय व्यापारियों के एक दल ने हाल ही में सोवियत संघ का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के ठोस परिणाम क्या रहे ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के वाणिज्य और उद्योग मंडल के नियंत्रण पर भारत के प्रमुख व्यापारियों के एक दल ने 26 सितम्बर, 1981 से 2 अक्तूबर. 1981 तक सोवियत संघ की यात्रा की थी। लेकिन प्रत्येक सदस्य के प्रवास की अवधि अलग-अलग थी। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ में अपने प्रवास के दौरान ये व्यापारी अलग-अलग बैठकों में सोवियत संघ के महत्वपूर्ण उच्चाधिकारियों से मिले।

इन बैठकों में भारतीय व्यापारियों ने विभिन्न निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए भारतीय उद्योगों की क्षमताओं को स्पष्ट रूप से बताया। सोवित पक्ष ने सूती वस्त्रों जैसी मदों के आयात को काफी बढ़ाने, अन्य देशों में भारत सोवियत संयुक्त उद्योगों की स्थापना करने और वर्तमान एककों का विस्तार करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई ताकि इन उत्पादों का सोवियत संघ और अन्य देशों को निर्यात किया जा सके।

आय-कर विभाग के पास बिना दावेदार वाले धारक बांडों का होना

1062. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि आयकर विभाग के पास 11.4 लाख रुपये मूल्य के ऐसे धारक बांड तथा नकद राशि है जिनका कोई दावेदार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई में एक दलाल के मामले में तलाशी के दौरान आयकर विभाग ने 8.4 लाख रुपये की प्रथम दृष्टियाँ लेखा बाह्य नकदी पकड़ी थी। यद्यपि कोई बंध-पत्र तो नहीं पकड़ा गया था, परन्तु नकदी पकड़े जाने के समय सम्बन्धित दलाल ने 3 लाख रुपये के अंकित मूल्य के धारक बंध-पत्र यह कह कर स्वेच्छा सौंपे थे कि यह एक अन्य व्यक्ति के हैं।

नई दिल्ली में सितम्बर, 1981 में हुई भारत कनाडा विमानन वार्ता

1063. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सितम्बर, 1981 के अंतिम सप्ताह में भारत-कनाडा विमानन वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विचार-विमर्श हुआ है; और

(ग) विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। ये वार्ताएं 30-11-1981 से करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुरी को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बदलना

1064. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा स्थित पुरी को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुरी में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने की सभी संभावनाएं विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो पुरी को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में बदलने के लिये अब तक की गई अथवा की जाने वाली विस्तृत कार्यवाही क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) किन्हीं केन्द्रों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के रूप में बदला नहीं जाता; अपने आकर्षण के कारण ही वे ऐसे बन जाते हैं। पुरी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पहले से ही आकर्षित करता रहा है।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पुरी में स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये निम्नलिखित सुविधायें जुटाई गई हैं/जुटाये जाने का प्रस्ताव है :

जुटाई गई सुविधाएं :

(1) पर्यटक ब्यूरो (अब राज्य सरकार के हवाले कर दिया गया है)

(2) पर्यटक बंगला (50 प्रतिशत लागत केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा शेयर की गई)

(3) यूथ होटल–14-11-1975 से चालू कर दिया गया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 5,63,500 रुपये की लागत पर निर्मित किया गया। इसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रस्तावित :

भारत पर्यटन विकास नियम द्वारा उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक संयुक्त सैक्टर परियोजना के रूप में 120.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुरी में होटल।

नार्वे से अनुदान की राशि

1065. **श्रीअनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे से 1985 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) अनुदानों का उपयोग करके कौन-कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी; और

(ग) ऐसी नई परियोजनाएं किन-किन राज्यों में आरम्भ की जाएंगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) नार्वे ने संकेत किया है कि 1982 से 1985 की अवधि में उसके द्वारा भारत को दी जाने वाली अनुदान सहायता की राशि 44 करोड़ नार्वेजियन क्रोनर (60.76 करोड़ रुपए) होगी।

(ख) नार्वेजियन सहायता के उपयोग के लिए परियोजनाओं तथा कार्यालयों का निश्चय पारस्परिक परामर्श से किया जाएगा। प्रचलित कार्यक्रम तथा परियोजनाए मुख्य रूप से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' मानक्षेत्र विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) नार्वेजियन सहायता से वित्तपोषित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को

राज्यों के लिए पृथकतः निर्धारित नहीं किया जाता। ये कार्यक्रम तथा परियोजनाएं अपने स्वरूप और अपने व्याप्ति क्षेत्र के आधार पर विभिन्न राज्यों में फैले होते हैं।

देश की लौह-मिश्र धातु की वार्षिक मांग

1066. **श्रमती जयंती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लौह-मिश्रित धातु की अनुमानतः वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) लौह-मिश्रित धातु का औसतन वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ग) विभिन्न राज्यों में लौह-मिश्र धातु के मुख्य खरीददार कौन-कौन हैं;

(घ) उनके द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 में कुल कितनी मात्रा में लौह-मिश्र धातु उठायी गयी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में मुख्य लौह-मिश्र धातुओं के उत्पादन तथा वर्ष 1981-82 की उसकी अनुमानित देशीय मांग के आँकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(मीटरी टन)

	वास्तविक उत्पादन		अनुमानित मांग
	1979-80	1980-81	1981-82
1. फेरो मैंगनीज	1,70,982	1,81,186	1,80,000
2. फेरो सिलिकान	40,135	57,921	56,000
3. फेरो क्रोम :—			
(1) हाई कार्बन	8,767	7,220	7,000
(2) लो और मीडियम कार्बन	9,680	12,160	12,000

(ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने तथा लघु इस्पात कारखाने लौह-मिश्र धातुओं के मुख्य खरीददार हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में मुख्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा (टिस्को शामिल नहीं है) खरीदे गए मुख्य लौह-मिश्र धातु की मात्रा नीचे दी गई है :—

	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल-अक्तूबर)
1 फेरो मैंगनीज	1,53,022	1,07,392	80,483
2. फेरो सिलिकान	7,917	13,623	11,531
3. फेरो क्रोम :			
(क) हाई कार्बन	629	417	500
(ख) लो कार्बन	1,519	2,157	701

इस समय 151 लघु इस्पात कारखाने हैं जिनमें से कम से कम 140 वास्तव में उत्पादन कर रहे हैं। इन इकाइयों द्वारा खरीदे गए लौह-मिश्र धातु के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और यह जानकारी एकत्र करने में जितने प्रयास किए जाएंगे वह इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होंगे।

भारतीय माल की निर्यात-संभावना का विदेशों में अपर्याप्त प्रचार

1067. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय माल की निर्यात-संभावना का विदेशों में पर्याप्त प्रचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हम प्रयोग के लिए उपलब्ध धनराशि भारतीय चाय के निर्यात-संवर्धन हेतु पर्याप्त नहीं समझी जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो विदेशों में चाय के विक्रय के लिए वाणिज्यिक गृह स्थापित करने हेतु प्रचार-बजटों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारतीय माल की निर्यात संभाव्यता के सम्बन्ध में विदेश में निरन्तर आवश्यकता अनुसार प्रचार किया जाता है।

(ख) तथा (ग) चाय विपणन सम्बन्धी टंडन समिति की सिफारिशों के अनुसरणों में, सरकार ने बल्क तथा मूल्य वर्धित चाय के निर्यात के लिए अध्ययन करने तथा समुचित नीतियों की सिफारिश करने के लिए तदर्थ समितियां गठित की थीं। ये समितियाँ, अन्य बातों के साथ साथ चाय निर्यातों के संवर्धन के लिए निधियों की पर्याप्तता के प्रश्न पर विचार कर रही हैं और उनकी सिफारिशें प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाले पांच औद्योगिक गृह

1068. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले पांच बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1-11-1981 को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रखे थे; कौन कौन से उपक्रम क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, किस देश में स्थापित हैं, इक्विटी के रूप में कितनी पूंजीगत परिव्यय किया गया है, यदि कोई मशीनरी, संयंत्र, तकनीकी जानकारी और कच्चा माल सप्लाई किया गया है तो वह क्या और कितना है तथा किन किन उत्पादों का निर्माण हुआ है;

(ख) उनकी स्थापना से भारत को वर्षवार, कितना-कितना लाभ भेजा गया है, और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि सभी लाभ उचित ढंग से स्वदेश भेजे जायें और भारत में उनका हिसाब रखा जाए तथा इन गृहों या उनके कार्यकारी अधिकारियों के या तो सम्बन्धित उद्यम से सीधे सम्बद्ध कारोबार या किसी अन्य कार्य के लिए विदेशों के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई दुरुपयोग न हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1-10-1981 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2960/81**] इस विवरण में एम. आर. टी. पी. अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकृत तथा 5 सबसे बड़े एम. आर. टी. पी. सदनों के अतर्गत आने वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रोमोट किये गये/ प्रोमोट किये जा रहे संयुक्त उद्यमों, उनकी तथा 31-12-1979

की स्थिति के अनुसार उनकी परिसम्पत्तियों के आकार के अनुरूप अनन्तिम स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

(ख) लाभांश, तकनीकी जानकारी, शुल्कों, इन्जीनियरी सेवा शुल्कों आदि के रूप में भारत को वापस भेजी गई राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

	लाभांश	तकनीकी जानकारी आदि
1994-75 तथा पहले	10.9	8.2
1975-76	—	65.8
1976-77	12.8	46.3
1977-78	15.2	94.6
1978-79	24.4	106.7
1979-80	128.4	133.9

टिप्पणी : (क) 1978-79 तथा 1979-80 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) ये आंकड़े उन भारतीय पार्टियों द्वारा सप्लाई की गई जानकारी पर आधारित हैं जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किये हैं।

(ग) विदेशों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने सम्बन्धी मंजूरियाँ जारी करते समय विशिष्ट रूप से यह शर्त होती है कि लाभांश, तकनीकी जानकारी, शुल्क आदि संयुक्त उद्यमों के भारतीय प्रोमोटरों द्वारा जैसे ही प्राप्त किया जायेगा मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत को वापस भेजा जाना चाहिए। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण प्रभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा इस मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन तथा लाभों को वापस भेजने के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा की जाती है।

एयर इंडिया के अधिकारियों का विदेशों में प्रवास

1069. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के ट्रैफिक/कमर्शियल के अधिकारियों के विदेशों में एक बार में एक स्थान या अनेक स्थानों पर प्रवास के लिये कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो वह कितनी है और यदि नहीं, तो विदेशों में नियुक्ति के लिये पात्र ऐसे सभी अधिकारियों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ऐसा क्या नहीं किया गया है;

(ख) क्या काठमांडू (नेपाल) में नियुक्ति की अवधि को भी "विदेश में नियुक्ति" समझा जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गत 4-5 वर्षों से अधिक समय से लगातार विदेश में नियुक्ति पर हैं तथा उन्हें भारत कब तक वापस बुलाये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इण्डिया के

अधिकारियो को विदेशों में सामान्यत: चार वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाता है जिसे यातायात/वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के मामले में छः वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) काठमांडू (नेपाल) के भारत के बहुत निकट होने तथा इस क्षेत्र के दिल्ली प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वहां नियुक्ति को लंदन, पेरिस आदि जैसे अन्य विदेशी स्टेशनों के समकक्ष नहीं समझा जाता।

(ग) कुआला -- लम्पुर से एयर इंडिया के प्रबन्धक, श्री टी. आर. अरोड़ा ही दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं जो विदेश में लगातार चार पांच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात रहे हैं और उनके अगले वर्ष वापस भारत में तैनात किए जाने की आशा है।

आयात/निर्यात नियंत्रण आदेश में संशोधन

1070. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुख्य आयात/निर्यात नियन्त्रण आदेश जारी और प्रकाशित किये जाने के बाद उस आदेश में जल्दी जल्दी बहुत से संशोधित किये जाते हैं जिन की ओर सामान्यतया सम्बद्ध लोगों का ध्यान नहीं जाता है तथा नियन्त्रण का उद्देश्य ही कुछ सीमा तक विफल हो जाता है तथा कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उसका दुरुपयोग भी किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा है ताकि संशोधनों को वर्ष में एक बार ही तिमाही अथवा छमाही आधार पर राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) व्यापार तथा उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अथवा अर्थव्यवस्था के हित में आवश्यकता अनुसार वार्षिक आयात तथा निर्यात नीति में इसके प्रकाशन के बाद अनेक संशोधन करना जरूरी हो जाता है। ये संशोधन शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। इसके अलावा, उसी दिन सार्वजनिक सूचनाओं की अग्रिम प्रतियां महत्वपूर्ण वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, सीमाशुल्क प्राधिकारियों आयात नियंत्रण प्राधिकारियों, निर्यात संवर्धन परिषदों, प्रायोजक प्राधिकारियों तथा पत्र सूचना ब्यूरो को भेजी जाती हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे संशोधनों की तरफ सामान्यतया ध्यान नहीं जाता और उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता अथवा उनका दुरुपयोग किया जाता है।

(ख) यदि आवश्यक समझे गये संशोधन एक तिमाही में केवल एक बार घोषित किए जाते हैं तो ऐसे संशोधनों का वास्तविक उद्देश्य विफल हो सकता है क्योंकि ऐसे संशोधनों का समय पहलू अधिक महत्वपूर्ण है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि

1071. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री अरुन कुमार नेहरू : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों को गत दस वर्षों के दौरान लगातार हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक उपक्रम को कुल कितनी कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का है ताकि उन्हें वाणिज्यिक रूप से सक्षम एककों के रूप में चलाया जा सके और यदि हाँ, तो निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 1970-71 से 1979-80 तक निरन्तर घाटा उठाने वाले केवल दो उद्यमों का विवरण संलग्न है ।

(ग) इन दोनों उपक्रमों के कार्यों की वाणिज्यिक सक्षमता की विस्तृत जांच की गई है। विस्तृत पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई है जिसमें पूंजी-पुनर्गठन तथा उपस्कर नवीयन कार्य भी शामिल हैं। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रबन्धकीय ढांचे को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक उद्यम का नाम	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-78	1979-80
1. उद्योग पुनर्स्थापन निगम	0.63	0.63	0.77	1.91	1.25	1.51	1.61	1 83	2.24	2.82
2. टेनरी एण्ड फुट-वीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया	0.58	0.67	0.99	1.18	0.86	0.28	2.18	2.80	2.94	3.69

सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पैकेज दौरों की प्रणाली आरम्भ किया जाना

1072. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या भारत पर्यटन विकास निगम ने जम्मू तथा काश्मीर या हिमाचल प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगमों या राज्य सरकारों के सहयोग से दौरों की कोई प्रणाली आरम्भ की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए अपनाये जाने वाले मार्गों और स्टेशनों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिक को दी जाने वाली पेन्शन की मंजूरी में विलम्ब

1073. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली पेन्शन की मंजूरी में होने वाले अत्याधिक विलम्ब, जो रक्षा लेखा-नियंत्रक कार्यालय, इलाहाबाद में काम के अधिक केन्द्रीकरण के कारण होता है, तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकारों के कोषों/उप-कोषों से, जो कैसे भी अन्यथा

काम के भारी बोझ से दबे हुए हैं, अपनी पेन्शन प्राप्त करने में महसूस की जाने वाली कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकेन्द्रीकरण तथा अन्य उपाय करके पेन्शन की मंजूरी और वितरण की पूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने, पुनः व्यवस्थित करने और सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस काम के किस तारीख तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सुधार के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सेना मुख्यालयों द्वारा निवेदन किया गया है कि सेना कर्मचारियो की पेन्शन मंजूर शीघ्र करने के लिए रक्षा लेखा नियंत्रक (पेन्शन) इलाहाबाद से इस कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों के पेंशनभोगियों द्वारा ट्रेजरी/सब ट्रेजरी से पेंशन भुगतान में होने वाले बिलम्ब आदि की शिकायतें भी की गई हैं।

(ख), से (घ) सरकार ने रक्षा पेंशनों की मंजूरी, अदायगी, लेखा-विधि (अकाउंटिंग) और लेखा-परीक्षा की गहराई से जाँच करने और पेंशन कार्य की वर्तमान प्रणाली के सरलीकरण/सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जाएगा।

कोचीन और त्रिवेन्द्रम के बीच विमान उड़ान

1074. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन को केरल की राजधानी अर्थात त्रिवेन्द्रम से जोड़ने के लिए एक सप्ताह में इस समय कितने दिन विमान उड़ान चलाई जा रही है;

(ख) त्रिवेन्द्रम और कोचीन को जोड़ने के लिए सप्ताह के सभी दिनों में उड़ान न चलाने का क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इसके कारण यात्रियों को हुई असुविधा की जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सप्ताह के सभी दिनों को विमान-उड़ान शुरू करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल इण्डियन एयरलाइंस त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन के बीच सप्ताह में चार एच. एस.-748 सेवायें परिचालित करती है।

(ख) और (ग) सेवाओं की संख्या को वहां प्राप्त असंतोषजनक सीट अनुपात को दृष्टि में रखते हुए दैनिक से घटा कर सप्ताह में चार बार कर दिया गया है। अगस्त, 1981 में भी सीट अनुपात क्रमशः केवल 50% तथा 58% था जिसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को 2.45 लाख रुपए की हानि हुई।

(घ) इस सेवा की संख्या में वृद्धि पर उस समय विचार किया जाएगा जब ऐसे परिवर्तन के लिए यातायात का औचित्य सिद्ध होगा।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग और विभागीकृत लेखा संगठन के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

1075. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के लेखों से लेखा परीक्षा के अलग करने के परिणामस्वरूप दोनों भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग और विभागीकृत लेखा संगठन के प्रभावित कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में कमी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इन दोनों विभागों में पदोन्नति के अवसरों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की; गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) लेखाओं के विभागीयकरण के बाद, लेखा पक्ष और लेखा परीक्षा पद में पदोन्नति के अवसर विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे पहले पक्ष के मामले में, सरकार को लेन-देनों की मात्रा और सरकार के कार्य-कलापों के लिए अपेक्षित लेखा कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवायें और दूसरे पक्ष के मामले में, नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक (कर्त्तव्यों शक्तियों और सेवा शर्तों) अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षा की मात्रा के संदर्भ में कार्य भार और राज्य लेखाओं से संबंधित काम की मात्रा। इसे ध्यान में रखते हुए लेखा-परीक्षा से लेखाओं के अलग होने के पश्चात दोनों पक्षों में पदोन्नति के अवसारों की तुलना करना न तो संभव है और न ही उपयुक्त है।

(ग) और (घ) उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते ?

"टेक्सटाइल इन्स्पेक्टर" की रहस्यमय मौत

1076. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में कलकत्ता में कपड़ा समिति में मिस्टीरिस डेथ आफ टेक्सटाइल इंपेक्टर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल कराई है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो इसका परिणाम क्या है; और

(घ) इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऐसे मामलों में जांच विधि के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाती है। मामला पहले ही पुलिस में दर्ज है।

"मिनिस्ट्रीज बेटल ओवर एयर कारगों हेंडलिंग" शीर्षक समाचार

1077. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 नवम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "मिनिस्ट्रीज वेटल ओवर एयर कारगो हेंडलिंग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) पालम हवाई अड्डे में आयात और निर्यात के माल की ढुलाई कर रही एजेंसी का समस्त कार्य सुन्यवस्थित करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में उल्लिखित तथ्यों की दृष्टि से मामले की पुन: जांच की जा रही है।

बड़े औद्योगिक गृहों के एक्जीक्यूटिवों के विदेशी दौरों पर रोक

1078. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों के एग्जीक्यूटिवों के विदेशी दौरों पर कोई रोक है जबकि उनके लिए कोई विदेशी मुद्रा नहीं मांगी जाती है और जिसकी वे विदेशों में निजी तौर पर व्यवस्था कर लेते हैं और इसके लिए भारत में टिकट खरीदे जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो व्यापार संवर्धन के नाम पर जब भी वे जाना चाहते हैं, इन एग्जीक्यूटिवों द्वारा ऐसे बारम्बार दौरों से शेयरधारियों की धनराशि किस प्रकार संरक्षित की जाती है;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कुछ बड़े औद्योगिक गृहों के एग्जीक्यूटिव छूट के साथ बहुत बार यहाँ तक कि एक महीने में दो बार और तीन बार तक विदेशों का दौरा करते हैं; और

(घ) क्या उन औद्योगिक गृहों के मामले में, जिनके अन्य विदेशों में उद्यम हैं, वे अनुचित और गैर-कानूनी तरीकों द्वारा धनराशि का विनियोग कर सकते हैं और यदि हाँ तो एक के बाद अन्य ऐसे दौरों पर नियंत्रण करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) इस समय उस स्थिति में जब यात्रा के लिए विशेष रूप से विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की जाती तब विदेश यात्रा के लिए बुकिंग कराने पर कोई रोक नहीं है।

(ख) जब हवाई यात्रा का खर्च कम्पनी द्वारा किया जाता है तब उसका अनुमोदन निदेशक मण्डल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेयर होल्डरों को बेकार खर्च के सम्बन्ध में प्रबन्धकों अथवा निदेशक मण्डल से पूछताछ करने का अधिकार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऐसा कोई विशेष मामला भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार की नजर में नहीं लाया गया है जिससे जांच पड़ताल और कार्यवाही की जा सके।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में अधिकारियों की मंजूर शुदा संख्या

1079. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में अर्थात 31 मार्च, 1978, 31 मार्च, 1979, 31 मार्च, 1980 और 31 मार्च, 1981 को अलग-अलग प्रत्येक संवर्ग के लिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में अधिकारियों की मंजूर शुदा संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसी अवधि और वर्षों के दौरान प्रत्येक संवर्ग में अलग अलग कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अपनाई गई रिपोर्टिंग पद्धति के अनुसार, सूचना प्रत्येक वर्ष मार्च, तक की स्थिति के अनुसार एकत्र की जाती है। 1978, 1979, 1980 और 1981 के प्रत्येक वर्ष की 1 मार्च, तक की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान 1-3-1978, 1-3-1979, 1-3-1980 और 1-3-1981 को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत संख्या और कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

कर्मचारियों की श्रेणी	1-3-1978 को		1-3-1979 को		1-3-1980 को		1-3-1981 को	
	स्वीकृत संख्या	कार्य कर रहे व्यक्ति	स्वीकृत संख्या	कार्य कर रहे व्यक्ति	स्वीकृत संख्या	कार्य कर रहे व्यक्ति	स्वीकृत संख्या	कार्य कर रहे व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आई. ए. एण्ड ए. एस.	629	489	632	485	638	516	654	510
प्रशासनिक/लेखा परीक्षा/लेखा अधिकारी	2535	2428	2825	2755	2981	2840	3035	2927
निजी सचिव/सहायक सचिव	4	4	4	4	4	4	4	4
एस. ए. एस.	8819	8484	9295	8794	9712	9151	9858	9238
डिविजनल लेखाकार	20	20	22	22	19	19	16	16
लेखा परीक्षक	30570	27355	31757	28598	32933	28903	32128	29207
लिपिक	6231	5906	6485	6020	6686	6025	6596	6190
व्यक्तिगत सहायक/ आशुलिपिक	700*	518	724*	526	753×	560	765=	591

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य ग्रुप 'ग'	111	92	121	108	126	108	119	99
ग्रुप 'घ'	7090	5935	7240	6270	7318	6054	7326	6509
जोड़	56709	51231	56105	53582	61170	54180	60501	5529

निम्नलिखित शामिल है :–

* 5 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक प्रत्येक

× 14 ,, ,, ,,

= 10 ,, ,, ,,

टिप्पणी :– (1) स्वीकृत संख्या और कार्य कर रहे व्यक्तियों में चयन ग्रेड पद तथा वे व्यक्ति जो इन पदों को, जहाँ भी ये पद हैं, धारण किये हुये हैं, शामिल हैं।

(2) आई. ए. एण्ड ए. एस. के मामले में, स्वीकृत संख्या में स्थायी आई. ए. एण्ड ए. एस. पद जो आई. ए. एण्ड ए. एस. के विभिन्न ग्रेडों में अस्थगन में हैं और छुट्टी आरक्षण पद शामिल नहीं है।

(3) प्रशासनिक/लेखा परीक्षक/लेखा अधिकारियों के मानले में स्वीकृत संख्या में, आई. ए. एण्ड ए. एस. पदों के बदले मंजूर किये गये लेखा अधिकारी आदि के पद शामिल हैं।

वस्तुओं का निर्यात और आयात

1080. **श्री सुबोध सेन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1979-80 और 1980-81 के दौरान अलग अलग भारत द्वारा देशवार निर्यात किये गये और आयात किये गये वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : वर्ष 1979-80 के लिये भारत के निर्यातों और आयातों का देशवार मूल्य दर्शाने वाला, **विवरण संलग्न है** । वर्ष 1980-81 के लिये देश वार सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

प्रमुख देशों के साथ भारत का विदेश व्यापार

(करोड़ रु.)

क्षेत्र/चुनिन्दा देश	1970–80 (अनन्तिम)	
	निर्यात	आयात
(क) अफ्रीका		
1. कीनिया	31.69	6.62
2. मिस्र का अरब गणराज्य	69.77	21.17
3. सूडान	33.41	1.37
(ख) अमरीका (उत्तरी)		
4. कनाडा	62.54	226.48
5. सं. रा. अमरीका	806.74	926.07
(ग) एशिया तथा ओसिनिया		
(1) **एस्कैप**		
6. आस्ट्रेलिया	101.28	162.84
7. बंगला देश	98.22	5.18
8. हांग-कांग	102.84	17.21
9. इन्डोनेशिया	52.67	19.94
10. ईरान	96.11	620.69
11. जापान	643.46	609.40
12. कोरिया गणराज्य	54.50	88·55
13. मलेशिया	52.89	207.33
14. नेपाल	63.42	15.22
15. सिंगापुर	78.40	150.84
16. श्री लंका	101.95	42.08
17. वियतनाम गणराज्य	59.48	—

1	2	3
(2) पश्चिमी एशिया		
18. इराक	61.49	917.27
19. कुवैत	123.80	165.51
20. ओमान	34.87	1.76
21. साउदी अरब	155.64	363.12
22. संयुक्त अरब अमीरात	130.82	208.80
(घ) पूर्वी यूरोप		
23. चैकोस्लोवाकिया	42.59	51.68
24. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	47.96	34.51
25. पौलैंड	44.29	60.68
26. रूस	638.16	824.33
27. यूगोस्लाविया	46.95	15.72
28. रोमानिया	45.47	88.25
(ङ) पश्चिम यूरोप		
(1) ई. सी. एम.		
29. बैंजियम	163.94	263.69
30. फ्रांस	195.63	207.75
31. जर्मन संघीय गणराज्य	378.95	644.55
32. इटली	213.04	178.89
33. नीदरलैंड	220.31	145.19
34. ब्रिटेन	507.52	708.81
(2) ई. एफ. टी. ए.		
35. स्विटजरलैंड	101.73	100.59
कुल योग	6404.67×	9021.75

(अन्य देश शामिल हैं)

× 1979-80 के लिये संशोधित कुल निर्यात 6458.76 करोड़ रु. के हैं जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इण्डिया, मार्च 1980

संकट ग्रस्त औद्योगिक एककों को वित्त पोषित करना

1081. **श्री डी पी जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कोई मार्गदर्शी

सिद्धान्त जारी किये हैं कि वे संकट ग्रस्त औद्योगिक एककों को वित्त पोषित करने में संयुक्त और समय पर प्रयास करें और उन्हें सक्षम बनायें;

(ख) क्या इस बारे में बैंकों से कोई प्रत्युत्तर मिला है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे संकट ग्रस्त औद्योगिक एककों की संख्या और ब्योरा क्या है जो अब तक इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास समेत उनके संबंध में सरकारी नीतियों की सूचना, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं को दी जाती है। सरकार की नीति के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को समुचित दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसमें ये पहलू व्याप्त होते हैं : संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, बैंकों में देख रेख और समन्वय की व्यवस्था करना, अन्य संस्थाओं की भागीदारी में पुनर्जीवन के प्रयास करना, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकता पर आधारित सुविधायें प्रदान करना, रियायती ब्याज की दर की व्यवस्था, मार्जिन में कमी, पात्र मामलों में पिछली देनदारियों का पुनर्निर्धारण आदि तथा परामर्शी सहायता का संचालन करने के वास्ते बैंकों के केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में रूग्ण एकक कक्षों की स्थापना करना।

(ख) रूग्ण माने गये एककों के संबंध में बैंक सम्भाव्यता अध्ययन करते हैं और अर्थक्षम एककों को पोषण और पुनर्वास के लिये हाथ में लेते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, इन एककों के सम्भाव्यता अध्ययन के आधार पर, 2645 रूग्ण एकक पोषण कार्यक्रमों के अधीन थे।

दावा न किये धारक बांड

1082. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारक बांड और नकदी, जिनके स्वामित्व का दावा नहीं किया है, रखने के बारे में कर विभाग के जरिये कुछ मामले सरकार के नोटिस में आये हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई में एक दलाल के मामले में तलाशी के दौरान, आयकर विभाग ने 8.4 लाख रुपये की प्रथम दृष्ट्या लेखा बाह्य नकदी पकड़ी थी। यद्यपि कोई बंध-पत्र तो नहीं पकड़ा गया था परन्तु नकदी पकड़े जाने के समय और सम्बन्धित दलाल ने 3 लाख रुपये के अंकित मूल्य के धारक बंध पत्र यह कहकर स्वेच्छया सौंपे थे कि यह एक अन्य व्यक्ति के हैं।

इलायची के निर्यात में कमी

1083. **श्री एसबी सिदनाल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वोटमाला से कड़ी स्पर्धा के कारण इलायची के निर्यात में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मात्रा कितनी है और इसका यूनिट मूल्य कितना है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इलायची के निर्यात आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (मे.टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	इकाई मूल्य (रु. प्रति कि.ग्रा.)
1978-79	2876	58.35	203
1979-80	2636	38.56	184
1980-81	2319	34.36	148

(ग) हमारी इलायची को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये सरकार ने मई, 1981 में इलायची पर से निर्यात शुल्क हटा दिया। इलायची बोर्ड ने मध्य पूर्व बाजार में भरसक निर्यात संवर्धन उपाय करने के लिए बहरीन में विदेशक व्यापार संवर्धन का कार्यालय खोला है। बोर्ड ने अपने बहरीन कार्यालय के माध्यम से भारतीय इलायची के लिये हाल ही में प्रचार अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, इलायची बोर्ड, भारतीय इलायची की बिक्री बढ़ाने के लिये विशेष मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेता है और उनके बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन भी करता है।

भारत में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए फ्रांस से ऋण

1084. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस सरकार का विचार भारत में औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की मात्रा कितनी है और इस प्रयोजन के लिए किन परियोजनाओं का पता लगाया गयाहै ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरागन) : (क) और (ख) फ्रांसिसियों ने ऐसे क्षेत्रों जैसे कि कोयला, विद्युत, दूर संचार और ऊर्जा के क्षेत्र में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के सहित भी विषय में संभव सहयोग में दिलचस्पी दिखाई है। अभी तक विशिष्ट परियोजनाएं पृथक रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं। ऋण की मात्रा का पता परियोजनाओं के निर्धारित होने के बाद ही चलेगा।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में वणिज्य सहचारी

1085. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित दूतावासों में कितने वाणिज्य-सहचारी हैं और उनका ब्यौरा क्या क्या है; और

(ख) क्या इन वाणिज्य सहचारियों द्वारा किए जा रहे व्यापार संवर्धन कार्य के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस समय 68 वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं जो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक स्कन्धों में कार्य

कर रहे हैं और जो वाणिज्य मन्त्रालय के बजट में शामिल हैं। उनके ब्यौरे दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जबकि वाणिज्यिक अताशे की भूमिका समन्वेषी तथा परामर्शी किस्म की हैं; निर्यात संवर्धन का वास्तविक कार्य निर्यात संवर्धन परिषदों तथा निर्यातकों द्वारा स्वयं किये जाते हैं। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक स्कन्ध के कार्य निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर आयोजित वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन में विस्तार से की जाती है।

विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के बजट में शामिल विदेशों में स्थित भारत के वणिज्यिक प्रतिनिधिवों की सूची

क्रमांक	पदनाम	देश
1.	प्रथम सचिव	आकरा
2.	द्वितीय सचिव	अदीस-अवावा
3.	रजिस्ट्रार	अदन
4.	द्वितीय सचिव	अबूधावी
5.	तृतीय सचिव	अल्जियर्स
6.	द्वितीय सचिव	अम्मान
7.	प्रथम सचिव	बगदाद
8.	द्वितीय सचिव	बैंकाक
9.	द्वितीय सचिव	बेलग्रेड
10.	द्वितीय सचिव	बुखापेस्ट
11.	प्रथम सचिव	बुडापेस्ट
12.	द्वितीयसचिव	बर्लिन (जी डी आर)
13	प्रथम सचिव	वर्न
14.	प्रथम सचिव	ब्रसेल्स
15.	प्रथम सचिव	ब्रसेल्स
16.	द्वितीय सचिव	ब्रसेल्स
17.	रजिस्ट्रार	काहिरा
18.	प्रथम सचिव	कोलम्बो
19.	द्वितीय सचिव	डकार
20.	काउन्सिलर	दमिश्क
21.	द्वितीय सचिव	दार-ए-सलाम
22.	द्वितीय सचिव	ढाका
23.	काउंसल जनरल	फ्रैंकफर्ट
24.	काउंसल	फ्रैंकफर्ट
25.	गाट तका अंकटाड के लियेरेजिडेंट प्रतिनिधि	जेनेवा
26.	प्रथम सचिव	जेनेवा
27.	प्रथम सचिव	जेनेवा

1	2	3
28.	काउंसल जनरल	हेमवर्ग
29.	द्वितीय सचिव	हांगकांग
30.	प्रथम सचिव	इसलामाबाद
31.	प्रथम सचिव	जकार्ता
32.	प्रथम सचिव	जद्दा
33.	रजिस्ट्रार	कम्पाला
34.	प्रथम सचिव	कुवैत
35.	द्वितीय सचिव	खार्तूम
36.	प्रथम सचिव	काठमांडु
37.	प्रथम सचिव	लागोस
38.	मिनिस्टर (आर्थिक)	लदन
39.	प्रथम सचिव	लंदन
40.	प्रथम सचिव द्वितीय सचिव	लंदन
41.	प्रथम सचिव	लुसाका
42.	प्रथम सचिव	मनीला
43.	मिनिस्टर (आर्थिक)	मास्को
44.	काउंसिलर	मास्को
45.	द्वितीय सचिव	मस्कत
46.	द्वितीय सचिव	नैरोबी
47.	उप काउंसल जनरल	न्यूयार्क
48.	काउंसल	न्यूयार्क
49.	मिनिस्टर (आर्थिक)	पैरिस
50.	प्रथम सचिव	पैरिस
51.	प्रथम सचिव	प्राग
52.	तृतीय सचिव	रबात
53.	द्वितीय सचिव	रंगून
54.	प्रथम सचिव	रोम
55.	काउंसल	सैन फ्रांसिस्को
56.	द्वितीय सचिव	सिंगापुर
57.	द्वितीय सचिव	सोफिया
58.	रजिस्ट्रार	सैनाया
59.	प्रथम सचिव	स्टाकहोम
60.	काउंसल जनरल	सिडनी
61.	प्रथम सचिव	तेहरान
62.	प्रथम सचिव	टोकियो

1	2	3
63.	काउंसल जनरल	टोरंटो
64.	प्रथम सचिव	त्रिपोली
65.	द्वितीय सचिव	ट्यूनिस
66.	काउंसल जनरल	वेनक्यूवर
67.	द्वितीय सचिव	वार्सा
68.	काउंसिलर	वाशिंगटन

रेशम के धागे का आयात

1086. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चालू वर्ष में रेशम के धागे का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्नाटक से रेशम के धागे को सप्लाई करने का भी विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 250 टन का आयात करने का विचार है।

(ग) कर्नाकिट से रेशम यार्न मुक्त व्यापार शर्तों के अन्तर्गत बाजार कीमत पर उपलब्ध है।

1978-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात और आयात

1087. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात और आयात की कुल राशि क्या है; (मीट्रिक टन में आँकड़े और मूल्य क्या हैं);

(ख) इसमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय पोतों द्वारा कितने निर्यात/आयात के माल की ढुलाई की गई (मीट्रिक टन में) और उन्हें दिया गया भाड़ा क्या है;

(ग) ध्वज पोतों द्वारा ढुलाई किया गया आयात का माल कितना है, और उन्हें दिया गया भाड़ा क्या है;

(घ) भारतीय पोतों की बजाए विदेशी पोतों द्वारा माल लाने की तरजीह देने और इसके परिणामस्वरूप दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बर्बाद करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य व्यापार निगम और/अथवा सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि अधिकतम निर्यात आयात के माल की ढुलाई भारतीय जहाजों द्वारा की जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात/आयात का मूल्य निम्नलिखित था :–

	1978-79	1979-80	1980-81
		(मूल्य करोड़ रुपये में)	
निर्यात	601.83	636.27	440.50
आयात	524.82	883.76	1214.04

राज्य व्यापार निगम द्वारा हैंडल की जा रही मदों की संख्या बहुत है और कुछ मामलों में या तो मात्राओं का मे. टनों में नहीं हिसाब लगाया जाता या फिर वह तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य व्यापार निगम द्वारा हैंडल की जा रही वस्तुओं के सम्बन्ध में, मे. टनों में मात्रा और रुपयों में मूल्य नीचे दिए जाते हैं :

(मात्रा लाख मे. टन में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

वस्तु	1978-79		1979-80		1980-81	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अखबारी कागज (आयात)	2.33	79.22	3.12	112.60	3.06	132.96
खाद्य तेल	5.71	307.00	10.91	610.00	10.76	528.00
अरण्डी का तेल (निर्यात)	0.51	30.88	0.71	52.94	0.35	26.87
चीनी (निर्यात)	7.37	131.93	5.68	128.94	0.72	35.96
चीनी (आयात)	—	—	—	—	1.81	93.87
सीमेंट (आयात)	16.55	100.00	15.47	95.00	19.74	120.00

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात तथा निर्यात की संविदाओं को एफ. ओ. बी. आधार तथा साथ ही सी. आई. एफ. आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है। आयात संविदाओं के मामले में भाड़े के सम्बन्ध में जानकारी सी. एण्ड एफ. आधार पर आयात के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कार्य विदेशी विक्रेताओं का है जो यह जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार, निर्यात संविदाओं के सम्बन्ध में भाड़े से सम्बन्धित जानकारी राज्य व्यापार निगम द्वारा एफ. ओ. बी. संविदाओं के बारे में प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि भाड़ों का भुगतान विदेशी क्रेताओं द्वारा सीधे जहाज मालिकों को किया जाता है। एफ. ओ. बी. आयात संविदाओं और सी. एण्ड एफ संविदाओं से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी जाती है :

भारतीय पोत

(मात्रा लाख मे. टन में)
(भाड़ा करोड़ रुपये में)

वस्तु	एफ. ओ. बी./ सी. एण्ड एफ.	1978-79		1979-80		1980-81	
		मा.	भा.	मा.	भा.	मा.	भा.
आयात							
अखबारी कागज	एफ. ओ. बी.	1.88	10.10	2.40	17.15	2.57	21.13
	सी. एंड एफ.	—	—	—	—	—	—
खाद्य तेल	एफ. ओ. बी	—	—	0.15	0.41	—	—
	सी. एंड एफ.	—	—	—	—	0.50	उ. न.

1	2	3	4	5	6	7	8
सीमेंट	एफ. ओ. बी.	4.04	5.59	1 26	3.52	0.50	2.20
	सी. एंड एफ.	—	—	—	—	—	—
निर्यात							
अरण्डी का तेल	सी. एण्ड. एफ.	0.03	0.17	0.03	0.14	0.14	0.47
	एफ. ओ. बी,	—	—	—	—	—	—
चीनी	सी. एण्ड एफ.	0.25	0.55	—	—	0.14	0.47
	एफ. ओ. बी.	0.36	उ. न.	—	—	—	—

उ. न. से अर्थ है उपलब्ध नहीं है।

विदेशी पोत (आयात)

(मात्रा लाख मे. टन में)
(भाड़ा करोड़ रुपये में)

वस्तु	एफ. ओ. बी./ सी. एण्ड एफ.	1978-79 मा.	1978-79 भा.	1979-80 मा.	1979-80 भा.	1980-81 मा.	1980-81 मा.
अखबारी कागज	एफ. ओ. बी.	—	—	0.31	2.95	0.19	1.88
	सी. एण्ड एफ.	0.45	उ. न.	0.41	उ. न.	0.30	उ. न.
खाद्य तेल	एफ. ओ. बी.	1.03	2.41	1.41	6.10	0.77	2.31
	सी. एण्ड एफ.	4.68	उ. न.	9.35	उ. न.	9.94	उ. न.
सीमेंट	एफ. ओ. बी.	7.00	5.42	4.37	8.11	5.68	12.34
	सी. एण्ड एफ.	5.51	उ. न.	9.84	उ. न.	13.56	उ. न.
चीनी	एफ. ओ. बी.	—	—	—	—	—	—
	सी. एण्ड एफ.	—	—	—	—	1.81	उ. न.

उ. न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

(घ) कभी-कभी विदेशी पोत किराये पर लेना क्यों आवश्यक हो जाता है इसके मुख्य कारण नीचे दिये जाते हैं :

(क) भारतीय पोत उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा कोट की जाने वाली भाड़ा दर अपेक्षाकृत उच्च होती है;

(ग) सी. एण्ड एफ. आधार पर आयातों अथवा एफ. ओ. बी. आधार पर निर्यातों विदेशी पूर्तिकर्ताओं/क्रेताओं द्वारा किराए पर लिएके लिए पोत जाते हैं। राज्य व्यापार निगम का ऐसे पोत नामित करने में कोई नियंत्रण नहीं है।

(ङ) सरकार की सामान्य नीति का अनुसरण भी राज्य व्यापार निगम द्वारा किया

जाता है जिसके अनुसार विदेशी जहाज किराये पर लेने से संबंधित सभी निर्णय नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके लिये जाते हैं। इसका अभिप्राय: यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्धता तथा भाड़ा प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर अधिकतम निर्यात तथा आयात मात्र भारतीय जहाजों से ढोया जाता है।

बौद्ध तीर्थ यात्रा केन्द्रों में होटलों के निर्माण के लिए एयर इण्डिया और जापान के बीच संयुक्त उद्यम

1088. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बौद्ध तीर्थ यात्रा केन्द्रों में होटलों का निर्माण करने के लिये एयर इण्डिया और जापान के होवके क्लब के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिये विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया ने जो कि एयर इण्डिया के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, भारत के बौद्ध तीर्थ केन्द्रों पर होटल स्थापित करने के लिये जापान की होयके क्लब के साथ एक सहयोग करार किया है।

(ख) विस्तृत शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

विमान के साथ दुर्घटनाओं में मरे गिद्ध और अन्य पक्षी

1089. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विमान के साथ दुर्घटनाओं के शिकार होने के परिणाम-स्वरूप कितने गिद्ध और अन्य पक्षी मरे थे;

(ख) क्या सरकार विमान दुर्घटनाओं में इन पक्षियों को बचाने के लिये किन्हीं सुरक्षा उपायों पर विचार कर रही है; और

(ग) विमान इंजनों के साथ टकराने से पक्षियों के लिये अन्य देशों में अपनाये गये तरिके क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पिछले वर्ष के दौरान (1-11-1980 से 31-10-1981 तक) विमानों से पक्षियों के टकराने की 162 घटनाएं घटी ऐसी घटनाओं में मारे गये पक्षियों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ख) पक्षियों के खतरे को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(1) ऐसे कीड़ों की आबादी को कम करने के लिये, जो पक्षियों के लिये भोजन का काम करते हैं, नियमित रूप से कीटनाशक दवाएं छिड़कना;

(2) विमानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे सभी क्षेत्रों से मृत कीड़ों को हटाने के लिये नियमित रूप से झाड़ू लगाना;

(3) ऐसी झाड़ियों को समाप्त करना जहां पक्षी सामान्यत: घोंसले बनाते हैं;

(4) ऐसे कूड़े-कचरे तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हटाना, जिनसे पक्षी आकृष्ट होते हैं;

(5) पक्षियों को डराने के लिये रन-वे के शोल्डर स्ट्रिप्स पर रंगीन रिबनों का प्रयोग;

(6) पक्षियों के जमघट को तितर-बितर करने के लिये पटाखों तथा तमंचों का प्रयोग;

(7) पक्षियों को डराने वाले कारतूस आयात किये जा रहे हैं।

(ग) भारत में विमानों को पक्षियों से टकराने से बचाने तथा पक्षियों को विमानों से टकराने से बचाने के लिये अपनाये गये उपर्युक्त उपाय वही हैं जो अन्य देशों में भी बरते जा रहे हैं।

पोस्त के चूरे का अवैध व्यापार

1090. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : *क्या* **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्त के चूरे का दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) गत वर्ष देश के विभिन्न भागों से पोस्त के चूरे और कैप्सूलों की कितनी मात्रा पकड़ी गई थी और

(ग) पोस्त के डोडों के उत्पादन और आधिपत्य पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गये नियम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। पोस्त की भूसी/डोडियों के अभिग्रहण के मामलों की संख्या और पकड़ी गई मात्रा निम्नानुसार बताई गई है :-

वर्ष	मामलों की संख्या	पकड़ी गई (मात्रा किलोग्राम में)
1979	19	11,779
1980	40	14,284 + 251 थैले

(ग) अफीम उगाने के लिये पोस्त की काश्तकारी अफीम अधिनियम 1857 और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1930 के तहत केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होती है। पोस्त की भूसी, अफीम के उत्पादन में प्राप्त होने वाला एक उपोत्पाद है। पोस्त की भूसी पर आधिपत्य रखने संबंधी नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा, उन्हीं के द्वारा बनाये गये नियमों के तहत, किया जाता है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (नवम्बर-दिसम्बर, 1981) में भाग ले रहे देशों की संख्या

1091. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (नवम्बर-दिसम्बर, 1981) में कितने देशों ने भाग लिया है और उद्योग मेले में कितने विदेशी प्रतिनिधि मंडल आये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत ब्रिटेन और अमरीका तथा फ्रांस जैसे देशों ने इस मेले में भाग नहीं लिया था;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन देशों के न आने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (नवम्बर-दिसम्बर, 1981) उनतालीस बाहर के देश भाग ले रहे हैं। चौबीस बाहर के देशों से प्रतिनिधिमंडलों के मेले में पधारने की आशा है (12 देशों से प्रतिनिधिमण्डल पहले ही मेले में पधार चुके हैं)

(ख) हालांकि ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका सरकारी स्तर पर भाग नहीं ले रहे हैं तथापि ये देश गैर/सरकारी क्षेत्र स्तर पर भाग ले रहे हैं। फ्रांस सरकारी स्तर पर भाग ले रहा है।

(ग) तथा (घ) अधिकांश देशों ने मेले में भाग न लेने के बारे कोई कारण नहीं बताये हैं।

रक्षा सेना विभाग के कर्मचारियों को रिहायशी आवास

1092. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के प्राधिकारियों ने रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को रिहायशी आवास का आबंटन करने की सुविधा बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा सेना विभाग के कर्मचारियों को सर्वत्र रिहायशी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके लिए मकान निर्मित करने के लिए कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां। कई केन्द्रों में जो आवास रक्षा सेना विभाग के कर्मचारियों के पास कई वर्षों से था उसे उनके पास समीक्षा होने तक रहने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) से (घ) रिहायशी आवास की व्यवस्था करने में कुछ समस्याएं हैं। स्थिति को सुधारने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ केन्द्रों में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य स्थानों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

रक्षा सेना विभाग में नियुक्त लेखा परीक्षकों की पदोन्नति

1093. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा विभाग में नियुक्त लेखा-परीक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें दो पदोन्नति देने के बारे में विचार कर रही है, जैसा कि कुछ अन्य विभागों में किया गया है; और

(ग) क्या सरकार इन लेखा-परीक्षकों को स्नातक भत्ता प्रदान करने के बारे में भी विचार पर रही है और यह भत्ता कब से दिया जाएगा;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की चासनाला खानों में कोकिंग कोल का उत्पादन

1094 **श्री ए. के. राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 (अक्तूबर तक) में बिहार के धनबाद जिले में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी की चासनाला खानों में कोकिंग कोल के महीने-वार उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उस कोयले में धोने से पहले और धोने के बाद राख की प्रतिशतता क्या थी;

(ख) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की जीतपुर खान से संबंधित उपरोक्त स्थिति क्या है;

(ग) चासनाला और जितपुर खानों में कोयले की उत्पादन लागत क्या है;

(घ) वर्ष 1980 और 1981 (अक्तूबर तक) के दौरान महीने-वार चासनाला और जितपुर खानों में रज्जुभोगी रेल गाड़ियों तथा ट्रकों द्वारा कितना-कितना कोयला ढोया गया, चासनाला-बर्नपुर रज्जुमार्ग की क्षमता क्या है, परिवहन के तीनों साधनों द्वारा कोयले की प्रतिटन प्रति किलोमीटर ढुलाई की वर्तमान लागत कितनी-कितनी है; तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रज्जुमार्गों द्वारा कोयले की ढुलाई का और विकास करने की गुंजाइश है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 और 1981–82 (अप्रैल-अक्तूबर, 1981) की अवधि में इस्को की चासनाला और जीतपुर की खानों में कोककर कोयले का महीनावार उत्पादन तथा शोधन से पहले और शोधन के पश्चात् राख की प्रतिशतता का **विवरण-1** संलग्न है।

(ग) कंपनी की वाणिज्यिक हित में उत्पादन की लागत नहीं बताई जा सकती।

(घ) जीतपुर की खानों का सम्पूर्ण उत्पादन एक मोनो के बिल रज्जुपथ द्वारा चासनाला को शोधनशाला को भेजा जाता है। वर्ष 1980-81 और 1981–82 (अप्रैल-अक्तूबर, 1981) के दौरान इस्को के बर्नपुर के कारखाने को चासनाला से रज्जुपथ द्वारा तथा रेल और सड़क मार्ग से भेजे गए कोयले का विवरण-2 संलग्न है। रज्जुपथ की दो पारियों के आधार पर वर्तमान ढुलाई क्षमता 400 टन प्रति घंटा है। परिवहन के तीनों साधनों द्वारा कोयले की प्रति किलो मीटर ढुलाई की वर्तमान लागत की जानकारी प्राप्त की जा रही है और बाद में दे दी जायेगी।

(ङ) और (च) चासनाला बर्नपुर आकाशीय रज्जपथ को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या बिजली की सप्लाई में होने वाली रुकावट है। जहां से रज्जुपथ शुरू होता है वहाँ डीजल से बिजली उत्पादन करने वाले सेट लगाकर बिजली की सप्लाई का वैकल्पिक स्रोत तैयार करने के लिए उपाय किए गए हैं। आशा है इन सेटों से अगले वर्ष के मध्य तक बिजली मिलने लगेगी। परिचालन तथा संधारण की भी कुछ समस्यायें हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण-1

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान चासनाला और जीतपुर की कोयला खानों में कोककर कोयले का उत्पादन तथा कोयले में राख का प्रतिशत

महीना	चासनाला खान उत्पादन (टन)		चासनाला खान कोयले में राख का प्रतिशत (औसतन)		जीतपुर खान उत्पादन (टन)		जीतपुर खान कोयलेले राख का प्रतिशत (औसत)		शोधन के पश्चात राख का प्रतिशत (साफ कोयला)	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल	23173	36599	30	29	10064	14008	25	25	21	21
मई	40518	37163	31	29	7350	13058	26	25	21	21
जून	24500	27280	31	31	9125	15255	24	25	21	22
जुलाई	15066	25459	32	31	11925	13037	25	25	21	22
अगस्त	12469	25756	37	32	9153	12072	24	25	22	22
सितम्बर	8448	25822	34	29	13710	12420	25	25	23	21
अक्तूबर	12075	35596	34	29	10558	10117	25	25	22	2i
नवम्बर	25651		30		9133		24		22	
दिसम्बर	43305		30		11607		24		22	
जनवरी	60758		31		13779		24		21	
फरवरी	58602		.0		12095		25		22	
मार्च	52570		30		15212		25		21	
जोड़ :	377135	213675	—	—	133771	89,967	—	—	—	—

विवरण-2

चासनाला से इस्को के बर्नपुर स्थित कारखाने को रज्जु-पथ रेल तथा सड़क द्वारा कोयले का परिवहन

(टन)

महीना	1980-81			1981-82		
	रज्जु-पथ	सड़क	रेल	रज्जु पथ	सड़क	रेल
अप्रैल	33874	11173	29458	30655	—	33137
मई	48003	12055	30308	37086	—	26377
जून	29322	14615	56626	38962	7996	29081
जुलाई	40007	17991	24782	28215	9996	37079
अगस्त	32387	11860	22271	35145	5000	43576
सितम्बर	34383	15000	24235	27347	2616†	44261
अक्तूबर	47157	14992	35232	35033	5027†	53687
नवम्बर	42253	10000	26274			
दिसम्बर	43464	99999	23014			
जनवरी	36918	9999	37371			
फरवरी	46745	6375	35081			
मार्च	40582	1202	30755			
जोड़ :	475095	135261	*352157	232437	30635	**267198

टिप्पणी : † केवल टिस्को को

* जिसमें से— इस्को=67271 टन
भिलाई=144376 टन
राउरकेला=140510 टन

** जिसमें से— इस्को=45678 टन
भिलाई=125008 टन
राउरकेला=96512 टन

वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा

1095. **श्री ए. के. राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में वर्षा ऋतु में वर्षवार तथा जोनवार औसतन कितनी वर्षा हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश के अधिकांश भाग में वर्षा ऋतु की वर्षा नहीं हुई; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) मौसम वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए देश को 35 सब-डिवीजनों में बाँटा गया है। पिछले दस वर्षों के लिए मानसून के दौरान देश भर में वर्षा के सब-डिवीजन वार मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 2961/81]

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मूल्य नीति का बनाया जाना

1096. **श्री आर एन राकेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मजदूर संगठन ने सरकार से राष्ट्रीय मूल्यनीति बनाने के लिए मूल्यों को नियन्त्रिय रखने हेतु और अधिक प्रभावशाली उपाय करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार को दिसम्बर 1980 में मूल्यों पर एक संकल्प भेजा गया था जिसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने अपने 22वें अधिवेशन में स्वीकार किया था। संकल्प में और बातों के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करने का सुझाव दिया था। संकल्प में दिए गए कुछ सुझाव सरकार की घोषित नीतियों के अनुरूप हैं।

असैनिक कर्मचारियों के लिए साझा रक्षा लेखा नियन्त्रक को अधिक काम हस्तान्तरित किए जाने के परिणाम

1097. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** सशस्त्र सेना मुख्यालयों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में 27 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक कर्मचारियों के लिये साझे रक्षा लेखा नियन्त्रक को अधिक काम हस्तांरित किए जाने के संबन्ध में जांच के क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय के सभी असैनिक कर्मचारियों से संबन्धित सारा काम इसे हस्तान्तरित हो चुका है और एक ही स्थान पर आ गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि का वर्ष 1980-81 का वार्षिक विवरण कब तक प्राप्त हो जाएगा;

(ङ) इस मामले में निरन्तर विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) नौ सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ते (टी. ए.) और निधि (फण्ड) खाते विषयक कार्य रक्षा लेखा नियन्त्रक (नौ. सेना) बम्बई से रक्षा लेखा नियन्त्रक (मु. का.) नई दिल्ली को 1-11-81 से सौंप दिया गया है। आदेश जारी कर दिए गये हैं कि सेना मुख्यालय

और अंत: सेवा संगठनों के असैनिक अधिकारियों की निधि खाते 1.12.81 से संयुक्त रक्षा लेखा नियन्त्रक (निधि) मेरठ से रक्षा लेखा नियंत्रक (मु. का.) को भेज दिए जाएं।

(ग) वायुसेना मुख्यालय में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों के वेतन और निधि खाते वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा रखे जाते रहेंगे, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। यह काम रक्षा लेखा नियन्त्रक (मु. का.) को सौंपने की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) नौ सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य मामलों में सामान्य भविष्य निधि के 1980-81 के विवरण भेजे जा चुके हैं। आशा है कि नौ सेना मुख्यालय के असैनिक कर्मचारियों के विवरण यथा शीघ्र ज्यादा से ज्यादा दिसम्बर, 81 के अन्त तक जारी कर दिए जाएंगे।

पटसन उद्योग के लिए राहत की व्यवस्था

1098. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन टाट बनाने के लिए अल्पावधि रक्षित भंडार बना कर तथा गलीचों के अस्तर के निर्यात के लिए भुगतान करके पटसन उद्योग को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रोत्साहन का तथा पटसन उद्योग के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वर्तमान मंदी में से पटसन उद्योग को उभारने के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) बाजार स्थिरता के उपाय के रूप में वन टाइम ब्रिजिंग आपरेशन के तौर पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा, रखी जाने वाली मांग पर डी. जी. एस· एण्ड डी. की मार्फत ई· सी. अधिनियम के अन्तर्गत बीट्विल बोरों की एक लाख गांठों की अधिप्राप्ति, जिसका समायोजना भविष्य में उसकी माँग के आधार पर किया जायेगा।

(2) निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में पटसन माल की लगभग सभी निर्यात योग्य वस्तुओं के जिनमें पटसन के कालीन के अस्तर का कपड़ा शामिल है, निर्यातों पर एफ. ओ. सी. मूल्य पर 1 सितम्बर 1981 से 31 मार्च, 1982 तक नकद मुआवजा सहायता देगा।

(3) सीमेंट उद्योग को अनुदेश जारी कर दिए गये हैं कि वे पुराने पटसन बोरों का प्रयोग 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दें। दूसरे शब्दों में भविष्य में सीमेंट की पैकिंग के लिए 90 प्रतिशत नये पटसन बोरे प्रयोग में लाने होंगे।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे कच्चे पटसन के लिए कीमत समर्थन कार्य के रूप में भारतीय पटसन निगम से 4 सप्ताह की खपत और नवम्बर, 1981 से लेकर जनवरी, 1982 तक के चरम मौसम के दौरान 2 सप्ताह की अतिरिक्त खपत सहित 14 सप्ताह की खपत तक कच्चे पटसन की खरीद के लिए पटसन मिलों को अतिरिक्त ऋण दें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नवम्बर तथा दिसम्बर में की जाने

वाली कच्चे पटसन की खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 10 प्रतिशत तथा जनवरी 1982 में की जाने वाली खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 15 प्रतिशत करने पर भी विचार करें।

इण्डियन एयर-लाइन्स की उड़ानों में सिखों द्वारा कृपाण लेकर चलना

1099. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृपाण के मामले के सम्बन्ध में अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक पैनल के चेयरमैन ने अपना यह मत व्यक्त कर दिया है और सरकार को सम्बन्धित सांविधिक उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए कृपाण धारण करने और उसे ले जाने के बारे में अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों के विभिन्न चरण

1100. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में लगभग 400 संयुक्त उद्यमों की स्वीकृति प्रदान की है, यदि हां, तो प्रत्येक देश के मामले में पृथक-पृथक पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी उद्यम उत्पादन की स्थिति में है और कितने उद्यम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं (सम्बन्धित देशों के नाम बताये जायें); और

(ग) शेष संयुक्त उद्यमों को कार्यरूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सितम्बर, 1981 के अन्त तक सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 438 अनुमोदन दिये थे। इस सम्बन्ध में देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वित न होने का कारण सामान्यतः स्वयं उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात मूल योजना पर अमल न करने के जानबूझ कर तथा अभिक्षतापूर्ण निर्णयों को ठहराया जा सकता है। कार्यान्वित न होने के जो अन्य कारण हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेश-पूर्व सर्वेक्षणों तथा परियोजना रिपोर्टों की अपर्याप्तता, वित्त जुटाने तथा माल के विपणन में समस्याओं की जानकारी न होना शामिल है।

विवरण

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों के देश-वार विश्लेषण

(30-9-1981 को)

क्रम सं.	जहां स्थित है उस देश का नाम	कुल अनुमोदन	कार्यरत	कार्यान्वयन अन्तर्गत	परित्यक्त	कार्यान्वित नहीं किये गये
1.	2	3	4	5	6	7
1.	आस्ट्रेलिया	2	1	—	—	1
2.	बहराइन	2	1	1	—	—
3.	बंगलादेश	1	1	—	—	—
4.	बोटस्वान	1	—	1	—	—
5.	साइप्रस	3	—	2	—	—
6.	फिजी	3	1	—	1	1
7.	फ्राँस	1	1	—	—	—
8.	ग्रीस	1	—	1	—	—
9.	हांगकांग	4	1	1	1	1
10.	इंडोनेशिया	26	12	4	1	9
11.	ईरान	13	1	—	1	11
12.	केन्या	24	10	2	3	9
13.	कुवैत	5	1	1	—	3
14.	लाइबेरिया	1	—	1	—	—
15.	मलेसिया	61	29	5	6	21
16.	मौरीशस	16	6	1	4	5
17.	नेपाल	10	1	6	—	3
18.	नेदरलैंड	2	1	1	—	—
19.	नाइजिरिया	28	6	7	4	11
20.	ओमन	6	2	1	1	2
21.	फिलीपाइन्स	6	2	1	2	1
22.	साउदी अरेबिया	12	3	2	—	7
23.	सेनेगल	2	—	1	—	1
24.	सिचलीस	1	—	1	—	—
25.	सिंगापुर	27	12	9	—	6
26.	श्रीलंका	27	3	10	—	14
27.	स्विटजरलैंड	1	—	1	—	—
28.	तंजानिया	4	—	1	5	3

1	2	3	4	5	6	7
29.	थाईलैंड	17	5	5	—	7
30.	टोंगा	1	—	1	—	—
31.	उगांडा	2	1	—	—	1
32.	संयुक्त राज्य अमीरात	30	9	4	2	15
33.	ब्रिटेन	15	7	3	2	3
34.	सं. रा. अमरीका	22	7	7	2	6
35.	पश्चिमी जर्मनी	5	1	1	1	2
36.	यूगोस्लाविया	1	—	1	—	—
37.	जाम्बिया	7	—	1	1	5
	उप योग	390	125	84	32	149
38.	अफगानिस्तान	8	—	—	1	7
39.	कनाडा	7	—	—	3	4
40.	कोलम्बिया	1	—	—	—	1
41.	इथोपिया	9	—	—	4	5
42.	गाना	1	—	—	—	1
43.	ग्रेनाडा	1	—	—	—	1
44.	हंगरी	1	—	—	—	1
45.	इराक	2	—	—	—	2
46.	आयरलैंड	3	—	—	1	2
47.	जापान	1	—	—	—	1
48.	लेबनान	2	—	—	—	2
49.	लीबिया	3	—	—	1	2
50.	मोरक्को	1	—	—	—	1
51.	कतार	3	—	—	—	3
52.	स्पेन	1	—	—	—	1
53.	टोगो	2	—	—	—	2
54.	त्रिनीदाद	1	—	—	—	1
55.	यमन अरब गणराज्य	1	—	—	1	—
	उप-योग	43	—	—	11	37
	महा योग	438	125	84	43	186

परित्यक्त :—वे संयुक्त उद्यम जो कुछ समय तक कार्यरत थे परन्तु बाद में छोड़ दिये गये।

सिले सिलाए वस्त्र उद्योग में इकाइयों का बन्द होना

1101. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहाँ तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, सिले सिलाये वस्त्र उद्योग को इस मामले में सबसे अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ठेका समाप्त हो जाने के नाम पर सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग में बन्द होने वाली इकाइयों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये हस्तक्षेप करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इकाइयों को बन्द होने से बचाने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) यह धारणा कि विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सरकार परममित्र व्यवहार दे रही हैं, तथ्य पर आधारित नहीं है। तथापि, सरकार ने सिले सिलाए वस्त्र परिधानों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इस बन्द के उद्योग के सम्बन्ध में सामान्य उदार नीति अपनायी है।

(ख) सिले सिलाए परिधान उद्योग में खास तौर पर बिदेशी क्रेता के साथ ठेका समाप्त हो जाने के कारण, बन्द होने का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों की स्थापना

1102. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए किन स्थानों पर सरकारी उपक्रमों की स्थापना की जाएगी; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) छठी योजना 1980-85 के अन्तर्गत उद्योग और खनिज क्षेत्र की नई योजनाओं के लिए 5.887 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है (छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के पृष्ठ 276 पर अनुबंध 16.2)। नई योजनाओं की स्थिति के बारे में निर्णय तब किया जाएगा जबकि इन योजनाओं के अन्तर्गत एक-एक करके पूंजी लगाने के लिए विस्तृत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा। चूंकि एककों के स्थानों के बारे में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से निर्णय किया जाएगा, अतः जब तक तकनीकी आर्थिक विश्लेषण पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके स्थानों का बताना संभव नहीं है।

असम मे बुनाई उद्योग

1103. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौयान असम में बुनाई उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है;

(ख) असम में निर्यात प्रधान कपास और रेशम बुनाई हथकरघा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन देने की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए जिन योजनाओं पर काम हो रहा है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हाँ।

(ख) असम के लिए एक निर्यात अभिमुख हथकरघा उत्पादन परियोजना को स्वीकृति

दी गई है जिस पर पांच वर्ष की अवधि में 39.73 लाख रुपए का परिव्यय होगा और इसकी व्यवस्था 75 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में की जाएगी। सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कच्चे माल की सप्लाई, विपणन तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में इस परियोजना में 1000 करघे कवर करने का विचार है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अतिरिक्त, असम में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दे रही है :—

1. प्राथमिक बुनकर समितियों को अंश पूंजी ऋण/भागीदारी सहायता, जिसमें औद्योगिक किस्म की समितियां स्थापित करने के लिए सहायता शामिल है।
2. बुनकर समितियों को प्रबन्धकीय उपदान।
3. हथकरघा विकास के प्रभारी राज्य निगम को अंश पूंजी सहायता।
4. राज्य शीर्ष समिति को अंश पूंजी सहायता।
5. करघा पूर्व तथा करघा-पश्चात् संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता।
6. सहकारी क्षेत्र में करघों के आधुनिकीकरण/खरीद के लिए सहायता।

पश्चिम बंगाल में पटसन के वसूली के कार्य को पुनः आरम्भ किया जाना

1104. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन के स्टाक को न उठाने के कारणों का कोई गहराई से अध्ययन किया है जिससे पटसन उत्पादकों को भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा है; और

(ग) सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम को यह कहने के लिये क्या कार्यवाही करने का है कि निगम अपने पटसन वसूली कार्य को जोरदार ढंग से पुनः आरम्भ करे और इस प्रकार किसानों को अत्यधिक कठिनाई से बचाये जो उन्हें इस समय हो रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का अध्ययन करने का सरकार के पास कोई कारण नहीं था; क्योंकि चालू मौसम में भारतीय पटसन निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की खरीद संतोषजनक रही है। 12.75 लाख गांठों के लक्ष्य की तुलना में भारतीय पटसन निगम ने 14-11-1981 तक पहले ही 7.89 लाख गांठें खरीद ली हैं जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 3.71 लाख गांठें खरीदी गई थीं।

(ग) पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम का खरीद कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। स्टोरेज के लिए भारतीय पटसन निगम के भांडागार स्थान का विस्तार करने तथा उसे बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उपाय किये गये हैं।

श्री सीताराम मिल का अधिग्रहण

1105. **प्रो. मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सीताराम मिल के कर्मचारियों तथा महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार

से यह आग्रह किया है कि वह औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उक्त मिल का अधिग्रहण कर लेना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या मिल के कुप्रबन्ध की कोई जांच की गई है और क्या केन्द्रीय सरकार मिल के अधिग्रहण के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मिल का अधिग्रहण कब तक कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) श्री सीताराम मिल्स लि. के कामगारों ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार को श्री सीताराम मिल्स का अधिग्रहण करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से कार्यवाही शीघ्र करने का अनुरोध किया है। इस औद्योगिक उपक्रम के कार्यसंचालन की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन एक जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली से अन्यत्र ले जाना

1106. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उपक्रमों ने दिल्ली में अपने कार्यालयों की स्थापना की हुई है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली के सन्तुलित विकास के एक प्रयास के रूप में ऐसे सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली से अन्यत्र ले जाने के औचित्य पर विचार किया है जिनके काम पर उनके स्थान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में सरकारी उपक्रमों को अपने कार्यालयों की स्थापना करने के बारे में यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 48 उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली में हैं। सरकार की यह नीति है कि दिल्ली में अब और अधिक कार्यालय स्थापित न किए जाएं। अतः वर्तमान नीति के अनुसार यह आवश्यक है कि बिना सरकार की स्वीकृति के दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोई नया कार्यालय स्थापित न किया जाए।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

1107. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी स्थापना कब होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं।

परन्तु आंध्र प्रदेश के बॉक्साइट निक्षेपों के आधार पर उस राज्य में एक एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के बारे में एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। परियोजना की लागत हेतु वित्तीय प्रबन्ध करने और उत्पादित होने वाले एल्यूमिना के निर्यात के बारे में सोवियत रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन पहलुओं के संतोषजनक समाधान के बाद ही निवेश संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों पर तस्करी

1108. **श्री डी. पी. जदेजा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों पर तस्करी की गतिविधिां दिन प्रतिदिन वढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) गत छः महीनों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) क्या तस्करी की घटनाओं को देखते हुए सरकार सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के बारे में विचार कर रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश और बर्मा के साथ लगी भू-सीमाएं तस्करी के लिए सुगम्य हैं। परन्तु इन रिपोर्टों से कोई संकेत नहीं मिलता कि इन सीमाओं पर किसी बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है।

(ख) और (ग) इन भू-सीमाओं पर तस्करी रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थित सीमा शुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा सम्बन्धित एजेंसियों अर्थात् सीमा-शुल्क अधिकिरियों, सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस के बीच अपेक्षाकृत अधिक समन्वय स्थापित करना है।

सरकार इन उपायों के कार्यान्वयन से निकलने वाले परिणामों की नियतकालिक आधार पर समीक्षा करके मूल्यांकन करती है जिससे इस सम्बन्ध में आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जा सके।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक की बैठक

1109. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न पुस्तकों पर विचार करने के लिए दिनांक 29 अगस्त, 1981 को वाशिंगटन में उसकी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्मेलन में भारत की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी विचार किया गया था;

(ग) अन्य किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या निर्णय लिए गए थे;

(घ) क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने अमरीकी सरकार की नीति का समर्थन किया था; और

(ङ) क्या सम्मेलन में अमरीका द्वारा अपनाये गए रुख की दृष्टि में रखते हुए भारत को वह ऋण नहीं मिलेगा, जिसका कि उसने अनुरोध किया था ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) विश्व बैंक समूह के गवर्नरों के बोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की वार्षिक बैठकें 29 सितम्बर, 1981 को वाशिंगटन में हुई थी ।

(ख) कोष बैंक की बैठकों की कार्य-सूची में भारत की आवश्यकताएं नहीं थीं ।

(ग) एक **विवरण** संलग्न है, जिसमें बैठक की कार्य-सूची दी गई है । बैठक में इन मदों पर किए गए निर्णय औपचारिक कार्यवाई में दिए जाएंगे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) अमेरिका सरकार की नीति बैठक की कार्य-सूची में नहीं थी ।

(ङ) चूंकि भारत द्वारा ऋण के लिए किया गया कोई अनुरोध बैठक की कार्य-सूची में नहीं था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवहार के प्रभाव का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

उन मदों का विवरण जिन पर विश्व बैंक समूह के गवर्नरों के बोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा 29 सितम्बर, 1981 को वाशिंगटन में हुई अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया गया ।

विश्व बैंक : (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक)	1. वार्षिक रिपोर्ट 2. वित्तीत विवरण और वार्षिक लेखा परीक्षा । 3. सिवल आय का निर्धारण । 4. राजकोषीय वर्ष 1982 का प्रशासनिक बजट । 5. विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट और कार्य निष्पादन की समीक्षा । 6. कार्यकारी निदेशकों का प्रशासनिक प्रबन्ध । 7. वर्ष 1981-82 के लिए अधिकारियों और संयुक्त प्रक्रिया समिति का चुनाव ।
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम :	1. वार्षिक रिपोर्ट । 2. वित्तीय विवरण और आर्थिक लेखा-परीक्षा । 3. वित्तीय वर्ष 1982 का प्रशासनिक बजट ।
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ :	1. वार्षिक रिपोर्ट । 2. वित्तीय विवरण और वार्षिक लेखा-परीक्षा । 3. वित्तीय वर्ष 1982 का प्रशासनिक बजट ।

निम्नलिखित रिपोर्टों पर भी विचार किया गया था :

(1) गवर्नरों के बोर्ड की संयुक्त समिति की रिपोर्ट (क्राइन रिपोर्ट) पर विचार ।

(2) अधिकृत पूंजी में वृद्धि और उसमें चीन का अभिदान ।

(3) बैंक की अधिनियमावली के अनुच्छेद 11 की धारा 3(ग) के अन्तर्गत अपने अग्रकक्ष अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सामान्य पूंजी वृद्धि में भारत द्वारा अभिदान ।

सोने की नीलामी सम्बन्धी पुरी समिति

1110. **श्री बालकृष्ण बासनिक :**

श्री चित्त महाटा :

श्री आर. पी. गायकवाड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की नीलामी सम्बन्धी पुरी समिति की रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) श्री के. आर. पुरी की रिपोर्ट की जाँच करने और यह बताने के लिए कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जाय, मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया गया जिसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट पर इस ग्रुप द्वारा अभी विचार किया जा रहा है और इस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री पुरी ने विभिन्न ब्यौरे देते हुए एक गुप्त टिप्पणी भेजी थी ताकि सरकार इस मामले में आगे जाँच कर सके। इस टिप्पणी में निहित सूचना आगे कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग की जाँचकर्त्ता एजेंसियों को भेज दी गई है। इन जाँच-कार्यों के परिणामों के आधार पर संबंधित कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

भारत में काम कर रही गैर सरकारी विमान कम्पनियां

1111. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी गैर-सरकारी विमान कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) उनके पास कितने-कितने और किस-किस प्रकार के विमान हैं; और

(ग) भारत में और भारत से बाहर किन किन रुटों पर ये विमान कम्पनियां अपने विमान उड़ाती हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला **विवरण** 1 संलग्न है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला **विवरण** 2 और 3 संलग्न है।

विवरण- 1

ऐसे निजी परिचालकों की सूची, जिन्हें 31.3.1982 तक वैध परमिट जारी किए गए हैं।

क्रम संख्या	परिचालक का नाम	विमान का प्रकार	इनके स्वामित्व वाले विमानों/हेलीकाप्टरों की संख्या
1.	एयर सर्वे कम्पनी आफ इण्डिया प्रा. लि. 6/2 जैस्सोर रोड़, दमदम, कलकत्ता 28	सैसना 320 ए डी सी—3 डी सी—3	3

1	2	3	4
2.	एयर वर्क्स इंडिया, बम्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, सांताक्रूज बम्बई 28	डी सी—3 डी सी—3 डी सी—3	3
3.	भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, (भारत एयर), 5 ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता-700 019.	बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर पाइपर पानी बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर डी सी—3	6
4.	भारत एग्रोविएशान सर्विस प्रा. लि· 51; हनुमान रोड़ नई दिल्ली—110001.	बैल 47 जी 5 हेलिकपाँप्टर	1
5.	ईस्ट एयर, रामेशावरपटनम्, भुवनेश्वर—751002.	बुनान्जा ए—35	1
6	गोल्डनसन एविएशन, 421 पारीख मार्किट, आपेरा हाउस,बम्बई—400004.	टुविन बीच	1
7.	हंस एयर प्रा. लि. 205, गाल्फ लिंक्स, नई दिल्ली—110003.	विसकाउंट विसकाउंट	2
8.	पुष्पक एविएशन प्रा. लि. , वाशानि चैम्बर्स, प्रथम मंजिल, 47, न्यू मैरिन लाईस, बम्बई—400020.	बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर बैल 47 जी 5 हेलिकाप्टर कैरेवेल	4
9.	संघी एविएशन, 7 एफ, झंडेवालान, नई दिल्ली—	बम्बल बी एयरक्राफ्ट	1

विवरण 2

नागर विमान के महानिदेशक द्वारा अनुमत तथा अनुसूचित परिचालकों द्वारा परिचालित मार्गों को दर्शाने वाली सूची ।

क्र. सं.	परिचालक का नाम	मार्ग	कैफियत
1.	मैसर्ज हंस एयर प्रा. लि·	बम्बई-शारजाह—बम्बई (2 उड़ानें प्रति सप्ताह)	एयर इन्डिया के सहयोगी के रुप में परिचालन कर रहे हैं।
2.	मैसर्ज पुष्पक एविएशन प्रा. लि.	बम्बई शारजाह-बम्बई (5 उड़ाने प्रति सप्ताह)	एयर इंडिया के सहयोगी के रूप मेंपरिचालन कर रहे हैं।

टिप्पणी : 9 निजी परिचालकों में से, केवल दो ही यात्री सेवाओं का परिचालन कर रहे हैं।

विवरण 3

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित परिचालकों द्वारा अर्जित लाभ/हानि

(लाख रुपयों में)

		1978	1979	1980
1.	हंस एयर प्रा. लि	5.16	1.99	— (लाभ)
	नई दिल्ली	—	—	20.52(हानि)
2.	पुष्पक एविएशन प्रा. लि	4.91	14.31	6·69 × (खाभ)
	बम्बई.	—	—	—(हानि)

× ये आंकड़े अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 तक की अवधि के लिए हैं।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए आवंटित राशि

1112. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास हेतु आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष किन स्थानों को लिया गया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) ने हैदराबाद में 50 कमरों वाली एक होटल परियोजना के लिए आन्ध्र प्रदेश यात्रा तथा पर्यटन विकास निगम के साथ एक सहयोग करार किया है। परियोजना की लागत, व्यवहार्यता अध्ययन, आदि के बारे में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1981-82 में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए जिनमें हैदराबाद से संबंधित परियोजना शामिल है, 29 लाख रुपये का एक मुश्त प्रावधान किया गया है। तथापि परियोजना को अमल में लाना इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवहार्यता अध्ययन संतोषजनक हो और संसाधन उपलब्ध हों।

रेनगुंटा हवाई अड्डे पर प्रकाश की व्यवस्था

1113. **श्री पी राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनगुंटा (तिरुपति) हवाई अड्डे पर प्रकाश की व्यवस्था है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करने पर विचार कर ही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) आस-पास पहाड़ियों की वजह से, रेनीगुंटा (तिरुपति) विमान क्षेत्र रात्रीकालीन तरणों के लिए उपयुक्त नहीं है और इण्डियन एयरलाइंस ने भी ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था ने का अनुरोध नहीं किया है।

चित्तूर जिले में बिसानाट्टम सोने के खानों का विकास

1114. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चित्तूर जिले की बिसानाट्टम सोने की खान और अनन्तपुर जिले की सोने की खान का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) चित्तूर जिले की बिसानाट्टम स्वर्ण खान का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में येप्पामाना स्वर्ण खान को वाणिज्य उत्पादन हेतु पुनः खोलने का फैसला किया है। इस परियोजना हेतु 4.38 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.27 करोड़ रुपए की राशि 31-3-81 तक व्यय की जा चुकी थी। चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना हेतु 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

त्रिपुरा सरकार के आदेशों का उल्लघंन करके भारतीय पटसन निगम द्वारा बिचौलियों से पटसन की खरीद

1115. **श्री अजय विश्वास**

श्री वाजू वन रियान : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पटसन निगम त्रिपुरा सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके बिचौलियों से खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम को अनुदेश दिए हैं कि वह राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बिचौलियों से पटसन न खरीद कर सीधे पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) त्रिपुरा सरकार ने इस मौसम में पटसन उपजकर्ताओं को पहचान पत्र देने की योजना लागू की है। राज्य सरकार द्वारा पहचान पत्र वितरित करने का काम पूरा नहीं हुआ था कि उपजकर्ताओं का पटसन बाजार में आना आरम्भ हो गया। चूंकि ऐसी स्थिति में उपजकर्ताओं को कठिनाई हो सकती थी, इसलिए भारतीय पटसन निगम ने त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सभी उपजकर्ताओं से, कच्चे पटसन की खरीद करने का विनिश्चय किया जिनमें वे उपजकर्ता भी शामिल थे जिन्हें राज्य सरकार की एजेन्सी से पहचान पत्र प्राप्त नहीं हुये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पटसन निगम की कार्य योजना में, जिसे सरकार ने पहले अनुमोदित कर दिया है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कीमत समर्थन कार्य का लाभ सीधे उपजकर्ताओं को मिले भारतीय पटसन निगम इस बात की कोशिश करेगा कि बिचौलियों से खरीदारी न की जावें।

आयात के लिए आरक्षित स्तर

1116. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि वर्तमान 3763 करोड़ रुपए का आरक्षित स्तर (जो अगस्त, 81 में था) तीन महीने के आयात के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त होगा जब कि योजना आयोग ने कम से कम 11 महीने के आयात के लिए राशि आरक्षण की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) 1980-81 में अगस्त 1981 के अन्त में भारत का अनन्तिम आयात बिल 12329 करोड़ रुपए का था जबकि इसके मुकाबले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3763 करोड़ रुपए का ही था। यह राशि 1980-81 के स्तर पर लगभग 3 ½ महीने के आयात के लिए पर्याप्त होगी। 1980-85 की छठी आयोजना में अर्थ व्यवस्था की अत्यावश्यक जरूरतों के होते हुए भी विदेशी मुद्रा भंडार को उचित स्तर कायम रखने की आवश्यकता की सिफारिश की गई है। सरकार ऐसे सभी उपाय कर रही है जिनसे विदेशी मुद्रा भंडार को उचित सीमा तक बनाए रखा जा सके।

कर्नाटक में रेशम के मूल्य में वृद्धि

1117. **श्री टी. आर. शमन्ना** :

श्री डी. पी. जदेजा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कर्नाटक में रेशम के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वह 500 रुपए से बढ़कर 600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो रेशम बुनकरों और रेशम उद्योग को मूल्य वृद्धि के कारण अनुभव हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इस बीच वर्तमान कमी के दूर करने के लिए कच्ची रेशम का आयात तदर्थ आधार पर करने की व्यवस्था की जा रही है।

"इस्को" में रिक्त पद

1118. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इस्को" (आई. आई. एस. सी. ओ.) के दोनों संयंत्रों में कितने पद रिक्त पड़े =; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) गत चार वर्षों में वर्षवार "इस्को" में कितने लोगों को रोजगार दिया गया;

—र

(ग) शेष पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अपेक्षित =कारी नीचे दी गई है :-

कारखाना/वर्ष	वर्ष में भरे गए पद	पदो की संख्या वर्ष के अन्त में रिक्त पद
बर्नपुर का कारखाना		
1978	1070	503
1979	479	1490
1980	362	2680
1981	367	2882
कुल्टी का कारखाना		
1978	259*	1268*
1979	292	1198
1980	76	1671
1981	324	1356

* केवल गैर-कार्यपालकों के सम्बन्ध में।

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) के कुछ प्रभागों में जन-शक्ति के आवश्यकता से अधिक होने तथा मालिक-मजदूर संबंधों की स्थिति को देखते हुये जुलाई, 1978 से इस्को में नए कामगार भती करने पर आम रोक लगा दी गई थी। तब से भर्ती रिक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि समय-समय पर आवश्यकताओं के निर्धारण तथा प्रबन्धकों द्वारा उसके लिए स्वीकृति देने के पश्चात ही की जाती है।

कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील की चादरों का मूल्य

1119. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील की चादरों का इस समय प्रति टन बाजार मूल्य क्या है; और

(ख) सेलम इस्पात का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ठंडी बेलित बेदाग इस्पात की चादरों के बाजार मूल्य उनकी क्वालिटी, साइज, ऊपरी सतह की फिनिश, चादरों/क्वायलों आदि के परिमाप पर निर्भर रहने के कारण काफी हद तक भिन्न-भिन्न होते हैं और इनके मूल्य अलग-अलग इकाइयों द्वारा मांग और लोकप्रियता के आधार पर नियत किए जाते हैं। खनिज और धातु व्यापार निगम की मार्फत आयात किए गए इस्पात और सेलम इस्पात कारखाने के भिन्न भिन्न मोटाई के उत्पादों के तुलनात्मक बिक्री मूल्य इस प्रकार हैं :

मोटाई	खनिज व धातु व्यापार निगम की मार्फत आयातित	सेलम इस्पात कारखाना
	(रुपये प्रति टन)	(रुपये प्रति टन)
28 गेज	70,000	65,000
26 गेज	65,000	62,000
24 गेज	56,500	53,000
22 गेज	55,000	51,000

इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया जाना

1121. **श्री चित्त महाटा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने (i) कोककर कोयले को समूचे सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से (ii) डेड बर्नट मैगनेसाइट को जब भारत में आयात किया जाता है यथा मूल्य 40 प्रतिशत से अधिक शुल्क से पहले ही मुक्त कर रखा है। यह छूट इस समय क्रमशः 30 जून, 1982 तक तथा 28 फरवरी, 1982 तक के लिए है।

सेलम इस्पात कारखाने में वेतन के लिए आयातित हाट बैंडों पर लगने वाले आयात शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पटसन की खरीद का लक्ष्य

1122. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने दी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हमारे देश में पटसन की खरीद करने के मामले में भारतीय पटसन निगम का लक्ष्य क्या है; और

(ख) भारतीय पटसन निगम ने चालू मौसम के दौरान वस्तुतः कितने पटसन की खरीद की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम के चालू मौसम (जुलाई 1981 से जून 1982) के दौरान देश में 21 लाख गांठों की खरीद के लक्ष्य में से निगम ने 14-11-1-81 तक 12.11 लाख गाँठों की खरीद की है।

गैर-बैंककारी और गैर-बीमाकारी गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियां

1123. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 अक्तूबर, 1981 को अग्रणी गैर-सरकारी गैर-बैंककारी और गैर-बीमाकारी वित्तीय कंपनियों की संख्या कितनी थी और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन कंपनियों का कुल अनुमानित मुनाफा कितना है ;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 31-3-78 की स्थिति के अनुसार देश में एक करोड़ रुपए से अधिक की जमाएं और छूट प्राप्त ऋण राशियां स्वीकार करने वाली कुछ वित्तीय और विविध गैर.बैंकिंग कम्पनियों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह सूचना सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, मार्च, 1981 के भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, चुनी हुई 299 गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कम्पनियों के, 1977-78 और 1978-79 के वर्षों के करपूर्व सकल लाभ क्रमश: 16.79 लाख और 18.63 लाख रुपये थे।

विवरण

देश में एक करोड़ रुपये से अधिक की जमाएं और छूट प्राप्त ऋण राशियाँ प्राप्त करने वाली वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों के नाम

वित्तीय कम्पनियां

1. मोटर जनरल फाइनेंस लि., नई दिल्ली
2. इंस्टालमेंट सप्लाई प्रा. लि., नई दिल्ली
3. सुन्दरम फाइनेंस लि. मद्रास
4. मर्केंटाइल क्रेडिट कारपोरेशन लि., मद्रास
5. करम चन्द थापर एण्ड ब्रदर्स लि. कलकत्ता
6. कोयना इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. लि., महाराष्ट्र
7. नवभारत फाइनेंस कं. प्रा, लि., महाराष्ट्र
8. जयभारत क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि. महाराष्ट्र
9. लक्ष्मीचन्द भगतजी लि., महाराष्ट्र
10. कालिंदी इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., गुजरात

गैर-बैंकिंग कम्पनियां

11. पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि., कलकत्ता
12. अनामिका इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., कलकत्ता
13. गरुड़ चिट एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., बम्बई
14. दिव्य वसुन्धरा फाइनेंस कं प्रा. लि., गुजरात
15. संतोष बेनिफिट लि., ट्रेडिंग कं प्रा. लि., महाराष्ट्र
16. गुजरात सेविंग यूनिट प्रा. लि., गुजरात
17. श्री विशालम चिट फंड लि., तमिलनाडु
18. नवरत्न चिट फंड एण्ड फाइनेंस प्रा. लि., नई दिल्ली
19. प्रीमियर चिट फंड एंड फाइनेंस प्रा. लि., दिल्ली
20. सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लि., केरल।

लघु पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए प्रायोगिक योजना

1124. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास हमारे देश के लघु सीमांत पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए कोई प्रायोगिक योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल के चुनिन्दा मिलों में छोटे तथा सीमान्त पटसन उपजकर्ताओं के लाभ के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श में एक प्रयोगिक योजना शुरू की है। भारतीय पटसन निगम के बोर्ड ने विभिन्न आकस्मिक व्यय पूरा करने के लिए 36,000 रु. की राशि स्वीकृत की है। योजना के अन्तर्गत, बैंक ऋण देंगे, राज्य कृषि विभाग निविष्ट साधनों की सप्लाई सुनिश्चित करेगा और भारतीय पटसन निगम लाभभोगी से समर्थन कीमतों पर सारी फसल की खरीद करेगा।

मुद्रास्फीति कम करने के लिए उठाए गए कदम

1125. **श्री पी. नामग्याल**

श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि उन्होंने कहा था (हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 12 अक्टूबर, 1981) कि वर्ष 1981-82 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति कम होकर एक अंक (सिंगल डिजिट) तक आ गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान मुद्रास्फीति की दरें क्या कर रही हैं; और

(ग) मुद्रास्फीति को और कम करने के लिए मुख्य कदम क्या उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक कीमतों के सूचकांक (1970-71=100) के रूप में 14 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान बिन्दु प्रति बिन्दु के आधार पर 8.1 प्रतिशत बैठती है। थोक कीमतों के सूचकांक की वार्षिक मुद्रास्फीति दरें 1979-80 में 21.4 प्रतिशत और 1980-81 में 16.4 प्रतिशत रही।

(ग) सरकार ने पूर्ति पक्ष में बहुत से मुद्रास्फीति निरोधक उपाय किए हैं, जिसमें अधिक उत्पादन और आवश्यक वस्तुओं के आयात के द्वारा घरेलू पूर्ति को बढ़ाने के लिए किए गये उपाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, जमाखोरों और कालाबाजारियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के उपाय, मुद्रा उपलब्धि और बैंक ऋण के विस्तार को रोकने के लिए मौद्रिम उपाय, काले धन का पता लगाने के उपाय शामिल हैं। कीमत स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है और इस संबंध में उभरती हुई प्रवृत्तियों को देखते हुए, जब जैसी आवश्यकता होगी, और उपाय किए जाएंगे।

भद्रक जिला बालसोर, उड़ीसा में जीवन बीमा निगम की शाखा खोलना

1126. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री उड़ीसा में कार्य कर रहे जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय और भद्रक, उड़ीसा में जीवन बीमा निगम की शाखा खोलने के बारे में क्रमशः

20 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4404 और 20 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक, जिला बालसोर (उड़ीसा) में जीवन बीमा निगम की इस बीच नई शाखा खोल दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जीवन बीमा निगम भद्रक में शाखा कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध कर रहा है। इसे आशा है कि वर्ष 1981-82 समाप्त होने से पहले कार्यालय खोलने के लिए प्रबन्धों को जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

पारादीप में इस्पात संयंत्र के लिए ठेका

1127. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप में स्थापित किए जाने वाले 4 मिलियन टन के इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण का ठेका डेवीमेकी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कांसोर्टियम को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने पारादीप इस्पात कारखाने की स्थापना का कार्य आद्योपान्त (टर्न की) आधार पर ब्रिटेन के मेसर्स डेवी मेकी को सौंपने का निर्णय लिया है बशर्ते कि करार की सभी शर्तें सन्तोषजनक ढग से तय हो जाएं। आशा है प्रस्तावित कारखाने के प्रथम चरण की क्षमता 15 लाख टन होगी। चूंकि इस बारे में बातचीत अभी चल रही है, अतः इस समय कोई विवरण देना समय-पूर्व होगा।

पश्चिम बंगाल की चांद पत्थर की वोलफ्राम खानों का राष्ट्रीयकरण

1128. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में चांद पत्थर की वोलफ्राम खानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार के निर्णय पर्याप्त औचित्य होने तथा फलितार्थों पर विचार करने के बाद ही लिए जाते हैं।

अजमेर के समीप पुष्कर जी में 5-स्टार होटल

1129. **आचार्य भगवान देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर के समीप महातीर्थराज पुष्करजी में राज्य सरकार की सहायता से एक 5-स्टार होटल स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस पर क्रमशः कितनी धन राशि खर्च की जाएगी।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में अजमेर के पास पुष्करजी में 5-स्टार होटल के निर्माण संबंधी किसी स्कीम की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 2 से 3 स्टार होटलों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगा रहा है जिनमें से एक होटल का निर्माण अजमेर में किया जाएगा। इस बारे में अभी तक कोई करार नहीं किया गया है। तथापि परियोजनाओं को अमल में लाना इस बात पर निर्भर करेगा कि संसाधन उपलब्ध हों और व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन संतोषजनक हो।

स्मारक डाक टिकटों के लिये कागज का आयात

† 1130. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार रंगों में स्मारक डाक टिकटों के लिए नान वाटर मार्क वेस काज का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस ऐजेन्सी के माध्यम से उसका आयात किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान किन किन देशों से इसका आयात किया गया है और प्रत्येक देश से कुल कितने मूल्य का ऐसे कागज का आयात किया गया; और

(ग) भविष्य में इस तरह के कागज का निर्माण करने के लिए जिन फर्मों ने प्रयोगात्मक आधार पर कार्य शुरू किया है उनके नाम क्या हैं और वे अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड इस समय अनेक रंगों वाले स्मारक डाक टिकटों के लिए अन-वाटर मार्क वेस कागज का आयात कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रणालय ने केवल यूनाइटेड किंगडम से ही अन-वाटर मार्क वेस पेपर का आयात किया है। आयातों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	आयात के आर्डर की मात्रा (रिम)	फर्म	लागत बीमा भाड़ा (लाख रुपए)
1978-79	(1) 1014	मैसर्स विगिन्स टापे ओवरसाज सेल्स लिमिटेड हैम्पशायर, यू. के.	3.12
	(2) 986	मैसर्स हैरीसन एंड सन्स (हाई वाईकोंब लि.) बकिंघमशायर यू. के.	2.98

1	2	3	4
1979–70	शून्य	शून्य	शून्य
1980-82	2250	मैसर्स हैरासीन एंड सन्स (हाई वाई कोंब) लिमिटेड, बर्किधमशायर यू. के.	10.47

(ग) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने देशीय स्रोतों से टेंडर मांगे थे जो 16.10.80 को खोले गए थे और मैसर्स गांधी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, बम्बई और मैसर्स श्री विंध्यपेपर मिल्स लिमिटेड बंबई से दो कोटेशन प्राप्त हुए थे। नमूनों की बार-बार जांच करने के बाद भी ये दो फर्में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कागज विकसित नहीं कर पाई हैं। तथापि फर्मों को समय-समय पर जांच के नमूनों के दोष सूचित किए जा रहे हैं जिससे कि वे उन्हें सुधार सकें। हाल ही में मैसर्स त्रिवेणी टिश्यूज लिमिटेड, कलकत्ता भी इस कागज का विकास करने के लिए आगे आई है और ऐसी प्रत्याशा है कि मुद्राणालय द्वारा जांच किये जाने के लिये शीघ्र ही उनके द्वारा नमूने की रीलें भेजी जायेंगी।

चाय पर उत्पादन शुल्क में कमी

1131. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** चाय पर उत्पादन शुल्क में कमी करने के बारे में 4 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय पर उत्पादन शुल्क में कमी करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदन की अन्तिम रूप से जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सरकार ने अधिसूचना सं. 166/81 तथा 171/81 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दिनांक 17-10-81 के अनुसार बागानों और अन्यथा दोनों से चायों के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क छूट योजना की घोषणा की है, जिनकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की ग्रेटर कैलाश मार्किट शाखा के लूटे जाने के बारे में जांच पड़ताल

1132. **निहाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** ग्रेटर कैलाश मार्किट, नई दिल्ली स्थिति यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की शाखा को लूटे जाने के बारे में 4 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2816 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की ग्रेटर कैलाश मार्किट शाखा को लूटने की घटना के बारे में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) यूनाइटेड बैंक आफ

इण्डिया ने सूचित किया है कि पुलिस ने संदेह में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था लेकिन जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है।

बड़े हवाई अड्डों को वातानुकूलित किया जाना

1133. **श्री निहाल सिंह :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** बड़े हवाई अड्डों को वातानुकूलित बनाने के बारे में 21 अगस्त, 1981 केअ तारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े हवाई अड्डों को वातानुकूलित करने के निर्णय के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर वर्तमान टर्मीनल भवन जिनमें यात्री संचालन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, वातानुकूलित हैं। इस संबंध में पहले से ही हो चुका व्यय निम्न प्रकार है :

विमानन क्षेत्र का नाम	लाख रुपयों में
बम्बई विमान क्षेत्र	103.14
दिल्ली विमान क्षेत्र	104.61
कलकत्ता विमान क्षेत्र	45.97
मद्रास विमान क्षेत्र	54.46

निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में, नागर विमानन विभाग की (1) पटना, (2) त्रिची, (3) अहमदाबाद, (4) त्रिवेन्द्रम तथा (5) वाराणसी विमान क्षेत्रों पर यात्री हैंडलिंग क्षेत्रों को वातानुकूलित बनाने की योजना है।

बोइंग 707 के स्थान पर नया विमान

1134. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बोइन्ग 707 के समुचित प्रतिस्थापन के लिये एयर इण्डिया ने लाकहीड एल-1011 ट्रिस्टार सहित किस किस प्रकार के विमानों पर विचार किया है और उन विमानों के क्या नाम हैं तथा उनका निर्माण करने वाले देश कौन-कौन से हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : ऐसे विमानों के नाम तथा उनके निर्माणकर्त्ता देश, जिनका एयर इण्डिया ने अपने बोइंग 707 विमानों को संभवतया बदलने की दृष्टि से अध्ययन किया है, निम्न प्रकार है :

	निर्माणकर्ता	विमान माडल/टाइप	निर्माणकर्ता देश
1.	लाकहीड	एल 1011-500	संयुक्त राज्य अमरीका
2.	मैकडोनल डगलस	डी. सी. 10-30	,, ,,
3.	बोइंग	बी 747 एस. पी	,, ,,
4.	एयरबस	ए 300/बी 4	फ्रांस

=0

विदेशों में स्थित भारतीय ट्रेवल एजेंसियों द्वारा एयर इण्डिया को धोखा दिया जाना

1135. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि विदेशों में स्थिति कुछ भारतीय ट्रेवल एजेंसियों ने एयर इण्डिया को कई लाख रुपये का धोखा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य करने के तरीके बताते हुए तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देय राशि को वसूल करने के लिए तथा इस तरह के बेईमान ट्रेवल एजेंटों से एयर इण्डिया की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कुछ यात्रा एजेंटों से एयर इंडिया को देय राशियों के भुगतान में चूक की है।

(ख) कुछ एजेंटों ने अपनी बिक्री से एयर इंडिया को प्रभावित करके उनका विश्वास प्राप्त कर लिया और बाद में बड़ी मात्रा में यातायात बुक किया, परन्तु धन का भुगतान नहीं किया। बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया और गायब हो गए और बाद में जब कभी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की गई तो उन्होंने अदालत में साबित कर दिया कि उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। कुछ मामलों में एजेंटों ने उधार की अवधि को एयरलाइन्स द्वारा अनुमत सीमा से अधिक लम्बा खींच दिया ताकि उन्हें और अधिक व्यवसाय मिल सके और और इसके परिणामस्वरूप भी नकद अदायगी की समस्याओं के कारण बकाया संचित हो गई।

(ग) ऐसे सभी मामलों में एयर इण्डिया ने बकाया धनराशि की वसूली करने की जबर्दस्त कोशिशें की हैं और कुछ मामलों में उन्हें सफलता भी मिली है। अन्य कुछ मामलों में कानूनी कार्यवाही अभी तक चल रही है। एयर इण्डिया ने एजेंटों द्वारा देय राशियों की वसूली के जोरदार प्रयत्न किए हैं और अब वे एजेंटों के साथ कारोबार की शर्तों में काफी सख्ती बरत रहे हैं।

काले धन का पता लगाने के लिये छापे

1136. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन का पता लगाने और अपवंचन के मामलों का पता करने लिए वर्ष 1981 के दौरान 15 नवम्बर, 1981 तक देश के विभिन्न भागों में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें अंतर्ग्रस्त लोगों के नाम क्या हैं और काला धन कितना मिला है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कीग ई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग ने वर्ष 1981 अर्थात् 1 जनवरी, 1981 से 21 नवम्बर, 1981 तक के दौरान सम्पूर्ण भारत में छिपाई गई आय तथा धन का पता लगाने के लिए 3109 तलाशियां ली हैं। इन तलाशियों के दौरान प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य लगभग 24.67 करोड़ रुपये की मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं, जिनमें नकली सोना-चांदी, जवाहिरात तथा अन्य परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

(ख) मामलों की संख्या बहुत अधिक होने से प्रत्येक मामले में नाम तथा पता लगाये गये काले धन की रकम बता पाना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, माननीय सदस्य यदि किसी मामले विशेष में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वह उन्हें पेश की जा सकती है।

(ग) इन मामलों में कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंकिंग सेवाओं में ह्रास

1137. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा की जाने वाली बैंकिंग सेवा के स्तर में ह्रास हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं के स्तर में गिरावट आ रही है। अलबत्ता, बढ़े हुए कार्यों और अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते ग्राहक सेवाओं में निरन्तर सुधार की आवश्यकता को, सरकार ने स्वीकार किया है। हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त किए गये ग्राहक सेवा विषयक कार्य दल की अधिकांश सिफारिशें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकार कर ली गई है। एक छोटा दल, जिसमें सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इन सिफारिशों के कार्यान्वियन पर नजर रखता है और बैंकों में ग्राहक सेवाओं की लगातार समीक्षा भी करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, ग्राहक सेवा को एक महत्वपूर्ण सामूहिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है।

उत्पादन शुल्क अपवंचन को रोकने का कार्यक्रम

1138. **श्री गुलाम रसूल कोचक** :

श्री बी. पी. देसाई : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के प्रयास में केन्द्रीय सरकार ने छः सूत्री कार्यक्रम स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) 1981 के प्रारम्भ के दौरान किस सीमा तक उत्पादन-शुल्क अपवंचन होता रहा है; और

(ङ) उसको कहां तक रोका गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, हां। इस कार्यक्रम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन शुल्क के अपवंचन को रोकने के निमित्त एक नया अभियान शुरू करने, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता लगाने सम्बन्धी काम करने वाले विभागीय तन्त्र को सुदृढ़ बनाने और सरकार की विविध प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल लाने की अपेक्षा की गई है।

(ग) प्राप्त हुए परिणामों का जायजा लेना अभी समय-पूर्व की बात है।

(घ) तथा (ङ) अपवंचन की सही मात्रा बताना सम्भव नहीं है। तथापि, वर्ष 1981 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के पता लगाये गए मामले निम्नानुसार हैं :—

समाप्त होने वाली तिमाही की अवधि	मामलों की संख्या	पकड़ा गया शुल्क अपवंचन (लाख रुपयों में)
(1) 31-3-1981	1275	338-92
(2) 30-6-1981	1245	442.25
(3) 30-9-1981	1374	1539.70

(इसमें तीन समाहर्तालय शामिल नहीं हैं)

रुपये का मूल्य

1139. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये का नवीनतम मूल्य इसके 1970-71 के मूल्य की तुलना में और डालर की तुलना में कितना है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उसी अवधि में इसके मूल्य क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय पौंड स्टर्लिंग तथा संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य से है। 31-3-1970, 20-12-1971 तथा 23-11-1981 को रुपये की विनिमय दर इस प्रकार थी :—

दिनांक	1 पौंड स्टर्लिंग = रुपये	1 अमेरिकी डालर = रुपये
31-3-1970	18.00	7.50
20-12-1971	18.9677	7.2793
23-11-1981	17.45	9,1915

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पौंड स्टर्लिंग तथा अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये का विनिमय मूल्य इस प्रकार था :

दिनांक	1 पौंड स्टर्लिंग = रुपये	1 अमेरिकी डालर = रुपये
31-3-1979	16.80	8.1364
31-3-1980	17.85	8.2467
31-3-1981	18.50	8.2442

बागडोगरा-दार्जिलिंग-संगतोक के बीच नियमित उड़ानें

1140. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा और दार्जिलिंग, बागडोगरा और संगतोंक तथा दार्जिलिंग एवं संगतोक के बीच नियमित उड़ानों के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दार्जिलिंग तथा गंगटोक में अभी कोई विमान क्षेत्र नहीं हैं। इन स्थानों के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के प्रश्न को केवल तभी उठाया जा सकता है जब वहाँ विमान क्षेत्रों का निर्माण हो जाए।

"सलेम प्लांट्स एस. ओ. एल. टू. गवर्नमेंट" शीर्षक समाचार

1141. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अक्तूबर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "सलेम प्लांट्स एस. ओ. एस. टू. गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हाट-रोल्ड स्टेनलैस स्टील लेड्स पर आयात शुल्क को कम करने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जैसा कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सुझाव दिया गया, सरकार का विचार कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा इसे नियंत्रित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ङ) सलेम इस्पात संयंत्र के 86 करोड़ रुपये के अंतर्विष्ट वार्षिक हानि को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है अथवा पहले ही उठा लिए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) देश में बेदाग इस्पात की वर्तमान उपलब्धि को देखते हुए वर्तमान आयात नीति में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ङ) बेदाग इस्पात के हॉट बैण्डों के लिए आयात शुल्क के बारे में निर्णय के लिए जाने के पश्चात् ही सेलम इस्पात कारखाने की हानि, यदि कोई हो, को पूरा करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

फार्म के अतिरिक्त फंड को औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्था

1142. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री जय नारायण रोट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फार्मों के अतिरिक्त फण्ड को औद्योगिक क्षेत्र में व्यय करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि अतिरिक्त फण्ड का इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण उर्वरक और कागज जैसे फार्म के क्षेत्र से जुड़े उद्योगों का विस्तार करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हाँ, इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) से (ङ) सहकारी बैंकों द्वारा अतिरिक्त साधनों के नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित अध्ययन दल द्वारा हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में देश के कुछ क्षेत्रों में सहकारी बैंक ऋण के योग्य अतिरिक्त आन्तरिक साधनों (जो कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के अलावा है) की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कृषि तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए ऋणों और अग्रिमों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तथापि दल ने यह चेतावनी दी है कि अतिरिक्त साधनों की समस्या अस्थायी है। दल ने सहकारिता के अन्दर और बाहर इन राशियों को अधिकांश रूप में कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाभकारी रूप में नियोजित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाया है। इनमें और बातों के साथ-साथ सहकारी संसाधन एककों, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि उत्पाद विपणन संघ (नैफेड), भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संगठन (इफको) के वित्तपोषण के लिए कार्यशील पूंजी और सहकारी चीनी मिलों, कताई मिलों आदि, डेरी विकास निगमों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सहकारी क्षेत्र के परिवहन निगमों और आवासन विकास निगमों के लिए पूंजी ऋण शामिल है।

"स्कोप फार कन्ट्रैक्ट्स इन इराक, कुवैत" शीर्षक समाचार

1143. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 में "स्कोप फार कान्ट्रैक्टर्स इन इराक, कुवैत" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक से बी. बाला सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाले भारतीय दल ने किस अवधि के दौरान इराक, कुवैत तथा दुबई सहित अनेक देशों का दौरा किया था;

(ग) दल का निम्नलिखित के बारे में क्या मूल्यांकन था;

(1) विभिन्न देशों में चालू परियोजनाओं के प्रभावी एवं त्वरित निष्पादन में अनुभव की जा रही विभिन्न कठिनाइयां;

(2) इन समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाये गये उपाय;

(3) 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 1981 के दौरान दिए गए कुल देशों में भारत का अंश; और

(घ) भविष्य में नए ठेकों में अधिक अंश प्राप्त करने की संभावनाएं क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) इस दल ने 2 अक्तूबर, 1981 से 14 अक्तूबर, 1981 तक ईराक, कुवैत, बहरीन तथा दुबई का दौरा किया था।

(ग) और (घ) इन पहलुओं पर दल का मूल्यांकन प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशों को लौह अयस्क का निर्यात

1144. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों को लौह अयस्क की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लौह-अयस्क निर्यात के क्या लक्ष्य थे और इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो प्रत्येक मामले में उसके क्या कारण हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) लौह अयस्क निर्यातों के लक्ष्य और वास्तव में निर्यात की गई मात्रा निम्नलिखित है :—

(मात्रा मिलियन मे. टन. में)

	लक्ष्य	वास्तविक
1978-79	23.20	21.46
1979-80	26.00	24.88
1980-81	29.00	24.43

(ग) निर्यात लक्ष्य में गिरावट, विश्व इस्पात उद्योग में अत्यधिक मन्दी तथा लौह अयस्क के मुख्य विदेशी खरीदारों के पास अधिक माल होने के कारण आई है। इसके अलावा 1980-81 में कुछ अवस्थापना सम्बन्धी बाधाएं भी थी। चालू वर्ष का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कानपुर में आटा मिलों के मालिकों के घर आयकर विभाग द्वारा छापे मारा जाना

1145. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक आटा मिल के मालिक तीन भाइयों के घर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गये छापे के दौरान लेखा बाह्य आय, हीरे, सोना और आभूषण बरामद हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) महोदय, आयकर विभाग ने, एक आटा मिल तथा उस कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में अक्तूबर, 1981 को तलाशी की कार्यवाही के दौरान, प्रथम दृष्टया लेखा बाह्य 87,000/-रु. नकदी तथा लगभग 1,38,32,944/-रु. मूल्य के जवाहिरात पकड़े हैं। उक्त आटा मिल का कारोबार कानपुर, धनबाद, कलकत्ता, वाराणसी तथा दिल्ली में है।

(ग) इस मामले में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत उचित कार्यवाही की जा रही है।

काले धन के बारे में सर्वेक्षण

1146. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप :

श्री तारिक अनवर :

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समूचे तौर पर काले धन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह धन राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए एक आयोग की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है; और

(घ) काले धन को रोकने के लिए सरकार के सामने अन्य समाधान क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) काले-धन सम्बन्धी बुराई को, कर कानूनों को अधिक कारगर रूप से लागू करने तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरूद्ध अभियान छेड़ने जैसी बहुमुखी कार्यवाही के जरिये दूर किया जा रहा है।

रूस से वस्त्र निर्यात आदेशों को हथियाने के लिये बम्बई में कार्यरत कार्टल्स (व्यापार समूह)

1147. **श्री वी. एस. विजय राघवन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से वस्त्र निर्यात आदेश हथियाने के लिये बम्बई में कुछ व्यापार समूह कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार समूह के कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) रूस से परिधान निर्यात आर्डर हथियाने के लिए बम्बई में कार्य कर रहे किन्हीं व्यापार समूहों की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

होटलों के लिए राज्यों के साथ भारतीय पर्यटन विकास निगम के संयुक्त उद्यम

1148. **श्री वी. एस. विजय राघवन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों की स्थापना के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम ने राज्यों के साथ संयुक्त उद्यमों की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत

पर्यटन विकास निगम ने लगभग समान इक्विटी पार्टीसिपेशन के साथ प्रत्येक राज्य में एक नयी कम्पनी बना कर संयुक्त उद्यम पर्यटन परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली होटल परियोजनाओं की प्लांनिग' डिजाईनिग प्रबन्ध व्यवस्था और मार्केटिंग भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आपस में मंजूर की गई उचित वाणिज्यिक शर्तों पर की जाएगी।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

1149. **श्री के. मालन्ना** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक और इसकी उदार ऋण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत के लिए 17 करोड़ 90 लाख डालर की कुल राशि के दो ऋण स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये स्वीकृत किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का आशय पश्चिम बंगाल सामाजिक वनपालन परियोजना के लिए 6-10-1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा अनुमोदित 2.9 करोड़ डालर के एक ऋण तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के लिए चौदहवें उदार के रूप में 8-10-1981 को विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) के साथ हस्ताक्षरित 15.0 करोड़ डालर के एक ऋण करार से है। यह उधार तथा ऋण दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का मानक शर्तों के आधार पर है।

पश्चिमी बंगाल की सामाजिक वनपालन परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सारे ग्रामीण अंचलों में घरेलू उपभोग के लिए ईंधन की लकड़ी की सप्लाई को बढ़ाना है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को उधार दी गई राशि से निगम को उसकी सहायता से चल रही आद्यौगिक परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा लागत के वित्तपोषण में सहायता मिलेगी।

मुद्रा स्फीति दबाव कम करने में प्राप्त उपलब्धियां

1150. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. वदेव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1981 को समाप्त हुये वर्ष से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुये मुद्रास्फीति दबाव कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक की क्या उपलब्धियां तया हैं?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार कीमत स्थिति पर निगरानी रखती है। स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए बहुत से मुद्रास्फीति निरोधी उपाय किए गए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप कीमत स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक कीमतों के सूचकांक (1970-71=100, के रूप में जो 15 नवम्बर, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह में 16.6 प्रतिशत थी, 14 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में कम हो कर 8.1 प्रतिशत हो गई।

———

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह सब मेरी अनुमति के बिना बोला जा रहा है। (**व्यवधान**)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) मैंने केरल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। क्या आप उसे स्वीकृत कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मौखिक बात-चीत के बड़े ही इच्छुक हैं, तो उनके लिए सदन से बाहर के स्थान कहीं अच्छा रहेगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) मौखि क्या अन्यथा ?

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा भी। सज्जनों, माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनें : हमें प्रतिदिन कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : जनता ने आपको माननीय सदस्य बनाया है।

श्रीजगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) आप सदैव ही उन्हें माननीय सदस्य कहते हैं। इसीलिए तो वे नहीं सुनते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे माननीय हैं। लोगों ने उन्हें माननीय बनाया है। वे माननीय सदस्य हैं। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मैं तो केवल यह चाहता हूं, सदैव यह समझने का प्रयत्न करें कि इससे जो भी समय नष्ट होता है, सभी लोगों का एक साथ खड़े होना कोई समझदारी नहीं है। यह कोई ठीक बात नहीं है। इससे कोई योगदान नहीं होता है।" यदि प्रोफेसर साहिब ने इस बुलेटिन को पढ़ा है तो उन्हें इसे नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि हमें तो राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले अध्यादेश पर विचार करना है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उसमें सेन्सर नहीं है। हम सरकार को सेन्सर करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी यह आपकी इच्छानुसार नहीं हो सकता है। इस पर बहस होनी है। अतः उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। (**व्यवधान**)* नहीं, नहीं। अब आप मुझसे तर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। (**व्यवधान**)* अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं है। मैं अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)* इतनी दूर की मत सोचिये। ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार के वक्तव्य मत दीजिए। सरकारी तन्त्र क्या करेगा ? ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : देवली की जो घटना घटी है उसके एविडेन्स को समाप्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदया वहां गई हैं। अब उसको छोड़िए। अब मैं इस पर चर्चा नहीं चलाऊंगा। अब कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। उसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)* कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : वहाँ पर मुलजिम शिवमंगल सिंह एम. एल. ए. के घर में छुपे हुए हैं और एविडेंस को डिस्ट्राय किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री महोदया वहां गई हुई हैं। (**व्यवधान**)* इसकी अनुमति

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं है, नहीं है। यह बहुत बुरी बात है यह बिल्कुल बुरी बात है। यह बहुत बुरी बात है। यह अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मत कीजिए। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। (व्यवधान)* कुछ भी कार्यवाही वृतन्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)* माननीय सदस्यों को परमात्मा के वास्ते इस सदन का सम्मान करना चाहिए। इस सदन का सम्मान करो। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। ऐसा न कीजिए। आप सारी गरिमा का सत्यानाश कर रहे हैं। आप जो कुछ करना चाहते है, इस तरह से उसको खराब कर रहे हैं आप मेरे पास भिजवा दीजिए। जो कहें वह मैं करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा मत करिए। आप रोज यह मत करिए। आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कब रोका है आपको ? लेकिन आप रोज ऐसा करते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। (व्यवधान)। यह बाहर दे दीजिएगा। यहां न आइए। राकेश जी मैं उन्हें नहीं ले जा सकता हूं ऐसा मत कजिए, बहुत हो चुका है। कृपया ऐसा न कीजिए। (व्यवधान) श्रीमान जगपाल जी ऐसा मत कीजिये। यह कुछ भी नहीं है। कृपया ऐसा न करें। (व्यवधान) इसका कोई मतलब नहीं है। हम केरल पर विचार करने जा रहे है। यह मेरे पास आ चुका है (व्यवधान)

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालम) : ऐसा करने का उपयुक्त स्थान कौन सा है ? आप हमारी परवाह क्यों नहीं करते हैं ? हम इस मामले पर कहां चर्चा करें ? (व्यवधान) भोले-भाले लोग मारे गये थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं हमें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम इस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता है··· हम उद्घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इसका अनुमोदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेताओं में से कोई मदद करेगा इस बात में कि वे इस तरह की बातों पर नियन्त्रण रखें। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जानते हैं कि केरल में राष्ट्रपति शासन है। (व्यवधान) कुछ लोगों का कत्ल किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। श्रीमन मुखर्जी जी, क्या मैं आपसे अपील करना ? (व्यवधान) मैं इस सभा को कैसे चलाऊं ?

श्री ए. के. बालन : हम इस मामले पर कहां चर्चा करें ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी। (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, केरल में राष्ट्रपति का राज्य है ··

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी हमारे पास उद्घोषणा आ रही है। हमें इसका अनुमोदन करना है। प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केन्द्र उसके लिए सीधे जिम्मेवार है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहा है। वह चर्चा के लिए आ रहा है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज तो नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं हो सकता। एक मिनट की बात थोड़े ही होती है। मेरे पचास स्थगन प्रस्ताव हैं। वे एक साथ कैसे आ जायेंगे ? वे बारी-बारी ही आ पायेंगे। वे तो बारी से ही लिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो देखिये। यह प्रोक्लेमेशन है···

अध्यक्ष महोदय : इसी पर आ जायेगा सारा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रणब मुखर्जी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ।

(1) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 760 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु में नेगनेसाइट के लिये विस्तृत खोज करने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग को प्राधिकृत किया है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2943/81]

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचना, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा एक विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 26 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 870 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-2944/81]

(2) (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण बताने

वाले एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-2945/81]

(4) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2946/81]

युनाइटिड इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा, आदि के बारे में एक विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : श्री मगनभाई बरोट की ओर से मैं निम्नलेखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) युनाइटिड इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) युनाइटिड इण्डिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड मद्रास की 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-2947/81]

(ख) (एक) नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रन्थालय में रखे गये। देलिए संख्या एल-टी. 2948/81]

(ग) (एक) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बम्बई के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(ओ) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल-टी. 2849/81]

(घ) (एक) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली का 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2950/81]**

सभा का कार्य

गृह मन्त्रालय और ससदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैय्या) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं···घोषणा करने के लिए खड़ा होता हूं। **(व्यवधान)**

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने आकाशवाणी के बारे में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। **(व्यवधान)** मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूं। **(व्यवधान)**

श्री ए. के. बालन (ओट्टापालन) : कुछ लोग मारे गये थे। यहाँ तक संसद सदस्य भी जोकि वामपंथी दलों से सम्बद्ध हैं कत्ल के भय से मुक्त नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता हूं। **(व्यवधान)** मैंने अनुमति नहीं दी है। **(व्यवधान)** यह सज्जन क्या कर रहे हैं ? **(व्यवधान)** हमें अवसर मिला है। **(व्यवधान)** श्री खुर्शीद आलम खान।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में·····" **(व्यवधान)**

श्री ए. के. बालन : अब केन्द्रीय सरकार····· ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर हमें चर्चा करनी है। हम चर्चा करेंगे।

श्री ए. के. बालन : केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री ए. के. बालन : स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है अनुमति नहीं है। हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री ए. के. बालन : हमें चर्चा के लिए अवसर प्राप्त करना है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस मामले पर विचार करना है। हमें उद्घोषणा पर चर्चा करनी

है। यह हमारे पास आ गया है। हम इस पर विचार कर रहें हैं (व्यवधान) आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? हमें मामले पर विचार करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पांच व्यक्ति एक साथ क्यों बोल रहे हैं ? मैं आपकी कुछ भी बात नहीं सुनता। (व्यवधान)

श्री ए. के . बालन : यहाँ पर कोई विधान सभा नहीं है

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं?

श्री ए. के. बालन : आप का निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि हमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा करनी है और तब आप प्रत्येक बात पर चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चार पाँच व्यक्ति एक साथ क्यों बोल रहे हैं ? आप एक व्यक्ति को क्यों नहीं बोलने देते ।

श्री ए. के. बालन : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)

श्री ए. के. बालन : कृपया मेरी बात सुनिये क्या हमसे यहाँ पर धरना देने की आशा की जाती है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखनी है। यह आपका कक्ष है मेरा नहीं।

श्री ए. के. बालन् : मैंने कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध मे एक स्थागन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। एक महीने में 25 व्याक्ति मारे गये।

अध्यक्ष महोदय : हमें उद्घोषणा पर चर्चा करनी है। मैं उस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री ए. के. बालन : वहां कोई विधान सभा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :(नई दिल्ली) आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे सकते हैं। उनको उत्तर देने दीजिए। केरल में राष्ट्रपाति शासन है।

अध्यक्ष महोदय : दीजिए, मैं इसको देखूंगा जो कुछ सम्भव हो सकेगा किया जा सकेगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : (अलप्पी) हमने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्तावों के नोटिस दिये हैं। (व्यवधन)

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं मैंने तथ्य पता किये हैं। मैंने मामले को भेजा है। यह मेरे ध्यान में है आपको मुझसे कितनी बार कहलवाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मेरी विशेषाधिकार प्रस्ताव की पूर्व सूचना पर आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : अब हर बात पाँच या छः व्यक्ति एक साथ बात करते हैं। उनको कैसे सुना जाये ? ना मैं कुछ सुन पाता और न आप। मैं तो सुनना चाहता हूं लेकिन कोई सुनने नहीं देता है। आपकी उसमें भी कोई सम्बद्धता नहीं है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) मैं आपसे निवेदन करता हूं (**व्यवधान**) अगले सप्ताह के कार्य का हमें एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ा।

अध्यक्ष महोदय यही तो मैं भी कह रहा हूं। क्या दोबारा करवा देता ? मैं दोबारा करवा देता हूं।

(**श्री पी वेंकट सुब्बैराया**) आपकी अनुमति से तथा श्री इन्द्रजीत गुप्ता की इच्छाओं के अनुरूप मैं इसे दोबारा दोहरा दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता :इसको कोई नहीं सुन सका। केवल मैं भी नहीं।

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : माननीय अध्यक्ष ने मुझे कहा है मैं इसे दोबार पढ देता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 30 नवम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :–

1. राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1981 पर विचार तथा पारित करना।
2. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (क) अफ्रीकी, विकास निधि विधेयक, 1981
   (ख) पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 1981
   (ग) आयुध (संशोधन) विधेयक, 1981 राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में
4. देश की अखण्डता के विरुद्ध पृथकतावादी तत्वों के षडयंत्र से उत्पन्न स्थिति पर मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1981 को आगे चर्चा।
5. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर 2 दिसम्बर, 1981 को चर्चा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल में रोज घटनायें हो रही हैं, हत्यायें हो रही हैं, उस पर अगले सप्ताह डिसकशन नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मैंने आपको उसका दूसरा तरीका बता दिया है :

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह कार्यसूची में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की दयनीय अवस्था हो गई है, क्योंकि पिछले साल उनके गन्ने की कीमत 22 रु. प्रति क्विंटल थी इस साल चीनी मिल-मालिकों के दबाव से गन्ने की कीमत 20.50 रु. प्रति क्विंटल कर दी गई है। इससे उन्हें करोड़ों रुपये की हानि होगी। अस्तु इस पर लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए कि किसानों को गन्ने के उत्पादन में बढ़े हुए लागत खर्च के दायरे में लाभकारी मूल्य मिल सके।

पूर्वी चम्पारन जिला में गण्डक परियोजना के अन्तर्गत जिला निससरण विभाग के कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है, इससे पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारन तथा छपरा जिला के लाखों किसान पीड़ित हैं। इस विषय को भी अगले सप्ताह की कार्य सूची में लाया जाना चाहिए।

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यों के लिए निम्न दो सुझाव देना चाहता हूं :

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अशान्त स्थिति-आज सम्पूर्ण देश के विश्वविद्यालयों और कालेजों में अशान्त वातावरण की स्थिति के चलते छात्रों की पढ़ाई या तो ठप्प है या संतोषजनक रूप से नहीं चल रही है। छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों में घोर असंतोष है और आन्दोलन के मैदान में उतर चुके हैं।

बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेजों में तो स्थिति विस्फोटक है। पटना विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी पिछले तीन माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय का सारा काम ठप्प है। शिक्षकों और राज्य पाल में प्रतिनिधि मंडल मिलने के सवाल पर विवाद चल रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति और भी खराब है। वहाँ के छात्र अपनी 19 सूत्री माँगो को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ के शिक्षक समुदाय की माँग है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया जाए। सर्वत्र जातिवाद भी खुल कर खेल रहा है। छात्रों पर लाठियों, गोलियों से प्रहार किया जा रहा है। अतः इस महत्वपूर्ण सवाल पर इस सदन में बहस अत्यावश्यक है अन्यथा हमारी भावी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद-खनिज शास्त्र की शिक्षा देने में इस संस्था की प्रसिद्धि देश में रही है। यह संस्था दसियों वर्षों से अपने इस महत्वपूर्ण काम में लगी हुई है जिसने हजारों खनिज शास्त्री पैदा किए हैं जो देश के विकास संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। इसका सलाना बजट डेढ़ करोड़ रुपए का है। इस राशि का अधिकांश भाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलता है। परन्तु, पिछले कुछ वर्षों से इसकी स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है। वहां के प्रबन्धकों के अदूरदर्शिता के कारण व्यवस्थापकों, अध्यापकों और कर्मचारियों में मेल नहीं है। प्रबन्धक इस बात पर तुले हुए हैं कि वे अध्यापकों और कर्मचारियों की सही बातें भी नहीं सुनेंगे। संस्था के धन का खुल कर दुरुपयोग होता है। वहाँ कोई नियम कानून नहीं है। अध्यक्ष और निदेशक जो चाहते हैं, वही होता है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विचार होना चाहिए, ताकि वहां की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : जनवरी 1980 में केरल विधानसभा चुनाव में वाम तथा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जनता के आदेश पर सत्तारूढ़ हुए थे, परन्तु दो साझेदारों के सत्तारूढ़ गठबन्धन से बाहर चले जाने पर अक्टूबर 1981 में यह सरकार समाप्त हो गयी।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : उनको इसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए।

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : मंत्री को यह नहीं मालूम कि अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है।

उस समय अपनाया जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता यह था कि विधान सभा को भंग करके नये चुनाव कराये जाते ताकि लोगों को मौजूदा राजनैतिक स्थिति में अपनी पसन्द की सरकार चुनने के अधिकार का प्रयोग करने क अवसर प्राप्त हो जाता। परन्तु ऐसा करने के बजाय पर सरकार तथा सत्तारूढ़ दल ने केरल विधान सभा को समाप्त करने का षडयन्त्र किया

जिससे वे सौदेबाजी करके सरकार बना सकें। एक महीना हो गया है परन्तु वे सरकार नहीं बना सके हैं। लोगों पर एक अल्पसंख्यक सरकार थोपने का षडयन्त्र जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केरल में कानून और व्यवस्था के विषय में कुछ नहीं कह रहे।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : वाम तथा लोकतान्त्रिक मोर्चे के शासन काल के समय केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काफी शोर-सराबा था उसे स्वयं सत्तारूढ़ दल के भी कुछ सदस्यों ने सभा के सामने प्रस्तुत किया है। परन्तु अब यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गयी है। मैं केरल विधान सभा को भंग करने तथा शीघ्रातिशीघ्र नये चुनाव कराने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि वक्तव्य पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी होती है। आपने इसे उन्हें नहीं दिखाया है। अतः जो कुछ भी अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किया जाता है वही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा। अन्यथा, हम सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते।

श्री नीलालोहियादसन नाडार : भारत सरकार तथा वाणिज्य मंत्रालय नारियल के तेल का आयात करने का षड्यन्त्र कर रहे हैं। यह कार्य वाणिज्य मंत्री द्वारा सभा के दोनों सदनों में दिए गये आशवासनों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त इससे केरल जैसे राज्यों की कृषि अर्थ व्यवस्था बर्बाद हो जायेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि नारियल के तेल के आयात के लिये कार्यवाही न की जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जैसा कि आप जानते हैं मूलतः हलदिया पत्तन की कलकत्ता बंदरगाह प्रणाली के एक अंग के रूप में कल्पना की गई थी। वास्तव में यह अपनी स्थापना के समय से ही कलकत्ता बन्दरगाह प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रही है। 1976 में एक समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि वर्तमान प्रणाली को बनाये रखा जाये।

दुर्भाग्य से, पूरी स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए नौवहन मंशालय द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह आशंका है कि उसी समिति ने हल्दिया पोर्ट को कलकत्ता बन्दरगाह प्रणाली से पृथक करने की सिफारिश की है। यह हल्दिया पत्तन तथा कलकत्ता पत्तन दोनों के लिए हानिकारक कदम होगा। इस मामले का पश्चिम बंगाल के तथा देश के अन्य भागों के बहुत लोगों द्वारा विरोध किया गया है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पश्चिम बंगाल विधान सभा ने, जिसमें कांग्रेस आई के सदस्य भी सम्मिलित हैं, इस पृथक्करण के प्रस्ताव का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल विधान सभा का एक सर्व-दलीय शिष्ट मंडल जिसमें विपक्ष का नेता, अर्थात कॉंग्रेस (आई) का नेता भी सम्मिलित था, प्रधान मंत्री से मिले थे तथा माँग की कि पृथक्करण के प्रस्ताव को तुरन्त समाप्त किया जाये। वाणिज्य मंडलों, समाचार पत्रों पश्चिम बंगाल के पूरे संगठित श्रमिक वर्ग तथा संगठित जनमत न इस प्रस्ताव का विरोध किया है। सरकार की ओर से विलम्ब के कारण भ्रम और अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या वह थोड़ा समय निकाल कर नौवहन मंत्री पर इस बात के लिए जोर डालेंगे कि वह स्थिति को स्पष्ट करने वाला वक्तव्य दें ? यह कार्य कलकत्ता पत्तन, पश्चिम बंगाल, बिहार,

उड़ीसा, असम और मेघालय पूरे उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र तगा समग्र भारत के लोगों के हित में होगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, 27-11-81 के आगामी सप्ताह के कार्यक्रम में निम्न मामलों को सम्मिलित कराना चाहता हूं :

(1) देश में बढ़ती बेरोजगारी से लोग त्रस्त व परेशान हैं और देश का युवक कोई भी रोजगार धन्धा व काम योग्यता के अनुसार न मानने के कारण दिशाहीन व उद्देश्य विहीन हो रहा है और अराजकता, अनुशासनहीनता की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए आगामी सप्ताह इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिससे करोड़ों बेरोजगार नवयुवकों का जीवन संबंध है, चर्चा आवश्यक है।

(2) गढ़वाल में उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार ने अकारण ही मतदान स्थगित कराकर प्रजातन्त्र को बहुत आघात पहुंचाया है, जिससे देश के लोगों को यह संदेह होने लगा है कि भविष्य में प्रजातन्त्र समाप्त होने वाला है और सरकार की मर्जी पर ही चुनाव होंगे। इसलिए इस प्रश्न पर चर्चा आवश्यक है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : निम्न दो मामलों को अगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारतीय विमानों के अपहरण की घटनाएं निरन्तर जारी है। अपनी गम्भीरता के कारण यह मामला भारत के लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। अतः इस मामले पर सभा में पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिये। दूसरे, गुजरात में भारी विनाशकारी चक्रवातों से भारी विनाश हुआ है और बहुत से लोग मारे गये हैं। यह भी उतना ही गम्भीर मामला है। पीड़ित लोगों को दी जाने वाली राहतों पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

श्री ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : केरल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। राष्ट्रपति शासन के एक महीने से भी कम अवधि के भीतर, भारतीत साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) के लगभग 20 व्यक्तियों को कांग्रेस (आई) तथा आर. एस. एस. के व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया है। इन अत्याचारों के जारी रहते हुए भी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही, अपितु वह सी. पी. एम. के कार्यकर्त्ताओं पर ही हमला करती है।

केरल में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। अतएव सरकार को विधान सभा को भंग कर देना चाहिये था। विधान सभा को निलम्बित स्थिति में रख कर सौदेबाजी को बढ़ावा देने के स्थान पर तुरन्त निर्वाचन कराने के आदेश देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये थी।

नारियल के तेल, कोको, रबड़ आदि के असीमित आयात की अनुमति देने से केरल राज्य की अर्थ-व्यवस्था हिल गई है। इन बातों पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : सदस्यों ने चर्चा के लिए बहुत से उपयोगी मामलों का सुझाव दिया है। मैं देखता हूं कि इस बार श्री हरिकेश बहादुर ने गढ़वाल निर्वाचन के बारे में, जो कि उनका प्रिय विषय था, अपना कार्य श्री जयपाल सिंह कश्यप को सौंप दिया है। मैं नहीं

जानता उन्होंने अपना दायित्व क्यों त्याग दिया। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामले सम्बन्धित मंत्रालयों को तथा कार्य मंत्रणा समिति के पास भेज दिये जायेंगे ताकि इन मामलों पर जो भी उचित कार्यकाही की जा सकती वह निश्चित रूप से की जाये।

समिति का निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपरारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्याधीन 1 जनवरी, 1982 से आरंभ होने वाले कार्यकाल के लिए तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्याधीन 1 जनवरी, 1982 से आरंभ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्री डी. के. नायकर (धारवाड़ उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बजट सत्र, 1982 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 1982 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्री के. मालन्ना (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधितियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 1982 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 1982 के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : श्रीमान, कल मैं सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को महत्व दिये जाने के बारे में वित्त मंत्री के 1981 के भाषण का उल्लेख कर रहा था। मुझे उनके भाषण के पैरा 48 का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये, ताकि मैं यह दर्शा सकूं कि इस सरकार ने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के उत्थान को अधिक महत्व तथा बल दिया है। वहां पर कहा गया है।

> "समूचे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न के समान ही, वार्षिक योजना में ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों, जैसे भूमिहीन श्रमिकों, छोटे और सीमान्त किसानों, ग्रामीण कलाकारों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों, के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है।"

अत: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित ग्रामीण ऋण सुविधाएं देने का प्रयत्न करती रही है। इस संदर्भ में मुझे इस विधेयक के खण्डों के बारे में कुछ कहने से पूर्व छठी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये। छठी पंचवर्षीय योजना के प्राक्कथन में यह कहा गया है :

"छठी योजना में 5 प्रतिशत से अधिक वार्षिक संवृद्धि के साथ अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि की दर में काफी वृद्धि सोची गई है। पांच वर्ष की इस अवधि में हमें गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति में और क्षेत्रीय असमानताओं में भी बराबर कमी होने की आशा । ऊर्जा के देशीय संसाधनों तथा कोयले, ऊर्जा, सिंचाई और परिवहन के आधारक रचनात्मक क्षेत्रकों के तेजी से विकास पर और ज्यादा जोर दिया गया है। कृषि और मीण विकास तथा पशु-पालन, डेरी उद्योग और मछली पालन उद्योग जैसे संबद्ध कृषि र्यकलापों तथा विकास और संरक्षण पर जोर देते हुए वन उद्योग क्षेत्रक को उच्च

प्राथमिकता दी गई है। मूल क्षेत्रों में विस्तार के लिए तथा कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और लघु उद्योग के लिए तथा साथ ही न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रमों के लिए भी काफी परिव्ययों का आवंटन किया गया है।

श्रीमान, मैं इन ग्रन्थों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने इस ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के उत्थान के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप, तीन अथवा चार क्षेत्रों का विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, शीघ्र विकास हुआ है।

जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र का सम्बन्ध है, 1980-81 में भारत में बैंककारी प्रवृत्ति और प्रवृति के बारे में एक प्रतिवेदन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का प्रकाशन है। इसके पृष्ठ 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तरीकों के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह की गई थी। बैंकों को निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा गया :—

.....1985 तक प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का 40 प्रतिशत देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बैंकों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रति वर्ष अतिरिक्त ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रों को मिले।"

इस पृष्ठ भूमि में हमें यह विचार करना है कि यह शीर्षनिकाय, तथाकथित राष्ट्रीय कृषि बैंक, उचित ऋण सुविधाओं तथा ग्रामीण उत्थान को कहां तक सुनिश्चित कर सकेगा।

इस विधेयक की प्रस्ताव में यह कहा गया है :—

"समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्सित करने की दृष्टि से कृषि, लघु, उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्त-शिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए उधार देने के लिए और उनसे सहबद्ध और उनसे आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।"

यदि आप परिभाषाओं को देखें तो "कृषि" से सम्बन्धित 'क' के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है :—

"इस खंड के प्रयोजनों के लिए "मत्स्य पालन" के अन्तर्गत अन्तर्देशीय और समुद्री दोनों प्रकार के मीन उद्योग का विकास, मछली पकड़ने और उनसे सम्बन्धित या उनके अनुषंगी अन्य सब क्रियाकलाप हैं।"

मेरा पहला निवेदन यह है कि यह बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है।

यदि आप इस विधेयक के अन्य खण्डों को देखें, तो कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि मत्स्यपालन के विकास के लिए पर्याप्त धन दिया जायेगा। मैं बार-बार यह कहता चला आ रहा हूं कि मत्स्यपालन के उचित विकास के लिए मंत्रीमंडलीय स्तर के एक मंत्री के

अधीन एक स्वतन्त्र मंत्रालय होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक शीर्ष संस्था के रूप में मत्स्यपालन के विकास में आप किस प्रकार सहायता करेंगे।

एक अन्य बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह है सहकारी क्षेत्र। परिभाषा 'घ', 'च' और 'प' में सहकारी क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 46 पर सहकारी क्षेत्र के संबंध में बहुत ही स्पष्टकारक आंकड़े दिये हैं। इसमें कहा गया है :—

"30 जून, 1980 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की परिधि में आने वाले कुल 1,604 सहकारी बैंक थे जिनमें 29 राज्य सहकारी बैंक, 347 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 1,228 प्राथमिक सहकारी बैंक थे। लाइसेंस शुदा सहकारी बैंकों की कुल संख्या 304 थी, जिनमें 7 राज्य सहकारी बैंक, 25 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 272 प्राथमिक (नगरीय) सहकारी बैंक थे। 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1981 की अवधि में नये कार्यालय खोलने के लि 18 राज्य सहकारी बैंकों और 162 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 180 लाइसेंस जारी किये गये थे जबकि 1979-80 की उसी अवधि में 113 लाइसेंस जारी किये गये थे।"

इस सभा में यह विचार व्यक्त किया गया था कि इनमें से कई सपकारी बैंक जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इन पर ग्रामीण समाज के समृद्ध लोगों का एकाधिकार एवं नियंत्रण है। अतः, यह देखा जाना चाहिए कि लाभ समाज के निम्न स्तर के लोगों को मिले। चूंकि यह एक राज्य विषय है, इसलिये मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार इसमें कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है।

खण्ड 21, उप खण्ड(3) में, यह कहा गया है :

"(क) यदि उधार या अग्रिम मूलधन का प्रति संदाय और ब्याज के संदाय के बारे में सरकार द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत है तो किसी भी राज्य सहकारी बैंक को,"

राज्य सरकारों को क्यों गारंटी देनी चाहिए ? यदि उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को ऋण देने का है, तो क्या आप राज्य सहकारी बैंक की विश्वासनीयता पर विश्वास करते हैं अथवा नहीं ? मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं कि इस परन्तुक को इसमें क्यों रखा गया है। इस मामले पर मंत्री महोदय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जहां तक मूल तथा ब्याज के भुगतान करने का सम्बन्ध है, राज्य सहकारी बैंकों को राज्य सरकारों की गारंटी देने के लिए क्यों कहा जाता है ?

प्रबन्ध निदेशक के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में एक और बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अध्ययन 3, को देखें तो राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध, खण्ड 5, 34 खण्ड(2) में यह कहा गया है :—

"....लोक हित का सम्यक ध्यान रखते हुए कारबार के सिद्धान्तों पर कार्य करेगा।"

"लोक हित" को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। "कारबार सिद्धान्तों" से आप का क्या अभिप्राय है ? क्या आप ब्याज की ऊंची दर लगाने जा रहे हैं ? मैं इसे जानना चाहता हूं।

फिर, आप प्रबन्ध निदेशक के कर्त्तव्यों और कार्यों पर गौर करें। 34 खण्ड(3) में यह कहा गया है :—

"....और वह उन सब शक्तियों का प्रयोग तथा वे सब कार्य और बातें भी करेगा जिनका राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या जिन्हें राष्ट्रीय बैंक कर सकता है।"

आप प्रबन्ध निदेशक को इतनी व्यापक शक्तियां क्यों देना चाहते हैं ? अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या हैं ? जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, अध्यक्ष का कर्त्तव्य बैठकों की अध्यक्षता करना है। बस है। तमाम शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात प्रबन्ध निदेशक में केन्द्रित हैं। क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं ? मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम यह कहते आ रहे हैं कि श्रम और कर्त्तव्यों के विभाजन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ऐस हो सकता है कि प्रबन्धक निदेशक में निहित इतनी अधिक शक्तियाँ स्वयं बैंक के उचित कार्यकरण के अनुरूप न हो, हालांकि यह एक शीर्ष निकाय है। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य शीर्ष वित्तीय संस्थाओं के समान है। किन्तु हम इन संस्थाओं से ऋण लेने में होने वाली समस्याओं, और कठिनाइयों से अवगत हैं।

इसके अतिरिक्त खण्ड 9 में यह कहा गया है :—

"ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो—

"(2) ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्ति, जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य है जब तक कि उसकी नियुक्ति की तारीख से दो मास के भीतर वह सदस्य नहीं रह जाता, उक्त दो मास की अवधि के अवसान पर, शून्य हो जायेगी।"

मैं समझ नहीं पाया कि संसद या विधान मण्डल के सदस्य के सम्बन्ध में यह छुआछूत क्यों ? यद्यपि कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हो सकती हैं, तथापि हमें वित्तीय संस्थाओं में जन-प्रतिनिधियों को लेने का प्रयास करना चाहिए।

प्रो. एन. जी. रंगा (गटूर) : उन्हें सलाहकार परिषद में लिया जा सकता है।

श्री जेवियर अराकल : जी हां, उन्हें उस में लिया जा सकता है। किन्तु इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे इस विधेयक में इस उपबन्ध को देख कर बहुत ही दुख हुआ है। यही कारण है कि मैं इसकी और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि यद्यपि यह लाभ का पद हो सकता है, तथापि मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। संसद अथवा विधान मंडल के सदस्य अछूत नहीं हैं। बहुत से ऐसे योग्य सांसद या विधान मण्डल के सदस्य हैं जो उचित सलाह या परामर्श दे सकते हैं। संसद अथवा विधान मंडल या निर्वाचित निकायों के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त खण्ड 38 में यह कहा गया है—

" राष्ट्रीय बैंक —

(i) ग्रामीण प्रत्यय के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं की संक्रियाओं का समन्वय करेगा।"

क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वर्तमान प्रणाली का क्या होगा। क्या इससे अधिक लाल फीता शाही अथवा अधिक समस्यायें पैदा होंगी क्योंकि कुछ ऋण 18 मास की अवधि तक के लिए ही होते हैं ? और वे कार्य किस तरह करेंगे ? मेरे विचार में यह प्रस्ताव संक्रियाओं का समन्वय करेगा इस विधेयक के कार्यान्वयव में बाधक नहीं बनना चाहिए। अन्यथा इस का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। तथ्य तो यह है कि एक किसान अथवा संस्था को ऋण प्राप्त करने के लिए दर-दर भड़कना पड़ता है। अतः यह एक ऐसा मामला है जिस पर कुछ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए

खण्ड 44 में कहा गया है

"राष्ट्रीय बैंक अनुसंधान और विकास निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा।"

किन्तु यह बात उद्देश्यों और कारणों के कथन में नहीं बतायी गयी है। आप धन किस तरह से देंगे ? ये संस्थायें कौन कौन सी हैं ? शायद इसका उत्तर यह हो सकता है कि जब नियम बताये जायेंगें तो इसका सविस्तार स्पष्टीकरण किया जायेगा। किन्तु इस विधेयक में यह एक अनोखा खण्ड है जिसका मुख्य उद्देश्य एक शीर्ष निकाय के रूप में विभिन्न संस्थाओं को ऋण सुविधायें देता है। किन्तु इसमें यह कहा गया है कि एक अनुसंधान और विकास निधि बतायी जायेगी। मैं आप के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर कि मत्स्यपालन क्षेत्र में अधिक अनुसंधान और विकास होना चाहिए किन्तु कैसे और कितनी योजनायें बतायी गयी हैं जिन्हें विधेयक में प्रतिपादित किया गया है और इस खण्ड में स्पष्ट किया गया है ? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

अध्याय 9 में हम देखते हैं

50 (1) "राष्ट्रीय बैंक उतने अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर सकता हैं"।

मंत्री महोदय से मेरा एक नम्र निवेदन यह है कृपया किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति मत कीजिये। अनेक धर्मी अनेक सरकारी क्षेत्रों में यही प्रणाली है। कृपया यह बात देखिये कि कर्मचारियों की, विशेषकर कि प्रबन्धकीय समवर्ग की प्रतिनियुक्ति, न की जाये। यदि हम उचित कार्यान्वयन चाहते हैं और हम विधेयक का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो प्रति नियुक्ति की प्रक्रिया को शामिल न करके कृपा करके इस खण्ड की ओर अधिक ध्यान दें

मैं ये कुछ अन्य बातें भी कहना चाहूंगा। अन्यथा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रणाली के मामले में यह प्रगति की ओर एक महत्वपूर्ण पग होगा।

आप पूरी तरह जानते हैं कि हमारे किसान को ऋण सुविधायें कम मिल रही हैं। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों का उत्थान होगा बशर्ते कि मेरे द्वारा यहां कही गयी बातों पर विचार किया जाए तथा यत्र-तत्र संशोधन करके उन्हे कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री वित्त बसु (बारसट) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के, जिसे इन विधेयक द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव है, दो मुख्य दो उद्देश्य हैं।

पहला उद्देश्य किसानों को ऋण देना है। दूसरा उद्देश्य समेकित ग्रामीण विकास है।

सरकार ने इस विधेयक का प्रस्ताव मूलत: इन दो उद्देश्यों से किया है और उस प्रयोजन - एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मैं यह दावा नहीं करता हूं कि केवल इस पक्ष के हम सदस्य ही अपने ग्रामीण जीवन का स्तविक चित्र जानते हैं। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय को जिनका हम बड़ा सम्मान ते हैं लेकिन जो इस समय यहाँ नहीं हैं वह और दूसरे पक्ष के अन्य माननीय सदस्यों को भी ीण जीवन तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की दशा तथा कार्य का अनुभव है। अत: यह रा एकाधिकार नहीं है। यह मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु फिर भी मैं यह महसूस करता हूं भा को ग्रामीण क्षेत्र के वर्तमान चित्र के बारे मे एक बार फिर याद कराया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व प्रणाली को जानना चाहिए।

हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हमें ग्रामीण परिसम्पति वितरण प्रणाली का ज्ञान हो क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक निर्धनता के बारे में भी हमें अवश्य जानकारी होनी चाहिए।

ग्रामीण बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति की जानकारी भी हमारे लिए जरूरी है। देश के कृषकों के ऊपर ऋण का जो भारी बोझ है उसकी जानकारी भी जरूरी है; और अन्त में यह जानना भी जरूरी है कि कृषि और उद्योग के बीच व्यापार की क्या शर्तें हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्णता है। यह रूपरेखा की सम्पूर्णता है। कुछ ही मिनटों में मैं इसका वर्णन यथासम्भव सरलता से करना चाहता हूं।

जहां तक भूमि स्वामित्व का सम्बन्ध है, आप जानते ही हैं कि 5 प्रतिशत बड़े जिम्मेंदारों के पास देश की कुछ काश्तशुद्धा जमीन का 35 प्रतिशत है। 20 वर्ष पहले यह स्थिति थी और जमीन का यह एकाधिकार स्वामित्व आज भी बना हुआ है। कृषि गणना के अनुसार 4 प्रतिशत बड़े जमींदार आज भी 31 प्रतिशत काश्तशुद्धा जमीन के मालिक हैं दूसरी ओर 70 प्रतिशत काश्तकारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है। अत: इस तस्वीर से स्पष्ट है कि जमीन कम है, देश में कृषि करने वालों के लिये जमीन की कमी है।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्र में सम्पति वित्तरण के विषय पर आता हूं। एक विशेषज्ञ समिति ने इसका पता लगाया है; उनकी राय के अनुसार बड़े बड़े दस प्रतिशत परिवार कुल ग्रामीण सम्पत्ति के आधे भाग के मालिक हैं; उनके पास ग्रामीण सम्पति का 50 प्रतिशत से अधिक भाग है, जबकि नीचे के 20 प्रतिशत के पास कुल ग्रामीण सम्पत्ति का केवल एक प्रतिशत भाग है। यह विषमता स्पष्ट है यह सम्पत्ति के मामले में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की सही तस्वीर है जमीन के बारे में, मैं कह ही चुका हूं।

गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। संख्या 1960 में 2200 लाख थी जो 1970 में बढ़कर 2500 लाख हो गयी। 1976 में यह और बढ़कर 3750 लाख हो गयी। छठी पंचवर्षीय योजना में माना गया है कि 2900 लाख लोग गरीबी स्तर से नीचे रहते हैं। 1600 लाख लोग बहुत ही गरीब हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय गरीबी रेखा से 75 प्रतिशत से कम कमाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सभी समस्याओं का समाधान इस राष्ट्रीय बैंक द्वारा चाहते हैं?

श्री चित्त बसु : अब मैं बेरोजगारी के प्रश्न पर आता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी कहा गया है कि मार्च 1978 में 2 करोड़ 60 हजार लोग बेरोजगार थे जिनमें से 1 करोड़ 60 लाख और 50 हजार लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

कृषकों की ऋण ग्रस्तता के बारे में कई अनुमान लगाये गये हैं; मैं एक नवीनतम अनुमान का जिक्र करूंगा। विशेषज्ञों के इस अनुमान के अनुसार गाँव वालों पर 6000 करोड़ रुपये का कुल ऋण है। यह गांव की तस्वीर है। इस सम्बन्ध में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण देने की सुविधयें प्रदान करने ही नहीं बल्कि गाँव के समेकित विकास के लिए एक विधेयक लायी है। क्या आप अभी मेरे द्वारा पेश की गयी तस्वीर को ध्यान में रखे बिना एक समेकित विकास की कल्पना कर सकते हैं? आप इस बात से सहमत होंगे कि ग्रामीण जीवन के इन पहलुओं के ध्यान में रखे बिना समेकित विकास नहीं हो सकता। विधेयक का उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण के बारे में, मैं सहमत हूं कि यह एक नया कदम है, एक स्वागत योग्य कदम है कि कृषि ऋण

अधिक से अधिक होना चाहिये । हम इस बात को देखें कि अध्ययनों के अनुसार, जिन्हें मैंने देखा है, कुल कितना ऋण दिया गया । वाणिज्यक बैंकों ने अब तक कृषि क्षेत्र के लिये 2000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है । सहकारी बैंकों ने भी 2000 करोड़ रुपये दिये हैं ग्रामीण बैंकों ने जो अभी हाल ही में बने हैं, अब तक केवल 200 करोड़ रुपये दिये हैं । अत: कुल मिलाकर यह 4200 अथवा 4500 करोड़ से अधिक नहीं है । लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है ? यह लक्ष्य 5400 करोड़ रुपये का है जिसे सरकार प्राप्त करना चाहती है । अब स्थिति यह है । मुझे खेद है कि मुझे कृषि क्षेत्र की ऋण की कुल जरूरत संबंधी आंकड़े नहीं मिले हैं जिनके आयात में, मैं सभा को निश्चित रूप से सूचित नहीं कर सकता कि सरकार के लक्ष्य तथा जरूरत के बीच क्या अन्तर है अत: मुझे बहुत खुशी होगी यदि मंत्री महोदय देश की वर्तमान कृषि क्षेत्र की ऋण संबंधी सूचना स्वयं दें । लेकिन मेरा निष्कर्ष यह है कि इनके बीच बहुत अन्तर है ।

अब हमें उस अन्तर को पूरा करना है । विधेयक में इस बारे में क्या प्रस्ताव है ? विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एक बैंक की स्थापना की जायेगी बैंक 500 करोड़ रुपये की पूंजी से शुरू किया जायेगा—शुरू में 100 करोड़ होंगे जो बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जायेंगे । आप वास्तविक स्थिति समझ लेंगे ।

अब प्रश्न यह है कृषि ऋण तथा समेकित ग्राम्य विकास के लिये कितनी राशि की जरूरत है ? कृषि के लिये ही राशि की जरूरत है यह एजेन्सी का प्रश्न नहीं है विधेयक के संबध में मेरी पहली आपत्ति यह है कि विधेयक में ऐजेन्सी के प्रश्न को महत्वपूर्ण तथा प्रधान माना गया है । विभिन्न एजेन्सियों की बजाय वे एक ही छत्री के नीचे सभी एजेन्सियों को लाना चाहते हैं । प्रश्न एक छत्री, दो छत्री अथवा अधिक छत्रियों का नहीं है । प्रश्न कृषि के लिये जरूरी राशि का है । सरकार ने वृद्धि की बुनियादी जरूरतों और आज की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा है । अत: मैंने कहा है कि बुनियादी जरूरत एजेन्सी नहीं है । अब विधेयक में एक छत्ते, एक काउंटर और एक छत्त का प्रस्ताव किया गया है ।

श्री एन. जी. रंगा (गुंटूर) : पर काम शुरू करने के लिए यह पर्याप्त और अच्छा है ।

श्री चित्त बसु : यह अच्छा है या बुरा, मैं यह नहीं कह रहा । समस्या यह नहीं है । समस्या छत की नहीं है समस्या एक छात्ते की नहीं है । समस्या एक काउंटर की नहीं है प्रश्न उस पैसे के वितरण का है जो दी जाती है, कृषि कार्य के लिये जरूरी राशि का है और इसे किसे दिया जाना है । जहां तक एक एजेन्सी से सिद्धान्त की बात है, मैंने देखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भी बहुदेश्य एजेन्सियां थीं । यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46 ख तथा 54 को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की इन धाराओं और इस विधेयक के लक्ष्य एक ही हैं और किसी न किसी रूप में समान ही हैं । मैं उन्हें पढ़कर सुनना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें । रिजर्व बैंक के पंख काटने की जरूरत है जब कार्यकलाप एक ही प्रकार का है तो रिजर्व बैंक को इन शक्तियों से वंचित करके ऋण सुविधायें प्रदानकरने में सहायता कैसे मिल सकती है ? यह एक समेकित ग्राम्य विकास बैंक है यह मेरा दूसरा प्रश्न है । मेरा तीसरा और आखरी प्रश्न यह है । मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं केवल दो मिनट लूंगा आप जानते ही हैं कि मैं अधिक समय लेता और मैं एक आज्ञाकारी तथा अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक अच्छे मित्र भी हैं।

श्री चित्त बसु : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान विधेयक के प्रावधनों की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा साधारण प्रश्न यह है कि एक अनुसंधान विभाग होना चाहिये और राष्ट्रीय बैंक को अनुसंधान कार्य करना चाहिये। जैसे कि आप जानते हैं कृषि वित्त आयोग नाम की एक संस्था है। मैं इसके कार्यकलापों को उद्धृत करना चाहता हूं।

(1) कृषि वित्त आयोग बैंकों के सक्रिय और व्यापक रूप से कृषि विकास में भाग लेने के लिये सहायता प्रदान करता है। इसके मुख्य कर्तव्य ये हैं :—

(i) पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सम्बन्धी परियोजनाओं का पता लगाना। इन्हें बनाना और अथवा इनका मूल्यांकन करना और वाणिज्यक बैंकों के एक एक करके या संघ के रूप में वित्त देने के लिये आमंत्रिता करना;

(ii) ऐसे अन्य कार्य करना जिससे वाणिज्यक बैंक से कृषि क्षेत्र के लिये अधिक ऋण दिया जा सके।

इसका तात्पर्य यह है कि इस मामले में इसकी अपनी विशेषज्ञता है। मुझे खुशी है कि श्री वेंकटरामन अब आ गए हैं। वे यहां होते तो मुझे और खुशी होती।

इस कृषि बित्त आयोग की अपनी विशेषज्ञता है। यदि आप एक मिनट का समय दें, तो मैं उदधृत करूंगा।

"कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने 1971 में अपने अन्तिम प्रतिवेदन में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम और कृषि वित्त निगम जैसी विभिन्न एजेंन्सियों की विशेषज्ञता तथा अनुभव को एकीकृत करके भूमि तथा जनशक्ति के पूरे उपयोग की जरूरतों के अनुसार ऋण देने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास निगम के आधार पर अन्ततः एक भारतीय कृषि विकास बैंक स्थापित करना जरूरी होगा"।

उस प्रतिवेदन में कृषि वित्त निगम, जिसके पास विशेषज्ञों का एक पूल है, का जिक्र किया गया था। इस विधेयक में जब अन्य संस्थाओं को लिया गया है, इस कृषि वित्त निगम को छोड़ दिया गया है। वास्तव में, मैंने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था कि चूंकि वहां विशेषज्ञता उपलब्ध है, तो वे इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे। मुझे आशा है कि वे इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि कृषि वित्त निगम को अब तक जहां तक विशेषज्ञता का संबंध है शामिल क्यों नहीं किया गया।

अन्त में, मैं कहूंगा कि यद्यपि विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं, फिर भी इसमें किये गये प्रावधान उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं। मुझे आशा है कि सरकार सारी नीति को पुनः निर्धारित करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मेरे विचार में आप इसे विधेयक का समर्थन कुछ शर्तों के साथ करते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं इस विधेयक का समर्थन बहुत-सी शर्तों के साथ करता हूं। मैं कह चुका हूं कि ये उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी पूरे किये जा सकते थे। वास्तव में मैंने प्रश्न उठाया

था कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने सिफारिशें करते हुये सचमुच इन पहलुओं जिसका मैंने जिक्र किया, को ध्यान में नहीं रखा और वह इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्हे भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर एक कृषि बोर्ड का गठन करना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक इस काम को स्वयं भी कर सकता था। अतः दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है? जैसे कि मैंने कहा, प्रश्न एक या अधिक छत्तों का नहीं; प्रश्न एक काउंटर अथवा अधिक काउंटरों का नहीं; अथवा प्रश्न एक छाते अथवा अधिक छातों का नहीं है बल्कि प्रश्न ऋण देने का है और ग्राम्य विकास के लिये एक समेकित दृष्टिकोण का है। उस हेतु मैं कहता हूं कि विधेयक पर्याप्त नहीं है और इस विधेयक से उद्देश्य पूरा नहीं होता। —धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 म. प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिपे 2 बजकर 5 मिनट म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रो. एन. जी. रंगा (गटूर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

हम काफी समय पहले से इस किस्म की बातों के लिये कहते आ रहे हैं। मुझे याद है कि 1954 में मैंने राज्य सभा में एक संकलप पेश किया था जिसमें कृषि वित्त आयोग के लिये कहा गया था; तत्कालीन वित्त उपमंत्री तथा विख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री अरुण चन्द्र गुहा ने सरकार की ओर से मेरे संकलप के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों को स्वीकार किया था। इस प्रकार के विधेयक के लिये हमें अब तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच कृषि पुनर्वित्त निगम तथा कुछ अन्य संस्थायें स्थापित हुईं। वे हमारे कृषकों की सभी माँगों को पूरा नहीं कर सके। यह विधेयक उससे भी आगे बढ़ता है। इस विधेयक के अन्तर्गत कृषकों को ही नहीं बल्कि देश के 5 करोड़ शिल्पियों को भी सेवायें प्रदान की जायेगी। वे स्वनियोजित हैं। वे देश के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं। उनकी भी रक्षा की जानी है। उन्हें भी समय पर ऋण की सुविधायें प्रदान की जानी हैं। हमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहिये। इन दो बड़े वर्गों, अधिकांश स्वनियोजित हैं, कि हमें नियोजकों से आजादी की व्यवस्था भी करनी चाहिये। इन लोगों को सेवायें प्रधान करने के उद्देश्य से ही यह राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जा रही है।

मेरी समझ में यह नहीं आया कि मेरे मित्र श्री चित्त बसु इस बैंक की रिजर्व बैंक के अतिरिक्त, स्थापना का विरोध क्यों कर रहे हैं। वास्तव में जब रिजर्व बैंक भी स्थापित हुआ, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी यह कहते हुये शिकायत की थी कि क्या रिजर्व बैंक हमारे देश के कृषक वर्ग की जरूरतों को पूरा कर सकेगा।

उनकी शिकायतों और आलोचना के प्रत्युत्तर में ही तत्कालीन सरकार ने रिजर्व बैंक में एक ग्रामीण अनुभाग या ग्रामीण विभाग खोलने का वायदा किया था। तत्पश्चात् कई दशाब्दियों और कई वर्षों से हम शिकायत कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक हमारे कृषि समुदाय की प्रमुख आवश्यकताओं की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत समय पहले इन्दिरा जी की सरकार ने

मेरे माननीय मित्र श्री मिर्धा की अध्यक्षता में एक कृषि आयोग का गठन किया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि इस प्रकार के एक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जो हमारे ग्रामीण लोगों, कृषकों और कारीगरों के विभिन्न वर्गों को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ले और उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे संतोष है कि इन वर्षों में हम जो सपना देखते आए हैं उसका एक अंश इस विधेयक के माध्यम से साकार होने वाला है। मैं अपने माननीय मित्र श्री वेंकटरामन को इस विधेयक को प्रस्तावक होने पर बधाई देता हूं।

मैं अब दो या तीन मुद्दों पर विस्तार से बोलूंगा। कृषि क्षेत्र परिभाषा की जाँच की जानी होगी। मैंने सुझाव दिया था कि बागवानी को कृषि की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैंने जब यह सुझाव दिया था तो मेरे मित्र श्री वेंकटरामन ने मुझे बतलाया था कि इसे पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है। मेरे मित्र श्री परुलेकर ने मुझे चेतावनी दी थी कि उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि कृषि में बागवानी सम्मिलित नहीं है। मुझे यह भी परामर्श दिया गया कि कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों में कृषि की परिभाषा में बागवानी को भी सम्मिलित किया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री वेंकटरामन अपने सलाहकारों से मिलकर इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करें और यदि वे आवश्यक समझें तो इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें हम सबको संदेह है कि कृषि की परिभाषा में बागवानी आती है या नहीं। यह मेरे लिये बहुत प्रसन्नता की बात होगी, यदि यह आवश्यक नहीं समझते। परन्तु इसके साथ ही उन्हें वह बात ध्यान में रखनी चाहिए और यदाकदा आवश्यकता महसूस होने पर अगर यह स्पष्टीकरण दिया जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

दो उपखंडों (ब) और (भ) में परिभाषाएं दी गई हैं। उनकी विधेयक में इस प्रकार व्याख्या की गई है :

"(ब) ऐसे शब्दों और पदों के, जिनको इसमें प्रयुक्त किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं;

अब एक साधारण सदस्य या सांसद के लिए इन सभी बातों का अध्ययन करना और अन्य अधिनियमों पर निर्भर करना बहुत ही कठिन है। एक और अधिनियम भी है, वह है बैंककारी विनियम अधिनियम। उस मामले में भी हमें इसमें दी गई परिभाषा पर निर्भर करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हमारे विधि मंत्री ने इसे यहां परिभाषित करने का थोड़ा-सा कष्ट किया होता या इस विधेयक में जोड़ी गई स्पष्टीकरण धारा में इसको ही कर दिया होता।

मैं अब समेकित ग्रामीण विकास को लेता हूं। यह बहुत अच्छा है, परन्तु एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कुटीर उद्योग की आवश्यकताओं को इतना महत्वपूर्ण समझा जाने लगे कि उसके लाभ के लिए एक पृथक् बैंक की ही स्थापना करनी पड़े। केवल हथकरघा बुनकरों के लिए ही पृथक् वित्त निगम की मांग को लेकर राज्य विधान मण्डलों ने संकल्प पारित किए हैं। अतः कुटीर उद्योग के मजदूरों के लाभ में एक स्वतंत्र और इतना ही सशक्त व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता होगी :

अब बैंक की शेयर पूंजी का प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है कि "इस बैंक की पूंजी एक अरब रुपये होगी परन्तु इसे पांच अरब रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।" यह पाँच अरब की राशि क्यों सोची गई, मैं नहीं जानता। सरकार इस संबंध में इस प्रकार एक सीमा लगान क्यों आवश्यक समझती है ? समय आने पर सरकार जो सीमा उपयुक्त समझती अपने अनुभव के आधार पर बाद में वह सीमा निर्धारित कर देती। परन्तु अब तो इसमें इसका उल्लेख कर दिया गया है और हमारे या सरकार के लिए इसमें परिवर्तन करने का कोई समय नहीं है, अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे।

हरिजनों, पिछड़ी श्रेणियों और आदिवासी लोगों के लिए विभिन्न राज्यों में पृथक् वित्त निगमों की स्थापना की जा रही है और मुझे पता है कि मेरे अपने राज्य आंध्र प्रदेश में यह बड़े ही प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये निगम भी इस बैंक से सहायता और मदद प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि जब इसके विस्तार का समय आएगा इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम तथा स्थापित किए जा रहे ऐसे ही निगम उदाहरण के लिए भारतीय वस्त्र निगम, भारतीय पटसन निगम आदि जो हमारे कृषकों के विभिन्न वर्गों को ऋण देती हैं, इस बैंक के अन्तर्गत आ जाएंगी और यदि वे आती हैं तो मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है। परन्तु उस मामले में इस बैंक को वित्तीय दृष्टि से और सुदृढ़ किया जाना होगा।

अतः जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तब राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण, राष्ट्रीय दीर्घकालीन कार्य संचालन निधि, अकाल और तूफान तथा सैनिक कार्यवाही के लिए विशेष निधि और अनुसंधान तथा विकास निधि जैसी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इस विकास बैंक पर निर्भर रहने की बजाय अनुसंधान तथा विकास निधि के लिए एक निश्चित राशि आवंटित की जाए ये तीन बहुत अच्छी निधियाँ हैं।

मैं इस विशेष निधि के बारे में एक-दो शब्द और कहना चाहता हूं। हमारे देश के किसी न किसी भाग में वर्ष-भर प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं, भले ही यह सूखे के कारण अकाल हो या तूफान के कारण विनाश या टिड्डी दल का आक्रमण हो या फसल को पाला मारना अथवा अन्य ऐसी ही कोई विपदा हो, इन विनाशों से अपने किसानों की रक्षा करने हेतु हमें विशेष बीमा निधि की आवश्यकता है। यदि हम सम्पूर्ण देश हेतु एक ऐसा बैंक स्थापित कर सकें तो यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। कभी-कभी विपदाएं इतनी भीषण और इतनी विपदाजनक होती हैं कि लोगों को उनसे बचाने, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए स्रोतों की आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार के बैंक की क्षमता और एक वर्ष में हमारी सरकार की क्षमता से परे की बात होती है।

इसीलिए मैं लम्बे समय से यह सुझाव देता रहा हूं कि हमारी राष्ट्रीय निधि के ऊपर एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटरामन् खाद्य और कृषि संगठन और अन्य ऐसे संगठनों से इस मामले पर बात करें। खाद्य और कृषि संगठन के अन्तर्गत खाद्य आपातकाल निधि नाम से एक संगठन होना चाहिए। यही पर्याप्त नहीं

होगा । मैंने जब तत्तकालीन प्रधान मन्त्री श्री देसाई को यह सुझाव दिया था तो उन्होंने कहा "हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सम्मिलित नहीं होना चाहते ।" आज विश्व के पारस्परिक सम्बन्ध एक आवश्यकता बन गये हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता । विश्व इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तथा विश्व के लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए लोगों को उनको उनके उत्तर-दायित्व स्मरण कराना चाहिए और विभिन्न देशों के ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिये उन्हें एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर कुछ प्रतिभूतियां (गारंटियां) ऐसी होती हैं जिन्हें बैंक छोड़ सकते हैं । इन सभी मामलों में, इन स्थितियों में इन सभी गारंटियों को छोड़ना होगा अथवा छोड़ी जा सकती हैं । इनको पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि इनकी जांच की जानी चाहिए । क्या हमें आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े इलाकों के लिये विशेष प्रावधान नहीं करने चाहिए ? मैं चाहता हूं कि इसमें किये गये प्रावधान के अतिरिक्त इनकी जांच की जाये ।

इसके बाद, इस राष्ट्रीय बैंक को इसमें उल्लिखित संस्थानों के अतिरिक्त, अन्य संस्थानों के अंश खरीदने के लिए प्राधिकृत किया जाना है । आपको सभा को बताना होगा कि किस प्रकार के संस्थानों से यह अंश खरीद सकेगा ।

खण्ड 22, 23, 24, 26, और 27 सभी बहुत अच्छे हैं । वास्तव में हमारे भाषणों के दौरान उन सभी को सभा के रिकार्ड में लाना चाहिए । मेरे पास उन्हें पढ़ने का समय नहीं है । परन्तु वे इस विधेयक का वास्तविक जीवन वास्तविक प्राण हैं और हम उन सबके पक्ष में हैं ।

मैं अन्त में निदेशक मंडल और इसके गठन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । मैं विधायकों को इस बैंक के निदेशक नियुक्त करने के पक्ष में हूं क्योंकि विधायकों को इन सभी बैंकों की गतिविधियों के बारे में निर्णय देना होगा । क्या भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मण्डल में विधायक होते हैं ? मेरे विचार में ऐसा नहीं है । मैं शुद्धि के अध्यधीन बोल रहा हूं ।

श्री आर. वेंकटरामन : नहीं ।

प्रो. एन. जी. रंगा : इसी प्रकार इनमें भी विधायक नहीं होने चाहिए । हमें इस प्रकार के उत्तरदायित्व से नहीं लादा जाना चाहिए । उनकी आलोचना करने की, उनकी निन्दा करने की और उन्हें परामर्श देने की हमारी क्षमता कम हो जायेगी । परन्तु इसके साथ ही, मैं यह चाहता हूं कि संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों को स्थापित की जाने वाली इस परामर्शदात्री परिषद में सम्मिलित किया जाना चाहिए । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की है । यह सदस्य संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामीण लोगों और ग्रामीण विकास के कार्यों में रुचि रखने वाले कितने विशेषज्ञों को राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आमन्त्रित किया जाता है ।

तब सहकारी बैंकों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने की बात का क्या होगा ? मैं इस विधेयक में प्रतिनिधित्व की मात्रा के सम्बन्ध में दिए गये सुझाव से सहमत नहीं हूं ।

मैं चाहता हूं कि इसमें वृद्धि की जाये सहकारी बैंकों में भी कई प्रकार के बैंक हैं जैसे भूमि विकास बैंक, सहकारी ऋण बैंक और विभिन्न राज्यों में पृथक वित्तीय निगम आदि । उनके प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि करनी होगी ।

पिछड़े इलाकों के संबंध में क्या किया गया है ? राज्यों को निदेशक मंडल में केवल दो स्थान दिये जाने हैं । हमारे देश में बहुत से राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं और साथ ही आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से वे बहुत ही महत्वपूर्ण है । उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना होगा । राज्यों को निदेशक मण्डल में प्रतिनिधित्व दिया जाना ही पर्याप्त नहीं होगा । मेरे विचार में एक दक्षिणी राज्यों से होगा और दूसरा उत्तरी राज्यों से और एक सभी छोटे राज्यों में से होना चाहिए । यथा समय उन्हें इस प्रकार प्रतिनिधित्व प्रदान करने के बारे सोचना चाहिए । मैं नहीं जानता कि क्या यह अभी संभव है, अन्यथा सरकार को यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए ।

यदि मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा होता, तो मैं आलोचना और सन्देह के द्वारा और अधिक टिप्पणियां कर सकता था, क्योंकि सरकार जहां असफल हो रही हो या पर्याप्त कार्यवाही न कर रही हो वहां वास्तव में सरकार को चेतावनी देने हेतु विपक्ष को इसी ढंग से कार्य करना चाहिए । परन्तु सत्ता पक्ष से बोलते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार मेरे द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा दिये गये सुझाव को ध्यान में रखें ।

मैं चाहता हूं कि प्रशासन यह स्मरण रखेगा कि कोई भी विधेयक अपने उद्देश्य में तब तक पूर्णतया सफल नहीं रहा है जब तक प्रशासन ने सहयोग न दिया हो और यहाँ पारित किये गये अधिनियमों को सहानुभूति पूर्वक ढंग से लागू न किया हो अब तक न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही केन्द्र सरकार प्रशासन ने कृषकों और ग्रामीण लोगों के प्रति ईतना ध्यान सम्मान स्नेह और सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की जितनी हम चाहते थे यह तभी संभव हुआ जब हमारी प्रधान मंत्री ने इस बात को अनुभव किया । उन्होंने वित्त मंत्री को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायता दी । मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का स्वागत करेगी और इसे यथासंभव पारित करेगी ताकि हमारे कृषकों को संरक्षण दिया जाना प्रारम्भ हो सके ।

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 48 में एक दम स्पष्टरूप से कहा है, यथा :

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत: ..... नस्लों के परिरक्षण और सुधारने के लिए ..... अग्रसर होगा..... ।

वेंकटरामन महोदय मुझे आशा है कि आपका बैंक इस लक्ष्य को अर्थात इस अनुच्छेद के पीछे जो दर्शन है उसे, पूरा करेगा ।

महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू एक महान दार्शनिक थे जो कि विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी में विश्वाश करते थे और जिनके प्रयत्नों से भारत आज के विश्व में तृतीय वैज्ञानिक श्रम शक्ति वाला देश बन गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : और एक वैज्ञानिक मानसिकता में भी ।

श्री डी. पी. यादव : जी हां, महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रयत्नों और दूरदर्शिता से, हम भारतवासियों को इस बात पर गर्व है कि आज हमारा देश विश्व का तीसरा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय श्रमशक्ति वाला देश है । परन्तु, दुर्भाग्य से, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय श्रमशक्ति के इस विशाल स्रोत और भण्डार के होते हुए इस वर्ष हमें खद्यान्न का

आयात करना पड़ा। क्या यह इस प्रशासन के प्रशासकों और वैज्ञानिकों तथा नीति-निर्धारकों के मुंह पर तमाचा नहीं है कि हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है।

महोदय, हम ऊंची-ऊंची आशाओं को लेकर लोगों को भूखों नहीं मार सकते हैं। चुनावों से पूर्व तो हम कह रहे थे :

"आधी रोटी खायेंगे, इंदिरा को बुलायेंगे ." ठीक है महोदय, इस देश के लोगों ने विश्वास किया था कि इंदिरा गांधी उन्हें भरपूर भोजन देने में सफल रहेगी। कम से कम उन्होंने स्वयंमेव अधपेट भोजन, आधी-रोटी पर ही संतोष कर लिया। महोदय, अब इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को कहीं अपनी पूर्ण खुराक के एक चौथाई पर संतोष न करना पड़े।

देश के सम्मुख अनेक समस्याएं हैं। अपनाये जाने वाले दर्शन बैंकों की स्थापना या अधिकारियों की भारी संख्या में व्यवस्था तथा अन्य चीजों की व्यवस्था करने का इतना महत्व नहीं है, बस परिणाम शून्य नहीं होना चाहिये।

मैं वेंकटरामन महोदय के साथ हूं। आपको आगे बढ़ने के लिए पूर्ण समर्थन और स्वतन्त्रता प्राप्त है। परन्तु वेंकटरामन महोदय क्या आप सेवा की शर्तें सुनना पसन्द करेंगे ? जब मैं केन्द्र में उप-शिक्षा मंत्री था तो मैंने एक समिति नियुक्त की जिसमें मेरे जिले के लिए एक वृहद एकीकृत योजना तैयार करने के लिए देश के समस्त भागों से वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया था। मैंने इन प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों से कहा था कि वे किसानों के बारे में अपने निष्पक्ष विचार रखें और मैं उनके विचार पढ़ कर सुनाता हूं। वेंकटरामन महोदय तनिक इस पर गौर कीजिए।

उनकी प्रथम टिप्पणी निम्न प्रकार है :

"अत्याधिक भ्रष्टाचार के कारण प्रशासनिक तंत्र लगभग निष्क्रिय है।"

द्वितीय टिप्पणी है :

"सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध जनता के साथ अच्छे और मधुर नहीं हैं। एक ओर तो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जनता के कष्टों और दु:खों से बिल्कुल बेखबर हैं और दूसरी ओर लोग अधिकारियों के सामने तक जाने से डरते हैं, सलाह लेने की बात तो दूर रही।"

देखिए द्वितीय प्रकार के अधिकारियों के बारे में उनका क्या कहना है :

"चाहे गरीब लोगों की, विशेषकर किसानों की, समस्या को सुनना हो, या उनका कोई समाधान खोजना हो अटवा कृषि के किसी पहलू के बारे में सूचना या आंकड़ों के रूप में कोई सहायता देनी हो, या सेवाओं सम्बन्धी बात तय करानी हो, सरकारी अधिकारी बहुत ही उदासीन हैं। इन अधिकारियों में उत्तरदायित्व का घोर अभाव है।"

इन बैंकों के बारे में उनका कहना है :

"वित्तीय संस्थानों ने, न तो अग्रणी बैंकों ने, न ही वित्तीय या वाणिज्य बैंकों ने और अन्य बैंकों ने जानबूझ कर नियम और शर्तें बनाई हैं तथा अपनी बाह्य सुविधाओं सम्बन्धी प्रक्रियागत तरीकों को इतना जटिल और कठिन बनाया है कि किसी किसान के लिए किसी

प्रभावकारी उद्देश्य के लिये ऋण प्राप्त करना असम्भव सा हो गया है। इस तरीके में पक्षपातवाद और भाई-भतीजावाद के सशक्त प्रमाण मिलते हैं। उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।"

ये कोई मेरी अपनी टिप्पणियां नहीं हैं अपितु उन वैज्ञानिकों की है जिनको कि यह काम सौंपा गया था। महोदय क्या आप इन वैज्ञानिकों की सूची देखना चाहेंगे ? ये वैज्ञानिक राष्ट्रीय भू,भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण में सेवारत हैं। उन सब को इकट्ठा बुलाया गया था। उन्होंने बिहार के मुंगेर जिले का भू-प्रबन्ध कार्यक्रम के नाम से एक दस्तावेज तैयार किया यह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यस्था के क्षेत्रीय समन्वित विकास को प्रभावित करता है। उस जिले में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के निदेशक श्री जी. एल. दत्त सहयोग के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया। परन्तु छह-सात वर्ष के बाद कुछ भी परिणाम नहीं निकला . प्रतिवेदन के तीन वृहत खण्ड जो योजना आयोग को प्रस्तुत किए गये थे बस कूड़ादान में पड़े हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रो. बी. सी. चक्रवर्ती का यह भारी भरकम प्रतिवेदन मैन पावर प्लानिंग सैल में यों ही पड़ा हुआ है। और आनन्दपुर साहिब की समन्वित ग्रामीण योजना का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, मेरे विचार से आप जब मंत्री थे तब आपने तो इसे कूड़े-दान में तो नहीं रखा था।

श्री डी. पी. यादव : जी, नहीं। मैं इसके बारे में बड़ा सजग था। कोई भी प्रतिवेदन कूड़ेदान में नहीं डाला गया। दुर्भाग्य से यह योजना आयोग में हो रहा है।

मैंने तो वहाँ की गतिविधियों का वर्णन किया है कि वहाँ क्या हो रहा है।

जिलों और उप-मंडलीय मुख्यालयों तथा खंड-मुख्यालयों में बैंक को दस से पन्द्रह प्रतिशत तक राशि मुठ्ठी गरम करने के लिए देनी पड़ती है। हरियाणा में एस बैंक से ऋण लेने के लिये मुझे वेंकटरामन महोदय से चार बार मिलना पड़ा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि कार्यवाही की जायेगी, परन्तु दुर्भाग्य से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन महान मन्त्री महोदय की यह तो प्रभावशीलता है जिनके लिये मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप स्वयं अपने प्रशासन में, अपने ही तन्त्र में असफल रहे हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम को एक बैंक संगठन में बदल देने भर से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। हम चाहते हैं कि बैंक सुविधाओं के साथ, समग्र आधारभूत ढांचे नैसर्गिक संपत्ति सर्वेक्षण, भू-रूपात्मक मानचित्रण, भू-तलीय जल सर्वेक्षण के इन सभी आँकड़ों को एक साथ समन्वित किया जाये और फिर एक समन्वित योजना तैयार की जाये। आपने वह तैयार नहीं कराई। क्या वेंकटरामन महोदय या हमारे विद्वान मित्र श्री एस. बी. चह्वाण महोदय, जो कि योजना मन्त्री हैं, यह बतायेंगे कि क्या उनके पास उस जिले के कुल क्षमता सर्वेक्षण के बारे में एक भी विकास खंड के बारे में आँकड़े उपलब्ध हैं ? क्या आपके पास जिले का या खंड का भूमि प्रबन्ध का ब्यौरा है ? नहीं। भूमि प्रबन्ध कार्यक्रम कार्यक्रम के बिना, उपयुक्त स्थायी निधि सर्वेक्षण के बिना, जल स्रोत सर्वेक्षण कराये बिना आप सफल नहीं हो सकते। अतः इस बैंक प्रबन्ध के साथ-साथ जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था, भू-क्षमता सर्वेक्षण, भू क्षमता मानचित्र, जल-स्रोतों के मानचित्र और अन्य वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह एक अच्छा भाषण कर रहे हैं, उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस विधेयक से सम्बन्धित नहीं है।

श्री डी. पी. यादव : महोदय, यह बिल्कुल सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय के प्रति उन्हें कुछ शिकायत है, बस इतना ही सम्बन्ध है।

श्री डी. पी. यादव : नहीं महोदय, मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया है। इसे कार्यवाही वृतान्त में तो जाने दीजिये जिससे वित्त मंत्री महोदय कुछ कर सकें।

रंगा साहिब ने कहा है कि "निदेशक बोर्ड में संसद सदस्यों को न लिया जाए।" ठीक है। परन्तु संसद सदस्यों और राज्य विधायकों को अछूत न समझा जाए। उन्हें बैंकों के दर्शकों के रूप में सहयोगी बनाया जाना चाहिये। एक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र के सभी बैंकों का पदेन दर्शक होना चाहिए। उसे बैंक की कार्यवाही को देखने की अनुमति होनी चाहिये। अन्यथा महोदय, उन पर आपकी क्या पकड़ होगी ? आपने प्रशासनिक पकड़ तो देख ली है। वेंकटरामन महोदय, वे आपके मित्र नहीं हो सकते हैं। दीर्घा में बैठे हुये अधिकारी आपके मित्र नहीं हो सकते हैं। जैसे ही अपने पद से अलग होंगे आपका वह बैग भी ले लिया जायेगा जो उन्होंने आपको बजट प्रस्तुत करने के लिये दिया है। जब आप पदासीन कार्यालय में होते हैं, केवल तभी वे सिर झुकाना जानते हैं।

और अब महोदय, यह छठी पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज है। इस दस्तावेज को तैयार करने वाले, भारत के एक महान वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन को मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय यह बात कार्यवाही वृतान्त में रहनी चाहिये कि इस सुन्दर प्रारूप को तैयार करने एक कृषि वैज्ञानिक सहायक रहा है। उन्होंने इसका प्रारूप अपने अनुभव से तैयार किया है। खाद्य तथा कृषि संगठन की परिषद के अध्यक्ष चुने जाने पर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। यह प्रतिष्ठा हमने पाई है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह कूड़े दान में जायेगी ?

श्री डी. पी. यादव : बेशक चली जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : छठी पंचवर्षीय योजना पर बाद में बहस होगी।

श्री डी. पी. यादव : महोदय आप यह देखिए कि इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है :

"सूर्योदय होगा। विश्वास की डोरी को अच्छी तरह पकड़े रहिए।"

किसान को पक्का विश्वास लिये बैठे हैं। परन्तु सूर्योदय कभी नहीं हुआ।

मुझे विश्वास है कि इस बैंक की स्थापना करके वेंकटरामन महोदय बैंकों के कार्य संचालन को और सरल बना देंगे। कृपया संसद सदस्यों और विधायकों को उनके क्षेत्रों के बैंकों में दर्शक सदस्य बनाइये। कार्यवाही की जानी चाहिये। क्षेत्र के आधारभूतीय ढांचे के और कुल भूमि जल के तथा अन्य सर्वेक्षण कराइये। इस बैंक को भूमि विकास बैंक, लीड बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इन सभी से सम्बन्ध रखना चाहिये।

अन्त में, मैं कहूंगा कि कृषि मंत्रालय इस योजना से सदैव सम्बद्ध रहे। पूर्ण समन्वय रखा जाना चाहिए। कृपया हमारे क्षेत्रों को जाकर देखिये। आपके क्षेत्रों के बारे में तो मैं नहीं जानता। परन्तु हमारे क्षेत्रों में ठेकेदार अभियन्ता और खंड अधिकारी रुपया हड़प जाते हैं। यह एक आम बात है। यह धन लाखों गरीबों तक न पहुंचकर कुछ थोडे से लोगों की जेब में चला जाता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये और इस बैंक को प्रगति का सूचक होना चाहिये और इसे इस देश की गरीब जनता की सहायता करनी चाहिये तथा कृषक समाज के लिए सहायक सिद्ध होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक की अनुशंसा करता हूं और वेंकटरामन महोदय को उनके प्रयास में सफलता की कामना करता हूं।

श्री पी. राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं माननीय वित्त मंत्री को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981 लाने के लिए बधाई देता हूँ। कृषकों के हित में बैंकिंग प्रणाली में यह एक बड़ा कार्य है।

मैं कहना चाहता हूं कि 44 वर्ष पूर्व प्रो. रंगा ने जो किसान आन्दोलन के प्रवर्तक हैं, फैजपुर किसान कांग्रेस के मंच से एक किसान घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें कृषि वित्त निगम स्थापित करने की भी एक मांग की गई थी। अब श्री वेंकटरामन यह विधेयक लाये हैं, जो प्रो. रंगा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसीलिए मुझे उन्हें दोबारा बधाई देनी है।

1963 में, सरकार ने यह देखा कि कृषि क्षेत्र में 81% ऋण अन्तर है। इसलिए उन्होंने कृषि पुनर्वित्त निगम की मांग की थी। यह एक प्रगतिशील कदम था, परन्तु तब वे सहकारी संस्थाओं और बैंकों को आर्थिक सहायता दे रहे थे, वे गरीब कृषकों की सेवा नहीं कर रहे थे। जब हम सहकारी प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो हम हमेशा यह पाते हैं कि बड़े-बड़े जमीनदार धन का उपयोग कर रहे हैं; और कुछ परिवार बेनामी ऋणों के नाम से, सारी निधि का उपयोग कर रहे हैं। कृषि आयोग तक का कहना है कि नये सदस्यों की भर्ती तथा गरीब लोगों को ऋण सुविधा देने का प्रमुख मापदंड भूमि का स्वामित्व था। इसके अनुसार सहकारी नेतृत्व और प्रबन्ध मुख्यत: बड़े-बड़े कृषकों के हाथ में था।

श्रीमती गांधी के सत्ता में आने तक स्थिति यह थी। जब वे सत्ता में आई तो उन्होंने छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की सहायता करनी चाही। अत: उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उन्हें उन लोगों को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। उस समय के बाद से छोटे कृषकों को ऋण मिलने लगा। जैसाकि श्री चित्त बसु ने कहा है, लगभग 90 प्रतिशत किसान, छोटे किसान हैं। अत: यदि इन बैंकों को किसी की सेवा करनी है, तो उन्हें केवल उनकी सेवा करनी होगी। श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा दिए गये निर्देश उपयोगी थे कि हम उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

इस बार वेंकटरामन ने गरीब लोगों को 5000/-रुपये तक का ऋण बिना किसी जमानत के लेने की छूट दी है : यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ओर एक और कदम है।

कृषि आयोग ने कहा है कि ऋण के मामले में इन किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ऋण प्रणाली में उनको प्राथमिकता देनी होगी ताकि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर

सकें। ब्याज की दर तथा ऋण की मात्रा दोनों के सम्बन्ध में, उन्हें अधिमान्य शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए।

जैसा कि रंगा जी ने कहा, धन खर्च करने की या उन बैंकों की आर्थिक सहायता की कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिये। यह कहा गया है कि अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये है : यह जरूरी नहीं है। इसे किसी भी मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके बाद भी, विभिन्न राज्यों में वित्त पोषण के मामले में असंतुलन है। उदाहरणार्थ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पुनर्वित्त के प्रबन्ध किये गए हैं। परन्तु बैंक धन देने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वहाँ पर कोई बुनियादी ढाँचा या प्रशिक्षित लोग नहीं थे। अतः वे ऋण देने में सक्षम नहीं थे।

बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बिना बैंक के क्षेत्र भी हैं। अतः ऋण देने में कोई एकरूपता नहीं है। इसी कारण मैं वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इसमें असंतुलन न रहे और वे एक प्रक्रिया खोजें जिससे कि सभी राज्यों के लिए यह ऋण व्यवस्था लागू हो सके।

यह भी कहा गया है कि कुछ राज्यों में भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं है। जैसाकि श्री यादव ने कहा, जब तक न केवल भूमि के संबंध में बल्कि भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्यों के बारे में रिकार्ड नहीं होंगे, तब तक कृषकों को ऋण देना बैंकों के लिए सम्भव नहीं होगा।

अब भी, बैंक तीन महीने के अन्तराल पर धन ले रहे हैं। इतने अन्तराल पर धन देना कृषकों के लिए संभव नहीं है। एक फसल लेने में छह महीने लगते हैं। वे हर तीन महीने के अन्तराल पर भुगतान कैसे कर सकते हैं? यदि वे तीन महीने के अन्तराल पर भुगतान नहीं करते हैं तो उनसे दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाता है। अतः, मैं कहता हूं कि भुगतान की किस्तें एक वर्ष के अन्तराल पर वसूल की जाएं।

मुझे दो बातों का उल्लेख करना है। एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण गोदाम बनाने की एक योजना बनाई है। यह अच्छी बात है, परन्तु उनमें खाद्यान्न तथा कृषि की वस्तुएं कौन रखेगा? कृषक। परन्तु उन्हें धन नहीं मिल रहा है। हमारे लोक सभा अध्यक्ष ने भी रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस वक्तव्य की आलोचना की है कि स्टाक जमा करने के लिए ऋण न दिया जाए। आखिरकार, छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के पास जीवन निर्वाह की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें केवल तभी अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। अतः यह प्रणाली अपनाई जानी चाहिए कि यदि किसान गोदामों में स्टाक रखते हैं तो उन्हें स्टाक जमा करने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए।

पहले, भूमि बंधक बैंक भूमि खरीदने के लिए ऋण देते थे। यह आवश्यक नहीं है कि धनी कृषकों को ही भूमि खरीदने के लिए ऋण दिया जाए। अब, छोटे और सीमान्त किसान तथा कृषि मजदूर भूमि खरीदने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अतः भूमि खरीदने के लिए भी ऋण दिये जाने चाहिए।

मैं कुछ बातें कहने के बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक बात रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक के बीच सम्बन्ध के विषय में कही गई है। वह इस प्रकार है :

"प्रस्तावित बैंक को रिजर्व बैंक के साथ सुव्यवस्थित सम्पर्क रखना होगा।"

इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इरादा यह है कि ग्रामीण ऋण के साथ रिजर्व बैंक का सम्पर्क बनाए रखा जाए और केन्द्रीय बैंक के रूप में निगरानी और ऋण वृद्धि संबंधी उसके अधिकार में किसी भी तरह कमी नहीं की जानी चाहिए। यहां मेरी आशंका यह है कि रिजर्व बैंक को वही अधिकार मिल जाएगा। हम यह चाहते हैं कि स्वतंत्र बैंक आवश्यक है, और धन उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि क्या धन का उचित रूप से खर्च हो रहा है या नहीं, एक अलग बात है। परन्तु यदि रिजर्व बैंक की इस राष्ट्रीय बैंक पर पकड़ होगी, तो मेरा विचार है इस बैंक की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि नीतियां बनाने और योजनाएं तैयार करने और ऋण वितरण करने में इस बैंक को रिजर्व बैंक पर निर्भर नहीं रखा जाना चाहिए।

अब, हमें वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के बारे में कटु अनुभव हो रहा है : वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में अनुभव या उनसे सहानुभूति नहीं है। निःसन्देह, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वभावतः कृषकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, परन्तु सभी नहीं। इसलिए, कर्मचारियों के चयन के बाद, उन्हें ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनकी कृषकों और उनके कल्याण के प्रति कम-से-कम कुछ वचनबद्धता हो।

श्री अशफाक हुसेन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा के पिछले सत्र में जब हमारे मीठी जबान वाले वित्त मन्त्री जी ने इस बिल का प्रस्ताव पेश किया था तो बहुत तालियां बजी थी, खुशी भी लोगों ने मनायी थी कि बड़ा अच्छा बिल आ रहा है। लेकिन जब यह बिल देखने में आया तो ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ खोदने के बाद चुहिया निकली। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ऐग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो इतना बड़ा सबजेक्ट है, उस सबजेक्ट पर और जिसमें इतने बड़े धन की आवश्यकता है उसमें आप यह छोटी सी रकम रखने जा रहे हैं। पहली बात तो यह जान लीजिए कि केवल सौ करोड़ रुपये से यह डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा रहा है और अधिक से अधिक 5 सौ करोड़ रुपया रखा गया है। लेकिन जहां आवश्यकता 5 हजार करोड़ रुपए से ऊपर की है वहां सौ करोड़ या पाँच सौ करोड़ रुपया लगा करके, यह एक खिलौना दे करके बहलाया ही जा रहा है। ऐग्रीकल्चर का भला इसमें नहीं होने जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि आपने जो यह बिल रखा है उससे देहात के क्षेत्रों को क्या मिलने वाला है ? उनको कम ब्याज पर कर्जा मिलेगा ऐसी कोई बात इस बिल में नहीं मौजूद है। बल्कि मैं आपको रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से जहां इंटरेस्ट रेट आन ऐग्रीकल्चरल लोन के ऊपर 148 प्वाइंट दिया हुआ है, उससे थोड़ा सा पोर्शन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"1980-81 के केन्द्रीय बजट में अनुसूचित बैंकों की ब्याज सम्बन्धी आय पर पुनः कर लगाया जाना आरम्भ किये जाने के कारण कृषि अग्रिमों सहित ऋणों, और अग्रिमों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर बढ़ गई हैं। जमा राशि पर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये ब्याज की दरें बढ़ाये जाने के परिणाम स्वरूप, मार्च, 1981 में, सहकारी बैंकों को पुनः यह सलाह दी गई थी कि वे अपने कृषि ऋणों के सम्बन्ध आधारभूत उधार लेने वालों पर ब्याज की दरें बढ़ा दें।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् 80 और 81 दोनों के बजट के जरिए ऐग्रीकल्चर को

दिए जाने वाले कर्जों का रेट आफ इंटरेस्ट और बढ़ाया गया है। यह ऐग्रीकल्चर के साथ बहबूदी का एक नया रास्ता हमारे वित्त मंत्री जी ने खोला है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि इसके ढांचे को आप किस तरह से रखने जा रहे हैं। पहले तो कोआपरेटिव बैंक हो या और कोई भी बैंक हो, उनको अपनी शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से परमीशन लेनी पड़ती थी, लेकीन अब क्या है कि बीच में आपने एक और एग्रीकल्चर बैंक खोल दिया है, बजाय सीधे इजाजत लेने के अब इसके जरिए इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाएगा।

तीसरी बात, जो इनमें काम करने वाले लोग हैं, चाहे वे आफिसर हों, चाहे कर्मचारी हों, उनकी तनख्वाहों में और दूसरे बैंकों की तनख्वाहों में काफी अन्तर है। एक जगह ग्रामीण बैंक के मैनेजर की एक तनख्वाह है और उसी जगह स्टेट बैंक के मैनेजर की दूसरी तनख्वाह है और इसी प्रकार चपरासी की तनख्वाहों में भी अन्तर है। कहीं आपका इरादा यह तो नहीं है कि रुरल बैंक खोलकर एक दूसरी फौज बैंक एम्प्लाइज की पैदा करने जा रहे हैं—इस बारे में आप साफ तौर से जवाब दीजिए।

इसके अलावा यह कहा है कि हैण्डीक्राफ्ट का डवेलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर का डवेलपमेंट होगा और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के मायने तो सही आते हैं, लेकिन हैण्डलूम का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप कहेंगे कि हैण्डीक्राफ्ड में भी हैण्डलूम आता है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में भी हैण्डलूम आता है, लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में जानना चाहता हूं कि इसमें हैण्डलूम आता है या नहीं आता है ? हैण्डलूम का डवेलपमेंट शहरों में भी होता है और देहातों में भी होता है और उनको आपको कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए जैसा कि प्रो. रंगा ने कहा है कि एक अलग कारपोरेशन, एक अलग बैंक की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि आप जल्दी ही कोई ऐसा कदम उठायेंगे, क्योंकि हैण्डलूम से आप वाबस्ता रह चुके हैं, दस साल तक आप तमिलनाडु में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हैण्डलूम के लिए विशेष योजना आप चाहे इस बैंक के जरिए या दूसरे किसी बैंक के जरिए लाने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जहां रिजर्व बैंक के ढांचे का सवाल है, वहां रिजर्व बैंक के सेन्ट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं और उसके बाद डिफरेंट विभागों के अन्दर आप ने डायरेक्टर्स नोमिनेट किए हैं और उसी के साथ आपने मैम्बर्स आफ दी लोकल बोड्र्स करके रीजनल बोड्र्स बनाए हैं—वैस्टर्न एरियाज, इस्टर्न एरियाज, नार्थन एरियाज, सदर्न एरियाज। वास्तव रूप में यदि आप एग्रीकल्चर बैंक का काम विस्तार से चलाना चाहते हैं और देहातों के लोग तथा भारत वर्ष के लोग इससे वाबस्ता हों, तो लोकल बोड्र्स की तरह से, लोकल बाँडीज की तरह से, जिस तरह से रिजर्व बैंक में वेस्टर्न एरिया, इस्टर्न एरिया, नार्थन एरिया और सदर्न एरिया है–उसी तरह से सात-आठ एरियाज बनावें और वहां के लोगों को उससे वाबस्ता करें। जैसे कि श्री डी. पी. यादव जो ने सुझाव दिए हैं, मैं उनसे सहमति प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : कम से कम आज मुझे समय देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कल मेरी बारी थी परन्तु मुझे मौका नहीं मिला जिससे मुझे बहुत आक्रोश हुआ। मैं आपका आभारी हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री को इस अत्यधिक आवश्यक उपाय को लाने के लिए बधाई देता हूं। सावधानी पूर्वक ढंग से कार्यवाही करने के लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। यह कहा गया कि 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इस प्राधिकरण की अधिकतम वित्तीय सीमा 500 करोड़ रुपये तक हो सकती है। यह सच है कि जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का संबंध है, वे विशाल हैं। परन्तु यदि दूसरे पक्ष के मित्र यह सोचते हैं कि उन समस्याओं को कम किया जा सकता है या देश भर में शीर्ष बैंक या संस्थान खोलकर एक ही उपाय से सुलझाया जा सकता है, तो यह असम्भव है। यह मुख्यतः पुनर्वित्त संस्थान है और इसके बहुत अच्छे पहलू भी हैं। यदि देश के किसी भाग में सूखा या अकाल पड़ता है या कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो यह बैंक कृषि कार्यों तथा विपणन के लिए धन देकर सहायता कर सकता है। यह लघु उद्योगों तथा शिल्पियों को दिये गये ऋणों को भी पुनः अनुसूचित कर सकता है। यह कृषकों को ऋण देकर तथा उन्हें विवशतापूर्ण बिक्री से बचा कर उनकी सहायता कर सकता है। इसके अनेक पहलू हैं परन्तु समय की कमी के कारण मैं कुछ पर ही ध्यान दिलाऊंगा।

बैंकिंग केन्द्रीय विषय है, परन्तु सहकारिता राज्य विषय है। मेरा निवेदन है कि राज्य सहकारी बैंक केन्द्र की अन्तर्गत होने चाहिएं क्योंकि बैंकिंग केन्द्रीय विषय है केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरित करते समय सहकारी बैंकों द्वारा अनेक बुराइयां पैदा की गई हैं। सहकारी बैंकों द्वारा वितरित अधिकांश ऋणों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण करने की एक योजना है। अब आप नया बैंक आरम्भ कर रहे हैं, सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसी तरह नियुक्त किये जाने चाहिए जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों के मामले में होता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के गलत वितरण के कारण पैदा हुई बुराइयां दूर नहीं हो सकेंगी, बल्कि और बढ़ेंगी। जब अधिकाधिक धन उपलब्ध कराया जा रहा है, यदि उसका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा तो, हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए, रिजर्व बैंक या इस नये बैंक की तरह कोई शीर्ष निकाय होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सहकारी बैंकों के कार्यचालन को नियंत्रित रखे।

जहां तक वितरण की संरचना का संबन्ध है आपने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। परन्तु कुछ पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं अतः आपको इस पहलू का अध्ययन करना होगा पिछड़े क्षेत्रों में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता दी जायेगी तथा जिनके माध्यम से इस नये कानून का संचालन किया जा सके।

यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप समेकित ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं जो कि आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघुस्तरीय उद्योगों तथा कारीगरों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए परन्तु इस बात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए कि किन संस्थाओं के माध्यम उनको वित्तीय सहायता दी जाये। जहां तक इस नई योजना का संबन्ध है आप बहुत ही ध्यानपूर्वक तथा सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। 500 करोड़ रु. तक की राशि का

कार्य करेंगे और यदि उससे ज्यादा धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तो आप पुनः संसद आकर अधिक राशि की स्वीकृति लेंगे परन्तु इसका उपयोग करने के लिए आप कौन व्यवस्था करेंगे ? इसका अध्ययन किया जाना चाहिए तथा एक व्यवस्था बनाई जानी चाहि विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में बनाई जानी चाहिए तथा यह भी आवश्यक है कि इस व्यवस्थ तथा वितरण पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जाये जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा बतलाया गया है कि हम सुविधा केवल धनवान किसानों को ही उपलब्ध नहीं होनी चाहिए । इस बैंक के बनने के बाद, छोटे किसानों, कारीगरों लघु उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों को सहायता देने में प्राथमिकत दी जानी चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को हम आज पारित कर सकेंगे, मैं उन सदस्यों को जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, उनके अच्छे मुद्दों का संदर्भ न देकर उन्हें निराश नहीं करना चाहता । अतः मैं वाद-विवाद के दौरान उठाये गये सामान्य प्रश्नों को ही लूंगा और उनमें से कुछ का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि कृषि ऋण अधिकांशतः महाजनों के हाथों में है । केवल पिछले दो दशकों से इसे महाजनों से संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया है 1961 में जब पहला अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण किया गया था तो यह पता चला कि कुल ग्रामीण कर्जदारी का केवल 18.4% ही संस्थागत था । बाकी ऋण महाजनों से आता था । उसके बाद सहकारिता ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषकों को साख की अधिक ऋण देने में सहायता की । अतः 1971 में जब दूसरा सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि कुल ग्रामीण कर्जदारी का 31.7% संस्थागत एन. एस. एस. के द्वारा 1981 में तीसरा सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरे सर्वेक्षण से जो तस्वीर सामने आ जायेगी वह पिछले दो सर्वेक्षणों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होगी । इस बीच हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है । इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कमजोर वर्गों को काफी हदतक ऋण दिये हैं । इस सर्वेक्षण से ग्रामीण जनता को ऋण उपलब्धकरने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान मालूम होगा ।

वाणिज्यिक बैंकों की अनेक आलोचनाएं की गयी थीं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण देने में उदारता नहीं बरती है । वस्तुतः 1961 में ग्रामीण क्षत्रों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 188 करोड़ रु. था जून 1981 में यह बढ़ कर 3700 करोड़ रु. हो गया । मैं यह नहीं कहता कि इससे सभी आवश्यकताएं पूरी हो गयी । परन्तु मैं इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने में वाणिज्यिक बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है ।

कुछ सदस्यों ने क्षेत्रीय असन्तुलन के प्रश्न की बात की है । कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम के द्वारा इसको सुधारने का प्रयास किया है । कृ. पु. वि. नि. ने सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों को पिछड़े हुए राज्य माना है तथा आठ राज्यों को पिछड़े क्षेत्र माना है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश।

कुछ सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की

स्थापना के बाद ब्याज की दर बढ़ जाने की सम्भावना है इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के कारण ब्याज की दरें नहीं बढेगीं यह दूसरे कारणों की वजह से बढ़ सकती हैं परन्तु रा. कृ. ग्रा. वि. बैं. की स्थापना के कारण नहीं बढेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने बढ़ती हुई बकाया राशि पर भी चिन्ता व्यक्त की है। यह सर्व विदित है कि यदि धन के आने-जाने का उचित चक्रानुक्रम नहीं है तो स्वय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता दुर्लभ हो जाती है। यह राज्य सरकारों के हित में है कि वह देखें कि बकाया राशि में वृद्धि न हो तथा नियमित रूप से वसूली की जाये क्योंकि केवल इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण जनता को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किया जा सकता है यदि वे बकाया राशि को बढ़ने देंगे ये बैंक केन्द्रीय संगठनों से उधार नहीं ले पायेंगे। जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऋण नहीं मिल पायेंगे। इस अवसर पर मैं राज्य सरकारों के इस उत्तरदायित्व पर बल देना चाहूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अपने-अपने क्षेत्रों में बकाया राशि में वृद्धि न हो और वे धन के आने-जाने चक्रानुक्रम अधिकतम लाभकारी बनायें।

कुछ सदस्यों ने निदेशक-मंडल तथा सलाहकार परिषदों का जिक्र किया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि संसद सदस्य इस निदेशक-मंडल के सदस्य होने चाहिए तथा दूसरे कहते हैं कि नहीं होने चाहिए। मेरा मत यह है कि संसद सदस्य जिनको कि इस प्रकार के बैंक की गतिविधियां देखने का अधिकार है, उन्हें निदेशक मंडल के सदस्य होना चाहिए। दूसरी तरफ उनको इन बैंकों तथा शीर्ष संस्थानों एवं केन्द्रीय बैंकों का पर्यवेक्षण करने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि जब उनकी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जायेगी वे उनके कार्यकरण की आलोचनात्मक ढंग से जांच करके अपनी टिप्पणियां दे सकेंगे। स्वयं बोर्ड के सदस्य होने पर वे एक उलझन की स्थिति में पड़ जायेंगें और उनकी आलोचना में भी उतना वजन नहीं होगा। अतः हमने यह सोचा है कि संसद सदस्यों का बोर्ड में होना उचित नहीं होगा।

इस प्रश्न पर कि क्या उनको सलाहकार परिषद में रखा जाये, हम विचार करेंगे क्योंकि सलाहकार परिषद में उनका कोई कार्यकारी कार्य नहीं होगा जबकि उनका अनुभव, ज्ञान, तथा विशेषज्ञान बहुत लाभकारी होगा। मैं इस बात पर पूरी तरह विचार करूंगा।

कुछ सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कारण राज्य सरकारों या सहकारी बैंकों का अधिकार क्षेत्र ही समाप्त हो जायेगा। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसी सम्भावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पुनर्वित्तीय सहायता देने वाली संस्था है जो कि स्टेट बैंक तथा शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से कार्य करेगी। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक राज्य-सहकारी संस्थाओं तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को ऋण देगा। यह इन संस्थाओं को पुनर्वित्तीय सहायता देगा। अतः किसी राज्य-संस्था के बिना यह किसी विशेष पक्ष को सीधे ऋण नहीं दे सकता है।

कुछ सदस्यों ने, विशेषकर श्री राजगोपाल नायडू तथा अन्य सदस्यों ने भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक के कार्यों का गलत अर्थ लगाया है। उन्होने सोचा है कि यह एक प्राथमिक संस्था होगी जो सीधे पार्टियों को ऋण देगी, ऐसी बात नहीं है वस्तुतः यह अपना कार्य राज्यों की प्राथमिक

संस्थाओं के माध्यम से करेगा जिनके लिए भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक पुनर्वित्तीय की व्यवस्था करेगा। अतः इस आशंका का कोई भी आधार नहीं है कि इससे राज्य सरकारों की सहकारी समितियां महत्व संकट में पड़ जायेगा या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

श्री असफाक हुसैन ने कहा है कि प्राधिकारी के संबंध में भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक तथा रिजर्व बैंक के मध्य भ्रान्ति पैदा हो जायेगी। उनको मैं पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा अवसर बिल्कुल भी नहीं आयेगा क्योंकि भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक की शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी तथा 50 प्रतिशत रिजर्व बैंक देगा। और तब यह एक नई संस्था बन जायेगी। रिजर्व बैंक का भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक पर पर्यवेक्षण का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु दूसरी ओर इसके साझीदार के रूप में इस बात को रखेगा कि ऋण के मामले में इसकी नीतियों का पालन किया जाये। कुछ सदस्यों ने यह भी पूछा है कि भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक की ऋण योजनाओं का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक क्यों करें और उसे यह शक्ति क्यों मिले ? महोदय, सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश में सभी ऋण तथा मुद्रा कार्यों के सम्बन्ध में मध्यस्थ का कार्य करता है इसको यह देखना होता है कि ऋण विस्तार पर एक पूर्ण नियन्त्रण रहे। इसको इस बात का ध्यान रखना है कि मुद्रा सप्लाई पर पूर्ण नियन्त्रण रहे तथा देश में मुद्रास्फीति न हो। अतः ये ऐसे कार्य हैं जो केवल एक ही संस्था द्वारा ही किये जा सकते हैं और वह है भारतीय रिजर्व बैंक तथा वह इन्हें विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करता है। हमारे पास भारतीय औद्योगिक बैंक है जो कि उद्योगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। हम भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक बना रहे हैं जो कि ग्रामीण तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान करेंगे इसी तरह से रिजर्व बैंक को इन सभी संस्थाओं पर यह सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण रखना चाहिए जिससे देश में कुल मुद्रा सप्लाई का विनियमन हो सकें। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक का भा. कृ. ग्रा. वि. बैंक में कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री चित्त बसु ने पूछा है : "आप दूसरी संस्था की स्थापना क्यों करना चाहते हैं।" जैसा कि प्रो. रंगा ने कहा है कि चालीस से अधिक वर्षों से पहले से कृषि के लिए एक पृथक संस्था की मांग की जा रही थी। तथा ग्रामीण हस्तकला उद्योगों तथा ग्रामीण कारीगरों की सहायता के लिए देश में मांग की जा रही है। यह राष्ट्रीय मांग श्री मोतीलाल नेहरू ने शुरू की थी। तब से आज तक प्रत्येक आयोग तथा समिति ने यह सिफारिश की है कि ग्रामीण विकास की गतिविधियों का केन्द्रीकरण करने के लिए एक संगठन होना चाहिए। अब तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी। ऐसी संस्थायें हैं जो कृषि सम्बन्धी ऋण की व्यवस्था करती हैं तथा ऐसी संस्थायें भी हैं जो लघु उद्योगों की ऋण की व्यवस्था करती हैं परन्तु वाणिज्यिक बैंकों की ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हस्तकला तथा उद्योगों तथा कारीगरों की ऋण को व्यवस्था करें। अब प्रथम बार ग्रामीण विकास सम्बन्धी सभी गतिविधियों को एक ही तत्वाधान में तथा एक ही प्राधिकार के अंतर्गत लाया जा रहा है। दूसरी ओर मैं समझता हूं कि श्री चित्त बसु इसका स्वागत करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) मेरा प्रश्न है कि क्या वास्तव में इससे ऋण व्यवस्था या ऋण उपलब्धता प्रभावी परिवर्तन होगा। अब तक रिजर्व बैंक इस कार्य को कर रहा था और केवल रिजर्व बैंक की शक्ति दूसरे को प्रदान कर आप ऋण उपलब्धता को कैसे बढ़ाने का विचार करते हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : इसके विपरीत एक पृथक संस्था होने से विभिन्न हितों की देख-भाल करना सम्भव हो सकेगा।

यदि आपके पास ऐसी संस्था नहीं है तो रिजर्व बैंक जिसके पास ऋण नियन्त्रण मुद्रा-नियन्त्रण तथा दूसरे ऐसे बहुत से अपने कार्यों के साथ-साथ कृषि ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण कारीगरों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक पूरा नहीं दे सकेगा। इसीलिए इस संस्था का होना अत्यावश्यक है।

मेरे मित्र, श्री महाजन ने इस विधेयक का बिल्कुल सही समर्थन किया है और उन्होंने एक बात पर बल दिया है अर्थात 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जो केवल एक कार्यक्रम है और वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, अब किसी अकेले प्राधिकरण के दिशानिर्देश में नहीं चल रहा। प्रस्तावित बैंक इस कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी ध्यान रख सकेगा—कुछ माननीय सदस्यों ने इसका भी उल्लेख किया है—और ग्रामीण दस्तकारों और ग्रामीण जीवन से सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार की गतिविधि का भी यह बैंक ध्यान रख सकेगा।

अतः यह बैंक समाज के उन कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेगा जिनके लिए हमने अपनी नीति के अन्तर्गत यह निर्धारित किया है कि 1985 से पहले 40 प्रतिशत ऋण इन वर्गों की जनता को दिया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव भी इसका समर्थन कर रहे थे किन्तु उन्हें इस बात का सन्देह था कि उर्वरक, पम्पसेटों आदि अनुसन्धान गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध हो सकेगा या नहीं। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्राथमिक समितियों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए ऋण उपलब्ध होता रहेगा और इस प्रकार की गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त देना इस प्रस्तावित बैंक का एक कार्य होगा।

श्री उमाकांत मिश्र ने शिकायत की है कि इसमें से कुछ धनराशि धनी और भूपतियों को जायेगी। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि यह बिल्कुल असत्य है अथवा गलत है। किन्तु हम यह तो कर ही सकते हैं कि कमजोर वर्गों के लिये ऋण का कुछ भाग आरक्षित कर उसका सही वितरण सुनिश्चित करें। इस लक्ष्य की पूर्ति इस प्रकार से की जा सकती है और इसकी सम्बद्ध संस्थानों द्वारा जांच की जा सकती है। हम इस प्रकार का कानून नहीं बना सकते जिसमें हम यह कहें कि अपेक्षाकृत धनी लोग इससे लाभ नहीं उठा सकते अथवा हम यह भी नहीं कह सकते कि इसमें से कुछ प्रतिशत विशेष ही उन्हें दिया जाना चाहिये। हम तो बस यही कह सकते हैं कि हम प्रस्तावित बैंक को यह निर्देश दे सकते हैं कि वे अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करें कि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा और प्रर्याप्त ऋण सुविधायें मिलें।

विभिन्न क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सलाहकार समिति के बारे में एक दूसरा प्रश्न भी है। मैंने इस पर अभी विचार नहीं किया है। इस समय हम केवल एक ही सलाहकार समिति के बारे में सोच रहे हैं। मुझे इस मामले पर विचार करना होगा अर्थात् क्या एक केन्द्रीय सलाहकार समिति के अतिरिक्त क्षेत्रीय सलाहकार समिति भी बनाई जा सकती है।

श्री शमन्ना वास्तव में एक गांधीवादी हैं और वह यह चाहते हैं कि खादी ग्रामोद्योग से सम्बद्ध प्रत्येक गतिविधि को इस प्रस्तावित बैंक के अन्तर्गत लाया जाये। मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि यह करना सम्भव होगा। तथापि मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी महत्वपूर्ण ग्रामीण गतिविधि की उपेक्षा नहीं की जायेगी और इस प्रस्तावित बैंक द्वारा उस पर ध्यान दिया जायेगा।

प्रो. रंगा और अन्य सदस्यों ने एक अथवा दो प्रश्न उठाये थे, अर्थात् यह कि "कृषि" शब्द की परिभाषा में बागवानी शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है, एक आयकर सम्बन्धी मामले से सम्बद्ध है, जिसमें कृषि आय की परिभाषा करते हुए यह अर्थ लगाया गया है कि इसमें बागान शामिल नहीं हैं। यह हमारी अन्तर्वेशी परिभाषा है। फिर भी इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। मैं श्री परूलेकर और प्रो. रंगा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने जा रहा हूं जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इसमें यह भी शामिल हो जाएगा—

श्री अशफाक हुसैन : क्या इसमें हथकरघा भी शामिल है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं उस पर भी आ रहा हूं, मुझे उसका भी ख्याल है।

आगे जिस बात का उल्लेख किया गया है वह यह है कि हथकरघा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाये। आजकल हथकरघा को वित्त इस प्रकार से मिलता है कि हथकरघा शीर्षस्थ समिति राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करती है और राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त सुविधायें प्राप्त कर सकता है। अतः हथकरघा की ओर इसमें ध्यान दिया गया है।

श्री अशफाक हुसैन : हथकरघा निजी क्षेत्र में भी है। (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन : जी, हाँ।

वे राज्य सहकारी बैंक से वित्त प्राप्त करेंगे और राज्य सहकारी बैंक पुनर्वित्त प्राप्त करेगा। अतः इसका ध्यान रखा गया है।

मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जब मद्रास में उद्योग मेरे प्रभार में थे तब मैंने सहकारी समितियों के दायरे से बाहर, हथकरघों के लिए एक पृथक हथकरघा वित्त समिति की स्थापना की थी। ऐसे संस्थान के लिए कार्य करना सम्भव होता है और उन्हें राज्य की शीर्षस्थ समिति के माध्यम से भी सुविधायें मिलती हैं।

मेरे विचार से मैंने लगभग सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं विशेषज्ञता के बारे में ..... (व्यवधान)

श्री बाबूराम मिर्धा (नागौर) : मैं एक या दो अच्छे सुझाव देना चाहता था।

श्री चित्त बसु : मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कृषि वित्त निगम का उल्लेख किया है जिन्हें कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी संसाधनों के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञता हासिल है। इसे इस प्रस्तावित बैंक के क्षेत्राधिकार से छोड़ दिया गया है। कृषि वित्त निगम की वर्तमान स्थिति क्या होगी ?

श्री आर. वेंकटरामन : ए. आर. डी. सी. का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में

पूरी तरह से विलय कर दिया जाएगा और यह संस्था समाप्त हो जाएगी। (व्यवधान) कृषि वित्त निगम अब ए. आर. डी. सी. में है और ए. आर. डी. सी. का अब इस बैंक में पूरी तरह विलय कर दिया जायेगा और केवल राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ही रह जायेगा। ए. आर. डी. सी. का साथ-साथ बने रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री आर. वेंकटरामन : आखिरी बात कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में है। हम इस सम्बन्ध में पहले ही बता चुके हैं। (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : यदि सभा सहमत हो तो विधेयक को आज ही पारित कर दिया जाये, क्योंकि 3 30, म प. से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर बहस होनी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस विधेयक के लिए जितना समय आवंटित किया गया था, वह पूरा हो चुका है। कृपया आप कार्य-सूची देख लीजिये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हम प्रस्ताविक उपायों का स्वागत करते हैं। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहस .....

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर बहस के लिये आवटित पूरे $2\frac{1}{2}$ घण्टे का समय आपको मिलेगा...

श्री सतीश अग्रवाल : भविष्य में जो भी नया उपाय लाया जाता हो वह प्रवर समिति को भेजा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी तो सबको सहयोग देना चाहिये। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये आवंटित $2\frac{1}{2}$ घण्टे के समय में कमी नहीं की जा रही है। आपको वह मिलेगा कई बार हम समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। इसी कारण अनेक सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। माननीय सदस्यों को यह बात नोट करनी चाहिये।

अब, क्या सभा इस बात से सहमत है कि हम इस विधेयक को पूरा करें और फिर अगली मद को लें ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : महोदय, यदि वे इस प्रकार का असहयोगपूर्ण रवैया दिखाते हैं ..

श्री सतीश अग्रवाल : वित्त मन्त्री महोदय को स्थिति को समझाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष सहोदय : कृपया सभी माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। इस विधेयक के लिये चार घण्टे का समय आवंटित था। जब कोई सदस्य बोलता है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। वे जो भी कहने का इरादा रखते हैं उस सबको कह देना चाहते हैं। अतः मुझे उन्हें समय देना ही होता है।

श्री सतीश अग्रवाल : हमने हमेशा सहयोग किया है।

श्री आर. वेंकटरामन : अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैंने श्री चित्त बसु की कृषि वित्त निगम के विलय के बारे में बात सुनी है स्थिति यह है कि ए. एफ. सी. एक पृथक परामर्श-यात्री संस्था है और यह इसी प्रकार बनी रहेगी।

श्री चित्त बसु : इसका भी प्रस्तावित बैंक में विलय कर दिया जाना चाहिये ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं यह नहीं कहता कि ए. एफ. सी. एक स्वतन्त्र संस्था है, किन्तु यह ए. आर. डी. सी. का हिस्सा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव ने विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया है । मुझे वह यहाँ उपस्थित दिखाई नहीं दे रहे हैं । अतः मैं यह संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र को उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि लघु उद्योगों, कुटीर ग्रामीण उद्योगों, हस्त-शिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए उधार देने के लिए और उनसे सहबद्ध और उनसे आनुषगिक विषयों के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धो समिति ३० वां प्रतिवदन

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पी संबंधी समिति के 30 वें प्रतिवेदन से, जो 25 नवम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 30 व प्रतिवेदन से, जो 25 नवम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पुरः स्थापना के लिए विधेयक लिए जायेंगे । श्री बालासाहब विखे पाटिल उपस्थित नहीं है । डा. वसन्त कुमार पंडित ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम

[धारा 4 और 13 का संशोधन]

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह

अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

भारत में प्रादेशिक और साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध विधेयक

श्री बी. वी. देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुचे भारत में कार्यरत सभी प्रादेशिक और साम्प्रादायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : दो माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध किया है। श्री बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वियधेक को पुरःस्थपित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय सदस्य ने देश में बढ़ती हुई घातक कट्टर धर्मान्धता के प्रति जो चिन्ता प्रकट की है, उसे मैं समझता हूं और इस विषय में उनसे सहमत हूं। वास्तव में उस समय सम्पूर्ण मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है जब क्रूरता का निर्लज्ज नाच, बल्कि मैं तो नंगा नाच कहूंगा, हां तो अब समय आ गया है जब हमें इन बातों को समाप्त करना चाहिए। अतः विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा इस घातक प्रवृति से जिसे मैंने कट्टर धर्मान्धता कहा है, निपटने के बारे में जो चिन्ता प्रकट की गई है मेरे विचार में उससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता।

परन्तु मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में गहन अध्ययन की आवश्यकता है और इसे उन घिसी-पिट्टी बातों के आधार पर जो आज दुर्भाग्यवश हमारे देश में आम प्रचलित हो गई हैं, अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

कई बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अच्छाई और बुराई में भेद न कर पाना और उन सबसे एक ही ढंग से पेश आना दूसरे प्रकार का एक राजनीतिक कट्टर पन है। इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि किसी संघ या दल द्वारा किसी प्रदेश अथवा समुदाय के हितों को पूरा करना कोई गलत बात नहीं है और किसी प्रदेश अथवा समुदाय के हितोंको पूरा करने का प्रयास राष्ट्र के हित से भिन्न है अथवा राष्ट्रहित के विरूद्ध है। इसे इस प्रकार नहीं समझना चाहिये। भारत वास्तव में एक बहुभाषी, बहुधनी और बहु संस्कृति वाला राष्ट्र है। राष्ट्र का भावी विकास सभी प्रदेशों और सभी समुदायों के सन्तुलित विकास पर निर्भर करता है। कोई भी असन्तुलन वास्तव में राष्ट्र एकतामें घातक होता है। सभी प्रदेशों का तथा सभी समुदायों का सन्तुलित विकास देश को एकता के सूत्र

में बांधता है। अतः यह समझना गलत होगा कि किसी प्रदेश के निर्माण अथवा किसी प्रदेश या समुदाय के विकास के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास राष्ट्रीय हितों से भिन्न है अथवा राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध है।

राजनिति शास्त्र का कोई भी सिद्धान्त या मत ऐसा नहीं है जो किसी संघ अथवा यूनियन को किसी प्रदेश या समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने से रोकता हो। वास्तव में हमारे अपने संविधान के अनुच्छेद 19, 29 और 30 में मजदूर संघों और अन्य संघों की स्थापना का मूल भूत अधिकार प्रदान किया गया है। मैं इस समय लम्बी बहस नहीं करना चाहता। परन्तु स्थिति का वास्तविक जायजा लिये बिना तथा अच्छाई और बुराई में वास्तविक भेद किए बिना एकदम सीधा प्रतिबन्ध लगा देना धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र के लिए विनाशकारक है।

मैं यहां इस महान सभा को बताना चाहता हूं कि बहुत समय पहले आस्ट्रेलिया में सभी राष्ट्रमंडलीय देशों के 'विधि आयोग' की 12वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी यूनियन अथवा संघ पर केवल इस आधार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा कि इसका संबंध किसी प्रदेश विशेष या समुदाय विशेष से है। हमारे तत्कालीन विधि मंत्री ने इस निर्णय का उल्लेख किया था और 17 जुलाई 1961 को सिंगापुर में बोलते हुये उन्होंने इसका समर्थन किया था असल बात यही है उन्होंने स्वयं कहा था कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध एक राजनीतिक कट्टरपन होगा और धर्म निरपेक्ष लोक तन्त्र के लिए घातक होगा अतः मैं निवेदन करता हूं कि सम्पूर्ण स्थिति को समझने की आवश्यकता है···।

उपाध्यक्ष महोदय : और श्री बी. वी. देसाई से अनुरोध···

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं उनसे अनुरोध करूंगा। मैं उनकी तसल्ली कर दूंगा। मैंने उनकी भावनाओं को समझा है। मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि वे गलत रास्ते पर हैं और उन घिसी-पिट्टी बातों से प्रभावित हैं जो आज कल आम प्रचलित हैं और एक फैशन गई हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कह सकते हैं कि वे गलत रास्ते पर हैं और वे उस रास्ते पर नहीं हैं जो ठीक है।

श्री जी. एम. बनातवाला : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : यह आपका विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी जो कहा है मैंने उसे केवल दूसरे ढंग से कहा है।

श्री जी. एम. बनातवाला : वे केवल उन दलों से तंग आ चुके हैं जो साम्प्रदायिक, प्रादेशिक या कुछ इसी प्रकार के हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 72 कहता है

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य···"

महोदय, यदि वे पुरःस्थापन का विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है परन्तु उन्हें संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के इस प्रश्न को उचित ठहराता हूं कि वक्तव्य संक्षिप्त होना चाहिये।

श्री जी. एम. बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे विस्तार से बोलने की अनुमति दें और तभी आप समझ सकेंगे कि मैं कितना संक्षेप में बोला हूं।

महोदय, माननीय सदस्य केवल उन दलों से तंग आ गये हैं जिन्हें वह साम्प्रदायिक और प्रादेशिक कहते हैं और संसद, तथा विधान सभा में जिनका प्रतिनिधित्व है। वह केवल ऐसे दलों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। वह केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं यह एक भिन्न बात है परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार वे साम्प्रदायिक दल भी इसमें नहीं आते हैं जो राजनीतिक में भाग न लेने का प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिये मैं कह सकता हूं और मेरा यह दृढ़ मत है कि यह राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ जिसका राज्य विधान सभाओं और संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, एक साम्प्रादायिक दल और कट्टर धर्मान्धता में विश्वास रखता है। साथ ही प्रशासन, दोषों और प्रशासकीय झुकाव का प्रश्न भी आता है। जमशेदपुर जांच आयोग का प्रतिवेदन हमारे समक्ष है। हमने इन प्रतिवेदनों का केवल प्रदर्शन ही किया है। मैं पूछता हूं प्रतिवेदन का कार्यान्वयन कहां है? अत: मैं यह कहता हूं कि घातक कट्टर धर्मान्धता से निपटने के लिये कानूनों की कोई कमी नहीं है कमी है तो केवल स्थिति से निपटने की इच्छा की और तो जब से जमशेदपुर जांच समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है राष्ट्रीय हितों में इसकी क्रियान्विति करने की बजाए प्रदर्शन प्रचार का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए इसका साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

अत: मेरा निवेदन है कि यह विधेयक संविधान की **शक्ति से बाहर** है और इस सभा को कानून बनाने की क्षमता से परे हैं। यह दिशाहीन है और स्थिति का सामना करने में असफल है तथा यह राजनीतिक कट्टरपन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र की जड़ें काटता है।

अत: मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) : क्या मैं श्री बी. वी. देसाई से अपील कर सकता हूं कि जो भावनाएं यहां अभिव्यक्त की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए वह इस विधेयक के पुर:स्थान पर बल न दें?

श्री बी. वी देसाई (रायचूर) : मुझे आशा है कि आप मुझे उत्तर देने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आप से निवेदन भी है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : मैंने एक और सूचना भी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : दण्डपाणि जी, मान लो श्री देसाई मंत्री महोदय की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं तो क्या आप फिर भी वक्तव्य देना चाहते हैं? वह इसे वापिस ले रहे हैं तो फिर आपको वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता है?

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : मैंने श्री देसाई से एक अपील की है।

श्री बी. वी. देसाई : क्या मैं कुछ कहूं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डपाणि जी, वह इसे वापस ले रहे हैं। अत: आपके भाषण की कोई आवश्यककता नहीं है। श्री देसाई को अपनी टिप्पणियां करने दी जायें।

श्री बी. वी. देसाई : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस विधेयक के बारे में मेरे विद्वान् मित्र द्वारा दिए गये तर्कों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। वास्तव में जब वह यह कहते हैं कि उन भी साम्प्रदायिक संगठनों पर, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं; बिना किसी प्रकार की

दया दिखाए, प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये तो मूलरूप में मैं उनसे सहमत हूं। इसमें दो राय नहीं है। परन्तु वह इस सम्मानित सदन के समक्ष यह बात लेकर आए हैं कि वे संगठन जो पूर्णतया सम्प्रदायिक या क्षेत्रीय हैं, जो क्षेत्रीय हितों का ही ध्यान रखते हैं और जो राष्ट्रीय हितों से दूर हैं उन पर अलग से विचार किया जाए। उनके कहने का यही मतलब था और मैं भी ठीक यही कहना चाहता हूं। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। दूसरे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य संगठनों के बीच भेद करने का प्रयास किया है। मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मतलब उन सभी साम्प्रदायिक दलों और क्षेत्रीय दलों से है जिनके हित आज राष्ट्रीय हितों से अलग हैं। कोई भी समझदार और सही विचारधारा वाला व्यक्ति आज देश में व्याप्त इस रवैये से चिंतित है और इसी विचार से मैंने यह विधेयक पेश किया है। वास्तव में मैं जानता था कि इस विधेयक का क्या होगा ? परन्तु फिर भी मैं यह देखना चाहता था कि यह सम्मानित सदन भी इसी विचारधारा का है। जब तक हम इन मामलों पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते तब तक हम सबके लिए यह देखना बड़ा ही कठिन है कि हमारी एकता बनी रहे। अतः मैं श्री बनातबाला को बता देना चाहता हूं कि हमने कभी भी किसी ऐसे विशेष साम्प्रदायिक संगठन के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहा जो वे संविधान के अन्तर्गत बना सकते हैं क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मेरे विचार से विश्व में केवल यही एकमात्र धर्म-निरपेक्ष देश है। परन्तु फिर भी धर्म-निरपेक्षता के नाम पर हम इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। महोदय, अब हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो इस देश की अखण्डता तोड़ने के लिए यह सम्मानित सदन उत्तरदायी होगा। यह रवैया बन्द करना होगा और इसी उद्देश्य से मैंने यह विधेयक पेश किया है। मैं जानता था कि मेरा दल यह पसन्द नहीं करेगा कि मैं इसके लिए जोर डालूं परन्तु फिर भी मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता था कि इस प्रकार का रुख अपनाया जा रहा है। महोदय, इन टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, मुझे मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहिए : हमें बहस में भाग लेने की अनुमति दिये बिना ही विधेयक वापिस लिया जा रहा है। हमें तो केवल श्रोता बनाया गया। मंत्री महोदय के कहने पर विधेयक वापिस लिया जा रहा है। मैं मत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि क्या वह यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय और साम्दायिक दल इस देश में सक्रिय रहे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा माननीय सदस्य को देश में कार्यरत सभी क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक दलों पर पाबन्दी लगाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 7, 8 और 9 श्री जार्ज फर्नान्डीस अनुपस्थित हैं। मद संख्या 10

भारतीत डाक-घर (संशोधन) विधेयक

(धारा 26 का संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय डाक-घर अधिनियम, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाक-घर अधिनियम 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्याएं 12, 13, 14 और 15 : सम्बन्धित माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। अब मद संख्या 16 को लिया जाता है।

भारतीय रेल बोर्ड (निरसन) विधेयक

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि भारतीय रेल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 1905 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सार्वजनिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में सार्वजनिक रूप से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में सार्वजनिक रूप से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक

(धारा 3, 6ख आदि का संशोधन)—जारी

उपाध्य महोदय : अब सभा 18 सितम्बर, 1981 को श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किए गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन विधेयक, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

इसके लिए दो घण्टे का समय दिया गया था । हम केवल दो मिनट का समय अभी तक ले चुके हैं । हमारे पास एक घण्टा 58 मिनट का समय शेष है । श्री डागा बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र प्रणाली में विश्वास रखने वाला देश भारत है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था का सदस्य हूं । यह मेरा सौभाग्य है कि देश के निष्ठावान, कर्मनिष्ठ तथा सेवाभावी लोगों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, जिन्होंने अपनी जिन्दगी को, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय आप भी शामिल हैं, देश के प्रति कर्त्तव्यों की वेदी पर अपने स्वार्थों की बलि दे दी है । जिन्होंने देश के प्रति अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया है । अगर इन लोगों का काम देखा जाय, पहले उधर जो बैठने वाले लोग हैं उनको ले लीजिये, चाहे लोक दल के माननीय सदस्य हों या किसी और दल के माननीय सदस्य हों, कभी किसानों की समस्याओं को लेकर जूझते हैं, कभी हमारे मजदूर नेता शास्त्री जी मजदूरों की समस्याओं पर अपनी आवाज बुलन्द करते हैं और कभी हम लोग देश के विभिन्न मामलों पर अपनी बात, चाहे विदेश नीति हो, देश की एकता को कायम रखने वाली बात हो, अपने विचार यहां प्रकट करते हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं—इस सदन का हर सदस्य हर वक्त जागरूक और सतर्क रहना चाहता है और रहता है । एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य जज 196 दिन काम किये बिना भी चल सकते हैं, एक सरकारी कर्मचारी जो दिन में 8 घण्टे काम करता है, यदि मत से नहीं करता है तो भी उसके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है हम लोग

18-19 घण्टे लगातार काम करते हैं— इस सम्बन्ध में हमारे स्पीकर महोदय ने अपने भाषण में एक बार कहा था।

विधान मंडल के अन्दर और बाहर विधायकों के कार्य 28 अगस्त, 1981।

उन्होंने बताया था कि एक मेम्बर को क्या-क्या काम करना पड़ता है, मैं उस रेलेवेन्ट पोर्शन को पढ़ना चाहता हूं—

"मित्रो, चाहे सभा के अन्दर हो या बाहर, एक विधायक लोगों तथा सरकार के बीच एक पुल है। उसी के पास आम लोग सहायता लेने आते हैं; और उनकी तरफ से उसे ही उनकी प्रतिदिन की समस्याओं में से कुछ का हल खोजने के लिए लोक पदाधिकारियों से प्रायः निवेदन करना होता है। मेरे विचार से, अपने आस-पास के समुदाय के कल्याण हेतु किए गए रचनात्मक योगदान के संतोष से अधिक कोई भी बात किसी विधायक के लिए संतोषप्रद नहीं हो सकती है। परन्तु लोग उससे सभी प्रकार की मांगें करते हैं—स्कूलों और कालेजों में प्रवेश, तैनाती और स्थानान्तरण आदि से लेकर उर्वरक जल-प्रदाय आदि तक। निःसंदेह, जो मांगें की जाती हैं उनमें से कुछ विधायक को अवांछनीय स्थिति में डाल देती हैं।"

"परन्तु उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार उन समस्याओं को सुलझाना होता है और संबंधित अधिकारियों के साथ उन पर बात करनी होती है। वह लोगों की शिकायतें, अनुरोध और अपेक्षाएं भी सरकार के ध्यान में लाता है। वह लोगों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में भी काम करता है और सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों तथा विधान मंडल की कार्यवही के विषय में उन्हें निरन्तर सूचना भी देता रहता है।"

लाखों, करोड़ों लोगों की बात करने वाला एक सदस्य, कितना बड़ा यह मुल्क और उसकी बात करने का मेम्बर का अधिकार और कितना उसको पैसा मिलता है। आज केरल में कोई घटना घटती है, तो मेरे दिल को चोट पहुंचती है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो मेरे मन में दुःख पैदा होता है। एक चुना हुआ सदस्य अपने निर्याचन क्षेत्र के लोगों के दुःखों में दुःखी और सुख में सुखी होता है। उसकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा उसका उत्तरदायित्व है, यह आप जानते हैं लेकिन ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी भूमिका अच्छी बनी रहे, यह हम चाहते हैं। हमारे मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स और स्टेट होम मिनिस्टर, श्री वेंकटसुब्बैया, यहां पर बैठे हुए हैं। उनके और जनता के बीच में हम एक ब्रिज बनना चाहते हैं. हमारा यह काम है कि हम सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करें और आपके सामने जनता की बातें रखें। इस सम्बन्ध में हम ने एक बिल पेश किया था 1954 में और 1954 के बाद आज मैं यह बिल पेश कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि हम काम करें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और एक अच्छी भूमिका निभाएं, स्वच्छ और स्वस्थ भूमिका निभाएं। किस प्रकार से हम भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका निभाने का तरीका क्या है। एक तरीका है, जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं :

"केवल कुछ व्यक्ति स्नेहवश कार्य कर सकते हैं। जैसाकि एक बड़े सांसद सरक्सिन चर्चिल ने एक अन्य संदर्भ में कहा था: "हमें औजार दीजिये, और हम काम खत्म कर देंगे।"

चर्चिल ने कहा था कि हमें अपने साधन दे दो, हम अपने काम के लिये स्वस्थ भूमिका निभाएंगें। यह एक मानी हुई बात है कि अगर हिन्दुस्तान के किसी एक हिस्से में कोई घटना होती है, तो हिन्तुस्तान के लोगों का जो नुमायंदा संसद सदस्य है, उस के पास यदि जाने के लिये साधन न हों, अगर वह कहीं जाना चाहे, तो जा न सकता हो, वह पूरे अखबारों का कन्ट्रीब्यूशन न कर सकता हो, उसके रहने के लिये पूरी सुविधाएं न हों, तो किस प्रकार से वह अपना काम कर सकता है। कैसे हम काम कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ब्रिटेन में वहां के संसद सदस्यों को बहुत ज्यादा मिलता है और जो वहाँ मिलता है, वह हमें मिले लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां के ससद सदस्य को क्या मिलता है।

"संसद सदस्य नौ 'बारों' तथा भिन्न प्रकार के रेस्टोरेन्टों का मजा लूटने के साथ-साथ राजधानी में कुछ मनोरंजक वार्तालाप का भी मजा लूटते हैं और वास्तव में उन्हें उनके सदस्य होने का लाभ दिया जाता है : उन्हें हर वर्ष 6,270 पाउण्ड मूलवेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त 2,534 पाउण्ड जीवन निर्वाह भत्ता और 3,687 पाउण्ड सचिवालय भत्ता मिलता है और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 12,491 पाउण्ड मिलते हैं।"

2 लाख 15 हजार रुपये उसे मिलता है और मुझे मिलता है केवल 30 हजार रुपया। जो देश बड़ा, समस्याएं बढ़ी, काम बड़ा, उसमें कोई सेक्रेटरी नहीं. कुछ है तो हाथ हैं, इन्हीं से जितना चाहो काम कर लो।

एक माननीय सदस्य : हमें तीस हजार कहाँ, 18 हजार मिलते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 18 हजार होंगे।

"पश्चिम जर्मनी के डिप्टीज को सबसे अधिक वेतन मिलता है। उन्हें 22,700 पौंड वेतन के रूप में मिलते हैं और 13,600 पौंड भत्ते के रूप में मिलते हैं। डेनमार्क फ्रांस और हालैंड के संसद सदस्यों को भी ब्रिटेन के संसद सदस्यों से कम से कम तीन गुना वेतन व भत्ते मिलते हैं।"

इन देशों में तीन गुना मिलता है। लेकिन मैं इन देशों की बात नहीं करता क्योंकि हमारे यहां कई ऐसे लोग भी हैं जो अलमारी में कोकशास्त्र रखते हैं और हाथ में रामायण रखते हैं। बड़े-बड़े उपदेश और भाषण देते हैं। लेकिन मैंने अपनी सारी जिन्दगी में किसी को भी नहीं देखा कि बिल पास होने के बाद, एमोल्युमेंट्स बढ़ने के बाद किसी ने भी उनको छोड़ दिया हो। यह हमारी हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, आप गौर करें। इसमें लिखा है—

"भारत के संसद सदस्यों को सबसे कम वेतन मिलता है। उन्हें केवल 500 रुपये प्रतिमाह 33 पाउण्ड से कम और लगभग 3 पाउण्ड दैनिक भत्ता संसद सत्र में मिलता है।"

हमको 33 पाउण्ड मिलते हैं। अब रावत जी बताएं जो कि जवानी लिये बैठे हैं। क्या आप अपनी जिन्दगी इस तरह से चलाना चाहते हैं? क्या आप कुछ काम करना चाहते हैं? आप दुनिया में किस तरह से रहना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि अर्जेन्टीना में 84 हजार डालर, आस्ट्रेलिया में 21 हजार 552 डालर, केनाडा में 18 हजार डालर, फ्रांस में 21 हजार 640 डालर और हमारे देश के अन्दर 805 डालर मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन देशों और भारत की प्रति व्यक्ति आय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं वह भी कहूंगा और विषय के साथ न्याय करूंगा। मैं अपने उत्तर में उनका ब्यौरा दूंगा।

अब मैं आपको डवलपिंग कंट्रीज के बारे में बताता हूं। मलेशिया डवलपिंग कन्ट्री है। वहां 5 हजार 1 सौ डालर मिलता है और हमारे यहां 805 डालर मिलता है। एक डवलपिंग कंट्री श्रीलंका है उसमें 2 हजार डालर मिलते हैं। पाकिस्तान में 1 हजार 800 डालर मिलते हैं। अब आप बताइये कि कहां मलेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान और कहां हम।

अगर आप कहें कि डवलप्ड कंट्रीज की मैं बात न करूं तो आप डवलपिंग कंट्री को ही देखिये कि उनमें क्या मिलता है और मिलने के अलावा और क्या क्या फेसिलिटीज उनको मिलती हैं। हमारे यहां एक किताब है—"पार्लियामेंट्स आफ दा वर्ल्ड" उसमें दिया हुआ है कि क्या कबेंस का मिलता है, क्या और फेसिलिटीज मिलती हैं। हमारे देश के अन्दर एक सेक्रेटरी वी. आई. पी. के नीचे हम को रखा जाता है। और जो मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स··· ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें भी उचित वेतन नहीं मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह मैंने कब कहा ?

संदर्भ से मैं उद्धरण देता हूं :

"वित्त मंत्रालय में फोन पर सम्पर्क किया गया और उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सचिव को 600/- रुपये अतिरिक्त भत्तों के अलावा 3,500/- रुपये वेतन मिलता है।"

हमारी तन्ख्वाह तो 500 रुपये है।

"और 75/- रुपये प्रतिपूरक भत्ता। फिर उसे अनेक सुविधायें मिलती हैं—निःशुल्क बंगला, घर, कार।"

पता नहीं आप हमसे क्या चाहते हैं ? अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, आप देखिये—सिक्किम में 800 रुपये प्रतिमाह मिलता है और डेली अलाउन्स 55 रुपए मिलता है। नागालैंड में 750 रुपये प्रतिमाह मिलता है। महाराष्ट्र में देखिये, महाराष्ट्र में तो मजे ही मजे हैं। कांस्टीट्यूएंसी अलाउन्स 500 रुपये। पर्सनल असिस्टेंट। एक सेक्रेट्री जब आता है तो उसके पीछे डिप्टी सेक्रेट्री, असिस्टेंट सेक्रेट्री, क्लर्क सब दौड़े आते हैं. लेकिन एम. पी. तो खुद ही दौड़ता है।

यह हालत है। आप देखिये कि 1954 में एक बिल इंट्रोड्यूज किया गया था और उसके बाद 1981 के अन्त में··· । इन्कमटैक्स 12000 पर लगता है, आप हमको एक हजार रुपया प्रति माह दे दीजिए। समझदार लोग कहेंगे कि बहुत कम मांगता है, मूर्ख है। मैं कहता हूं कि स्टेट्स से कंपेरीजन कर लीजिए। महाराष्ट्र में देखिए, फ्री हाउस, नो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, लेकिन यहां पर तो सुन्दरलाल चौधरी से 170 रुपया महीना ले लेते हैं। फोन का ही कितना खर्च आ जाता हैं, इसको भी आप देखें। सारे सदस्यों के दस्तखत मेरे पास मौजूद हैं इससे पक्ष में और सरकार को हमारी मांग को मंजूर कर ही लेना चाहिये। आप देखें कि हरियाणा में धर्म पत्नी को पति और धर्मपत्नी पति को साथ ले जा कर सारा भारत घूम सकते हैं और फर्स्ट क्लास में घूम सकते हैं, महाराष्ट्र वाले घुम सकते हैं लेकिन हमारी क्या हालत है। गाड़ी इतनी लम्बी होती है, डिब्बे इतने अधिक होते हैं कि धर्म पत्नी कहीं बैठती है और पति कहीं और बैठता है, एक कहीं

रह जाता है और दूसरा कहीं और सामान कुली ले जाता है। हम चाहते हैं कि हम ईमानदारी से, सही तरीके से जिन्दगी जियें। राजनीति एक सेवा का विषय है। नैतिकता गिरनी नहीं चाहिये। हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके, इसका प्रबन्ध होना चाहिये। इसलिए अगर आप सही काम हमसे करवाना चाहते हैं तो एक काम आपको करना होगा। हमको आपको सक्षम बनाना होगा। दिल्ली में शाम का खाना अगर खाने हम चले जाएं तो जो डेली एलाउन्स मिलता है वह उसी में खत्म हो जाता है। राज्यों में क्या मिलता है इसको भी आप देखें। राजस्थान में 51 रुपया देते हैं और हमारे यहां भी 51 रुपये। हम ईजीली एप्रोचेबल हैं, मंत्री नहीं। मंत्री के यहाँ कोई जाता है तो उसको संतरी बाहर से ही कह देता है या कह सकता है कि मंत्री साहब बाथ रूम में हैं। हम कहां जाएं। बाथ रूम में भी लोग हमारे पास आ जाते हैं। हमारे हजारों मालिक हैं। मुसीबत में पली हुई हस्तियां ही बड़ी हस्तियां बनती हैं। कभी कभी सरकारी कर्मचारी जो ऊंचे पदों पर बैठते हैं वे हमारी स्थिति को समझते हैं। कम्युनिकेशन का अगर कोई मंत्री है तो उसी संचार के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। होम का है तो होम के बारे में रखनी पड़ती है, रेलवे का है तो उसकी। लेकिन हम लोगों को इकोनोमिक्स की, कामर्स की, टेक्नालाजी की, साइंश की गर्जेकि दुनिया के नीचे जितने विषय हैं, जिन को हम नहीं जानते हैं, उन सबको हमको जानना पड़ता है। गाड़ियां में लुटेरों को भी हम पकड़ते हैं। एक मंत्री के वास्ते एक या दो सबजेक्ट्स की मास्टरी जरूरी है। लेकिन हम लोगों को सारे सबजेक्ट्स पर मास्टरी करनी पड़ती हैं। किस प्रकार से काम करें, समझ में नहीं आता। अखबार घर में मंगायें तो उसके भी पैसे बढ़ गये, इंडिया टू डे मंगाइये या और मैगजीन मंगायें तो 70, 80 रुपये इन्हीं का खर्चा हो जाता है। और दो घर चलाने पड़ते हैं हमें, एक यहाँ और दूसरे अपने क्षेत्र में। अगर बच्चे बाहर पढ़ते हों तो और खर्चा करना पड़ता है। क्या हमारी स्थिति होती है। जब हम यह बात करते हैं तो लोग आदर्श की बात करते हैं। आदर्श की बहुत बड़ी बडी बातें हमने सुनी हैं। सरकार हमें एक सेक्रेटरी दे दे, फुलफ्लजेड काम करने वाला एक स्टेनो दे दीजिये। अभी 750, 800 रुपया महीना वह ले जाता है और डाक पर भी हमें 500,600 रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। मैंने एक सिलसिला चलाया कि भाई जवाब मंगाना हो तो जवाबी कार्ड भेज दो। जब मीटिंग में गया तो वहाँ पढ़ कर लोगों ने सुना दिया पब्लिक मीटिंग में। मैंने कहा भाई माफी माँगता हूं। तुमको यह कहना भी गुनाह है। अगर कोई करास्पोडेंट आ जाय या श्री सुलेमान सैल साहब आ जायें तो चाय भी पिलानी पड़ेगी। तो आप चाहते क्या हैं? एम. पी. से अगर आदर्शवाद ही करना है तो माला ले कर लंगोट पहन लेना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माला भी नहीं मिलेगी।

श्री मूल चन्द डागा : आप जैसे लोगों को तो मिलेगी भी नहीं कि बाहर से कुछ और अन्दर से कुछ। ऐसों को माला मिलनी भी नहीं चाहिये, माला का भी अपमान हो जायगा।

यह बड़ा गम्भीर विषय है, और माननीय वेंकट सुब्बय्या जी काबिल मंत्री हैं, 30 साल से वह पार्लियामेंट में हैं, उनकी बात पर हमें पूरा विश्वास है, हमारी बात को पूरी तरह से कैबिनेट के सामने रखेंगे। और डिप्टी स्पीकर साहब भी बाहर जा कर बात करेंगे कि किस प्रकार से मेम्बरों ने अपनी बातें कहीं और उसको आप ज्यादा ठीक रूप से समझ करके कहिये। अगर आप हमें रुपया नहीं देते तो साधन दे दीजिये, स्टेशनों दे दीजिये, कन्वेयेंस दे दीजिये।

माननीय वृद्धि चन्द्र जैन का निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा है कि पूरा हरियाणा उसमें आ जाय। 66,000 वर्ग किलोमीटर। माननीय नामग्याल जी का लद्दाख क्षेत्र 97,000 वर्ग किलोमीटर है। साल भर भी पैदल घूमे तो नहीं घूम सकते। सुल्तानपुरी जी का भी पहाड़ी क्षेत्र है जहां गाड़ी नहीं जाती है। कितने खच्चर मर गये होंगे इनके बैठने से। कितनी लम्बी यात्रा हमको करनी पड़ती है। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जायें तो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं, पेट्रोल बहुत मंहगा। 200 रुपये रोज का कम-से-कम पैट्रोल चाहिये। एक दिन की यात्रा में भी बहुत खर्चा हो जाता है। अगर कई दिन घूमना पड़ जाये तो महीने भर की तनख्वाह तो उसमें ही चली जाती है।

चुनाव के समय जो हमें करना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत सारे ओब्लीगेशन्स हैं। जो बात में कह रहा हूं, उसमें यह था—

1. सदस्य की पत्नी/पति को भी सभी स्थानों पर किसी भी समय प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा करने की रेल यात्रा करने का निःशुल्क पास दिया जाए।

2. प्रत्येक संसद सत्र के दौरान सदस्य की पत्नी/पति को विमान से यात्रा करने की सुविधा दी जाए।

3. कानून के अनुसार अनुमत वर्तमान वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत सदस्यों के एक निजी टेलीफोन के बिलों और ट्रंक काल, फोनोग्राम के बिलों को भी शामिल किया जाये।

4. सड़क किराया भत्ता बढ़ा कर 250 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाये।

5. दैनिक भत्ता 101/-रुपये प्रति दिन कर दिया जाए।

6. वेतन बढ़ाकर 1000/-रुपये प्रतिमाह किया जाए।

7. सदस्य की पानी/पति उसके साथ यात्रा नहीं करे तो सदस्य के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को प्रथम श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति दी जाए।

इस पर अनेक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात पर आपसे सहमत हूं। सदस्य की पत्नी/पति को सदैव ही उसके साथ, चाहे वह जहां जाएं, यात्रा करनी चाहिए।

श्री बापू साहब परुलेकर (रत्नगिरी) : क्या मैं श्री डागा से एक प्रश्न पूछ सकता हूं। श्री डागा ने एक बात का अभी तक उल्लेख नहीं किया है। श्री डागा, आप याद कीजिए, सदस्य के पास पर सदस्य का फोटोग्राफ है, परन्तु पत्नी/पति के पास पर कोई फोटो नहीं है। आपको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : यह तरकीब आपको मालूम हो गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब संसद सदस्य के साथ, वह कहीं भी जाता है, उसकी पत्नी/पति यात्रा करने की अनुमति है, तो सदस्यों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा : यह एक पुस्तक 'आनरेबल मेम्बर्स, है और मैं इसमें से एक या दो च्छेद पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जो हमारे शास्त्री जी की बात है, हाथी के दांत खाने के और ने के और, यह बात सब दुनिया जानती है। लेकिन यह जानकर खुश होंगे कि किस प्रकार म्बर का काम होता है।

पहले जो इन्होंने बात कही है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, फिर आपकी सेवा में बात कहूंगा।

यहां क्रिस्टोफर होलीस, एक भूतपूर्व सदस्य ने कहा है "एक माननीय सदस्य द्वारा किए जाने वाले काम भार कितना बड़ा है।" उसके बाद वह कहते हैं :

"संसदीय जीवन गतिविधियों का निरन्तर चक्र है जिसमें घरेलू जीवन, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों को तिलांजलि देने की आवश्यकता होती है।"

श्री अराकल, क्या आपको अपनी पत्नी की शिकायतें याद हैं ? (व्यवधान) उनकी कोई घरेलू जिन्दगी नहीं है। वह यहां आते हैं और कुछ कहते हैं। उन्हें अपना भाषण तैयार करना होता है। वह घर पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोई घरेलू काम नहीं। कोई घरेलू कर्त्तव्य नहीं। उस पर उन्होंने कुछ बताया कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इम्पासिबल।

पुनः, यहां कहा गया है,

"यह कहा गया है कि यदि सदस्यों को अधिक वेतन दिया जाता है तो कम वांछनीय व्यक्ति कामन्स की ओर आकर्षित होंगे जिनका उद्देश्य राजनीतिक सिद्धान्त या समाज की सेवा करने की इच्छा के स्थान पर व्यक्तिगत लाभ हासिल करना होगा। दूसरी ओर यह कहा गया है कि सभा में पेशेवर राजनीतिज्ञ आ जायेंगे जो बाहरी हितों तथा व्यापक अनुभव से रहित होंगे जो अब कामन्स की एक विशेषता है।"

इन विस्तृत रूप से तथा सद्भाव पूर्वक स्वीकार किये गये विचारों का गलत अर्थ लगाया गया है। यदि एक सदस्य का वेतन इतना होता कि उसके द्वारा बिना अतिरिक्त आय के उचित जीवन स्तर बनाये रखना सुनिश्चित होता हो अधिक उच्च योग्यता वाले तथा अधिक इमानदारी से जन हित के कार्यों में लगे रहने वाले पुरुष तथा महिलायें समक्ष प्रत्याशी के रूप में सामने आते : अधिक उमीदवारों के मैदान में आने के कारण सदस्यों की योग्यता में या सभा में वैभिन्य में कमी क्यों आनी चाहिये। यदि कम धनवान सदस्यों की इस पूर्वाग्रह से छुटकारा मिल जाये कि उनको और अधिक धन कमाना चाहिए तो परिणाम उल्टा हो जाये उससे उनका ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होगा, संकीर्ण नहीं होगा।

यह है शास्त्री जी के प्रश्न का उत्तर। इससे पता लग जाता है कि सदस्यों का क्या काम है और उन्हें क्या काम करना है। हमारे घर में कोई लाइब्रेरी तक नहीं है। हम दस बीस अखबार भी नहीं मंगा सकते। अगर हम दस अखबार मंगा लें, तो 130 रुपये खर्च हो जाते हैं।

किसी भी मेम्बर को पूछ लीजिए कि उसको कितना काम करना पड़ता है। यह पार्टियों का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारा इतना बड़ा देश है और इसकी आमदनी कितने परसेंट बढ़ गई है। 1954 में, जबकि यह बिल पास किया गया, हमें 400 रुपये मिलते थे। लगभग तीस सालों के बाद अब 500 रुपये किए गए हैं। सदस्यों की तनख्वाह तो एक क्लर्क से भी गई-गुजरी है। एक क्लर्क को मेम्बर से ज्यादा मिलता है। चपरासी को भी ज्यादा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्लर्क को कितनी तनख्वाह मिलती है। श्री मगन भाई बरोट ने 17 मार्च 1981 को संसद में यह उत्तर दिया था :

" 'सहायक' पद एक सामान्य शब्द है और सामान्यतः तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है। पदनाम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और प्रत्यक्ष चयन के लिए निर्धारित योग्यताओं में एक संगठन से दूसरे में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा कुछ अंश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक तृतीय वर्ग के कर्मचारी को न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान पर जो कुछ धनराशि मिलती हैं वह संलग्न विवरण में दिखाई गयी है।"

इस विवरण के अनुसार एक तृतीय वर्ग के कर्मचारी को जीवन बीमा निगम में 3406 रुपए प्रति माह की कुल परिलब्धियां मिलती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 2580 रुपए और भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1889 रुपए, भारतीय खाद निगम में 1386 रुपए, एयर इंडिया में 1627 रुपए तथा सरकार में रुपया 1308 मिलती है तथा बैंकों में इस वर्ष 80 करोड़ रुपया समयोपार्ट भत्ते दिये गये।

(श्री के. राजा मल्लू पीठासीन हुए)

हमारी हालत तो कलर्क से भी गई-गुजरी है आप सोचिए कि हमारी क्या स्थिति है। हम लोगों की हालत तो जो कलर्क हैं उससे भी बदतर है।

आप देखें जज को क्या मिलता है। एक जज को चार हजार रुपये मिलते हैं और बड़े जज को पाँच हजार रुपये महीने मिलते हैं, और वह साल में केवल 194 दिन काम करते हैं। 120 दिन उनको छुट्टी रहती है, शिमला और दूसरे स्थानों में घूमने के लिए। बंगला उनका फ्री होता है। कितने उनको एलावेंसेज मिलते हैं और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। और हम लोग यहां पर अपना 20 साल का बुशर्ट पहन कर आते हैं। तो बताइए हम कैसे अपना काम चला सकते हैं ?

हमारा जो प्रोटोकोल है उसमें हमारी क्या हालत है ? कलेक्टर बाहर निकलता है कपड़े पहन कर, उसकी हालत देखिए। कलेक्टर एक जिले का आफिसर होता है, उसके नीचे पांच हजार आदमी काम करते हैं और हमारे नीचे हम और हमारी बूढ़ी औरत, यह हालत है हमारी।

यह जो बिल मैंने रखा है मैं चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य जो यहां पर आए हुए हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं उनको सुनूंगा और फिर एक-एक बात का जवाब जो कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा वह उनकी सेवा में रखूंगा। लेकिन यह सब का सवाल है। हमारे माननीय मंत्री वेंकटसुब्बैया जी यह न समझें कि हमारी पार्टी से मूव कर दिया, हम डिमोक्रेट नहीं बनना चाहते। आज हम अपना खर्चा नहीं चला सकते। थोड़े दिनों में आप हमारे कपड़े भी छीन लेंगे, कुर्क करा लेंगे। इसलिए मैंने यह बिल रखा है।

हमारी 68 करोड़ की जनता है, उसमें मासेज कभी-कभी किधर भी जाती हों, कुछ भी बातें करती हों लेकिन लीडर में वह खासियत होनी चाहिए कि उनको समझा सके कि हमारी यह कठिनाई है। केवल आदर्शों की बात नहीं करनी चाहिए। हमारी एक पे ऐंड एलावेंसेज कमेटी है, वह क्यों नहीं इस बात को समझ कर आगे आती है ?

एक माननीय सदस्य : उसके चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं।

0

श्री मूलचन्द डागा : वह बहुत गहरे व्यक्ति हैं, वह जब कहेंगे तो उनकी बात का बड़ा वजन होगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब करीब सभी माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे और इस पर कम से कम एक महीने तक डिस्कशन होने दिया जाय ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) । सभापति महोदय, जो अभी डागा साहब ने बिल रखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बिल को मेरे ख्याल से बहुत पहले आ जाना चाहिए था । बहुत से लोग यहां पर ऐसे भी आये होंगे जो इसको अपोज भी करेंगे । लेकिन मैं यह जानता हूं, मेरे जाती नॉलेज में यह बात है कि उनमें से बहुत से लोग वह हैं कि जब 1977 में हमने यह कोशिश की कि हमारी तनख्वाहें और दूसरी सहूलियतें एम पीज को जो मिलती हैं वह उनके स्टेट्स के मुताबिक चूंकि नहीं है, इसलिये हम ने एक कैम्पेन चलाया था जिसके अन्दर 371 आदमियों से दस्तखत करा कर हम ने एक ममोरंडम उस समय के प्रधान मंत्री श्री मोरार जी भाई के सामने पेश किया था, उस वक्त का मेरा तजर्बा है कि जो लोग आज यहां पर इस बिल को अपोज करेंगे, उनसे मेरी बात हुई, वह मुझसे यह बात कहते थे कि हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं चल सकता और हमें बड़ी परेशानी होती है लेकिन हमारी पार्टी की पालिसी ऐसी है कि हम इसकी मुआफिकत नहीं कर सकते और हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे । लेकिन इसके बावजूद भी 371 लोगों ने दस्तखत किये । बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि पैसा तो नहीं लेकिन दूसरी सहूलियतें दफ्तर वगैरह की मिलनी चाहिएं । नतीजा उसका भी यही है, वह भी यह महसूस करते हैं कि हमें जो तनख्वाहें और सहूलियतें मिल रही हैं वह हमारे लिये मुनासिब और काफी नहीं हैं । (व्यवधान) मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं कि हमारी तमाम जरूरियात और स्टेट्स के मुताबिक पार्लमेंट हमारी जिम्मेदारी ले ले और हमें एक पैसा भी न दे । आज जो 5 सौ पे और 1 हजार एलाउन्स का मिलती है उसको हम खत्म करने के लिए तैयार हैं लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का इन्तजाम किया जाये । मैं जानता हूं आज भी बहुत से मेम्बरान पार्लमेंट के बैंक एकाउन्ट्स में आपको ओवर-ड्राफ्ट मिलेगा और कभी कभी तो हमारा चैक वापिस कर दिया जाता है । बड़ी संजीदगी के साथ लिख कर आ जाता है कि आप पार्लमेंट के आनरेबुल मेम्बर हैं लेकिन तीन हजार के ऊपर ओवर ड्राफ्ट हो चुका है जिसके आगे हम नहीं दे सकते हैं, यह चैक वापिस किया जाता है । अब इस हालत में भी अगर कोई साहब इस बिल को अपोज करते हैं तो उन्हें कोई आल्टनेटिव बताना चाहिए कि किस तरह से हमारी जिन्दगी गुजारी जाए ?

हमें मकान दिया जाता है तो उसका किराया, फर्नीचर मिलता है तो उसका किराया, सिग्रेट के लिए अगर एश-ट्रे मिलती है तो उसका किराया, अगर टेलीफोन है तो उसमें ट्रंक-काल के लिए कोई गुंजायश नहीं है । पानी का भी पैसा दीजिये, अभी मेरे पास साढ़े 12 सौ का बिल आया हुआ है, बिजली आयेगी तो उसका किराया, झाड़ू देने के लिए आदमी आयेगा तो उसका किराया । फिर गुजर कैसे हो ? या तो फिर आप यह तय कर लीजिये कि मेम्बर्स के पास कांस्टीटुएन्सी का कोई भी आदमी नहीं आयेगा और न ही कोई मेम्बर अपनी कांस्टीटुएन्सी में कभी जायेगा । मेम्बर अगर किसी को अगर चाय पिलायेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जायेगा ऐसा ला आप बना दीजिए । अगर मेम्बर के यहां कोई आता है उसके लिये या

तो आप गेस्ट हाउस का इन्तजाम कीजिए या फिर ऐसा कानून बना दीजिये कि उसको तिहाड़ जेल भेज दिया जायेगा, वह अपने रिप्रेजेन्टेटिव के यहाँ आया क्यों। इस सिलसिले में मुझे सन् 1977 का एक वाकया याद आ गया। मेरे एक साथी थे जिनके यहाँ उस वक्त इस तरह से एक मेहमान आये और आकर मुस्तकिल तरीके से रहने लगे। काफी दिन बीत गये तो उन्होंने एक दिन अपने मेहमान को समझाया, उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपका खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकता लिहाजा मुझे छुट्टी दें। फिर भी वे बाज नहीं आए। जब भी मेम्बर साहब खाने के लिये जायें तो वे उनके साथ चलदें। मजबूरन एक दिन उन्होंने पुलिस को टेलीफोन कर दिया कि एक आदमी इस तरह से गड़बड़ कर रहा है लिहाजा साढ़े दस बजे पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई। जब अगला एलेक्शन आया तो उसमें वे मेम्बर साहब हार गये क्योंकि उनकी कांस्टीकुएन्सी में यह बात फैल गई कि उनके यहाँ जो मेहमान गया था उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। यह किसी ने नहीं देखा कि एक महीने से वह मेहमान परेशान कर रहा था। उल्टे उनको सजा यह मिली कि एलेक्शन में हार गये।

ऐसी हालत में जो भी इस बिल का अपोजीशन करें वे बतायें कि हम क्या करें? आज कोई भी कांस्टीटुएन्सी 300 किलोमीटर लम्बी या कम से कम 150 किलोमीटर लम्बी चौड़ी होती है। अब अगर पक्की सड़क भी हो और 150 किलोमीटर कोई एम पी अपना झंडा लगाकर गाड़ी पर चला जाये और लौट कर आए तो एक दिन में ही 400 रुपये का बिल बन जाता है। अब साल में 15-20 दिन भी अगर वह अपनी कांस्टीटुएंसी में चला जाये तो कुल 19,500 रुपए साल में जो उसको मिलते हैं वह सिर्फ इसी मद में चले जायेंगे। किसी ने कहा डागा जी को 30,000 मिलते हैं तो डागा जी रूलिंग पार्टी के मेम्बर हैं, बोलने वाले हैं, इंफ्लूऐन्शल हैं, हो सकता है वे चार पांच कमेटीज में रख दिये गये हों लेकिन हमारी तरफ के मेंम्बर को, जिसे 1500 ही मिलते हैं उसको साल में 18,000 ही हुये।

इस प्रकार 19,500 रु. हमको पूरे साल में मिलता है और डागा जी को 11,500 रु. ज्यादा मिलता है, वे उसको तकसीम करें, वे हम से ज्यादा कैसे ले रहे हैं। इसके बाद आप देखिए। एजूकेशन का सवाल है और यदि हम कहीं पर जाना चाहते हैं, बाहर से डेलीगेशन्स आते हैं, उनमें हमको बुलाया जाता है, लेकिन हम तो यह सोचते हैं कि यदि गये तो 20, 25, 30 टैक्सी में लग जायेगा और यदि इतने रुपए टैक्सी में दे दिये तो सुबह का नाश्ता कहां से आएगा जो आपके यहाँ 20 आदमी महमान बन कर रह रहे हैं। यदि नाश्ते में केवल डबट रोटी भी देंगे तो काफी पैसा लग जायेगा। इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। मुझे यकीन है जब जवाब देंगे तो नाक उलटी ही पकड़ेंगे सीधी नहीं पकड़ेंगे, हमें कन्वेंस दी जाये, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैसा भी न दिया जाए, लेकिन हमारी जरूरतों की गारन्टी ले ली जाये। वह दे नहीं सकते हैं क्योंकि यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है।

डागा जी ने एक और ज्यादती की है कि एलाउन्स 65 रु. होना चाहिए, मैं कहता हूं कि 101 रु. क्यों न हो। उत्तर प्रदेश के अन्दर एक विधायक को 40 रु. रोज एलाउन्स का मिल रहा है और इसके साथ साथ टेलीफोन फ्री, डेढ़ हजार रु. सैलरी है, मकान फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, किसी को भी अपने साथ 15 हजार किलोमीटर तक फर्स्ट क्लास में ले जा सकता है, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी। इसके अलावा सफाई करने वाला आदमी फ्री, आठ कमरों में

एक नौकर फ्री, ये सारी चीजें दी जाती हैं। इससे ज्यादा बढ़कर बदकिस्मती और क्या हमारी हो सकती है, यह आपके साथ भी है, चाहे रुलिंग पार्टी वाले थोड़ा कम मुतासिर होते हैं और अपोजीशन वाले ज्यादा हो जाते हैं। यहां पर यदि कोई मामला उठाया जाता है तो स्पीकर साहब कह देंगे कि यह स्टेट सब्जेक्ट है—रिजेक्टेड। इस प्रकार हम यहां भी मारे गए और तनख्वाहों में भी मारे गये। आप जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्यक्ष जी का देहान्त हो गया क्योंकि उनका एटेडेन्ट थर्ड क्लास में था और वे फर्स्ट क्लास में थे। वहां कोई डाक्टर नहीं, हकीम नहीं, क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एम. पीज· तो एक तमाशा बन कर रह गए हैं। शेरवानी जी की भी ऐसी ही हालत थी।

इत्तफाक की बात यह है कि यदि हमें किसी जलसे में जाना पड़ जाए और उसकी बीवी भी पोलीटिक्स में हो और एम. पी. न हो और इस वजह से हमको भी सैकेंड क्लास में जाना पड़ेगा। सैकेंड क्लास में न तो वहां पर बोलने के लिए तैयारी हो सकती है, लिखाई-पढ़ाई नहीं हो सकती है और जब वहां पर उतरेगा तो रिक्शे के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इस प्रकार ये सारी बातें हैं।

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : सी. पी. आई. वाले विरोध कर रहे हैं और इनके भाषण का सारा डाटा सप्लाई कर रहे हैं।

श्री रसीद मसूद : यह तो कर ही रहे हैं। सी. पी. आई. ने बताया कि हम नाक सीधी पकड़ रहे हैं और ये उल्टी पकड़ रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। डागा जी ने इसमें 65 रुपए की बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि 100 रु. होनी चाहिए। दूसरे-बीवी के लिए फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए आप एक सीमा मुकर्रिर कर दें कि पांच या दस किलोमीटर की। तीसरे—एटेंडेंट को भी फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए। क्यों कि यह तो आपके सामने हैं कि किस प्रकार रेल में दो-तीन हादसे हो चुके हैं। एटेंडेंट वहां पर न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनको रेलवे में जगह नहीं मिलती है। यह होता है कि हमने यहां पर रिजर्वेशन कराया और जब स्टेशन पर पहुंचे तो पता लगा कि रिजर्वेशन नहीं था। मंत्री जी से शिकायत करते हैं तो कहा जाता है कि होगा। इत्तफाक से उसी नाम का दूसरा आदमी ट्रैवल कर रहा है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने एक बार स्टीफन साहब से अपने टेलीफोन के बारे में शिकायत की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को लिख कर भेजा, लेकिन फिर भी तीन दिनों तक टेलीफोन ठीक नहीं हुआ। 5वें दिन स्टीफन साहब ने मुझे एक खत लिखा जो 8-10 दिन के बाद पहुंचता है कि आपका टेलीफोन ठीक कर दिया गया था। हमने मधु साहब को टेलीफोन किया था, उन्होंने कहा था कि टेलीफोन ठीक है। मधु साहब हमारे आफिस में काम करते हैं, उन्होंने आफिस से टेलीफोन की शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए उन्होंने हो सकता है मधु साहब को दफतर में टेलीफोन करके पूछा हो, लेकिन टेलीफोन तो मेरे घर का खराब था। वह कहते हैं कि घर पर टेलीफोन किया था, वहां मधु साहब से बात हुई थी। यह हालत आपकी ब्यूरोकेसी की है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस किस्म की दिक्कत में मैं मुबतला हूं, हो सकता है कल जब आप इधर आयें तो आप को भी ऐसी दिक्कत हो सकती है।

चेयरमैन साहब, इन अलफाज के साथ मैं डागा साहब के बिल को सपोर्ट करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि वह इस बिल को यहां लाये।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मेरा तो ऐसा विचार है कि यह एक ऐसा बिल है जिसको बिना किसी वाद-विवाद के पारित कर देना चाहिये, सभी सदस्यों को एक मत से इसे पारित करना चाहिये।

सभापति महोदय, डागा साहब ने जो बिल प्रस्थापित किया है उसमें 4 मुख्य संशोधन हैं। पहला यह कि जो 500 रुपया माहवार हमको तनख्वाह मिलती है उसको 800 रुपया कर दिया जाय...

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाडमेर) : 1000 रुपये कर दिया जाय।

श्रीमती कृष्णा साही : जो 51 रुपये रोज दैनिक भत्ता मिलता है उसको 65 रुपया कर दिया जाय

श्री वृद्धि चन्द जैन : 101 रुपया कर दिया जाय। इन्होंने अपने ओरिजनल बिल में संशोधन कर दिया है।

श्रीमती कृष्णा साही : हां, इन्होंने संशोधन कर दिया है कि 101 रुपया कर देना चाहिये।

तीसरे, सहयात्री जिसको स्पाउस कहते हैं—उसके लिये द्वितीय श्रेणी का पास दिया जाता है...

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : उसको स्पाउस नहीं कहते हैं। स्पाउस के मायने हस्बैंड तथा वाइफ।

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा मतलब सहयात्री से है, कम्पेनियम से है, स्पाउस की जगह शब्द सहयात्री ही होना चाहिए। उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए।

उसके बाद चिकित्सा के सम्बन्ध में इन्होंने कहा है कि उस में परिवार के सदस्यों को भी शामिल करना चाहिये। टेलीफोन की सुविधा के बारे में इन्होंने कहा है। जो 500 रुपये का भत्ता मिलता है जिसमें डाक, तार, पानी, बिजली इत्यादि है उसको बढ़ाकर 750 रुपया करना चाहिये। इस तरह से इन्होंने जितनी बातें संशोधन के रूप में रखी हैं, वे सब व्यावहारिक हैं और आज के जमाने में जब कि मंहगाई बढ़ती जा रही है, ये सुविधायें अवश्य दी जानी चाहिएं। इनके लिए हमें पैसा मिले या न मिले, लेकिन जैसा मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा है अगर सरकार इन सब बातों की जवाबदेही अपने ऊपर ले ले तब तो तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जवाबदेही भी तो तभी आयेगी जबकि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाएगा। आज संसार में जितने देश हैं, सभी देश की तुलना में हमारे यहां सबसे कम पैसा संसदों को मिलता है। हाउस आफ कामन्ज में, अमरीकी सीनेटर्स को, जो वेतन और सुविधायें दी जाती हैं, उनकी तुलना में हमारे यहां बहुत कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो राज्य विधान मण्डलों में, जहां पहले 10 रुपये रोज मिलते थे, अब 45 और 50 रुपये रोज मिलने लगे हैं। छोटे से छोटे प्रान्त में जिसकी आबादी बहुत कम है वहां भी 45 और 51 रुपये रोज मिलते हैं।

श्री रामसिंह यादव : राजस्थान में 51 रुपये रोज है।

श्रीमती कृष्णा साही : उस अनुपाद से यदि लोक सभा में देखा जाय, तो सन 1952 में जो 51 रुपये रोज तय हुए थे, वही अब तक चले आ रहे हैं। मंहगाई चार गुना बढ़ गई है, लेकिन हम लोग तो केवल दो-गुना की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, इसमें हिपोक्रेसी की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, पंजाब में 45 रुपये रोज भत्ता मिलता है। इसके अलावा गाड़ी खरीदने के लिए ···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पाखण्ड पूरा आप लोग रचाये हुए हैं; कोई सिद्धांत की बात करे तो वह पाखण्डी हो गया, यह कहाँ से सीख लिया है। आप अपनी बात रखिये।

श्रीमती कृष्ण साही : 45 हजार रुपया पंजाब में मकान बनाने के लिए लोन दिया जाता है और गाड़ी खरीदने के लिए भी 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है। हरियाणा में भी यही बात है और वहां पर भी गाड़ी खरीदने के लिए 30 हजार रुपया लोन दिया जाता है। राजस्थान में, सिक्किम में और तमिलनाडु आदि कई जगहों पर मकान रहने के लिए फ्री दिया जाता है लेकिन हमारे यहाँ मकान का भी किराया लगता है की हालत खराब है और जनता में यह भ्रम फैला हुआ है कि मेम्बरों को रहने के लिए मकान फ्री दिया जाता है, टेलीफोन फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है और पानी फ्री मिलता है। मेरा कहना यह है कि जनता के बीच में यह भ्रम फैला हुआ है कि हम लोग शान व शौकत से रहते हैं और हमारा इन चीजों पर कोई खर्च नहीं होता है मेरा एक प्रस्ताव भी इसके बारे में था और इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान सेक्रेटेरियेट सुविधा या पैसों से क्या होगा। आप एक एसिसटेंट 500 रुपये में नहीं रख सकते हैं, एक स्टेनोग्राफर नहीं रख सकते हैं। स्थिति यह है कि सुबह से लेकर 11 बजे तक जब तक हम पार्लियामेंट हाऊस आते हैं, हर 5 मिनट के बाद घण्टी बजती है और अगर हम बाथरूम में भी होते हैं या पूजा करते रहते हैं तो हमें बाहर दौड़ कर देखना होता है कि कौन है या फिर जो हमारे घर में रहते हैं, वे देखते हैं लेकिन वे कितने हैं। छोटा नौकर था अगर है, तो कितना क्या कर सकता।

दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि हमारा पोस्टल स्टैम्पस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। 8 लाख से 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, 6 विधान सभाओं या 5 विधान सभाओं को मिलाकर हम प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन उसके लिए हमें बहुत कम पैसा मिलता है। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि विधान सभा में एक मेम्बर को 16 हजार टेलीफोन काल फ्री हैं। अगर 6 विधान सभाओं का हिसाब हम लगाएं, तो उसके अनुपात में हमको बहुत कम टेलीफोन काल फ्री हैं। हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं, क्योंकि हम खानाबदोशों की तरह से जिन्दगी बितानी होती है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अगर पति और पत्नी साथ चलते हैं और अगर किसी का पति या पत्नी नहीं है उसके साथ कोई सहयात्री जाता है, तो उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि खुद तो फर्स्ट क्लास में बैठा है और दूसरे सैकेण्ड क्लास में बैठा है। अब पत्नी कोई गठरी तो है नहीं कि सेशन के टाइम पर लाकर रख दी और सेशन के बाद फिर लेकर चले गये। वह कोई मोटरी तो है नहीं कि जहां चाहा रख दिया। इसलिए मेरा कहना यह है कि पति या पत्नी या सहयात्री अगर साथ जाते हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास का पास मिलना

चाहिए। हमारे एक बहुत बुजुर्ग बिहार के सदस्य थे बेचारे। उनकी मृत्यु हो गई और 10-15 स्टेशन के बाद जाकर किसी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप घबड़ाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी कि हमने अपनी तन्ख्वाह बढ़ा ली। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संसद सदस्य की, जो जिम्मेवारी होती है, कम से कम उस जिम्मेदारी को वहन करने के लायक हमको मिलना चाहिए। 30-40 लोग हमारे यहां रोज आते हैं और उनको चाय पिलानी होती है। शास्त्री जी तो चीनी खाते नहीं, इसलिए उनको चीनी की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह कैसे कहती है, मैं 6-7 आदमियों को रोज चाय पिलाता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं यह कहती हूं कि एक तरफ तो ये हमारे मंत्री जी को कहते हैं कि हमको आप फैसेलिटीज नहीं देते और दूसरी तरफ सिद्धान्त की बात करते हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क और यह फर्क नहीं होना चाहिए। जो कथनी और करनी में फर्क करते हैं, वही सिद्धान्त की बात करते हैं। हम लोग सिद्धान्त की बात सही जगह पर करते हैं। इसमें इतनी वित्तीय इन्वोल्वमेंट की बात नहीं है। इसलिए मेरा यह अनुरोध होगा कि जहां फ्री हाऊस की बात होती है, उसके बारे में सोचा जाए। आन्ध्र प्रदेश में फ्री मकान दिया जाता है और जैसा मैंने सुना है मद्रास में यूटेसिल्स और लीनेन सब फ्री मिलता है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि विधान सभा के सदस्य हमको चिट्ठी लिख देते हैं कि इतने आदमी आ रहे हैं, इनकी देखरेख करना। अगर उनकी देखरेख नहीं होती है, तो फिर वोट के समय वे याद रखते हैं, एम. एल. ए. से लेकर जनता तक कि हम वहां गये और हमें एक प्याली चाय भी नहीं पिलाई गई। मैं परसों की बात करती हूं। रात को साढ़े 11 बजे हमारे क्षेत्र से 25-30 आदमी हमारे यहां आ गये। एक तो हम महिला हैं। हमारे भाई लोगों को शायद कुछ कम परेशानी होती होगी। एक महिला होने के नाते हमें अधिक परेशानी होती होगी। जिस ट्रेन से वे आते थे, वह ट्रेन लेट थी। बेचारे मर्द, औरत, बच्चे थे, सभी हमारे यहां आये और उन लोगों को हमें ठहराना ही होता है क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करती हूं।

हम लोगों को जो मकान मिले हैं, उसका पर्याप्त किराया लिया जाता है। फर्नीचर के लिए पांच हजार की सीलिंग लगा रखी है कि इससे ज्यादा का फर्नीचर हमको नहीं मिल सकता है। उससे ज्यादा का किराया काफी देना पड़ता है। डोरनेट जो हम लेते हैं उनका हमें दो रुपये महीने किराया देना पड़ता है। हमें दो तरह का फर्नीचर मिलता है एक मूवेबल और दूसरा नान मूवेबल। हमारे यहां राइटिंग ब्यौरा होता है, उसका भी हमसे किराया चार्ज किया जाता है। वह दीवार के साथ लगा हुआ है लेकिन उसको भी मूवेबल माना जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जमादार, मेहतर आता है, उसको अलग देना पड़ता है। इस तरह से बहुत से हमारे एडीशनल खर्च हो जाते हैं।

ड्राइंग रूम में जो राइटिंग ब्यूरो फिक्स है पता नहीं उसको कैसे आप मूवेबल मानते हैं। वह दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकता है लेकिन उसको भी मूवेबल मानकर उसका किराया चार्ज किया जाता है। ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें देखना है।

ये सारी बातें कहने का मेरा मतलब यही है कि आप स्टेण्डर्ड आफ लीविंग की बात को

और सुविधाओं की बात को छोड़ दीजिए लेकिन हमारे तो उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए तो आवश्यक साधन प्रदान कीजिए, बेशक हमें आप सुख-सुविधाएं न दें। हमें इतना तो दीजिए कि हमारे यहां तनावपूर्ण वातावरण न रहे। हमारी जिन्दगी एक खानाबदोश की सी जिन्दगी होती है। घर में न पति पत्नी को देखे, बच्चे माँ को या पिता को न देखें और इस प्रकार से हमारी जिन्दगी तनावपूर्ण बनी रहे। इससे निकालने के लिए भी और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए, उनका अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें उचित सुविधाएं आजकल बहुत कम हैं। इनसे हमारा दिन-रात का काम नहीं चल सकता है। हमें दिन-रात काम करना पड़ता है। इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बिल को पास करना जरूरी है। मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यदि हम यह कहते हैं कि वेतन तथा भत्ते नहीं बढ़ाये जाने चाहिए तो यह एक ढोंग होगा। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य हमें ढोंगी कहते हैं, वे सम्भवत: एक उच्च समाज में रहते हैं। वे कभी गाँवों में नहीं गये, उन्होंने कभी गाँव वालों की दुर्दशा नहीं देखी।

यह सत्य है कि मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु सरकार हमें यह सफाई देती रही है कि वह मूल्यों को स्थिर करने में सफल हुई है। एक सत्ताधारी दल के सदस्य ने ही यह कहा था कि मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।

यह सत्य है कि मूल्य बढ़ रहे हैं, परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं जो कि गाँवों में तथा शहरों व नगरों के बस्ती क्षेत्रों में रहती हैं। हमें जानना चाहिए कि इन उत्तरोत्तर गति से बढ़ते हुए मूल्यों के दिनों में उनको कितनी मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक सम्भवत: 50.6% जन-संख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है। सम्भवत: अधिकतर सदस्य जो इस भव्य सभा में सुशोभित हैं उनको गाँव के लोगों के जीवन का पूरी तरह ज्ञान नहीं है जो कि पशुवत् जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक ही झोंपड़ी में लड़के-लड़कियाँ, पति-पत्नी, गाय-भैंसें, भेड-बकरियाँ सब साथ-साथ रहते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं में कोई अन्तर नहीं है।

सत्र के दौरान 65 रुपये प्रतिदिन देने के लिए माँग की गई है। परन्तु आपको याद रखनी चाहिए कि गाँव में एक औसत परिवार भी 50 रुपये प्रति माह नहीं कमा पाता। सम्भवत: हमारे बहुत से सदस्य इस वास्तविकता को नहीं जानते।

वेतन तथा भत्तों में वृद्धि कार्यदक्षता बनाये रखने के आधार पर न्यायोचित मानी जा सकती है। परन्तु माननीय सदस्यों की कार्यदक्षता बनाये रखने के लिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर आशुलिपिक तथा टाइपिस्ट प्रदान किये जाने चाहिए और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी कार्यदक्षता बनाये रखी जा सकती है तथा संसद सदस्य के रूप में हम अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख)। सभापति जी, मोहतरम डागा साहब ने सेलरी एण्ड

अलाउंसेस बढ़ाने के बारे में जो बिल प्रस्तुत किया है, उस बिल का मैं समर्थन करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं ।

जैसा कि डागा साहब ने इस एवान के सामने डिटेल में इस मामले को पूरी तरह उभारा, कोई टापिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, जिस पर मैं और कुछ कह सकूं । लिहाजा उन बातों पर मैं न जाते हुए चंद प्वाइंट आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो कि शायद बहुत सारे सदस्यों के जहन में नहीं होगी खासतौर पर उन इलाकों के बारे में जो ट्राइबल हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो रेगिस्तानी इलाके हैं—जैसे राजस्थान है और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पर क्या-क्या मुश्किलात मेम्बरों को भुगतनी पड़ती है, उन मुश्किलात को देखते हुए डागा साहब ने अपने बिल में सदस्यों के वेतन जो 500 रुपये के बजाए एक हजार रुपया बढ़ाने के लिए और अलाउंसेस 51 रुपये के बजाए 101 रुपये करने के लिए कहा है, मैं समझता हूं कि किसी हद तक वह भी कम होगा । उन हालातों का सही ढंग से जायजा लिया जाए, जिन हालात में ट्राइबल एरिया में और पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के पास मैम्बर्स को जाना पड़ता है ।

जहाँ तक रेलवे पास का सम्बन्ध है स्पाउजस के लिए भी फ्री फर्स्ट क्लास पास की बात इस बिल में कही गई है । यह ठीक बात है । वह मिलना चाहिए । लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लाइनें ही नहीं है । बहुत से ऐसे आनरेबल मेम्बर्ज हैं जिन के इलाके में रेलवे का जाल बिछा हुआ है लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहाँ रेलवेज ही नहीं है । वहां पर यह फ्री रेलवे पास की बात बेईमानी हो जाती है । फ्री रेलवे पास पर आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आप भूखे तो घूम नहीं सकते हैं । जेब में भी कुछ होना चाहिए । मैं समझता हूं कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में रेल की फैसिलिटीज नहीं है वहां पर अगर कोई मेंबर दौरे पर जाता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त एलाउन्स होना चाहिये ताकि उसको कुछ कंपेंसेट किया जा सके । जहां तक सदस्यों को फ्री फर्स्ट क्लास रेलवे पास का सवाल है उनको आप एयर कंडिशन में सफर करने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं ? ब्यूरोक्रेट्स जितने डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वायंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एयर कंडिशन में जा सकते हैं और कहा जाता है कि इनका स्टेट्स हमसे नीचे हैं । अगर नीचे हैं तो वे तो एयर कंडिशन में सफर करेंगे और हम फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे ? क्या यह एक मेम्बर की बिलो डिग्निटी नहीं होगी ? लिहाजा आपको एयर-कंडिशन में मेम्बर्ज को सफर करना एलाउ करना चाहिए । स्पाउज रेलवे कंशेसन्श जो एमेंडमेंट उन्होंने दिया । उसको मैं स्पोर्ट करता हूं । लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जब सेशन होता है तो स्पाउजस को भी फर्स्ट क्लास रेल में सफर करने को इजाजत होती है । लद्दाख जैसे इलाकों में मैं तो नवम्बर के महीने से लेकर 6–7 महीने के लिए रास्ते बन्द हो जाते हैं और मैं अगर स्पाउजस को लाना चाहूं तो कैसे ला सकता हूं । एक ही जरिया है कि हवाई जहाज से लाऊं । जब मेम्बर रेलवे में स्पाउजस को फ्री ले जा सकते हैं तो यह कंसेशन ऐसे मेम्बरों को मिलना चाहिए जिनको हवाई जहाज के सिवाय और कोई रास्ता आने जाने के लिए न हो ।

बहुत से और भी प्वाइंट्स हैं जिनके बारे में सोचा जाना जरूरी है मौजूदा बिल में डागा साहब ने जो फैसिलिटीज मांगी गई हैं, वे सरकार को दे देनी चाहिए । लेकिन साथ साथ आगे के लिए कोई कम्प्रिहेंसिव बिल इस सिलसिले में लाया जाना चाहिये जिसके लिये काफी गुंजायश है । यह बहुत जरूरी है ।

हाउसिंग, पोस्टल, वाटर, बिजली, कंस्टिट्यूएंसी और सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज के वास्ते जो 750 रुपये की मांग की गई है, उसको भी मैं स्पोर्ट करता हूं।

मैं मेंबर की पेंशन के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं–आपने प्राविजन कर रखा है कि जो मेंबर पांच साल तक रह जाता है, उसको पेंशन मिलती है। तो वह पेंशन के लिए ऐन्टाइटिल्ड हैं। पिछले दिनों आप एक संशोधन लाये थे कि जो सदस्य 5 साल का समय पूरा नहीं करते हैं, पार्लियामेंट पहले डिजाल्व हो जाती है तो आपने उसमें 60 दिन का प्रोवीजन रखा था कि इतने से अगर शार्ट पड़ता हो उसको भी पेंशन मिलेगी। लेकिन इस देश में दो कांस्टीट्यूऐंसीज ऐसी हैं जहां पर 5 से लेकर 7 महीने की मियाद कम पड़ती है। हालांकि इलेक्शन नामीनेशन पेपर्स हमको सारे देश के साथ ही फाइल करने पड़ते हैं लेकिन चुनाव जुलाई से पहले नहीं होता है। तो उस मसले में आपने नहीं सोचा कि ऐसे हालात में चुने जाने वाले मेंबरों को पूरी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसका क्या होगा? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। छठी लोक सभा ढाई साल रही क्योंकि मुल्क में कुछ ऐसे हालात थे कि पूरे टर्म नहीं चल पायी। इसमें किसी मेम्बर का फाल्ट नहीं था। हालत की वजह से पहले ही डिजाल्व हो गई। इसलिए इन हालात में भी जो मेम्बर इलेक्ट हुए थे उनको भी वही हक मिलना चाहिए जो 5 साल पूरा करने वाले सदस्यों को मिलते हैं अगर ऐसा प्रोवीजन नहीं किया गया तो उसमें ऐसे सदस्यों का क्या दोष है, मेम्बर को क्यों सजा मिले? यह एक भेदभाव वाली बात है। हालात की वजह से अगर हाउस जल्दी डिजाल्व हो जाता है या इलेक्शन नहीं हो सकता है जैसे हमारे केस में है तो जो फैसिलिटीज आप हासिल करते हैं वह हो नहीं पाती हैं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और संशोधन लाये जाने की जरूरत है।

माननीय डागा जी ने जो बिल रखा है और उस पर जिस तफसील के साथ मेम्बरान ने अपने विचार रखे उसके बाद में इस पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। आपने घंटी भी बजा दी, इसलिए इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। और तकरीर खत्म करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। लोक सभा देश की सर्वोच्च संस्था है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक मेम्बर पार्लियामेंट 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कहीं 7 लाख है। लेकिन एक विधान सभा सदस्य केवल 1 लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता। अब अगर विधान सभा सदस्यों की सैलरी और उनके अलाउन्सेज एक एम. पी. से अधिक हो तो इस विषमता को कोई भी पसन्द नहीं कर सकता है। प्रान्तों में जिस प्रकार से सैलरी और अलाउन्स हैं, जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या नागालैंड में, इनमें मेम्बरों की सैलरीज और अलाउन्सेज लोक सभा सदस्य से ज्यादा हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। मैं यह जानता हूं कि देश बड़ी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है और आर्थिक स्थिति से सबल नहीं है, परन्तु यह भी देखना है कि लोक सभा सदस्य होने के नाते उनके क्या कर्तव्य हैं और उसे वह ईमानदारी से कैसे निभायें। मैंने इस संबंध में बहुत गहराई से चिन्तन और मनन किया है और मैंने यह पाया है कि 500 रुपये की जो सैलरी है, यह मैम्बर के स्टेट के माफिक ठीक नहीं है। कोई भी सैलरी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करे, एसिस्टेंट

सेक्रेटरी, क्लर्कस या सेंकेटरीज या दूसरे जो भी आफिसर्स हैं, उनको मिलने वाली तनख्वाहों के मुकाबले में 500 रुपये की एम. पी. की सैलरी बहुत कम है। मैं मानता हूं कि स्थिति को देखते हुए जो 1000 रुपये सैलरी का सुझाव दिया गया है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है।

दूसरी बात जो 51 रुपये डेली एलाउन्स की बजाय 101 रुपये डेली एलाउन्स का सुझाव दिया है, उसको मैं नहीं मानता हूं। अगर सदस्य की तनख्वाह 500 रुपये से 1000 रुपये कर दी जाये तो जनता कभी इसकी आलोचना नहीं करेगी परन्तु आज अगर हमारा एलाउन्स 100 रुपये कर दिया जाये तो क्योंकि किसी भी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी का एलाउन्स 100 रुपये नहीं है, इसकी आलोचना अवश्य की जायेगी। इसलिये अगर व्यावहारिक रूप से हम देखें तो 51 रुपये जो डेली एलान्स के निर्धारित किये गये हैं, वह बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि गवर्नमेंट में कहीं भी डेली एलाउन्स 51 रुपये से अधिक नहीं है, इसलिये इसे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए।

मेरा तो यह कहना है कि लोक सभा के सदस्य अपने क्षत्रों में बहुत कम जाते हैं। वह अपने क्षेत्रों में न जाकर ज्यादा अपना समय कमेटियों की मीटिंगों में बिताते हैं। मैं चाहता हूं कि रुल्स में इस तरह के परिवर्तन किये जायें कि इलैक्टेड जो कमेटीज हैं, उनकी 10 दिन से ज्यादा सिटिंग्ज न हों और जो नामिनेटेड कमेटीज हैं, उनकी 7 दिन से ज्यादा सिटिंग्ज न हों ताकि यह जो आलोचना होती है कि कमेटियों की मीटिंगें करके मैम्बर्स ज्यादा अर्जन करते हैं, यह जो चार्ज लगाया जाता है जनता की तरफ से, वह चार्ज बिल्कुल सही है। इस तरह से मैम्बर्स अपने क्षेत्र की सेवा नहीं कर सकते हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि मेम्बर्स को महीने में कम-से-कम 15 दिन अपने क्षेत्र में अवश्य रहना चाहिए और जनता व वोटर्स से सम्पर्क करना चाहिए। इसलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि 51 रुपये के डेली एलाउन्स को किसी सूरत में नहीं बढ़ाना चाहिए।

सह-यात्री के बारे में जो सुझाव है कि वह स्पाउजस के लिए ही न होकर सह-यात्री होना चाहिए इस बारे में जो सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि अटैंडेंट अगर साथ में नहीं होता है तो सदस्य का कोई परपज उससे सर्व नहीं होता है, अगर वह मेम्बर के साथ ही फर्स्ट क्लास में हो तो उसको सहायक हो सकता है नहीं तो उसे कोई सहयोग नहीं मिलता है, यह ठीक है। कम्पेनियन को चेंज करके भले ही कोई भी साथ में हो, अटैंडेंट हो या स्पाउज हो, उसको मेम्बर के साथ फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए कंपेनियन शब्द की जगह सहायक शब्द जोड़ना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : "कम्पेनियन" वर्ड आलरेडी है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अगर है, तो मेरा विचार है कि उसके लिए भी फर्स्ट क्लास का प्रोविजन होना चाहिए। अगर यह व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो स्पाउज के लिए व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। उसके बारे में क्या कठिनाइयां हैं ? इस बारे में श्री डागा ने विस्तार से कह दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

जहां तक निर्वाचन-क्षेत्र का सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए मेरा क्षेत्र, और जो मित्र मुझसे पहले बोले हैं, उनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा और विस्तृत है। वहां बहुत कठिनाइयां हैं। डेजर्ट एरिया और हिली एरिया में बहुत कठिनाइयां हैं। उन क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए यह

व्यवस्था करनी चाहिए कि एम पीज तीन, चार या पाँच दिन तक एक निर्धारित किलोमीटर तक, पूल की जीप का प्रयोग कर सके और सैंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा दें। इससे संसद-सदस्य का स्टेट्स बनता है। आज कलक्टर का स्टेट्स है, मगर जनता की नजरों में एम. पी. का स्टेट्स नहीं। उसका स्टेट्स बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एम. पीज को तीन, चार या पांच दिन के लिए जीप के प्रयोग की सुविधा दी जाए।

जहां तक हाउसिंग फैसिलिटीज का सम्बन्ध है, राजस्थान में, और कई अन्य प्रान्तों में, एम. एल. एज. से किराया नहीं लिया जाता है। इसी तरह एम. पीज से भी किराया वसूल नहीं करना चाहिए। बिजली की भी सीमा बांध देना चाहिए कि इससे ज्यादा बिजली का प्रयोग करने पर चार्जिज लगेंगे, जैसा कि टेलीफोन के बारे में व्यवस्था है। टेलीफोन-काल्ज की सीमा को भी कुछ बढ़ाना चाहिए—ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है। वहां से जितने लोग मेरे यहां आते हैं, मैं उन्हें टेलीफोन करने से मना नहीं कर सकता। हम खुद टेलीफोन करें और अपने मित्रों को न करने दें, यह नहीं हो सकता। काम अधिक बढ़ गया है, इसलिए टेलीफोन बिल्ज की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं श्री डागा के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मुझे दुख है कि मुझे डागा साहब जैसे भले और निर्भीक सांसद के विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा होना पड़ रहा है। यू यहाँ बहुत से लोग अपने आप को वाक् बहादुर कहते हैं। वे किसी को पाखंडी कह सकते हैं और किसी को और बातों से विभूषित करते हैं। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। वे जो चाहे, कहें। लेकिन जो बाते कहना चाहता हूं, वे उन्हें ध्यान से सुनें और उन पर विचार करें।

श्री डागा के विधेयक में तन्ख्वाह 560 रुपये से बढ़ा कर 800 रुपये और दैनिक भत्ता 51 रुपये से 65 रुपये करने की बात कही गई है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अब तन्ख्वाह 10.1 रुपये करने की बात की गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर 1001 रुपये, तो वह और ज्यादा है।

यह वृद्धि किस आधार पर मांगी जा रही है, यह मैं माननीय सदस्य के विधेयक के उद्देश्य को पढ़कर बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया है :—

"निर्वाह-व्यय और मुद्रा स्फीत में चहुंमुखी वृद्धि तथा सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण संसद सदस्यों का वेतन, दैनिक भत्ता और अन्य फायदे बढ़ाना आवश्यक हो गया है ताकि वे अपने कृत्यों का उचित रूप में निर्वहन कर सकें।"

मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं : क्या महंगाई केवल 750 संसद सदस्यों के लिए ही बढ़ी है ? या पूरे हिन्दुस्तान की जनता को इसका मुकाबिला करना पड़ रहा है ? कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी महंगाई है, दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी महंगाई है और हमारे राज्य सभा और लोक सभा में काम करने वाले कर्मचारियों के समाने भी महंगाई का सवाल है। यह सर्वमुखी सवाल है। तो आप अपनी कहते हैं लेकिन आज ही सबेरे जब एक प्रश्न पेश था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की महंगाई की तीन किस्त बकाया पड़ गई, उसको देना चाहिए तो उस पर मन्त्री बराबर अगर मगर करते रहे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस तरह की बात करते रहे। वह तो उनका अधिकार है आपने निर्णय के

मुताबिक लेकिन कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जायगी, महंगाई बढ़ जायगी। इस नाम पर कारखाने में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, बोनस नहीं देंगे, महंगाई भत्ता नहीं देंगे, दफ्तरों में काम करने वालों को आप इन सहूलियतों से महरूम रखेंगे आप शिवजी के त्रिशूल पर रहने वाले साढ़े सात सौ एम. पी. ज्यादा कष्ट में हैं, सब से ज्यादा कष्ट इसी श्रेणी को है जो शीत ताप नियंत्रित इन मकानों में रह रही है, उन्हीं के लिए यह महंगाई ज्यादा बढ़ गई है ? इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आपको उनके लिए भी बोलना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकालत नहीं की ? आप ने एल. आई. सी. के लिए वकालत नहीं की ?

श्री रामावतार शास्त्री : एल. आई. सी. के कर्मचारियों को तीन हजार नहीं मिलता। आप ने गलत बात कही है।··· (**व्यवधान**)··· इस तरह से मैं घबड़ाने वाला नहीं हूं। मेरी बात सुनिए। मेरा तीर निशाने पर लग रहा है, इसलिए आप लोग घबड़ा रहे हैं।

आज अगर महंगाई है तो सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की जनता के लिए हैं, किशान, मजदूर, आप, हम, सारे लोगों के लिये है। सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, सभी के लिए है। आज आधी से ज्यादा हमारी अबादी गरीबी की लाइन से नीचे रहती है। उसके लिए तो आप नहीं कभी बोलते कि यह बढ़ाओ इसलिये इस आधार पर मैं इस का विरोध करता हूं आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी कैसी नहीं हैं और साथ साथ जनता की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि आप की इन मांगो का समर्थन आम जनता कर सके। आप ने, हम लोगों ने क्या अपनी अपनी जनता से वोटरों से इसके बारे में राय ली है ? आप राय लीजिए और अगर आपकी जनता यह कह दे, बहुमत कह दे तो जरूर ले लीजिए।

एक माननीय सदस्य : हमने पूछा है जनता से, फिर आए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैंने भी पूछा है ···(**व्यवधान**)···

मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। मुझे अभी कुछ और बात कहनी है। मैं यह कह रहा हूं कि आप जनता की राय लीजिए अगर आप सचमुच यह चाहते हैं। अखबारों में संसद सदस्यों के बारे में उनके खिलाफ कितना लिखा जाता है वह आप पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं इस सिद्धान्त पर इसका विरोध कर रहा हूं कि महंगाई केवल आप के लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है। पहले उनके लिए इंतजाम कीजिए तब अपने लिए इंतजाम कीजिए।

तब मैं चाहता क्या हूं यह आप पूछ सकते हैं। आप नकद पैसा जो मांग रहे हैं यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि हम संसद सदस्य हैं, हमारी जबाव देही है, उसको पूरा करना हमारा काम है, हमें जनता की सेवा करनी है, उनके बीच में वहाँ जाना भी है उनसे सम्पर्क भी बनाना है। अगर वह आएं तो उन्हें अपने घरों में रखना भी है, ये सारे काम करने हैं।तो आप सेक्रेटेरिअल सहायता मांगिए, आप डाक तार की सहूलियत मांगिए··· (**व्यवधान**)···

एक माननीय सदस्य : आप नाक यों पकड़े रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, सुनिए। मैं नाक यों नहीं पकड़ रहा हूं। (**व्यवधान**) ये लोग नाक की बात बोलते हैं इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि जो काम नहीं करेगा उसे सेक्रेटेरियल असिस्टेन्स नहीं मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसे डाक तार विभाग की सुविधा नहीं

मिलेगी और जो काम नहीं करेगा उमें ज्यादा टेलीफोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से कम से कम उन पर तो सरकार का पैसा बचेगा। इसीलिए मैं नकद के खिलाफ हूं। जो भी काम करेंगे अपने क्षेत्र का, अपने देश का उनको जरूर इन सुविधाओं का अधिकार होना चाहिए। (व्यवधान) इसलिये सेक्रेटेरियल सहायता दीजिए. टेलीफोन की सुविधा दीजिये, डाक-तार की सहूलियत दीजिये। चिट्ठियां भेजने की सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि आज कार्ड के दाम बहुत बढ़ गये हैं। एक साधारण बधायी-पत्र जो पहले 40 पैसे में मिलता था उसका दाम 75 पैसे हो गया है और जो रंगीन म्धायी-पत्र 55 पैसे में पहले आता था वह 75 पैसे का हो गया है। आप कहिये कि इनके दाम नहीं बढ़ाये जायें।

जहां जक क्षेत्रों में घूमने का सम्बन्ध है हम कम से कम दो महीने के लिये जीप मिलनी चाहिये ताकि हम अपने क्षेत्र का दौरा कर सकें। यह सारी सहूलियतें मिलनी चाहिये रुपया नहीं मिलना चाहिये। जनता के ऊपर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और जो लोग काम करेंगे उन्हीं को यह सहूलियत मिल सकेगी।

आपने यह कहा कि मेरी बीबी को पूरे देश का बादशाह बना दिया जाये घूमने के लिए। आप इसकी मांग क्यों करते हैं? अभी जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत वे सेशन में दिल्ली आयेंगी और सेशन के बाद जायेंगी लेकिन हमने देखा है कि कितने ही सदस्य कई दफा लाते हैं और ले जाते हैं जो कि गलत है लेकिन ऐसा हो रहा है। इसको आप खता करें या फिर आप इजाजत दीजिये कि पत्नियों को, स्पाउज को, या कोई विधुर हैं या विधवा है तो किसी और को, अगर चाहें तो कई दफा दिल्ली ला सकें। आप इस बात की मांग कीजिए लेकिन पूरे देश की बात आप मत कीजिए।

इसी तरह से आज हम हवाई अड्डा जाते हैं तो 25-30 रुपया देना पढ़ता है जबकि 13 किलोमीटर के लिए 13 रुपए ही मिलते हैं। अगर इसका रेट बकाया जाता है तो ठीक होगा लेकिन तनख्वाह बढ़ाई जाए और भत्ते बढ़ाए जायें यह बात गलत है। इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप जो एफीशिएन्सी बढ़ाने की बात करते हैं तो एफीशिएन्सी बढ़ाने वाली चीजें मांगिए नगद नारायण की मांग मत कीजिये। नगद-नारायण अधिक देने की स्थिति में आज यह देश नहीं है। इसलिये आपने जो पैसे की मांग की है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं डागा साहब इस विधेयक को विद्सा कर लेंगे और इसकी जगह पर कोई दूसरा बिल उस प्रकार का लायेंगे तो उस पर हम विचार कर सकते हैं, वह उचित भी होगा और उचित समझा भी जायेगा। इस बिल को आज जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर गोरखगुर : शास्त्री जी का कहना कि एक हजार रुपया मत दो, दो हजार की फैसिलिटी दे दो।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, डागा जी ने जो विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं इस सदन के दोनों पक्षों ने इतका समर्थन किया है–कुछ लोगों ने सपष्ट तौर पर किया है तो शास्त्री जी जैसे कुछ लोगों ने इधर से घुमाकर नाक पकड़ने की चेष्टा की है। मंशा उनकी भी यही है कि सदस्यों को सुविधायें मिलनी चाहिए। मेरा माननीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में और ज्यादा परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। संसद यदि ठीक से अपनी ड्यूटी न कर पाये और उनकी ड्यूटी के निर्वहन में सुविधायें कम होने से कुछ बाधा पैदा होती हो तो मैं समझता हूं कि

उससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इसके साथ मैं माननीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब लोग हम अपनी कन्स्टीचूयेंसीज में जाते हैं तो वहां जिला अधिकारी से कहें कि हमको कम से कम महीने में दस दिन जीप या कार उपलब्ध करायें ताकि हम अपनी कास्टीचूयेंसी में भ्रमण कर सकें लेकिन वह सब फ्री-आफ-कास्ट होना चाहिए।

इसी प्रकार सचिवालय का जहां तक सवाल है, उसमें हमें एक स्टैनो मिलना चाहिए और इसके साथ यदि पोस्टल खर्च के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वह हमको वहन न करना पड़े।

जहां तक टेलीफोन का सवाल है, उसमें यह होता है कि 15 हजार काल के बाद, जब वह टेलीफोन करेगा तो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए जब हम अपनी सैलरी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि उसका अधिकांश पैसा तो टेलीफोन पर खर्च हो गया है। यह स्थिति दोनों, एस. टी. डी. और साधारण, पर लागू होती है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि 15 हजार काल के स्थान पर 25 हजार काल कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आने जाने के व्यय में भी वृद्धि होनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए अपना भाषण समाप्त करते हुए इस बिल में हकीकत को देखते हुए वे इस बिल को स्वीकार कर लें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, डागा जी ने जो बिल सदन में रखा है, वह बहुत मौके से रखा है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाकी शास्त्री जी कहते हैं कि गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं इलैक्शन में गांव में गया था, वहां जाकर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। 1966 में जब मैं सदस्य बना, मैं गरीबों की मदद तो करता रहा हूं, वे मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब पहले आप अपना मकान तो बना लो, तुम्हारी कार कहां है, यदि पैसा चाहिए तो हमसे ले लो, तो यह तो लोगों की हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मिनिस्टर था, तो मेरे पास कार थी, उसके बाद मैं उसको एफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने पूछा तो कहने लगे कि कार मत बेचना, अगर थैला लेकर जाओगे तो कुत्ते पीछे पड़ेंगे और कार लेकर जाओगे तो लोग मिलेंगे। जनता किसकी बात मानती है, उसकी बात मानती है जिसके पास पैसा होता है। अपना मसला तो हम हल नहीं कर सकते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे। यह कहते है मजदूरों का करेंगे, किसानों का करेंगे, व्यापारियों का करेंगे, हरिजनों का करेंगे, लेकिन अपना तो कर नहीं सकते हैं, तो दूसरों का क्या करेंगे। आप लिख कर दे दो, तो सब कुछ हो जाय, लेकिन इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा और उस सूरत में आप दूसरों के लिये क्या कर सकेंगे। जो खुद भूखा है वह मजदूरों के लिये क्या करेगा ? चैरिटी-बिगिन्ज-एट होम। सब महात्मा गांधी नहीं बन गये हैं, इस तरह से सोचना गलत बात है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि सिधी बात करो, घुमा-फिराकर कहने से कोई फायदा नहीं है। साफ कहो कि हमें यह चाहिये और उसको हासिल करो।

कोई अपना अधिकार प्रार्थना से प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकार अनिच्छुक हाथों से छीने जाते हैं। आप कहते हैं—टेलीफोन के लिये दो, बिजली के लिये दो, मैं कहता हूं सीधे क्यों नहीं मांगते हैं, कानों को सीधे हाथ लगाओ, घुमा कर हाथ लगाने से क्या फायदा है। ठीक

है, दुनिया में लोगों को ज्यादा मिलता होगा, हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, हमें जिस चीज की जरूरत है वह हमें मिलनी चाहिये।

हमको कांस्टीचूएन्सी में जाना होता है। अभी एक मेम्बर साहब ने कहा कि 10 दिन के लिये कार दे दो। इस तरह कार लेने से क्या-फायदा, कार देनी है तो इन्टरेस्ट-फ्री लोन दो जिस से हम कार खरीद सकें और उसके चलाने पर माइलेज दिया जाना चाहिये। हमारे यहाँ पंजाब में शायद सवा रुपये फी किलोमीटर दिया जाता है, आप एक रुपया फी किलोमीटर दे दो। मैं चण्डीगढ़ जाता हूं, मेरी तनख्वाह 500 रुपये है जो सब उस जाने-आने में खर्च हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। जब मैं स्टेट में मिनिस्टर था कार इस्तेमाल करता था, जब मेम्बर था तब भी कार इस्तेमाल करता था क्योंकि उसका पैसा मिलता था। कार में क्यों जाते हैं ? इस लिये जाते हैं कि रास्ते में हमें 100 जगह जाना होता है, मैं हरियाणा भी जाता हूं, चण्डीगढ़ भी जाता हूं, पंजाब भी जाता हूं, लोगों से मिलना होता है, दस तरह के काम करने होते हैं। इस लिये इन्टरेस्ट-फ्री लोन मिलना चाहिये और किलोमीटर के हिसाब से उसका जर्च मिलना चाहिये।

अब मैं टेलीफोन की बात बतलाता हूं—जब मैं नया-नया यहाँ आया और मुझे टेलीफोन मिला तो उसमें एस. टी. डी. लगा हुआ था। लोगों ने खूब टेलीफोन किये। जब मैं तनख्वाह लेने गया तो मुझे कहा गया कि चौधरी साहब, आपका तो कुछ नहीं बचता सब टेलीफोन में निकल गया। मैंने कहा, अगले महीने देख लेंगे, लेकिन अगले महीने भी कुछ नहीं मिला।··· **(व्यवधान)**··· शास्त्री जी आप ने अपनी स्पीच में क्या कहा है, जरा साफ-साफ बात करो। जो खुद भूखा है वह दूसरों को क्या खिलायेगा, दूसरों को क्या देगा।

डागा साहब ने जो संशोधन दिये हैं वे बिलकुल ठीक है, उनको जरूर मान लेना चाहिये। क्या 65 रुपये रोज का भत्ता ज्यादा है, मैं कहता हूं—100 रुपये रोज होना चाहिये। आप देखिये हम टैक्सी पर जाते हैं कितना पैसा लग जाता है. कभी-कभी तो 100 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ता है। अगर कोई एम. एल. ए. कारखाना लगा लेता है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, कोई भी काम करना चाहे तो लोग नहीं छोड़ते हैं, ऐसी हालत में वह क्या करेगा। उसके पास पैसा नहीं है, आप उसे काम करने देना नहीं चाहते, रिश्वत लेने नहीं देते, ऐसी हालत में वह कैसे ईमान्दार रह सकता है। इस लिये पहले अपने घर को देखो, तब आप दूसरों के लिये कुछ कर सकोगे। आप कहते हैं कि हम मजदूरों से बात नहीं करते, मजदूरों को तो आप खुद एक्सप्लाएट कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम तो खुद मजदूरी करते हैं। जब मैं मिनिस्टर था, मैं उस वक्त भी खेती-बाड़ी करता था। मैं आपको बता दूं कि यह कोई आपकी क्वालीफिकेशन नहीं है। वे इससे खुश नहीं होते। वे कहते हैं कि तुम सारी उम्र मेम्बर बने रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई अच्छा जूता नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप क्या बात करते हो। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे लिये क्या करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो खाने पीने वाले लोग हैं, उनको वे वोट देते हैं। काम करने वाले और गरीब आदमी पर तो जूते पड़ते हैं। आप खड़े करके देख लो किसी गरीब आदमी को ? जिस के पास वह वोट लेने के लिए जाएगा, वह यही कहेगा कि यह खुद भूखा है, तो हमें क्या देगा। यह प्रक्टिकल बात है और इसको मान लेना चाहिए। मैं पूछता हूं कि आपने अपनी तनख्वाह लोगों को बांटी है।

श्री रामावतार शास्त्री : बाँटी है।

श्री सुन्दर सिंह : छोड़ो शास्त्री जी, यह क्या बात है। शास्त्री जी, मैं कहता हूं कि आप को तो हमेशा भूखे मरते रहना है, कुछ हमें तो बनने दो। इसलिए छोड़ दो इस बात को, इससे कोई काम नहीं चलेगा। मैं कहूंगा कि जो सहूलियतें डागा साहब ने रखी हैं, उन सबको मान लेना चाहिए।

यह जो टेलीफोन है, यह एक स्यापा है हमारे लिए। इसकी हमेशा फिक्र रहती है। मैं ताला लगा कर जाता हूं और कोई आदमी काल करने के लिए अगर आता है, तो मैं करने नहीं देता। कुछ लोग तार लगा कर फिर भी टेलीफोन कर जाते हैं। वह भी मुझे भरना पड़ता है। अब मैं कहां से पैसा लाऊं। इसलिए टेलीफोन के बारे में भी कुछ सहूलियतें हमें मिलनी चहिए।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कार का एलाऊन्स हमें मिलना चाहिए और कार खरीदने के लिए इंट्रस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए। इसी तरह से कोठी के लिए इन्ट्रेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए ताकि कोई जगह रहने के लिए बना सके क्योंकि मेम्बर हमेशा तो कोई बना नहीं रहेगा। हम तो शुरू से ही मेम्बर रहे हैं लेकिन कोई आदमी पांच साल रहता है और उसके बाद मेम्बर नहीं बन पाता। इसलिए वह मकान बना ले ताकि उसको आगे दिक्कत न उठानी पड़े।

फिर जो पेंशन एम. एल. ए. को मिलती है, वही आपको भी मिलती है उसमें कोई गिला नहीं है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम को एक रुपया फी किलोमीटर एलाऊन्स मिलना चाहिए, अगर आपको कार नहीं देनी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिए कार नहीं देती है, तो कम से कम इतना एलाऊन्स तो मिलना चाहिए। मैं अपनी कांस्टीटुयेन्सी में जाता हूं और सेशन के दौरान भी जाता हूं, तो कार से ही जाता हूं। गुरदासपुर अगर जाता हूं तो 200 रुपये खर्च होते हैं, फिर वापस आ कर चण्डीगढ़ गया तो 200 रुपये और खर्च किये और फिर कार से वापस आने पर 200-200 रुपये और खर्च हो जाते हैं। इस तरह से एक दफा में 800 रुपये खर्च हो जाते हैं। मैं हमेशा कार से ही जाता हूं। इसलिए यह महरबानी आप मेरे लिये ही कर दें। एक रुपया फी किलोमीटर मेरे लिए कर दो। मैं देख लूंगा कि कौन वोट नहीं डालता। मेरी तन्ख्वाह बढ़ा दो, सारा सिलसिला कर दो, फिर मैं देखूंगा कि कौन वोट नहीं डालता। लोग खुशी से वोट डालेंगे। आप भी खाऊंगा और लोगों को भी खिलाऊंगा। मजदूरों के लिए कौन नहीं कर रहा है। मजदूर ही हमको कहते हैं कि तुम कैसे चौधरी हो, सारी उम्र क्या करते रहे, न कोठी है और न कार है। यह वे लोग कहते हैं, जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि चौधरी साहब, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी कोठी में रहो और तुम से न हो सके, तो हम से ले लो। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह आपकी डिस्क्वालीफिकेशन है, यह क्वालीफिकेशन नहीं है। बिजली की यह बात है कि बिजली वालों को बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का पैसा देना पड़ता है, टेलीफोन का पैसा देना पड़ता है और कार का पैसा देना पड़ता है। आप जो यह कहते हैं कि लोगों से पूछ लिया, मैंने तो लोगों से पूछ लिया है। वे तो कहते हैं कि चौधरी साहब खूब खाओ, खूब कमाओ। मेरे वोटर तो मुझे कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी हालत अच्छी होनी चाहिए, आप सारी उम्र मेम्बर रहे हैं, अब भी क्या आप उसी हालत में रहेंगे।

इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप यह देवतापन छोड़ दो। आपने जो यह ढंग

अपना रखा है इसीलिए आप लोगों का काम नहीं बनता है। मैं कहता हूं कि पहले अपनी सेहत ठीक करो, फिर गरीबों की बात करो। यह सारी दुनिया की बात है। खाली लिप सिम्पैथी से गरीबों का मसला हल होने वाला नहीं है। उनके लिये लिप सिम्पैथी दिखाना गलत बात है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि जो कुछ आपका बढ़े वह आप हमें दे देना। अगर आपकी तनख्वाह बढ़े तो वह हमें दे देना।

मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो हमें 51 रुपये रोज मिलते हैं ये बहुत कम हैं। ये सौ रुपये रोज होना चाहिये। यह जो हमें तनख्वाह मिलती है यह भी बहुत कम है यह भी बढ़नी चाहिए। मेरी कांस्टीच्युन्सी में कोई मुझे इसके बारे में कहने वाला नहीं है। उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं कि मुझे क्या मिलता है। मेरे वोटर तो चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे मिलना चाहिये।

मैं डागा साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वे यह बिल लाये। इसमें मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कार के लिए हमें इंट्रेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिये। अब डीजेल इंजन की एम्बेसडर कार 98 हजार रुपये की आती है। उसके लिए बैंक वाले 18 परसेंट इन्ट्रेस्ट माँगते हैं। हमारे पंजाब में कार और मकान के लिए लोन पर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। यहां पर क्यों इन्ट्रेस्ट हो ? मैं आप से कहता हूं कि आप एम. पी. होकर अपना मसला हल नहीं कर सकते। जो अपना मसला हल नहीं कर सकता वह दूसरों का मसला कैसे हल कर सकता है ? सबसे पहले हमें अपना मसला हल करना चाहिए। अगर हमारा दिमाग और सेहत बनी रहेगी तभी हम दूसरों का मसला भी हल कर सकते हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : इससे हमें लोग सेल्फिश कहेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मेरे वोटर मुझको सेल्फिश नहीं कहेंगे, आप ही लोग कहते रहेंगे। इन शब्दों के साथ में डागा साहब के बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री सूलचन्द डागा : इसके लिये समय बढ़ा दिया जाए, काफी मेम्बर बोलने वाले हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अडमण्न और निकोबार द्वीपसमूह) : कम से कम दो घण्टे का समय बढ़ाया जाये। ज्यादा से ज्यादा मेम्बरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या सभा दो घण्टे की अवधि और बढ़ाने के लिये राजी है ?

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : अतः हमने दो घण्टे की अवधि और बढ़ा दी है। श्री यादव।

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : सभापति जी, तन्ख्वाह बढ़ना चाहिये या घटना चाहिये, एक सदस्य को मिलना चाहिये–दूसरे को नहीं मिलना चाहिये, मैं समझता हूं कि मौलिक सवाल यह नहीं है। मौलिक सवाल यह है कि इस देश के लोकसभा सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के उत्तरदायित्व क्या हैं और उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये किन-किन साधनों की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि हमारे सामने ये दो ही मुद्दे हैं और यह जो तन्ख्वाह बढ़ाने की बात कही गई है, डागा साहब ने बहुत भयभीत होकर 65 रुपये या 100 रुपये करने की बात कही है। सभापति जी, मैं 6 वर्ष तक मंत्री रहा। उस समय 1480 रुपये तन्ख्वाह मिलती थी और गाड़ी मिलती थी, पीछे पुलिस वाहन रहता था और जहाँ भी जाओ वहां पर सलामी मिलती थी। उस समय शायद अनुभव न हुआ हो, लेकिन सभापति जी जो व्यक्ति निष्ठा और

ईमानदारी से काम करता है, मंत्री पद छोड़ने के बाद उसे अवश्य महसूस होता है। इस सदन में भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, जो पद से हटाने के बाद भिखारियों की तरह घूमते रहे हैं और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है।

हमारे यहां यह हालत है कि कभी मोटर पर बैठ जाओ तो कहते हैं कि बड़ा चोर है और पैदल जाओ तो कहेंगे कि देखो भिखमंगों की तरह चला आया है। इस तरह के तानों को सुनना पड़ता है तो इस तरह से तो देश का निर्माण नहीं हो सकता।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वेंकट सुब्बैया साहब यहां पर बैठे हैं। 18-19 सौ रुपये इनको तनख्वाह मिलती होगी। अगर किसी मन्त्री को ईमानदारी से अपने परिवार को चलाना है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना है तो मेंबर्स की तनख्वाह बढ़ाने से पहले मैं मन्त्रियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगा। पहले मन्त्रियों की तनख्वाह बढ़ाओ।

एक चीज मैं और बतला दूं कि इस देश में मन्त्री का पद राष्ट्रपति के पद से बड़ा है, आप कहोगे कि कैसे ? शोभा के लिए भले ही राष्ट्रपति का पद बड़ा हो, लेकिन एक्शन के लिए डिप्टी मिनिस्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं डिप्टी मिनिस्टर था तो मेरे पास करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट पावर था। चाहे दो करोड़ इधर कर दो या 10 करोड़ उधर कर दो, वही आदमी कल भिखमंगा बनेगा, इसकी चिंता जब उसको होती है तो वह भी यह सोचता है कि इसी में से कुछ रख लो—भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। इस स्थिति से इस देश के प्रजातन्त्र को बचाओ।

सभापति महोदय, आप चुनाव क्यों करवाते हैं। चुनाव का क्या प्रयोजन है। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोक सभा का चुनाव प्रधान मन्त्री का चुनाव करने के लिए होता है और विधान सभा का चुनाव मुख्य मन्त्री का चुनाव करने के लिए होता है। प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री जैसा चाहें अपना मन्त्रिमण्डल बना लें और फिर आप चाहे जितनी बक-बक करते रहिए; कोई सुनने वाला नहीं होता। जो आफिसर चाहते हैं वही निर्णय होते हैं। 14 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाला जो कुछ कहे, उसका कोई महत्व नहीं और एक बी. डी. ओ. जो कह दे, उसका महत्व होता है। एक बी. डी. ओ. के पावर्स और रेसपांसिबिलिटी ज्यादा है। आप इन सब चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। एक बी. डी. ओ. की पावर्स ज्यादा हैं, एक दरोगा के पावर्स ज्यादा हैं, एक इंस्पेक्टर के पावर्स ज्यादा हैं, लेकिन एक लोक सभा सदस्य या विधान सभा सदस्य के पास कोई पावर्स नहीं हैं।

सभापति महोदय : क्या आप पाँच मिनट में समाप्त कर देंगे या कुछ ज्यादा समय लेंगे ?

श्री डी. पी. यादव : मैं कुछ ज्यादा समय लगाऊंगा।

सभापति महोदय : तो फिर आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब लोकसभा 30 नवम्बर 1981 के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित होती है।

6.00 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा 30 नवम्बर 1981/9 अग्रहायण 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6